खण्ड-242, अंक-2
मंगलवार, 2 आश्विन, शक संवत् 1885
(24 सितम्बर, 1963 ई0)

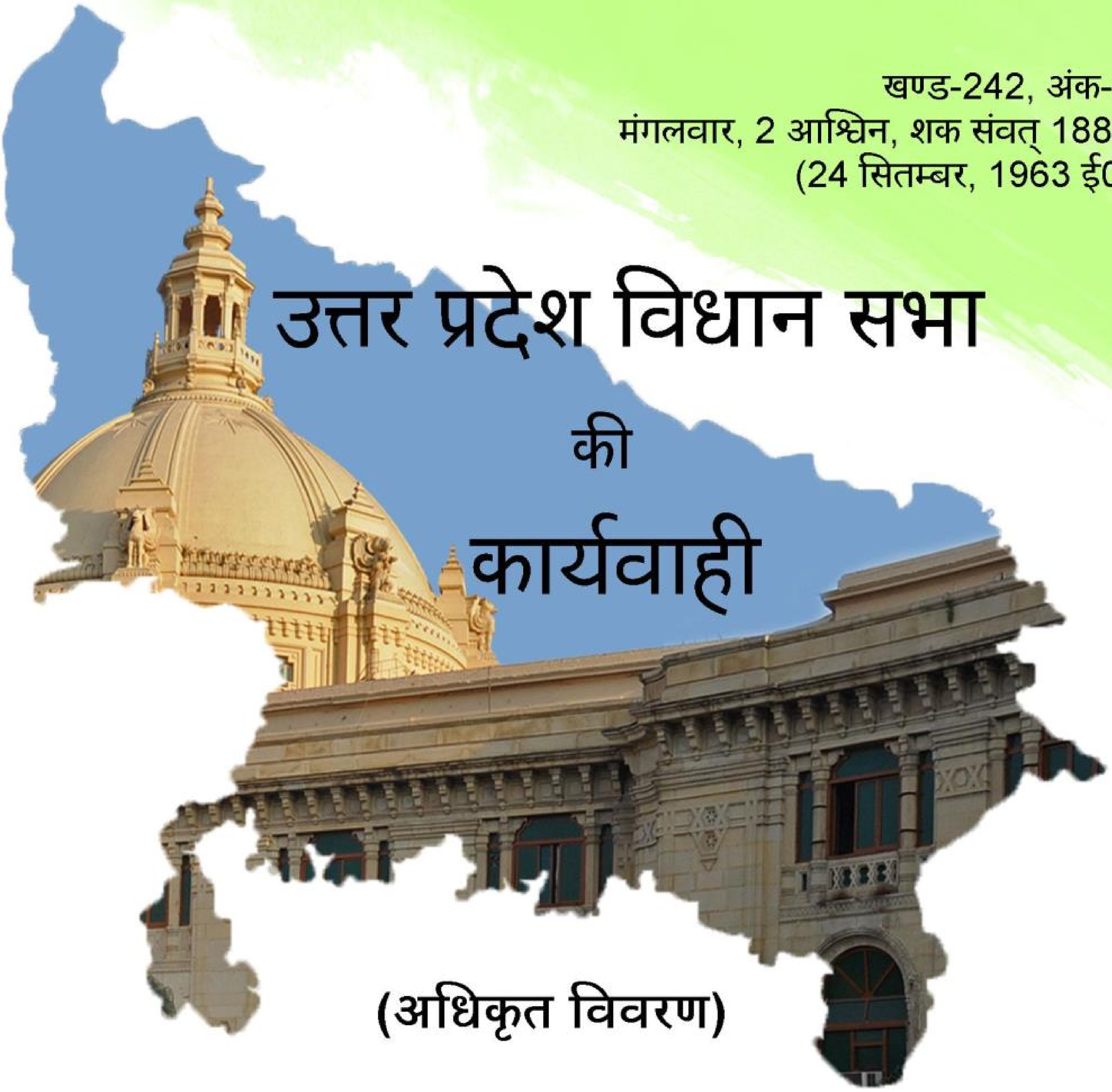

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 242 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, २४ सितम्बर, १९६३

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में १० १/२ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—४०६

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्ड प्रतापसिंह, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्या प्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेश कुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अशरफ अली खां, श्री
अष्टभुजा प्रसाद वर्मा, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उत्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छन्नन गुरू)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वरआरा, बेगम
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री

गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गणेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह श्री
गंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादार सिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री
(उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुल्फिकार अली खां, नवाबजादा सैयद
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करवरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री

नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतु ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पुरुषोत्तमलाल बुधवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नू सिंह)
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह, सरदार
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषण प्रताप सिंह, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भोखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महाबीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री

विधान सभा उत्तर प्रदेश

मुल्तान सिंह, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपाल वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राज राम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामप्रकाश करोजिया, श्री
राम अधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
राम अवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरत प्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वर नाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुद्रुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसीनकवी, श्री
विक्रम शाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजय कुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री

विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिवचरण सिंह, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनाथ सिंह, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव मंगल, श्री
शिव मूर्ति, श्री
शिवराज सिंह, श्री
शिव सम्पति शर्मा, श्री
शीतल प्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्याम लाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्त सिंह यूसुफ, श्री
सरदार सिंह, श्री
सहदेव सिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीता राम, डाक्टर
सुक्खन लाल, श्री
सुखदेव प्रसाद, श्री
सुखराम दास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सुशीलारोहतगी, श्रीमती
सूबेदार सिंह, श्री
सूरजपाल सिंह, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुम सिंह त्रिसेन, श्री
हेतराम सिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री
होती लाल अग्रवाल, श्री
होरी लाल यादव, श्री

नोट—सिंचाई उपमन्त्री, श्री राम नारायण पाण्डेय, भी उपस्थित थे।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

२१ अगस्त, १९६२ को विधान सभा में दिये गये श्री कल्याणचन्द मोहिले के तारांकित प्रश्न संख्या ६५ के उत्तर का शोधन

मूल प्रश्न

माल मन्त्री (श्री हुकुमसिंह विसेन) —

क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि १९६०-६१ में कितने बैलों और भैंसों का वध किया गया ?

मूल उत्तर

कृषि वर्ष १९६०-६१ (जुलाई से जून तक) में उत्तर प्रदेश के अधिकृत बूचड़खानों में १,१८८ सांड़ और बैलों का तथा २,९०,३९७ भैंसों का वध हुआ।

संशोधित उत्तर

कृषि वर्ष १९६०-६१ (जुलाई से जून तक) में उत्तर प्रदेश के अधिकृत बूचड़खानों में १,६९३ सांड़ और बैलों का तथा २,९०,३९७ भैंसों का वध हुआ।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, २४ सितम्बर, १९६३

तारांकित प्रश्न

पश्चिमी जिलों में नलकूप

*१—श्री सुरेन्द्रविक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि शाहजहांपुर, पीलीभीत, बरेली, बिजनौर, रामपुर और मुरादाबाद में शासन की ओर से किसानों को खेती की फसलें सींचने का क्या-क्या प्रबन्ध है ? क्या वह सिंचाई के साधन किसान को पूरे वर्ष भर पानी देने में समर्थ हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई उपमन्त्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)—

प्रश्न में उल्लिखित जिलों में सरकार की ओर से नहरों एवं नलकूपों द्वारा सिंचाई का प्रबन्ध किया गया है। नलकूप सामान्यत: पूरे वर्ष पानी देने में समर्थ रहते हैं। हां, यदि कभी कोई नलकूप किसी खराबी या फेल होने के कारण बन्द हो जाता है तो कुछ समय के लिये उससे सिंचाई नहीं हो पाती। नहरें केवल ग्रीष्म काल को छोड़कर पूरे वर्ष पानी देने में समर्थ रहती हैं क्योंकि ग्रीष्म-काल में नदियों में पानी कम हो जाने से नहरों को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पाता है।

*२—श्री सुरेन्द्रविक्रम—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि शाहजहांपुर, पीलीभीत, बरेली, बिजनौर, रामपुर और मुरादाबाद जिलों में कुल कितने शासन के नलकूप हैं तथा प्रत्येक जिले में कितने हैं ? कितने नलकूप काम कर रहे हैं और कितने बन्द पड़े हैं तथा बन्द नलकूपों को क्या कीमत है और उन्हें चालू करवाने के लिये क्या कार्यवाही की गयी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

प्रश्न में उल्लिखित जिलों में कुल १,२८९ नलकूप हैं। इनकी जिलेवार संख्या संलग्न सूची में दी हुई है। इनमें से १,२७१ नलकूप चालू हैं तथा शेष १८ बन्द हैं जिनकी कुल कीमत ३,९७,०९२ रुपया है। इन १८ नलकूपों में से १६ का पुन: निर्माण किया जा रहा है और एक नलकूप के पुनः निर्माण का प्रस्ताव है। शेष एक नलकूप इसलिये बन्द है कि इस नलकूप की गूलें जिस भूमि पर बनी हैं वह रेलवे विभाग द्वारा ले ली गयी है, अतएव अब इस नलकूप पर गूल बनाने के लिये दूसरी जगह जमीन ली जा रही है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २४० पर)

श्री सुरेन्द्रविक्रम—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला शाहजहांपुर में खेतिहर भूमि कितनी है जिसमें सिंचाई का प्रबन्ध नहीं है ?

सिंचाई मन्त्री (श्री राममूर्ति)—

यह तो बड़े ब्योरे का सवाल है, लेकिन शाहजहांपुर में ४१८ मील लम्बी नहरें हैं और ११० ट्यूबवेल काम कर रहे हैं, लेकिन यह बताना मुश्किल है कि कितनी भूमि इरिगेटेड है और कितनी अनइरिगेटेड।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जो यह १८ नलकूप बन्द हैं वह जब से बने हैं तभी से बन्द हैं या बीच में जब बिगड़ गये थे तब से बन्द हैं और यह किस अवधि से बन्द हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

यह नलकूप बीच में बिगड़ गये थे इसलिये बन्द हैं। सदैव से यह बन्द नहीं हैं। जैसे नलकूप नं० ३१ सन् १९३६ में बना था। दूसरा नलकूप 'सिरसी' का १९३५ में बना था, एक नलकूप नं० ६० सिरसी का १९३७ में बना था, एक नलकूप नं० १०० सिरसी का १९४६ में बना था, एक नलकूप नं० ३५ चन्दौसी का १९४६ में बना था, नम्बर ६२ का चन्दौसी का नलकूप १९३७ में बना था, नं० १९ का नगनग का नलकूप १९३५ में बना था, और यह नलकूप पिछले दो वर्षों के अन्दर ही बन्द हुये हैं, पुराने हो गये थे इसलिये बिगड़ गये थे। अब यह चलने की स्थिति में हैं और जल्दी ही आशा है चालू हो जायेंगे।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि १९५१–५२ में जो नलकूप बने हैं और जो खराब हो गये हैं, ऐसे नलकूप प्रदेश भर में ६०० के लगभग हैं और वे एक ऐसी कम्पनी द्वारा बनाये गये हैं कि जो सफल नहीं हुये और खराब ही पड़े हैं ? तो क्या सरकार उनको पुन: बनवाने पर विचार कर रही है ?

श्री राममूर्ति—

सरकार के पास ऐसी कोई योजना नहीं है कि १९५१–५२ से जो नलकूप खराब पड़े हुये हैं उनके बारे में योजना बनाये, लेकिन अगर किसी ट्यूबवैल के बारे में या जिले के बारे में बतायें तो बताया जा सकता है।

पीलीभीत जिले में सिंचाई

*३—श्री दुर्गाप्रसाद (जिला पीलीभीत) (अनुपस्थित)—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पीलीभीत के रसया खानपुर, दौलतपुर, बरसिया, रेढ़ता आदि ग्रामों में कई सौ एकड़ भूमि सिंचाई से वंचित क्यों रहती है जबकि पास में ही नलकूप सिंचाई विभाग की ओर लगे हुये हैं ?

श्री राममूर्ति—

जी हां।

जौनपुर जिले से सिंचाई के लिये प्रार्थना-पत्र

*४—श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें जौनपुर जिले के बदलापुर ब्लाक के घनश्यामपुर बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के गांव प्रधानों तथा डेढ़ हजार जनता के हस्ताक्षर से युक्त कोई पत्रक अक्तूबर-नवम्बर, १९६२ ई० में प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राममूर्ति—

प्रश्न का प्रथम भाग—जी हां।

प्रश्न का द्वितीय भाग—प्रार्थना-पत्र की जांच की गई और इसके परिणाम का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २४२ पर)

*५—श्री माताप्रसाद (अनुपस्थित)—

क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि जौनपुर जिले के बदलापुर ब्लाक के शाहपुरसानी, सियरा, गोपालापुर, बलुआ, घनश्यामपुर, राम नगर तथा खुटहल ब्लाक के खलसा पट्टी काजी शाहपुर, खुटहन मुबारकपुर, अंगुली, रानीपुर, आदि में सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है ?

श्री राममूर्ति—

आवश्यक सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २४१ पर)

गड़रा नाला गहरा करने का सुझाव

*६—श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)—

क्या सरकार अतर्रा ब्रांच व उसकी माइनरों के कारण अनेक ग्रामों में इस कदर पानी उपजाऊ भूमि में भरा रहता है कि जिसके कारण तकरीबन दो हजार एकड़ भूमि पड़ती पड़ी रहती है और चालीस हजार मन धान व गेहूं, जौ, चना, की पैदावार को हानि पहुंचती है ? क्या सरकार इस क्षति की पूर्ति के हेतु ग्राम पनगरा से रहूसत तक जो सात मील से अधिक है पनगरा से एक नाला गड़रा नाम का आता है जो बहुत संकीर्ण है उसे क्या सरकार चौड़ा व गहरा कराने को तैयार है ? अगर नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

जी नहीं, फसल को कोई नुकसान नहीं होता और केवल वही भूमि परती पड़ी रहती है जिसमें किसान अपने जानवरों के लिये घास रखते हैं। कभी-कभी अधिक वर्षा के कारण नीची भूमि में पानी भर जाता है जिसे निकालने के लिये गांव वाले स्वयं व्यवस्था कर लेते हैं। इसलिये इस क्षेत्र में गड़रा नाले को चौड़ा या गहरा कराने की कोई योजना नहीं है।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

ऐसी कितनी भूमि है जिसका पानी काश्तकार स्वयं अधिक वर्षा होने के कारण निकालते हैं ?

श्री राममूर्ति —

यह जो ४ पहले गांव हैं इनमें लोग अपनी बन्धियां ज्यादा बनाते हैं और उसकी वजह से पानी को रोक भी लिया करते हैं। जब उसको निकालने की जरूरत हुआ करती है तब निकालते हैं।

मोहम्मदी तहसील में चकबन्दी के अन्तर्गत नहरी गूलें

*७—श्री छेदीलाल चौधरी (जिला खीरी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पगरना कस्ता हैदराबाद, तहसील मोहम्मदी, जिला खीरी में चकबन्दी कार्यवाही के अन्तर्गत नहर विभागीय कितने ग्रामों की गूलें तोड़ दी गयीं या मिटा दी गयीं ? यदि हां, तो उसमें अनुमानतः कितनी आर्थिक क्षति हुई होगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

३४ गांवों की गूलें सीधी की गईं या गांव वालों के परामर्श से नई गूलें बनाई बनाई गईं। सरकार को अनुमानतः क्षति ७४१ रुपये की हुई।

*८—श्री छेदालाल चौधरी—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि कथित चकबन्दी कार्यवाही के अन्तर्गत मिटायी गयी गूलों के श्रमदान द्वारा पुनः निर्माण के लिये गत जनवरी सन् १९६३ ई० में कोई आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो कितने गांवों में गूलों का निर्माण-कार्य पूरा हो चुका है और कितनों में शेष पड़ा है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

जी हां। जनवरी सन् १९६३ के आदेश सब प्रकार की गूलों को जल्दी से जल्दी बनाने के सम्बन्ध में हैं जिनमें चकबन्दी योजना के अन्तर्गत मिटाई गई गूलें भी सम्मिलित हैं। चकबन्दी योजना के अन्तर्गत क्षेत्र में सिंचाई की गूलें स्वयं ग्रामीणों द्वारा लगभग बनाई जा चुकी हैं।

श्री छेदालाल चौधरी—

माननीय मंत्री जी क्या बताने की कृपा करेंगे कि चकबन्दी कार्यवाही पूरी होने के बाद गूलें बार-बार न तोड़ी जायं और आर्थिक क्षति न हो, इसको रोकने की कोई समुचित व्यवस्था बनायी गयी है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

श्रीमन्, यह व्यवस्था की गयी है कि जब चकबन्दी किसी स्थान पर होने लगे तो शजरा दे दिया जाता है कि किस रास्ते से गूल बनायी जायगी और राजस्व अधिकारी जमीन छोड़ देते हैं। चकबन्दी हो जाने के बाद जहां पुरानी गूल मिटा दी जाती हैं वहां किसान चकबन्दी अधिकारी द्वारा छोड़ी हुई जमीन में नाली बना लेते हैं। अगर इस कार्य में विलम्ब हो सके और कहीं लोग नहीं बनवाते तो उसी योजना के अनुसार बना दी जायगी।

श्री छेदालाल चौधरी—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो गूलें ग्रामीणों द्वारा स्वयं बनवायी गयी हैं वह किन-किन स्थानों पर बनवायी गयी हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

सलेमपुर तहसील में गांवों का ऊंचा किया जाना

*९—श्री कैलाशसिंह कुशवाहा (जिला देवरिया)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिला की सलेमपुर तहसील से जो खराट ग्राम लगातार बाढ़ से कई वर्षों से प्रभावित है और सरकार से यह आश्वासन भी मिला था कि वह ऊंचा किया जायगा, उसमें कब तक काम प्रारम्भ किया जायगा और उस क्रम में उक्त तहसील के किन-किन ग्रामों को ऊंचा किया जायेगा ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

ग्राम खैराण्ट को प्रथम पंचवर्षीय योजना में ऊंचा किया गया था परन्तु ग्रामसभा तथा कृषकों ने इसके रख-रखाव पर कोई ध्यान नहीं दिया। अतः इसको ऊंचा करने की पुनः आवश्यकता हुई। यह ग्राम तृतीय पंचवर्षीय योजना में ऊंचे किये जाने वाले ग्रामों में सम्मिलित है और इस कार्य को (Rural Man power Utiliation Programme) के अन्तर्गत किया जायेगा परन्तु भूमि न मिलने तथा टीम लीडर के न होने के कारण इस पर अभी तक कार्य आरम्भ नहीं किया जा सका है। जैसे ही भूमि मिल गई और टीम लीडर चुन लिया गया इस ग्राम को ऊंचा करने का कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा।

देवरिया जिले की सलेमपुर तहसील में जिन ग्रामों को ऊंचा किया जाना है उनकी सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २४३ पर)

श्री कैलाशसिंह कुशवाहा—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस कार्य के लिए जमीन न मिलने का कारण क्या है ?

श्री राममूर्ति—

जमीन न मिलने का कारण यह है कि जो गांव के पास की जमीनें हुआ करती हैं, अमूमन उनको देने से लोग इन्कार करते हैं, क्योंकि वह कीमती जमीनें होती हैं और उनसे आमदनी ज्यादा होती है, इसलिए वह रुकावट डाला करते हैं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पहली योजना में कितने क्यूबिक फीट मिट्टी इन गांवों को ऊंचा उठाने के लिये पड़ी ?

श्री राममूर्ति—

इसका तखमीना तो है नहीं। लेकिन यह गांव ऊंचे हुये हैं। बाद में बाढ़ आने तथा लोगों की लापरवाही के कारण वह मिट्टी बह गयी। अब उनको ऊंचा करने के लिये फिर दोबारा योजना में शामिल कर लिया गया है।

श्री उग्रसेन—

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि वे गांव केवल कागज पर ऊंचे हुये थे, धरातल पर नहीं ? यदि नहीं, तो क्या वे इसकी जांच करायेंगे ?

श्री राममूर्ति—

माननीय सदस्य सब बातें जानते हैं, लेकिन फिर भी मालूम करना चाहते हैं। उनकी जांच-पड़ताल हुई और उससे यह पता चला कि जो गांव उठाये गये थे वे अपनी जगह पर हैं।

श्री उग्रसेन—

मैं चुनौती देता हूं, यह गलत है। मेरी चुनौती मंत्री जी स्वीकार करें।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

श्रीमन्, जहां-जहां गांव को ऊंचा करने का सवाल होता है, वहां मिट्टी मिलने में कठिनाई पड़ती है। तो क्या मंत्री जी उनके लिये कुछ जमीन प्राप्त करने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री राममूर्ति—

जमीन प्राप्त करने की कोई योजना नहीं है, और वह इसलिये नहीं है कि यह काम लोगों के हित के लिये किया जाता है और इस कारण उनसे यह उम्मीद की जाती है कि वे मिट्टी दें। मिट्टी लेने में जो गड्ढे हो जाते हैं, वे जब बाढ़ आती है तो फिर भर भी जाते हैं। अब अगर कोई इसमें रुकावट डालते हैं, मिट्टी नहीं देते, तो इसका मतलब यह है कि वे इस काम को नहीं चाहते।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे कि खराट गांव को ऊंचा करने के लिये जमीन इसलिये नहीं मिल सकी कि उसके चारों तरफ नदियां थीं या इसलिये कि लोगों ने अपनी जमीन नहीं दी ?

श्री राममूर्ति—

इसकी जांच हो चुकी है, यह मालूमात जांच के बाद ही तो हुई है।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—

देवरिया जिले में जिन गांवों को ऊंचा किया गया, क्या वहां के कुवों को भी ठीक कराया गया, उनकी मरम्मत करायी गयी ?

श्री राममूर्ति—

अमूमन कायदा यह है कि जब कोई गांव ऊंचा किया जाता है कुवों को भी, उनकी पटायी आदि ऊंची करके, ठीक कर दिया जाता है ताकि वे खराब न हों।

श्री उग्रसेन—

उत्तर के साथ जो सूची दी गयी है, इसमें कितने गांव ऐसे हैं जो दो वर्ष में, जब से योजना शुरू हुई है, ऊंचे किये गये हैं ?

श्री राममूर्ति—

सरया, कैहनियां, कटाई टीकर, बेलथरा, परसिया देवार ...

श्री उग्रसेन—

यह तो वे गांव हैं जिनको इस साल ऊंचा करना है ?

श्री राममूर्ति—

जुलाई से पूर्व इन गांवों का काम शुरू हो गया है।

बाढ़ एवं कटाव नियंत्रण योजनायें

*१०—श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना-काल में कौन-कौन सी बाढ़ एवं कटाव नियंत्रण योजनायें पूरी की जायेंगी ?

श्री राममूर्ति—

जिन बाढ़ एवं कटाव नियंत्रण योजनाओं के तृतीय पंचवर्षीय योजना-काल में पूर्ण हो जाने की सम्भावना है उनकी सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ २४४–२४६ पर)

फर्रुखाबाद जिले में ट्यूबवैल सर्विस रोड कटना

*११—श्री महरामसिंह (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि फर्रुखाबाद जिले में ट्यूबवेल सर्विस रोड को जगह-जगह काट कर पानी निकाला गया है और निकाला जा रहा है जिसके कारण सर्विस रोड बहुत ही खराब है? यह अव्यवस्था क्यों?

श्री राममूर्ति—

जी हां, यह सत्य है कि जिला फर्रुखाबाद में ट्यूबवेल सर्विस रोड को कहीं-कहीं पर काट कर काश्तकार सिंचाई करने के लिए दूसरी तरफ पानी ले गये किन्तु सिंचाई हो जाने के पश्चात् पटरी ज्यों की त्यों दुरुस्त भी कर दी जिससे यातायात में कोई बाधा नहीं पड़ी।

वाराणसी जिले में गांव ऊंचे करना

*१२—श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मार्च, ६२ के बाद से फरवरी, ६३ के काल में वाराणसी जिले में किन-किन गांवों को बाढ़ से सुरक्षित रखने के लिये ऊंचा किया गया?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

इस अवधि में सिंचाई विभाग द्वारा वाराणसी जिले में कोई गांव ऊंचा नहीं किया गया।

*१३—श्री रघुनाथसिंह—

उक्त कार्य पर हुये खर्च में कितना प्रतिशत खर्च कटेहर विधान सभा क्षेत्र में किया गया?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

प्रश्न नहीं उठता।

श्री रघुनाथसिंह—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस अवधि में प्रान्तीय स्तर पर ही गांवों को ऊंचा करने का काम नहीं किया गया या बनारस की ही उपेक्षा हुई?

श्री राममूर्ति—

इसमें उपेक्षा का सवाल नहीं है। पहले यह योजना थी कि विभाग द्वारा गांव ऊंचे किये जावेंगे। लेकिन गवर्नमेंट आफ इंडिया ने उस स्कीम में कुछ तब्दीली की और रूरल मैन पावर को चलाने के लिये उन्होंने कुछ रुपया अलग रख दिया। ये २२ गांव उस स्कीम के अन्तर्गत ऊंचे किये जावेंगे।

श्री उग्रसेन—

क्या बनारस में भी एक सूची बनी थी कि इतने गांवों को ऊंचा किया जायगा और माननीय मंत्री जी के विभाग ने उस सूची को क्यों काटा?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

जिलाधीश ने वहां से नाम भेजे हैं, उन पर विचार करने के बाद तय हुआ है कि कौन से गांव ऊंचे किये जावें। उनमें से ये २२ गांव हैं जो वाराणसी के जिलाधीश ने रिकमेंड करके भेजे हैं।

श्री रघुनाथसिंह—

बनारस के कौन-कौन से गांवों की सूची थी और उनमें से कितनों को ऊंचा करने का कार्य आगामी समय में किया जायगा ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

कटेसर न्याय पंचायत, मढिया, डोमरी, सूजाबाद, बहादुरपुर, बुधवार, रामपुर, नरीली, गुरेनी, सोनहुली, केवलपुरा, पपरील, प्रहलादपुर, पचगंगापुर, मौलानापुर, रीयमनपुर, रामगढ़, मड़ई व चन्द्रप्रभा नदियों के बीच में स्थित मझवार, चन्दौली, मदवा, चोलापुर, गोरगरहा, रामपुर, रमचन्दीपुर, गोकुलपुर। टिकरी, रमना, सिकन्दरपुर, करी गंगा, व गुरीली को छोड़कर २२ पर काम प्रारम्भ होगा।

सिंचाई विभाग के कर्मचारियों का कैडर

*१४—श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९४६ से सचिवालय मुख्य अभियन्ता तथा अधीक्षक अभियन्ता के कार्यालय के कार्यालय-कर्मचारियों का अपना पृथक (cader) अस्तित्व है?

श्री राममूर्ति—

जी हां। इन तीनों कार्यालयों के कार्यालय कर्मचारियों का अपना-अपना पृथक अस्तित्व है।

*१५—श्री बालोजी अग्रवाल (अनुपस्थित)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में उच्च कार्यालय के कर्मचारी अधीनस्थ कार्यालय के पदों पर उन्नति पाते तथा स्थायी किये जाते हैं और अधीनस्थ कार्यालय कर्मचारियों को उनके ही अधिकार से वंचित रखा जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—

१९४६ के पूर्व मुख्य अभियन्ता और ६ अधीक्षक अभियन्ताओं के कार्यालयों का सम्मिलित अस्तित्व (Combined Cadre) था। १८-११-१९४६ से इन अधीक्षक अभियन्ताओं के कार्यालय मुख्य अभियन्ता के कार्यालय से पृथक कर दिये गये। कार्यालयों के पृथक होने के समय उन कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए, जो सम्मिलित अस्तित्व की सूची में थे, यह व्यवस्था की गई थी कि अधीक्षक अभियन्ता के कार्यालयों में सभी अराजपत्रित पदों पर पदोन्नति केवल ऐसे ही कर्मचारियों की हो, जो सम्मिलित अस्तित्व (Combined Cadre) की सूची में हों। इस विशेष परिस्थिति में उच्च कार्यालय के कर्मचारी अधीनस्थ कार्यालय के पदों पर पदोन्नत तथा स्थायी किये गये। अब सम्मिलित अस्तित्व का कोई कर्मचारी शेष नहीं है जिसको अधीनस्थ कार्यालय में पदोन्नत तथा स्थायी करना हो।

*१६—श्री महादेव (जिला फैजाबाद)—

[माननीय सदस्य का चुनाव अवैध घोषित होने के कारण हटा दिया गया।]

बेतवा पर सर्वेक्षण कार्य बन्द होना

*१७—श्री ऊदल, श्री विजयपालसिंह (जिला मुजफ्फरनगर) तथा श्री जमादारसिंह (जिला मेरठ)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उर नदी पर बांध बनाने हेतु सरकार ४ वर्ष से मध्य प्रदेश की मुंगावली क्षेत्र की १०० वर्ग भूमि का सर्वेक्षण करा रही है और इस पर अब तक २६ लाख रुपया व्यय हो चुका है ? यदि हां, तो क्या सर्वेक्षण करने के पहले मध्य प्रदेश सरकार से १०० वर्ग भूमि जमीन हासिल करने के सम्बन्ध में कोई बातचीत हुई थी ? यदि हां, तो क्या ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

उक्त नदी पर बांध बनाने हेतु इस विभाग द्वारा कोई सर्वेक्षण नहीं किया जा रहा है।

श्री ऊदल—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने और किस प्रकार का सर्वेक्षण इस स्थान पर किया था ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

माननीय सदस्य ने उर नदी लिखी है लेकिन सर्वेक्षण बेतवा पर हो रहा है।

श्री ऊदल—

बेतवा के सर्वेक्षण पर करीब २६ लाख रुपया खर्च हो चुका है और मध्य प्रदेश की सरकार ने और असेम्बली ने काफी एतराज किया है कि उत्तर प्रदेश सरकार को यह जमीन न दी जाय, क्या यह सही है ?

श्री राममूर्ति—

२६ लाख नहीं, सिर्फ ३० हजार रुपया खर्च हुआ है। बहुत दिनों से सर्वे कराने की कोशिश हो रही थी लेकिन पिछले दिनों मध्य प्रदेश सरकार से कुछ गलतफहमी माताटीला बांध के बारे में हो गई थी। अब समझौता हो गया है और सर्वेक्षण किया जा रहा है।

श्री ऊदल—

सर्वेक्षण के पहले सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार से इजाजत क्यों नहीं ली ?

श्री राममूर्ति—

कुछ इंजीनियर्स हमारे मोटे तरीके से जांच के लिये वहां पहुंच गये। जब एतराज हुआ तो काम बन्द कर दिया गया।

फूलपुर तहसील में गंगा का कटाव

*१८—श्री बंशीलाल (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार कृपया यह बतलायेगी कि इलाहाबाद जिले की तहसील फूलपुर के गंगा जी के कटाव की वजह से फसल नेस्तनाबूद होती जा रही है ? यदि हां, तो इस कटाव को रोकने के लिये क्या उपाय किया जा रहा है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

प्रथम भाग—जी नहीं। द्वितीय भाग—प्रश्न नहीं उठता।

श्री बंशीलाल—

क्या माननीय मंत्री जी मेरी बात को सत्य मान कर पुनः जांच करायेंगे कि नीरी से लेकर हुमदुमा तक लाखों एकड़ जमीन गंगा के कटाव से बरबाद हो रही है ?

श्री अध्यक्ष—

सूचना न देकर, प्रश्न करना हो तो कर लीजिये।

श्री उग्रसेन—

जो स्थान प्रश्नकर्ता ने दिया है क्या उसके आसपास गंगा का कटाव हो रहा है? यदि हां, तो उसकी क्या व्यवस्था है?

श्री राममूर्ति—

गंगा इतनी बड़ी नदी है और इतने बड़े इलाके में बहती है कि उससे जहां-तहां कटाव होता ही रहता है। सरकार उसे रोकने के लिये ज्यादा प्रयत्न भी नहीं करती है। गंगा, घाघरा और जमना वगैरह ऐसी नदियां हैं। इसमें करोड़ों रुपया खर्च होता है एक छोटे-मोटे गांव को बचाने में। लिहाजा इससे मुनाफ़ा नहीं होता। माननीय सदस्य जानते हैं कि तमाम गांवों के अपने अलग-अलग वाजिबुलअर्ज हैं, यानी कहीं जमीन कटती है तो उसकी जांच पड़ताल में ही लोग काफ़ी एतराज करते हैं।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या छोटी नदियों से कटाव रोकने की कोई योजना है?

श्री राममूर्ति—

जी नहीं।

श्री बंशीलाल—

मैं प्रार्थना करूंगा कि मंत्री जी फिर से जांच करा लें।

श्री राममूर्ति—

फिर जांच करा ली जायगी।

श्री उग्रसेन—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ में घाघरा से मोहनगढ़वार सड़क कट रही है, उसके बचाने की कोई योजना है?

श्री राममूर्ति—

उसे बहुत दिनों से सरकार ने बनाया है और उसका बहुत बड़ा इलाका है। अगर कोई क्षति होने का अन्देशा होता है तो सरकार उसे बचाती है। एक रिंग बांध बनाने का भी इरादा है ताकि लोगों को नुक़सान न हो।

सिंचाई विभाग बलिया में मशीनों का नीलाम

*१९—श्री भीमाप्रसाद (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित) तथा श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

क्या सिंचाई मंत्री प्रथम सत्र (१९६२) के १४ वें मंगलवार के तारांकित प्रश्न संख्या ४०–४१ के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि प्रार्थी को उक्त पत्रों का उत्तर कब-कब और क्या-क्या दिया गया है और प्रार्थना-पत्रों की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—

माननीय सदस्य इनकी प्रतिलिपियां मेरे कमरे में देख सकते हैं।

*२०—श्री भीमाप्रसाद (अनुपस्थित) तथा श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इंजन नं० ७१८५ के पार्ट्स का स्टाक बुक से टैली करा लिया गया है और क्या ठीक है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—

इंजनों के पार्टों की कोई सूची नहीं रखी जाती। अतएव इसका टैली करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

बस्ती जिले में बांध निर्माण योजना

*२१—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बस्ती जिला में घाघरा के किनारे रामपुर से शम्हपुर तक मलदहवा नाला सहित बांध निर्माण की कोई योजना है ? यदि योजना है, तो इसका निर्माण-कार्य कब से प्रारम्भ होगा और कितने दिनों में पूरा होगा ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—

इस समय अभी किसी ऐसी योजना पर कार्य करने का विचार नहीं है।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि बस्ती जिले में घाघरा और कुबानों के जो दोआबा हैं वह सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है ? इस इलाके में कटाव से दर्जनों गांव कट रहे हैं। इसके लिये एक योजना भी बनायी गयी थी लेकिन अभी तक वह कार्यान्वित नहीं हुई। क्या सरकार यहां पर बांध को बांध कर २०० गांवों को कटने से बचाने और उनकी फसल को बचाने की कृपा करेगी ? क्या सरकार कुबानों नदी से जो कटाव होता है, उसको रोकने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति—

जिस क्षेत्र का जिक्र किया गया है, यह बात सही है कि वहां बहुत से गांवों को कटाव से क्षति पहुंच रही है। इसके लिये दूसरी पंचवर्षीय योजना में एक योजना बनायी गयी थी और ३१ मील लंबा बांध बनाने की योजना थी। उस वक्त उस पर १९ लाख रुपये लगने का अन्दाजा था जो अब २१ लाख का हो गया है। इस योजना के लिये (बाढ़ नियंत्रण) जो केन्द्रीय सरकार से रुपया मिला था उसमें कुछ रुपया कम कर दिया गया था, इसलिये बहुत सी योजनाओं को रोक दिया गया। हमारी बहुत ख्वाहिश है कि ऐसी चीजों को लें लेकिन धनाभाव के कारण हम इस काम को नहीं ले पा रहे हैं।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो एरिया पिछड़ा हुआ है उसी एरिया की योजनाओं को काटने में मंत्री जी को क्या दिलचस्पी है ?

श्री राममूर्ति—

कोई योजना काटी नहीं जा रही है। योजना भी है और सरकार का इरादा भी है लेकिन जैसे जैसे धन मिलता जाता है, योजनाओं को कार्यान्वित किये जाने की कोशिश की जाती है।

श्री उग्रसेन—

क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में बहुत सी ऐसी योजनायें रखी गयी थीं और तीसरी योजना में, प्रस्तावित बांध की योजना थी जो संपूर्णानन्द सरकार ने स्वीकृत की थी लेकिन जब माननीय चन्द्र भानु गुप्त की सरकार आ गयी तो उसने ऐसी योजनाओं को स्थगित करके लखनऊ योजना के लिये डेढ करोड़ रुपया निकाल कर रख दिया ?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न में अगर इतने व्यंग न हों तो भी प्रश्न तो हो ही सकता है ।

श्री राममूर्ति—

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अपनी आदत से मजबूर हैं । मैंने जो बात बतायी वह तो यह है कि पूर्वी जिलों में बाढ़ से सुरक्षा के लिये हमने बहुत से काम किये हैं और कुछ काम बाकी भी हैं उनको भी करना चाहते हैं लेकिन चूंकि उनके लिये पैसा नहीं है इसलिये मजबूरी है, पचासों ऐसी स्कीमें बनी हुई हैं । जैसे जैसे पैसा उपलब्ध होता जायगा, काम करते जायेंगे ।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

पूर्वी जिलों के बारे में एक जांच कमीशन बैठा था उसने कोई रिपोर्ट दी है तो क्या उस रिपोर्ट के बाद सरकार उस पिछड़े हुए इलाके के बांधों को प्राथमिकता देगी ?

श्री राममूर्ति—

जो कमेटी बैठी हुई है अगर वह कुछ सिफारिश करेगी तो वह कुछ रुपया भी देगी और अगर पैसा होगा तो काम भी बन जायेंगे ।

श्री नरसिंह नारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने जो पटेल आयोग बैठाया था उसने अपनी अन्तिम रिपोर्ट दे दी है और उसके अनुसार सरकार को कुछ रुपया सिंचाई योजनाओं के लिये मिला भी है ? क्या वह रुपया सिंचाई योजनाओं पर खर्च किया जा रहा है या नहीं ?

श्री राममूर्ति—

जिन स्कीमों के लिये वह रुपया दिया गया है उन स्कीमों पर खर्च किया जा रहा है ।

आजमगढ़ जिले में निर्माण-कार्यों के विरुद्ध शिकायत

*२२—श्री भीमाप्रसाद (अनुपस्थित) तथा श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें ३१ अक्तूबर, १९६२ का लिखा हुआ कोई प्रश्न कर्त्ता का पत्र प्राप्त हुआ है जिसके साथ १३ और प्रार्थना-पत्र संलग्न है जिसमें गांव ऊंचा करने, पुलिया बनाने, ठेकेदार को भुगतान न करने आदि विभिन्न प्रकार की शिकायतें लिखी हैं ? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गई और परिणाम क्या हुआ ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—

प्रथम भाग—जी हां । किन्तु उसके साथ केवल १२ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे ।

द्वितीय भाग—विवरण संलग्न सूची में दिया गया है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ २४७–२४८ पर)

श्री राम सुन्दर पान्डेय—

क्या सिंचाई मंत्री जी प्रार्थना-पत्र नं ३, ९ १२ व १३ के उत्तर के संबंध में बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या प्रार्थियों से भी जांच करने वाले आफिसर ने पूछताछ की है ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—

नं० ३ के संबंध में तो यह कहना है कि श्री एम० पी० गर्ग असिस्टेट इंजीनियर ने जांच की । और जैसा कि माननीय सदस्य ने ठेकेदार के संबंध में कहा है, ठेकेदार ने सब की फारगख्ती दे दी है और जो रुपया उनका डिपोजिट था उसको उन्होंने उठा लिया है । उन्होंने लिख

कर रसीद दे दी। नं० ९ के संबंध में यह है कि माननीय सदस्य को जनवरी २१ को यह सूचित किया गया था कि इसमें कोई सिंचाई कर नहीं लगा है इसलिये जांच की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। जहां तक नं० १२ का संबंध है, जिसमें ८० हजार फुट का रुपया रोक लेने वाली बात कही जाती है, इसको श्रम कार्यालय भेज दिया गया था लेकिन इस सिलसिले में अभी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। इसके लिये हम सोच रहे हैं कि पुनः जांच करा लें।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--

ये प्रार्थना-पत्र १४-४-६२ को दिये गये थे। जिसको करीब डेढ़ साल हो गये, तो डेढ़ साल के अन्दर कोई सरकारी कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति--

कार्यवाही नहीं रुकी हुई है। इसमें काफी लम्बाई में पैमायश आदि करने का सवाल है, जिसमें देर लग ही सकती है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--

क्या सिंचाई मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इसमें कई साल और लग जायेंगे ?

श्री राममूर्ति--

मैं अपने अजीज दोस्त को इत्मीनान दिलाता हूं कि इसमें बहुत जल्दी की जायगी।

रुद्रवार माइनर निकालने का विरोध

*२३--श्री रघुनाथ (जिला बलिया)--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दोहरी कैनाल से जिला बलिया के अन्तर्गत रुद्रवार माइनर निकाली गयी है जो रुद्रवार के पूरब होते हुए उत्तर जा रही है, वह क्यों गिराई जा रही है ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय--

रुद्रवार माइनर गिराई नहीं जा रही है।

श्री रघुनाथ--

क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस नहर को गिरा कर उसकी बगल से कोई दूसरी नहर निकाली जा रही है ?

श्री राममूर्ति--

ऐसी कोई बात नहीं है। यह माइनर दो मील दो फर्लांग का है। चूंकि इलाका बहुत घना बसा हुआ है और वहां जमीन की बड़ी कद्र है इसलिये हो सकता है कि माइनर के जाने पर लोगों को एतराज हो। बड़ी मुश्किल से हमने वहां माइनर के लिये जमीन एक्वायर की है और माइनर के निकालने में पुलिस तक की मदद ली जा रही है। लेकिन कोई इरादा एलाइनमेन्ट बदलने का नहीं है और न उसकी लम्बाई ही कम करने का है।

श्री रघुनाथ--

श्रीमन्, मैं उसी गांव का रहने वाला हूं, तो मेरी सूचना को सही मान कर कि ३६ एम० एल० एज० के विरोध करने के बावजूद भी वह नहर निकाली जा रही है उससे किसानों को जो नुकसान हो रहा है उसका मुआवजा माननीय मंत्री जी उनको दिलाने की कृपा करेंगे?

श्री अध्यक्ष--

इस किस्म का प्रश्न ठीक नहीं है। आप तो सूचना दे रहे हैं। अगर आपके पास और सूचनायें हैं तो लिख कर भेज दीजिये कि ये ये बातें हैं, इनको भी देख लिया जाय।

श्री रघुनाथ--

अध्यक्ष महोदय, मेरी इच्छा है कि इसकी जांच होना चाहिये कि किन पदाधिकारियों ने नहर निकाली है ?

श्री राममूर्ति--

जब कोई जमीन ली जाती है तो जो फसल उसम खड़ी होती है उसका और जमीन का दोनों का मआवजा दिया जाता है और अगर किसी खास बात के लिये माननीय सदस्य कहेंगे, तो जांच करा ली जायगी, हमारा तो काम है कि किसी तरह से माननीय सदस्य खुश रहें।

रोडवेज विभाग में नियुक्तियां

श्री कृष्णपालसिंह (जिला रायबरेली)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश रोडवेज विभाग में नवीन कर्मचारियों की भर्ती के लिये विभागीय नियमानुसार बाहरी अभ्यर्थियों तथा विभागीय अभ्यर्थियों के लिये क्या अनुपात निर्धारित किया गया है ?

परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री गनेशीलाल चौधरी)--

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ २४९ पर)

*२५--श्री कृष्णपालसिंह--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९६१ तथा १९६२-६३ में जो नवीन नियुक्तियां की गई हैं उनमें विभागीय तथा बाहरी लोगों में क्या अनुपात रहा है ?

श्री गनेशीलाल चौधरी--

इसकी सूचना बहुत विस्तृत है। माननीय सदस्य इसे मेरे कमरे में देख सकते हैं।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय--

दूसरे प्रश्न में जो कहा गया है कि कमरे में आकर प्राप्त कर लीजिये ऐसा उत्तर देना आदरणीय सदन में कहां तक उचित है ?

श्री अध्यक्ष--

आपने ऐसा नहीं कहा था वह, तो परिवहन मंत्री जी की ओर से कहा गया था कि पुरानी रिपोर्ट देखते हुए मुझे ऐसी बातें मिली हैं, एक लम्बी सूची है इसलिये सदस्यों से प्रार्थना की गई है कि कृपा करके उसे देख लें।

श्री उग्रसेन--

प्रश्न कर्त्ता को तो एक प्रतिलिपि दे देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

सम्भव है उसमें कोई दिक्कत हो।

श्री कल्पनाथसिंह--

परिवहन विभाग का हर प्रश्न का उत्तर यही है कि कमरे में देख लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

यदि मैं संतुष्ट हो जाऊंगा कि बेजा कठिनाई हो रही है तो उसे रोकूंगा लेकिन जहां तक पद्धति का संबंध है जो चला आ रहा है उसके खिलाफ कोई बात नहीं हो सकती ।

गांव ऊंचे करना

*२६—श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल (जिला गोंडा)—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बाढ़ रक्षा योजना के अन्तर्गत तृतीय पंचवर्षीय योजना में कौन-कौन से गांव कितनी लागत से ऊंचे किये जा रहे हैं ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न १९ मार्च का है, ६ मास के बाद भी अब यह कहा जा रहा है कि सूचना एकत्रित की जा रही है, यह गलत बात है ।

श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल—

श्रीमन्, इतना समय....

श्री राममूर्ति—

मेरे दोस्त कुछ परेशान हो रहे हैं, परेशानी की बात नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

परेशानी तो मुझे भी हो गई है ।

श्री राममूर्ति—

आपको परेशानी है तो मुझे तकलीफ है और मैं उसकी माफी चाहता हूं लेकिन वाकया यह है कि जो सूचना आई उससे हम स्वयं संतुष्ट नहीं हुए, जो आई है उसको हम पढ़ भी सकते हैं, अब फिर सूचना मंगाई गई है, ऐसी बात नहीं है कि सूचना नहीं मंगाई गई ।

हरजौली झोझा का नलकूप

*२७—श्री जयगोपाल (जिला सहारनपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सिंचाई मंत्री को मालूम है कि नलकूप नं० ३, ग्राम हरजोली झोझा, परगना भगवानपुर, जिला सहारनपुर खराब हो गया है ? यदि हां, तो क्या वह इस फसल में काश्तकारों को पानी दे सकेगा ?

श्री राममूर्ति—

यह नलकूप १६-८-१९६३ से चालू हो गया है और उससे सिंचाई शुरू हो गई है।

आनरेरी मैजिस्ट्रेटों की नियुक्तियां

*२८—श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १ जनवरी, सन् १९६२ से ३१ जनवरी सन् १९६३ तक उत्तर प्रदेश में सरकार ने कितने आनरेरी मैजिस्ट्रेट की नियुक्तियां की हैं और उनमें से कितने ऐसे हैं जो कि पिछले तीन वर्षों में ही इस पद से हटाये गये हैं ? यदि हां, तो उन पृथक किये हुए व्यक्तियों की पुनः नियुक्ति का क्या कारण है ?

न्याय मंत्री के सभा सचिव (श्री चन्द्र सिंह रावत)—

इस समय में आठ आनरेरी मैजिस्ट्रेट नियुक्त किये गये। इनमें से दो ऐसे है जो पहले इस पद से पृथक किये गये थे। इनकी पुनः नियुक्ति का कारण बताना जन हित में न होगा।

श्री शिवनाथसिंह—

क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि इन मैजिस्ट्रेट का क्या नाम है और जिनकी नियुक्ति पुनः हुई है वह कहां के रहने वाले हैं ?

श्री चन्द्रसिंह रावत—

२ मैजिस्ट्रेट हैं, एक तो श्री आफताब अहमद, आनरेरी बेंच मेजिस्ट्रेट, क्लास २, आगरा के हैं और दूसरे अफज्जल अली खां आनरेरी स्पेशल मैजिस्ट्रेट, क्लास १ बांदा के हैं।

श्री शिवनाथसिंह—

क्या जिला बुलन्दशहर के अन्तर्गत भी २ मैजिस्ट्रेट श्री भगवत प्रसाद गर्ग और कुंवर भानु प्रताप सिंह निकाले गये थे और उनकी नियुक्ति पुनः हुई है ?

श्री चन्द्रसिंह रावत—

जिस दौरान का प्रश्न पूछा गया है उस दौरान में कोई नियुक्ति नहीं की गई। इसलिये इस प्रश्न का जबाब मिल नहीं सकता क्योंकि यह प्रश्न के बाहर है।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

क्या यह सही है कि सरकार ने किसी स्टेज पर इस बात पर विचार किया था कि आनरेरी मैजिस्ट्रेट के पदों को सारे प्रदेश में तोड़ा जाय ? यदि हां, तो क्यों इस फैसले पर अमल नहीं हुआ ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—

इस मामले में कई बार सवाल उठ चुके हैं और सरकार की तरफ से बताया जा चुका है कि इसको तोड़ना मुनासिब नहीं होगा और उसके वजूहात मौके मौके पर बताये गये हैं।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

दो आनरेरी मैजिस्ट्रेट जो बुलन्दशहर से नियुक्त किये गये थे यह बात सही है कि वह निकाले गये और पुनः उनकी नियुक्ति हुई थी ?

श्री सैयद अलीजहीर—

बुलन्दशहर के मैजिस्ट्रेट के मुताल्लिक यह सवाल नहीं है। उसकी सूचना नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

बांदा और आगरा में जिन दो मैजिस्ट्रेट्स को नियुक्त किया गया है उनकी नियुक्ति की सिफारिश वहां की ऐडवाइजरी कमेटी ने की थी ?

श्री सैयद अली जहीर—

यह उस जमाने के हैं जब कमेटियां नहीं थीं, यानी ९ मई १९६२ से लेकर ६ दिसम्बर, १९६२ तक जब नये चुनाव हो गये थे पुरानी कमेटियां खत्म हो गई थीं और नई कमेटियां दिसम्बर तक तैनात नहीं हुई थीं इसलिये डी० एम० के मशविरे से यह नियुक्त किये गये।

श्री जगवीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो दो बुलन्दशहर के आनरेरी मैजिस्ट्रेटों का जिक्र है उनकी नियुक्ति इसी दरमियान में हुई थीं ?

श्री सैयद अली जहीर—

बुलन्दशहर की सूचना नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी, प्रश्न पूछा गया था कि ३१ जनवरी, १९६३ तक प्रदेश में सरकार ने कितने आनरेरी मजिस्ट्रेट नियुक्त किये हैं। तो यह बात समझ में नहीं आयी कि बुलन्दशहर की सूचना क्यों नहीं है ?

श्री सैयद अली जहीर—

इस दरमियान में जो हमारे पास सूचना है उसके हिसाब से सिर्फ ८ नियुक्तियां हुई हैं, उनमें बुलन्दशहर की नहीं है। यही सूचना हमारे पास है, हो सकता है यह सूचना गलत हो।

श्री जगवीरसिंह—

क्या मन्त्री जी जांच करेंगे कि यह नियुक्तियां भी इसी दरमियान में हुईं जिस दरमियान का यह सवाल है ?

श्री सैयद अली जहीर—

अगर माननीय सदस्य लिख कर देंगे तो जांच जरूर करा लूंगा।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि सहारनपुर जिले में कितनी नियुक्तियां हुईं और किस आधार पर इस दरमियान में हुईं ?

श्री सैयद अली जहीर—

कोई नहीं है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जौनपुर में कितने आनरेरी मैजिस्ट्रेट नियुक्त किये गये और क्या उनमें भूतपूर्व मन्त्री, श्री रऊफ जाफरी के भाई साहब भी शामिल हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—

यह तो सवाल गैर मुताल्लिक है। इस पीरियड में कोई नहीं है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

इस दौरान में जौनपुर में नियुक्तियां हुई हैं। उनका उत्तर ठीक नहीं है। उसका पता लगा कर माननीय मन्त्री जी बतला दें।

श्री अध्यक्ष—

मैं निवेदन कर दूं। जहां तक मैं समझा हूं १९३७ से लेकर आज तक जो रूलिंग्स मैंने देखी हैं उनके मातहत यही देखा है कि प्रश्न में आप कांट्रेडिक्शन नहीं कर सकते। जवाब दे दिया गया। इसके बाद आप लिख कर सूचना दे दें और हाउस में फिर सवाल कर सकते हैं कि फलां तारीख को फलां की नियुक्ति हुई है। इससे कांट्रेडिक्शन हो जायगा। फिर वह जवाब वापस लेंगे, या खेद प्रकट करेंगे या आफिसर्स के खिलाफ जो मुनासिब कार्यवाही होगी वह करेंगे। अगर आप अपनी बात लिख कर दे दें तो ठीक हो जायगा।

श्री उग्रसेन—

क्या माननीय मन्त्री जी इस बात का पता लगायेंगे कि बुलन्दशहर में जो दो मैजिस्ट्रेट्स की नियुक्तियां हुई हैं वे इसी अवधि में हुई हैं ? वे क्या पहले भ्रष्टाचार में निकाले गये थे और बाद में नियुक्त हुए हैं ?

श्री अध्यक्ष—

बुलन्दशहर के जो दो मैजिस्ट्रेट निकाले गये क्या वे भ्रष्टाचार में निकाले गये, यह सवाल आप प्रश्न द्वारा अलग से कर लें।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

आनरेरी मैजिस्ट्रेट जो पहले नियुक्त होते थे वे बड़े जमींदार होते थे या उस इलाके के सम्पन्न लोग होते थे। अब सरकार ने पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर जिन इलाकों में यह प्रथा तोड़ दी थी वहां भी पुनः ये नियुक्तियां करनी शुरू कर दी हैं। तो यह जो नई नियुक्तियां हो रही हैं सरकार ने उन नियुक्तियों के लिये क्या आधार बनाया है ? क्या कोई कमेटी है जो नियुक्तियां करेगी ?

श्री सैयद अली जहीर—

हर जिले में एक कमेटी बना दी है। उस कमेटी में वहां के जिलाधीश और जिला जज दोनों सम्मिलित हैं। उसमें वहां के एम० एल० एज० और एम० एल० सीज० हैं और कुछ पब्लिक के आदमी हैं। हर तजवीज जो आनरेरी मैजिस्ट्रेट की नियुक्ति के लिये होती है वह इस कमेटी के सामने पेश होती है। उसकी जो सिफारिश होती है उसी को सामने रख कर वहां नियुक्तियां की जाती हैं।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

अलीगढ़ जिले से ठाकुर नाहरसिंह, आनरेरी मैजिस्ट्रेट को आपने स्वयं निकाला और जिस वक्त मिनिस्टर आफ जस्टिस, ठाकुर हुकुमसिंह हुए तो उन्होंने फिर बहाल कर दिया। अगर यह सही बात है तो उनको क्यों निकाला गया और फिर क्यों बहाल किया गया ?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि इस पीरियड के अन्दर उनकी नियुक्ति हुई है या नहीं ?

श्री नेकराम शर्मा—

इसी पीरियड के अन्दर ठाकुर नाहरसिंह भ्रष्टाचार में वहां से निकाले गये थे।

श्री अध्यक्ष—

पहले यह जान लूं कि अलीगढ़ में कोई नियुक्ति हुई है या नहीं ?

श्री सैयद अली जहीर—

जी नहीं। केवल आगरा, बांदा, इलाहाबाद, बाराबंकी और रामपुर में नियुक्तियां हुई हैं।

आजमगढ़ जिले में पानी निकासी

*२९—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रामसुन्दर पांडेय, सदस्य, विधान सभा द्वारा लिखित १२ सितम्बर, १९६२ का कोई पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है जिसमें घोसी तहसील, जिला आजमगढ़ के विभिन्न स्थानों पर पानी की निकासी के लिये सुझाव दिये गये थे ? यदि हां, तो उस पर कौन-सी कार्यवाही की गयी और परिणाम क्या हुआ ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

जी हां, इसमें तजना ताल, मखदेला ताल तथा पुरैना ताल का पानी निकालने के लिये प्रार्थना की गई थी। तजना ताल से पानी निकालने के लिये जो ड्रेन बनाने की प्रार्थना की गई है वह ७ फर्लांग लम्बी होगी और वर्तमान आदेशों के अनुसार सिंचाई विभाग इसको श्रमदान द्वारा बनवाने का प्रयत्न करेगा। बाकी दोनों तालों का पानी निकालने की एक योजना विचाराधीन है।

श्री उमाशंकर—

क्या सिंचाई मन्त्री बतलायेंगे कि किन-किन झीलों के पानी के निकालने की योजना है और वह कब तक कार्यान्वित हो जायगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

इस योजना के अन्तर्गत १४ मील लम्बी ड्रेन निकाली जायगी और कैचमेंट एरिया ३ स्क्वायर मील होगा और इससे २०० एकड़ जमीन का फायदा होगा।

श्री चन्द्रजीत यादव—

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आजमगढ़ जिले में १४ लाख एकड़ भूमि है जिस पर खेती होती है, लेकिन एक प्रश्न के उत्तर में सूचना दी गयी है कि केवल ५३,७६४ एकड़ भूमि पर सरकारी सिंचाई की व्यवस्था की गयी है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस जिले में बहुत कम सरकारी नहर या ट्यूबवेल से खेती हो रही है और आजमगढ़ जिले की विशेष स्थिति को ध्यान में रखते हुए वहां पर क्या माननीय मन्त्री बड़े पैमाने पर इन योजनाओं को लागू करने हेतु विचार कर रहे हैं ?

श्री राममूर्ति—

दो किस्म की योजनायें हैं, एक नहर के जरिये आबपाशी की और दूसरे ट्यूबवेल्स के जरिये। अब जो सर्वेक्षण हो रहा है उससे उम्मीद की जाती है कि शारदा के ऊपर एक आध रिजरवायर और बनेगा। अगर वह कामयाब हुए तो उनके जरिये और सिंचाई का इन्तजाम आजमगढ़ जिले का किया जायगा। और जब तक वह नहीं हो रहा है हम इस कोशिश में हैं कि थोड़े ट्यूबवेल्स वहां और बढ़ाये जायं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि जो योजना विचाराधीन है वह कब तक कार्यान्वित हो जायगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

अभी यह निश्चित रूप से कहना मुश्किल है।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार की कोई ऐसी प्रान्तव्यापी योजना है कि जहां-जहां वाटरलागिंग है वहां से भी पानी निकाला जाय ?

श्री राममूर्ति—

अभी तक तो सरकार के जरिये से सर्वेक्षण होते रहते हैं और जिलों-जिलों में जो दरख्वास्तें आया करती हैं उनको ध्यान में रख कर सर्वेक्षण किया जाता है। माननीय सदस्य के ध्यान में अगर कोई ऐसी जगह हो तो उसको लिख कर भेज दें, अगर वहां का सर्वेक्षण हो गया होगा तो बता देंगे, नहीं तो करवा देंगे।

भटनी बनकटा ब्लाक में सिंचाई

*३०—श्री कैलाश—

क्या सिंचाई मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में देवरिया जिले के भटनी–भाटपार रानी तथा बनकटा ब्लाक में कितने नलकूप कहां-कहां बनने की योजना है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में इन ब्लाकों में नलकूप लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री कैलाश—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस क्षेत्र में नलकूप न लगाने का क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति—

इन क्षेत्रों में करीब २२ नलकूप लगे हुए हैं लेकिन कोई अच्छी सिंचाई नहीं हो रही है। दूसरा इरादा यह है कि गंडक से जो नहर निकलेगी उसके जरिये इस इलाके के लिये पानी दिया जायगा।

श्री कैलाश—

सरकार ने यह फैसला किया है कि जहां चीनी मिल है वहां १०० नलकूप दिये जायंगें और भटनी चीनी मिल सिंचाई के साधन न होने क कारण ही बन्द है। तो क्या मन्त्री जी इसकी पुनः जांच करा के वहां नलकूप लगवाने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति—

भटनी मिल के लोग इस सिलसिले में मिले थे और हमने उनके दिमाग पर यह असर डालने की कोशिश की थी कि जो नलकूप आपके यहां बने हुए हैं उनका पूरा इस्तेमाल करें और हमने यह भी ख्वाहिश की कि अगर मिल एक मिनिमम गारंटी दे दे तो हम और ट्यूबवेल लगवा दें, लेकिन वे उसके लिये तैयार नहीं हुए। इसलिये हम आगे कोई काम नहीं कर पा रहे हैं।

श्री उग्रसेन—

जो पश्चिमी गंडक नहर परियोजना की बात मन्त्री जी ने कही, तो क्या उनको यह पता है कि उसके निर्माण का सारा कार्य ठप्प है इसलिये कि नेपाल बांध नहीं बन पाया है और जल विद्युत् आयोग ने ऐसी राय दी है कि जब तक नेपाल बांध न बन जाय तब तक यह परियोजना न चालू हो ?

श्री राममूर्ति—

माननीय सदस्य को कुछ गलतफहमी है। जिस रोज से यह योजना बनी है बराबर काम चालू है और किसी दिन भी काम नहीं रुका है। जहां तक नेपाल बांध का ताल्लुक है, उस पर भी काम नहीं रुका है। सरकार की बराबर कोशिश है और मुआविजे का रुपया भी जमा कर दिया है। लेकिन, चूंकि नेपाल सरकार अभी कुछ सैटिस्फाइड नहीं है हमने कुछ और एक्सपेरीमेंट्स भेजे हैं। उनको वह देख रही है। हम बराबर गवर्नमेंट आफ इंडिया के जरिये नेपाल गवर्नमेंट से, उनके महाराजा से, उनके फारेन मिनिस्टर से बात करते रहते ह और इस बात की कोशिश है कि काम पूरा हो। उसके लिये वे हमें जमीन देंगे, इसकी हमें उम्मीद है।

आजमगढ़ जिला कचहरियों में हरिजन कर्मचारी

*३१—श्री छांगुर (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार ३ अगस्त, १९६२ के लिये निर्धारित प्रश्न संख्या ६९ के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेगी कि जजेज कोर्ट के ७० कर्मचारियों में क्लर्कों तथा चपरासियों की अलग-अलग संख्या क्या है और सरकार हरिजनों के लिये निर्धारित प्रतिशत को कब तक पूरा करने की व्यवस्था कर रही है ?

श्री सैयद अली जहीर—

जजी कचेहरी में ७३ क्लर्क और स्टेनोग्राफर हैं जिनमें हरिजनों की संख्या ३ है। निम्न वर्ग के कर्मचारियों की संख्या ८३ है जिनमें हरिजनों की संख्या ४ है। हरिजनों के लिये निर्धारित प्रतिशत की पूर्ति के लिये अवधि निश्चित नहीं की जा सकती है।

मैनपुरी डिवीजन में नलकूप की खरीद

*३२—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बतायेंगे कि सरकार ने कोई ट्यूबवेल मैनपुरी ट्यूबवेल डिवीजन में ३१ अक्तूबर, १९५८ को किसी व्यक्ति से लिया ? यदि हां, तो सरकार को कितना रुपया उसकी कीमत में देना पड़ा ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

जी हां। आठ हजार आठ सौ बहत्तर रुपये बासठ नये पैसे की लागत पर यह नलकूप लिया गया।

*३३—श्री रियासत हुसैन—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि जिस वक्त यह ट्यूबवेल लिया गया तो इसका डिस्चार्ज कितना था और बाद में डिस्चार्ज के लिये सरकार ने कितना खर्च किया और क्यों ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

प्रथम भाग—८,००० गैलन प्रति घन्टा।

द्वितीय भाग—सरकार द्वारा लिये जाने के बाद इस नलकूप पर विभिन्न प्रकार के कामों पर २५,५४६ रुपये १४ नये पैसे व्यय किया गया।

श्री रियासत हुसैन—

क्या सरकार को मालूम है कि श्री मिजाजीलाल ने मार्च, १९५६ को दरख्वास्त दी थी और सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर ने ३०-८-५७ को नोट दिया था कि इस कुयें को नहीं लिया जाना चाहिये क्योंकि ३५ हजार रुपये का नुकसान होगा, तो फिर इस कुयें के लिये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री राममूर्ति—

इसका कारण यह था कि मिजाजी लाल जी के ऊपर सरकारी तकावी की रकम ८ हजार रुपये चाहिये थी। लिहाजा वह कुआं ८ हजार रुपये में ले लिया गया और बराबर एक कुआं था, जिसका छोटा-सा एरिया था, जहां से पानी जा सकता था, इन बातों को ध्यान में रखते हुए यह छोटा-सा कमांड बना दिया गया है और उससे आबपाशी हो रही है।

श्री रियासत हुसैन—

क्या मन्त्री जी को उस आडिट रिपोर्ट के बारे में ज्ञात है जो श्री जे० पी० सिंह ने दी, जिसमें यह लिखा हुआ है कि—

"There is a net loss of Rs. 51679. 70 N. P. which is involved in this deal."

अगर है तो इस रिपोर्ट के अनुसार जो ५१,६७९ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा है उसके बारे में मन्त्री जी ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री राममूर्ति—

इस वक्त मेरे पास इसकी कोई इत्तला नहीं है।

श्री रियासत हुसैन—

५१,६७९ रुपये का जो नुकसान हुआ है उसमें कौन जिम्मेदार है ? क्या मन्त्री जी का इरादा उसकी जांच कराने का है ?

श्री राममूर्ति—

माननीय सदस्य ने जो अभी पढ़ा है अगर उसका थोड़ा-सा नोट भेज दें। तो जांच फिर से करा दी जायगी।

राज्य में विभिन्न प्रोजेक्ट्स पर कार्य-स्थिति

*३४—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि घाघरा प्रोजेक्ट (सरजू केनाल प्रोजेक्ट) क्या खत्म कर दी गई है ? कब से काम प्रारम्भ हुआ था और कब काम समाप्त हुआ है ? अब तक कितना काम हुआ था और कितना व्यय हुआ है ? खत्म करने का कारण क्या है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय —

सरजू कैनाल प्रोजेक्ट पर कार्य दिसम्बर, १९६२ में बन्द कर दिया गया। इस प्रोजेक्ट पर कार्य सन् १९६० में प्रारम्भ हुआ था। कार्यों पर कुल ४,८७,५२५ रु० व्यय हुआ है जिसका विवरण निम्नलिखित है :—

			रु०
इनवेस्टीगेशन और सर्वे	..	..	२,०८,७४८
स्पेशल टूल्स एवं प्लान्ट्स	..	..	२,६६,३३९
अस्थायी इमारतें ..	..	..	१२,४३८
		योग ..	४,८७,५२५

वर्तमान संकटकालीन स्थिति और खर्च में कमी करने की आवश्यकता के कारण इस प्रोजेक्ट पर कार्य स्थगित कर दिया गया है।

*३५—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि रामगंगा प्रोजेक्ट, सरजू प्रोजेक्ट और देहरादून प्रोजेक्ट, देहरादून में जिस नाम से कोई प्रोजेक्ट चल रहा है ये तीनों एक साथ तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्रारम्भ हुये थे ? तीनों पर सम्पूर्ण व्यय का अनुमान क्या है ? ये तीनों प्रोजेक्ट विचार में कब से थे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय --

रामगंगा प्रोजेक्ट द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रारम्भ हुआ था। इस प्रोजेक्ट पर अनुमानित व्यय ६७.९८ करोड़ रुपये है। सरजू केनाल प्रोजेक्ट तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्रारम्भ हुआ था। इस प्रोजेक्ट पर अनुमानित व्यय २८.३३ करोड़ रुपये था। जैसाकि प्रश्न संख्या ३४ के उत्तर में कहा गया है इस प्रोजेक्ट पर कार्य स्थगित कर दिया गया है। जिला देहरादून के यमुना जल विद्युत् योजना के प्रथम चरण का प्रोजेक्ट द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तथा द्वितीय चरण का प्रोजेक्ट तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्रारम्भ हुए थे। इन प्रोजेक्ट पर क्रमशः १६.८३ करोड़ रुपये तथा ५०.२६ करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब आदमी कमजोर हो जाता है तो उसको उठौनी दी जाती है ताकि बगल के भाइयों के बराबर हो जाय। पूर्वी जिलों की एक योजना थी सरजू कैनाल प्रोजेक्ट जिससे सिंचाई के साधन सुलभ होते और बाढ़ का भी नियंत्रण होता, तो उस इलाके की योजना को काटने का क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति--

इस वक्त जो जवाब दिया है वही है ?

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)--

क्या यह सही है कि केन्द्रीय आयोग जो इस प्रदेश के अन्दर घूम रहा है वह पूर्वीय जिलों की हालत देखते हुए सिंचाई योजना में तरक्की करने के लिये फंड दे रहा है ? ऐसी हालत में क्या सरकार इस पर पुनः विचार करेगी कि यह प्रोजेक्ट फिर चालू किये जायं ?

श्री राममूर्ति--

फंड अगर मिलेंगे तो जरूर चालू किये जायंगे।

श्री उग्रसेन--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो धन इस पर व्यय हुआ है और जितना काम हुआ है उसके बारे में मंत्री जी ने कुछ सोचा है और इसको खत्म करने के लिये माननीय माल मंत्री जो उसी जिले के रहने वाले हैं उनसे राय ली है ?

श्री राममूर्ति--

माल मंत्री जी से राय नहीं ली, मगर इंजीनियरों से राय ली।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)--

क्या मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी जिलों की ज्यादा चर्चा है तो इसमें रामगंगा योजना का मसला आ रहा है और उसके हम भी शिकार हैं पश्चिम वाले। मैं यह जानना चाहता हूं कि राम गंगा योजना का रुपया तो बता दिया, लेकिन उस योजना में अब तक क्या-क्या हुआ है ?

श्री राममूर्ति--

क्या माननीय सदस्य जो फायदा होने वाला है उसके शिकार है या क्या, मैं समझा नहीं।

श्री अध्यक्ष --

श्री लखीसिंह, प्रश्न कर लीजिये। समय समाप्त हो जायगा।

श्री लखीसिंह ---

रामगंगा योजना से सम्बन्धित हमने सवाल पूछे हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि रामगंगा योजना में अब तक कितना काम हुआ है ? और कितने दिन में हो जायगा ?

श्री राममूर्ति---

मैं माननीय सदस्य के संतोष के लिये बतलाऊं कि जहांतक कितने दिनों का ताल्लुक है उम्मीद की जाती है कि १९७२ में योजना पूरी हो जायगी। रामगंगा पर पुल बनने वाला था वह बन गया। जो टनेल बनने वाला था वह बन गया। उसको चौड़ा करने का सवाल है उस पर काम चालू है। जो कालागढ़ पर पुल बनने वाला था उस पर काम हो रहा है कालोनी और लैबोरेटरीज बन गयी हैं। ५, ६ या ८ करोड़ रुपये का फारेन एक्सचेंज मिल जाने की आशा है। टेंडर मशीनों के लिये काल करना चाहते हैं और उम्मीद की जाती है कि फरवरी-मार्च तक मशीनें भी आ जायेंगी। साथ ही साथ जिन क्षेत्रों में नहरें जायेंगी वहां पर धान के लिये पूरी आबपाशी का इंतजाम किया जाता है। नहरें बढ़ाई और खोली गयी ह। इतना काम हुआ है। मैं समझता हूं कि गालिबन ६ करोड़ से ज्यादा रुपया खर्च हो गया है। इस साल का खर्च का ब्योरा नहीं आया है।

रजबहा गांगसी पर रोक न होना

*३६---श्री रामसिंह (जिला मैनपुरी)---

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील करहल, जिला मैनपुरी जो रजबहा गांगसी में जहां पर माइनर शुरू होता है वहां पर रजबहा में कोई रोक नहीं है जिसे टक्कर कहते है ? जिससे माइनर में पानी अच्छी तरह जा सके ? क्या सरकार इसके लिये शीघ्र ही व्यवस्था कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राममूर्ति---

माइनर की टेल तक अच्छी प्रकार पानी पहुंच जाता है। अतः वहां पर कोई रोक अथवा टक्कर की व्यवस्था की कोई आवश्यकता नहीं है। अन्य बातों का प्रश्न नहीं उठता।

बबुइयाहरपुर के श्री बिन्देश्वरी भगत को राजनीतिक पेंशन

*३७---श्री बांकेलाल (जिला देवरिया) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बबुइयाहरपुर, थाना पडरौना, जिला देवरिया के कितने व्यक्तियों को राजनीतिक पेंशन प्राप्त हो रही है और उन्हें क्या क्या सजायें १९४२ के स्वतंत्रता आन्दोलन में हुई हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन---

ग्राम बबुइयाहरपुर, थाना पडरौना, जिला देवरिया के केवल श्री बिन्देश्वरी भगत, पुत्र श्री खुशहाल भगत को राजनीतिक पेंशन मिल रही है। उन्हें धारा २६ डी० आई० आर० के अन्तर्गत दिनांक ११ अगस्त, १९४२ से दिनांक २९ अक्टूबर, १९४३ तक जेल में बन्दी रखा गया था।

लालगंज, ठेकमा नहरी क्षेत्र

*३८---श्री राजनाथसिंह (जिला गाजीपुर)---

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जिले में लालगंज तथा ठकमा डिस्ट्रीब्यूटरी के कमान्ड के अन्तर्गत कौन-कौन से गांव आते हैं ?

नोट ---तारांकित प्रश्न संख्या ३४-३५के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री राममूर्ति —

सूची संलग्न है ?

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ २५०–२५१ पर)

*३९—श्री राजनाथसिंह—

क्या गाजीपुर जनपद के अन्तर्गत लालगंज डिस्ट्रीब्यूटरी की पूर्ण खुदाई हो चुकी है? यदि नहीं, तो क्यों ? इस डिस्ट्रिब्यूटरी से सम्बन्धित क्षेत्र में कब से पानी मिलने की पूर्ण सम्भावना है ?

श्री राममूर्ति—

भूमि प्राप्त न होने के कारण केवल दो फर्लांग में कार्य होना अभी बाकी है। खरीफ १३७२ से संबन्धित क्षेत्र में पानी मिलने की आशा है।

फूलपुर डिस्ट्रीब्यूटरी का मार्ग परिवर्तन तथा पुलिया का निर्माण

*४०—श्री उमाशंकर तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या सिंचाई मन्त्री १९६२ के ६वें मंगलवार को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९ के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि प्रार्थनापत्र की जांच किस अधिकारी द्वारा करायी गयी और कौन सी उचित कार्यवाही की गई और परिणाम क्या निकला है ? प्रत्येक के संबंध में बताने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति—

प्रार्थना-पत्र में मांग की मद १ से ५ व ७ की जांच अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खंड, आजमगढ़ तथा मद ८ से १३ की जांच अधिशासी अभियंता, सिंचाई खंड, बलिया तथा मद ६ की जांच दोनों खंडों द्वारा संबंधित क्षेत्रों में करायी गयी। जांच तथा परिणाम का विवरण संलग्न सूची में दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ २५२–२५३ पर)

मछली शहर तहसील में नलकूप

*४१—श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि तृतीय योजना काल में तहसील मछलीशहर, जिला जौनपुर में कितने ट्यूबवेल लगेंगे और कहां-कहां पर लगेंगे ?

श्री राममूर्ति—

इस क्षेत्र में तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में ४ नलकूप लगने थे। यह नलकूप निम्नलिखित स्थानों पर बनाये जा चुके हैं :—

१—मेघपुर करियांव
२—मुबारकपुर
३—भटहर
४—भिडेवना

साउथ डिवीजन मुरादाबाद में पाइप की खरीद एवं नलकूपों की बोरिंग

*४२—श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि गत वर्ष एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, साउथ डिवीजन, मुरादाबाद द्वारा कितने फिट लम्बा पाइप खरीदा गया और उस पर कितना रुपया खर्च हुआ ? और किस कम्पनी से खरीदा गया?

श्री राममूर्ति--

१९६१-६२ में नलकूप खन्ड, मुरादाबाद द्वारा ३,४७७ फीट पाइप, जो बिजली की फिटिंग में काम आता है, खरीदा गया। इसकी लागत २२०१.९० रु० थी। यह पाइप नेशनल इंडस्ट्रीज, मुरादाबाद तथा जे० एम० बोडीवाला एन्ड सन्स, दिल्ली से लिया गया।

*४३--श्री शराफत हुसैन रिजवी--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि इस पाइप में से कितना पाइप काम आ गया और कितना शेष रहा ?

श्री राममूर्ति--

२,००२ फीट पाइप काम में आया और १,४७५ फीट बाकी बचा जो स्टोर में है।

*४४--श्री शराफत हुसैन रिजवी--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि सन् १९६२ में साउथ डिवीजन, मुरादाबाद मे कितने नलकूपों का रिबोरिंग हुआ और किस कम्पनी द्वारा कराया गया ? उसपर कितना रुपया खर्च हुआ ?

श्री राममूर्ति--

२८ नलकूपों का रिबोरिंग हुआ था। १९ नलकूपों का रिबोरिंग मेसर्स कृष्णा वाटर सप्लाई, देहली द्वारा किया गया और उनको अभी तक ४३,०४३ रु० का भुगतान किया गया है, शेष ९ नलकूपों का रिबोरिंग विभाग द्वारा किया गया।

रुस्तमपुर रजबहा में कटाव

*४५--श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)--

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि रायबरेली जिले में रुस्तमपुर रजबहा वित्तीय वर्ष १९६२-६३ में कितनी बार कटा और इस कटाव से कितनी क्षति सरकार को उठानी पड़ी ? इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री राममूर्ति--

केवल एक शोरी हुई थी और वह २८ रु० की लागत से बन्द करवा दी गई।

बाराबंकी डिवीजन में नहरों का बन्द रहना

*४६--श्री मेड़ीलाल (जिला बाराबंकी)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि शारदा नहर, बाराबंकी की दोनों शाखायें देवा, दरियाबाद में लगभग दो माह से पानी न आने के कारण आलू व मटर की फसलों को भारी क्षति पहुंची है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों हुआ ?

श्री राममूर्ति --

सीतापुर डिवीजन में कुछ आवश्यक निर्माण-कार्यों के हेतु खेरी ब्रांच के बन्द होने के कारण बाराबंकी डिवीजन की नहरें २० जनवरी, १९६३ से २ मार्च, १९६३ तक बन्द रहीं। इनके बन्द होने से आलू व मटर की फसलों को बहुत थोड़ी क्षति पहुंची है।

*४७—श्री मेड़ीलाल—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बाराबंकी जिले में नहर से पानी न आने के कारण गन्ने की बोवाई में कमी और देरी हो गई है जब कि गन्ना विकास, उत्तर प्रदेश की नियमावली में गन्ने की उत्तम बोवाई फरवरी के महीने में ही बताई गई ? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया ?

श्री राममूर्ति—

गन्ने की बोवाई में कुछ विलम्ब अवश्य हुआ है, परन्तु उन निर्माण-कार्यों का होना अति आवश्यक था जिन के लिये ब्रांच बन्द की गयी थी ।

कृषि अनुसंधान केन्द्रों पर कार्य

*४८—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कृषि अनुसन्धान केन्द्रों में जो प्रान्त में चल रहे हैं पिछले तीन साल में किस-किस वस्तु के उत्तम बीज और किस-किस संख्या में पैदा किये गये ?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

विवरण† संलग्न है ।

*४९—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या वह अपने सरकारी बागान में या फार्मों में Strawberry के उत्पादन का प्रबन्ध करने की ओर ध्यान देगी ? यदि हां, तो किस जगह पर ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी हां । राजकीय उद्यान अनुसंधान क्षेत्र, सहारनपुर, सर्किट हाउस, देहरादून, सर्किट हाउस, मेरठ तथा कैन्टोनमेन्ट उद्यान चकराता, में इस पर अनुसंधान कार्य चल रहा है ।

कानपुर में रोडवेज कर्मचारियों से धन संग्रह

*५०—श्री देवदत्त मिश्र (जिला कानपुर)—

क्या यह सही है कि कानपुर सिटी बस के उद्घाटन के अवसर पर रोडवेज कर्मचारियों से संग्रहीत पांच हजार रुपये की धनराशि राष्ट्रीय सुरक्षा कोष के लिये परिवहन मंत्री को भेंट की गई थी ?

परिवहन मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—

जी हां, लेकिन पूरी रकम सिर्फ रोडवेज कर्मचारियों से ही इकट्ठा नहीं की गई थी ।

*५१—श्री देवदत्त मिश्र—

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त धनराशि किसकी देख-रेख में इकट्ठी की गई और धनदाताओं को रसीदें दी गई या नहीं ?

श्री मुजफ्फर हसन—

उक्त धनराशि स्टेशन इन्चार्जों, डिपो इन्चार्जों, आफिस इन्चार्जों तथा सीयिनर फोरमैन कार्यशाला, चुन्नीगंज, कानपुर की देखरेख में इकट्ठा की गई थी । जो धन रोडवेज कर्मचारियों से मिला था उसकी रसीदें निर्धारित फार्मों में दी गई थीं ।

---

†छापा नहीं गया ।

सरजू, घाघरा, राप्ती बाढ़ योजना

*५२—श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वित्तीय वर्ष (१९६२–६३) में सरजू व घाघरा तथा राप्ती नदियों की बाढ़ से बचाव के लिये कौन-कौन से गांव कितनी लागत से ऊंचे किये जा रहे हैं ?

श्री राममूर्ति—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*५३—श्री शांतिचन्द्र शुक्ल—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भोगीगंज, राजापुर व नरायनपुर, सरैइया तथा अइली बांध, जिनसे गोंडा जिले में सरजू, घाघरा नदियों की बाढ़ से हजारों एकड़ फसल की रक्षा होती है उन बांधों को अपने नियंत्रण में करने का वह कोई विचार रखते है ?

श्री राममूर्ति—

जी नहीं ।

रायबरेली कैनाल कालोनी की जमीन

*५४—श्री रतीपाल—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिला राय बरेली में जो नहर की बड़ी कोठी (Head quarter office) है, उसकी कितनी जमीन में वहां के अधिकारी खेती करवाते हैं ? वित्तीय वर्ष १९६१–६२ में कितना खर्च बीज खाद, पानी एवं मजदूरी के रूप में उस जमीन पर हुआ और कितने रुपये राजकीय कोष में उसकी पैदावार की कीमत का जमा किया गया ?

श्री राममूर्ति—

रायबरेली के कैनाल कालोनी में स्थित दफ्तरों की जमीन पर वहां के अधिकारी खेती नहीं कराते हैं। वित्तीय वर्ष १९६१–६२ में इस सम्बन्ध में कुछ भी खर्च नहीं हुआ।

कोसी नदी बांध, नरैना मऊ नहर पर फाटकबन्दी, सिंचाई कमेटियां

*५५—श्री सुरेन्द्र विक्रम, श्री महरामसिंह तथा श्री केशव सिंह (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला रामपुर की तहसील स्वार में कोसी नदी पर हर वर्ष कच्चा बांध बनता है उसका ठेका पिछले ५ वर्षों में प्रति वर्ष कितने-कितने का हुआ ?

श्री राममूर्ति—

प्रश्न का प्रथम भाग—जी नहीं ।

प्रश्न का दूसरा भाग—प्रश्न नहीं उठता ।

*५६—श्री सुरेन्द्रविक्रम, श्री महराम सिंह तथा श्री केशवसिंह—

क्या सिंचाई मंत्री को यह ज्ञात है कि नरैना, मऊ, फर्रुखाबाद जिले की कैनाल विश्रामालय जो कि नरोरा डिवीजन में है, के फाटक पर श्री धर्म दत्त वैद्य, सभा सचिव को चाबी न मिलने के कारण एक घंटे के लगभग रुकना पड़ा और अन्त में ताला तोड़ कर जाना पड़ा ? यदि हां, तो सिंचाई विभाग के कर्मचारियों द्वारा इस प्रकार की लापरवाही क्यों ?

श्री राममूर्ति—

जी हां। २३ फरवरी, १९६३ को कायमगंज से आते हुए तत्कालीन सभा सचिव, श्री धर्मदत्त वैद्य को नरैना मऊ में नहर के निकट फाटक बन्द होने तथा उसके ताले की चाभी न मिल सकने के कारण ३०, ४० मिनट से अधिक रुकना पड़ा था। जैसे ही सहायक अभियन्ता को, जो नरैना मऊ इन्स्पेक्शन हाउस में ठहरे हुए थे पता लगा, उन्होंने तुरन्त ही ताला तुड़वा कर फाटक खुलवा दिया और श्री धर्मदत्त जी की गाड़ी पास हो गई। ऐसा इसलिये हुआ क्योंकि श्री धर्म दत्त जी के नरैना मऊ पहुंचने की सूचना सिंचाई विभाग के अधिकारियों को पहले से नहीं थी जिससे नहर के फाटक को खोले रखने की व्यवस्था नहीं की जा सकी। दूसरी बात यह हुई कि उस दिन सिगनेलर, जिनकी ड्यूटी फाटक को खोलने तथा बन्द करने की थी अपनी ड्यूटी पूरी करके कायमगंज किसी निजी कार्य से चले गये और गलती से वह ताले की चाभी तार घर में बन्द कर गये। उनको इस गलती के लिये Censure कर दिया गया है।

*५७—श्री सुरेन्द्रविक्रम, श्री महरामसिंह तथा श्री केशवसिंह—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने जिलों में सिंचाई कमेटियां बनी हुई हैं ?

श्री राममूर्ति—

४५ जिलों में।

नलकूप प्रखंड वाराणसी में जांच

*५८—श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी में नलकूप प्रखन्ड में जुलाई, १९६२ में आडिट ने वर्क्स आर्डर की गड़बड़ी को पकड़ा है ? यदि हां, तो उस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राममूर्ति—

प्रथम भाग—यह ठीक है कि आडिटर ने वर्क आर्डर के संबंध में आडिट आब्जेक्शन किया था।

द्वितीय भाग—आडिट आपत्ति का समुचित उत्तर महा लेखा पाल को भेजा जा रहा है।

विधान सभा के मुख्य सचेतकों के लिये कमरे

*५९—श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या मुख्य मंत्री को यह ज्ञात है कि विधान सभा के केवल एक ही दल के मुख्य सचेतक को अब तक कमरे की व्यवस्था हो पायी है, शेष दलों के मुख्य सचेतकों के लिये अलग कमरों की व्यवस्था नहीं हुई है ? अगर हां, तो क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि अन्य दलों के मुख्य सचेतकों के लिये अलग-अलग कमरे की व्यवस्था कब तक हो जायगी ?

श्री राममूर्ति—

स्थानाभाव के कारण अन्य दलों के मुख्य सचेतकों के लिये अलग-अलग कमरों की व्यवस्था करना संभव नहीं है।

*६०—श्री भगवानदीन (जिला रायबरेली)—

[२६ सितम्बर, १९६३ के लिये प्रश्न संख्या ५५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*६१—श्री भगवानदीन—

[२५ सितम्बर, १९६३ के लिये प्रश्न संख्या ११२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

जनखत का नाला

*६२—श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मौजा जनखत, जिला फर्रुखाबाद के बरसाती नाले की सफाई न होने के कारण हर साल सैकड़ों बीघा की फसल बर्बाद हो जाती है? वे सफाई करवाने की कृपा करेंगे?

श्री राममूर्ति—

प्रश्न का प्रथम भाग—ऐसी कोई शिकायत सिंचाई विभाग को प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्न का द्वितीय भाग—यह एक बरसाती नाला है जिससे सिंचाई विभाग का कोई संबंध नहीं है। अतः सिंचाई विभाग द्वारा इसकी सफाई का प्रश्न नहीं उठता।

मुकर्जी समिति के सुझाव

*६३—श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—

क्या न्याय मंत्री मुकर्जी समिति की उन मुख्य मुख्य बातों पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे कि जिसमें उन्होंने न्यायालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा मुकद्दमों के जल्दी निबटारे आदि के संबंध में सुझाव दिये हैं?

श्री सैयद अली जहीर—

मुकर्जी समिति के मुख्य सुझाव अधीनस्थ न्यायालयों के प्रक्रिया के नियमों (Rules of Procedure) में संशोधन, इन न्यायालयों की संख्या और इनके मिनिस्ट्रीयल कर्मचारियों के वेतन-क्रम तथा जमानत पर रिहाई के लिये दिये गये प्रार्थना-पत्रों पर तुरन्त कार्यवाही किये जाने के संबंध में हैं।

आनरेरी मैजिस्ट्रेट

*६४—श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस समय प्रदेश में कितने आनरेरी मैजिस्ट्रेट हैं?

श्री सैयद अली जहीर—

२९३ आनरेरी मजिस्ट्रेट हैं।

*६५—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में जो इस समय आनरेरी मैजिस्ट्रेट्स हैं उनमें कितने हरिजन हैं, कितने पिछड़ी जाति के हैं व कितनी महिलायें हैं?

श्री सैयद अली जहीर—

४ हरिजन हैं, ७ पिछड़ी जाति के हैं तथा ४ महिलायें हैं।

मोटर गाड़ियों का सरकारी क्रय

*६६—श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष १९६०–६१, ६१–६२ और ६२–६३ में किन-किन महकमों के लिये कौन कौन-सी गाड़ियां कितने-कितने रुपयों की सरकार ने खरीदी हैं?

श्री मुजफ्फर हसन—

वाछित सूचना बहुत विस्तृत है। माननीय सदस्य इसको मेरे कमरे में देख सकते हैं।

*६७—श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि उपरोक्त गाड़ियां किन-किन एजेंसियों से खरीदी गई हैं और प्रदेश में और कुल कितनी कम्पनियां सरकार द्वारा खरीदने के लिये स्वीकृत हैं तथा अन्य एजेंसियों से गाड़ी खरीदने के लिये कोई कोटेशन मांगा गया था या नहीं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुजफ्फर हसन—

विभिन्न गाड़ियां जिन एजेन्सियों से खरीदी गईं तथा कम्पनियों के नाम जहां से सरकारी गाड़ियां क्रय की जा सकती हैं की सूचना बहुत विस्तृत है। माननीय सदस्य इसको मेरे कमरे में देख सकते हैं। गाड़ी खरीदने के लिये कोई कोटेशन नहीं मांगा जाता है जिसका कारण यह है कि कुल सरकारी गाड़ियों की खरीद डाइरेक्टर जनरल आफ सप्लाइज एन्ड डिस्पोजल्स द्वारा निश्चित दरों पर की जाती है। केन्द्रीय शासन के आदेशों के अनुसार डाइरेक्टर जनरल समय-समय पर सरकारी गाड़ियों की खरीदारी के लिये दरें निश्चित करते रहते हैं।

अल्फान्सो किस्म का आम

*६८—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार को ज्ञात है कि अल्फान्सो किस्म के आम की उत्तर प्रदेश में बहुत कमी है? क्या सरकार अल्फान्सो को उत्तर प्रदेश में बढ़ाने की तरफ तवज्जुह करेगी?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी हां।

फरेंदा तहसील में नलकूप

*६९—श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले की फरेंदा तहसील में कुल कितने सरकारी टयूबवेल कार्य कर रहे हैं तथा कुल अलग-अलग कितने एरिया को सिंचित करते हैं जो टयूबवेल कार्य नहीं कर रहे हैं उसका क्या कारण है?

श्री राममूर्ति—

प्रश्न का पहला भाग—वहां कुल १३ सरकारी नलकूप हैं जिनमें से ९ कार्य कर रहे हैं।

प्रश्न का दूसरा भाग—प्रत्येक नलकूप से सिंचित एरिया तो प्रति फसल और प्रति वर्ष घटता बढ़ता रहता है। ६२–६३ रबी का सिंचित एरिया निम्नलिखित था—

नलकूप संख्या					सिंचित क्षेत्र (एकड़ों में)
२	..	..	..	..	१२६
३	..	..	..	..	११७
४	..	..	..	..	९७
६	..	..	..	..	२५८

नलकूप संख्या					सिंचित क्षेत्र (एकड़ों में)
७	..	..	..	..	२१३
८	..	..	..	..	१८१
९	..	..	..	..	२३७
१०	..	..	..	..	१४७
१३	..	..	..	..	१७०

प्रश्न का तीसरा भाग—जो चार नलकूप काम नहीं कर रहे हैं वह स्ट्रेटा की खराबी के कारण फेल हो गये हैं।

बांगरमऊ गल्ला गोदाम के इंचार्ज के विरुद्ध शिकायत

*७०—श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम उन्नाव, रसूलाबाद, मजरा, जोगीकोट, तहसील सफीपुर, जिला उन्नाव के किसानों ने दिनांक २ मार्च, १९६३, १५ जून, १९६३ और २४ जुलाई, १९६३ को बांगरमऊ गल्ला गोदाम के इंचार्ज के विरुद्ध शिकायती प्रार्थना-पत्र उनके पास जिलाधीश तथा जिला विकास अधिकारी के पास भेजे थे ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

दिनांक २ मार्च, १९६३ को ५ व्यक्तियों के शिकायती पत्र कृषि मंत्री को संबोधित प्राप्त हुये। १५ जून, १९६३ व २४ जुलाई, १९६३ के शिकायती-पत्र हेडक्वार्टर पर नहीं प्राप्त हुये। सम्भव है जिला या क्षेत्रीय स्तर पर आये हों। उसकी सूचना अभी प्राप्त नहीं हो सकी है। शिकायती पत्र जांच के बाद निराधार पाये गये।

घाटमपुर तहसील में बरसाती पानी का जमाव

*७१—श्री शिवनाथसिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला कानपुर की तहसील घाटमपुर के अन्तर्गत ग्राम सतरहुली व ग्राम बौहारा व पड़ोसी गांवों में वर्षा का पानी भर जाने से प्रतिवर्ष किसानों की अपार क्षति होती है ? उस पानी के निकास के लिये क्या अल्पकालीन या दीर्घकालीन योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो क्या और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम मूर्ति—

इस क्षेत्र में लगभग १०० एकड़ की एक झील है जिसमें से २५ एकड़ क्षेत्र सतरहुली ग्राम का ६० एकड़, भीतर गांव ग्राम का तथा १५ एकड़ कनारा ग्राम का है। यह क्षेत्र वर्षा ऋतु में पानी से भरा रहता है जिससे केवल उन्हीं किसानों को हानि होती है जो झील में पानी भरे रहने के कारण फसल नहीं बो पाते। पिछले साल भी किसानों को इसके अतिरिक्त अन्य कोई हानि नहीं हुई। इस झील के पानी को रिन्ड नदी में गिराने के लिये स्थायी तौर से १ मील ६ फर्लांग लम्बे नाले का प्रस्ताव है यह नाला ७ फर्लांग तक खोदा जा चुका है पाइप भी लग गए हैं।

रोडवेज बस स्टेशन, शाहजहांपुर की इमारत की कीमत

*७२—श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—

क्या यह सही है कि गवर्नमेन्ट रोडवेज बस स्टेशन, शाहजहांपुर की तखमीनी कीमत पहली अप्रैल सन् १९६३ ई० को गवर्नमेन्ट एडवोकेट ने अदालत हाई कोर्ट में एक लाख तेईस हजार चार सौ छियालीस (१,२३,४४६) रुपये जाहिर की थी ? यदि हां, तो

एल० ऐ० ओ०, शाहजहांपुर ने रोडवेज बस स्टेशन की इमारत को सिर्फ चालीस हजार रुपये में ऐक्वायर करने की तजवीज किस कारण से पेश की है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी नहीं। शेष प्रश्न नहीं उठता।

रोडवेज कर्मचारियों का ई०पी०एफ०

*७३—श्री उग्रसेन—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि रोडवेज विभाग के कर्मचारियों के ई० पी० एफ० कोष में जो मजदूरों का हिस्सा विभाग ने दिया था उसकी कटौती करने का आदेश विभाग ने गत मार्च, १९६३ में दिया है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

इस विषय में परिवहन आयुक्त द्वारा मार्च व अप्रैल, १९६३ में आदेश जारी किए गए।

*७४—श्री उग्रसेन—

क्या परिवहन मंत्री उक्त आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखेंगे ?

श्री मुजफ्फर हसन—

उक्त आदेशों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ २५४–२५५ पर)

*७५—श्री उग्रसेन—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जो मजदूरों का हिस्सा ई० पी० एफ० में सरकार न दिया वह कुल कितनी रकम थी ?

श्री मुजफ्फर हसन—

१३,५२,६९७ रुपया।

सब्जी मंडी, लखनऊ बस दुर्घटना

*७६—श्री विपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि २६ जुलाई, १९६३ को प्रातः काल लखनऊ स्थित सब्जी मण्डी, कैसरबाग में राजकीय बस द्वारा कोई दुर्घटना हो गई जिससे कि लगभग १ दर्जन व्यक्ति मर गये तथा अनेक घायल हुए ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी हां, इसमें ११ व्यक्ति मरे तथा ८ घायल हुए।

*७७—श्री विपिनबिहारी तिवारी—

यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि घायल व्यक्तियों से संबंधित परिवार वालों को क्या मुआवजा दिया गया ?

श्री मुजफ्फर हसन—

मृतक तथा अधिक घायल व्यक्तियों के परिवार वालों को कुल १०,५०० रु० अन्तरिम मुआवजे (Interim Compensation) के रूप में दिया गया है।

*७८—श्री विपिनबिहारी तिवारी—

क्या सरकार बतायेगी कि उन सभी हालतों की जांच की गई जिनके कारण वह दुखद घटना हुई ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री मुजफ्फर हसन—

दुर्घटना से संबंधित मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है ।

*७९—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

[३ रे गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ९५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

जूट उत्पादन

*८०—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार जूट का उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से कोई नई योजना पर विचार करेगी ? यदि हां, तो क्या ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

इस प्रकार की जब कभी भी कोई उपयुक्त नई योजना सरकार के सामने आएगी उस पर विचार किया जावेगा ।

नैपाल बांध, मलौनी बांध

*८१—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि नैपाल बांध निर्माण की इजाजत नैपाल सरकार से ली गयी है ? यदि हां, तो इस बांध के निर्माण का काम कब से प्रारम्भ होगा और कितने दिनों में बनकर तैयार हो जावेगा ?

श्री राममूर्ति—

जी हां ।

बांध के निर्माण के लिये नैपाल सरकार से आवश्यक भूमि अभी प्राप्त नहीं हुई है । भूमि प्राप्त होते ही बांध का निर्माण-कार्य प्रारम्भ कर दिया जायगा । काम प्रारम्भ होने के बाद निर्माण-कार्य के पूरे होने में लगभग १५ माह लगने की उम्मीद है ।

*८२—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर मलौनी बांध को आगे राप्ती के बाएं किनारे पर बढ़ा कर देवरिया जिला के गायघाट तक ले जाने की योजना है ? यदि हां, तो उसका निर्माण-कार्य कब पूरा होगा ?

श्री राममूर्ति—

जी हां, यदि यह योजना राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्वीकृत हो गई तो धन उपलब्ध होने पर इसको कार्यान्वित किया जायगा । अभी से यह बताना सम्भव नहीं है कि यह कार्य कब तक समाप्त होगा ।

*८३—श्री चन्द्रबलीसिंह—

[२५ सितम्बर, १९६३ के लिए प्रश्न संख्या १२८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

रोडवेज स्टेशन, बरेली पर मार-पीट

*८४—श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १९ जून, १९६३ अथवा उसके इधर उधर रोडवेज स्टेशन बरेली पर कुछ यात्रियों को रोडवेज कर्मचारियों द्वारा बुरी तरह से पीटा गया था जिसका उल्लेख परिवहन पुस्तक में कर दिया गया था ?

श्री मुजफ्फर हसन—

दिनांक १९ जून, १९६३, को रोडवेज स्टेशन बरेली पर ठेले वालों से मारपीट हुई। एक यात्री द्वारा बीच बचाव कराने में कुछ रोडवेज कर्मचारियों ने उनके साथ भी हाथापायी की। इस घटना की शिकायत उक्त यात्री ने की थी।

*८५—श्री राजेन्द्रसिंह—

यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसने जांच करवा कर क्या कार्यवाही की ?

श्री मुजफ्फर हसन—

ए० जी० एम० तथा सीनियर स्टेशन इंचार्ज का तबादला कर दिया गया है, एस० एस० आई० के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है और ए० जी० एम० का जवाब तलब किया गया है। अन्य कर्मचारियों का भी जो, इस झगड़े में शामिल पाये गये, तबादला किया जा रहा है तथा इनके विरुद्ध और क्या कार्यवाही की जाय इस पर गौर किया जा रहा है।

*८६—श्री राजेन्द्रसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उस क्षेत्र के ए० जी० एम०, श्री मलिक के उस काण्ड के समय वहीं उस स्टेशन पर विराजमान होने के बाद भी उन्होंने कोई आवश्यक कदम क्यों नहीं उठाया ?

श्री मुजफ्फर हसन—

श्री मलिक का जवाब तलब किया गया है, मामले की जांच अभी जारी है।

*८७-८८—श्री कल्पनार्थसिंह तथा श्री कैलाश—

[२३ सितम्बर, १९६३ को प्रश्न संख्या २०-२१ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

रोडवेज वर्कशाप, बुलन्दशहर में चोरियां

*८९—श्री जसरामसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बुलन्दशहर वर्कशाप से सन् १९६० से मई, सन् १९६३ तक कितनी चोरियां हुई हैं जो पकड़ी गयीं और वर्कशाप के इंचार्ज के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुजफ्फर हसन—

इस बीच १० चोरी की घटनायें हुईं। एक में फोरमैन को अदालत द्वारा ६ मास की सजा हो गयी। दूसरे में एक सहायक स्टोर कीपर को नौकरी से हटा दिया गया और उससे २,१७६ रु० ५५ नये पैसे वसूल करने के लिये आदेश दिये गये। अन्य केसों में उन कर्मचारियों के प्रति जो दोषी ठहराये गये विभागीय कार्यवाही हो रही है।

*९०—श्री जसरामसिंह—

क्या सरकार को मालूम है कि वर्कशाप से एक बस चोरी गयी और वह खुर्जा अलीगढ़ के बीच पाई गयी ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी हां।

*९१—श्री जसरामसिंह—

क्या सरकार को मालूम है कि जिला बुलन्दशहर की सरकारी बसों में जो इलेक्ट्रिक हार्न होते हैं और वे बसों में नहीं हैं, बसों की खिड़कियां टूटी हुई हैं जिनकी देखभाल नहीं हो रही है, बसों में विशेष रूप से इंजन की तरफ धूल जमी रहती है और बसों के अन्दर स्वच्छता नहीं रहती है ? क्या इसकी ठीक व्यवस्था करने की कृपा की जावेगी ?

श्री मुजफ्फर हसन—

इलेक्ट्रिक हार्न की चोरी की केवल एक घटना ७-७-६३ को हुई। बसों को सफाई व मरम्मत आदि की उचित व्यवस्था कर दी गई है।

*९२-९४—श्री दीपनारायण सिंह—

[२६ सितम्बर, १९६३ के लिये प्रश्न संख्या ८०-८२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*९५-९६—श्री ऊदल तथा श्री मुन्नूसिंह (जिला बहराइच)—

[३रे मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

*९७-९८—श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

[३रे मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

जौनपुर-देवगांव-मेहनाजपुर बस सर्विस

*९९—कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार जौनपुर से वाराणसी-वाया-केराकत तक सरकारी रोडवेज की गाड़ियां चलाने की व्यवस्था कर रही है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी नहीं।

*१००—कुंवर श्रीपाल सिंह—

क्या सरकार जौनपुर से मेहनाजपुर-वाया-देवगांव तक सरकार रोडवेज की गाड़ियां चलाने पर विचार कर रही है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी हां।

*१०१—श्री मन्नालाल (जिला खीरी)—

[३रे मंगलवार के लिये स्थगित किया गया।]

सिंचाई दर

*१०२—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने किसी आदेश के जरिये सिंचाई दर १६,००० गैलन प्रति रुपये की जगह २४,००० गैलन प्रति रुपये खरीफ रबी के लिये कर दी है ?

श्री राममूर्ति—

केवल भाप या जल विद्युत् शक्ति गृहों से उत्पन्न बिजली द्वारा चालित नलकूपों पर खरीफ के धान की फसल तथा रबी पलेवा की सिंचाई के लिए दरें १६,००० गैलन प्रति रुपये के स्थान पर २४,००० गैलन प्रति रुपया कर दी गई है। दरों में यह छूट सन् १९६५ तक प्रतिवर्ष १ जुलाई से ३० नवम्बर तक ही उपलब्ध है।

नलकूप प्रखंड, वाराणसी में नलकूप

*१०३—श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी जिलान्तर्गत नलकूप प्रखण्ड वाराणसी में कुल कितने नलकूप अब तक लगाये गये हैं? क्या इनकी तादाद सरकार प्रत्येक योजना के अनुसार बताने की कृपा करेगी?

श्री राममूर्ति—

कुल ३५० नलकूप लगाए गए हैं जिनकी तादाद योजना के अनुसार निम्नलिखित हैं:

प्रथम पंचवर्षीय योजना	..	..	२२० नलकूप
द्वितीय पंचवर्षीय योजना	..	..	९० ,,
तृतीय पंचवर्षीय योजना	..	..	४० ,,
			३५० ,,

(इनमें से १६ नलकपों पर अभी बिजली नहीं आई है।)

*१०४—श्री गयाप्रसाद—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त नलकूपों में से कितने ऐसे हैं जो साल भर में ४,००० घंटे से अधिक चलते हैं तथा कितने ऐसे हैं जो ४,००० घंट से कम चलते हैं और क्यों?

श्री राममूर्ति—

१४ नलकूप ४,००० घंटे से अधिक चलते हैं तथा ३२० नलकूप ४,००० घंटे से कम चलते हैं। इन नलकूपों के कम चलने का कारण यह है कि सामान्यतः इन पर सिंचाई की मांग इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिये।

*१०५—श्री गयाप्रसाद—

क्या कुछ ऐसे भी नलकूप उक्त जिले में हैं जो साल भर में ५०० घंटे से भी कम चलते हैं? ये नलकूप कौन-कौन से हैं और प्रत्येक साल भर में औसतन कितने घंटे चलते हैं?

श्री राममूर्ति—

केवल एक नलकूप। इसका नाम कुंडी कलां है और यह १९५९–६० में ११ घंटे, ६०–६१ में ३३ घंटे, १९६१–६२ में ८९ घंटे चला तथा १९६२–६३ में १६० घंटे चला।

*१०६—कुंवर श्रीपालसिंह—

[३रे मंगलवार के लिए स्थगित किया गया।]

अतारांकित प्रश्न

फर्रुखाबाद जिले में नलकूप

१—श्री राजेन्द्रसिंह यादव (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नलकूप नं० ९, फर्रुखाबाद का डिस्चार्ज क्या है ? यदि इस नलकूप का डिस्चार्ज कम हो तो उसका बोरिंग अब तक न कराने का क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति—

फर्रुखाबाद ग्रुप के राजकीय नलकूप सं० ९ का वर्तमान डिस्चार्ज लगभग १७,७०० गैलन प्रति घंटा है। इस नलकूप का पहले का डिस्चार्ज लगभग ३३,००० गैलन प्रति घंटा था। इसका पुनर्निर्माण अभी प्रस्तावित नहीं है क्योंकि ऐसी आशा की जाती है कि Graded line Pea Grard द्वारा Feeding करने से इन नलकूप का डिस्चार्ज धीरे-धीरे बढ़ जायगा।

२—श्री राजेन्द्रसिंह यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले में इस वर्ष कितने नलकूप बनाये जा रहे हैं और ये कहां-कहां बनाये जांयगे?

श्री राममूर्ति—

२५ नलकूप लगाये जाने का प्रस्ताव था। इन सभी नलकूपों की खुदाई संलग्न सूची में दिये हुये स्थानों पर हो चुकी है।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ २५६ पर)

३—श्री राजेन्द्रसिंह यादव—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि तहसील कायमगंज की ग्राम सभा हरसिंह पुरगौवा, अमिलइया, आशानन्द और खलवारा, वलीपुर क्षेत्र में नलकूप लगाने का कोई विचार है ? यदि नहीं, तो इस क्षेत्र में सिंचाई की कौन सी योजना लागू होगी ?

श्री राममूर्ति—

ग्राम हरसिंहपुर गोआ और अमलिया आशानन्द के उपयुक्त क्षेत्र को सींचने हेतु दो नलकूपों का निर्माण किया गया है। ग्राम खलवारा और वलीपुर में नलकूप लगाने हेतु उपयुक्त Site न मिलने के कारण इन ग्रामों में कोई नलकूप लगाने का प्रस्ताव नहीं है। इन गांवों में सिंचाई मैसनरी कुओं (Masonary wells) के द्वारा हो सकती है और यदि किसान चाहें तो उनको इसके लिये तकावी दी जा सकती है बशर्ते कि वे तकावी रूल्स की शर्तों को पूरा करें।

नसीदीपुर ड्रेन योजना

४—श्री घासीराम जाटव (जिला इटावा)—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बताने का कष्ट करेंगे कि जिला इटावा के महेवा ब्लाक में नाला के निर्माण हेतु बेरी खेरा-बकेवर से नसीदीपुर तक बरसाती पानी से होने वाली खरी फसल को नुकसान से बचाने के लिए सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में १,०४,००० रु० मंजूर किया था और वह आधा बन कर ही रोक दिया सरकार कब तक पूरा करेगी ?

श्री राममूर्ति—

प्रश्न का प्रथम भाग—जी नहीं। प्रश्न का द्वितीय भाग—प्रश्न नहीं उठता।

५—श्री घासीराम जाटव—

क्या यह सही है कि यह मसला चीफ इंजीनियर के पास पिछले लगभग एक साल से विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस देरी का क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति—

जी नहीं, ऐसा कोई मसला तो मुख्य अभियन्ता के विचाराधीन नहीं है लेकिन नसीदीपुर ड्रेन के बढ़ाव तथा पुनःनिर्माण की एक अन्य योजना, जिससे बेरीखेरा बेकवर से नसीदीपुर तक क्षेत्र को लाभ पहुंचेगा, विचाराधीन थी परन्तु अब इस पर भी कार्य शुरू कर दिया गया है ।

कप्तानगंज ब्लाक में नहरी पुल

६—श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

क्या सिंचाई मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि नारायणी कैनाल से जो शाखा देवरिया जिले के कप्तानगंज ब्लाक में फैलायी गयी है, उन नहरों पर किन-किन स्थानों पर नहर पार करने के लिए तथा बैलगाड़ियों के आने-जाने के लिए कितने पुलों का निर्माण किया गया है ?

श्री राममूर्ति—

सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ २५७–२५८ पर)

७—श्री बांकेलाल—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के कप्तानगंज ब्लाक में नारायणी नहर की जो शाखा फैली है, उन नहरों में जब कम पानी आने लगता है, तब कुलाबे पानी नहीं उठाते हैं तो कुलाबा से पानी उठाने के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है ? अगर नहीं तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—

डिस्ट्रीब्यूटरी और माइनर्स में कुलाबा तभी पूरा-पूरा पानी लेंगे जब वह नहरें पूरी पंसाल से चलेंगी । नहर शाखाओं को पूरी गेज से चलाने के लिये आदेश दिये जा रहे हैं ।

खीरी जिले में नलकूप सर्वेक्षण

८—श्री छेदालाल चौधरी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला खीरी, परगना कुकुरा के मैलानी व थरबनगंज तथा परगना भूड़ के भानपुर-मलूकापुर आदि क्षेत्र में नलकूप-निर्माण हेतु कोई (survey) जांच करायी गयी है अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो क्या शीघ्र जांच कराने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति—

प्रथम भाग—जी हां, जांच कराई गई ।

बस्ती ग्राम से पानी न मिलने की शिकायत

९—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा ५ सितम्बर, १९६२ के लिखित पत्र के साथ ग्राम बस्ती, तहसील घोसी, जिला आजमगढ़ के निवासियों का १७ अप्रैल, १९६२ का लिखा हुआ प्रार्थना-पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है जिसमें पानी न चलाने देने के कारण ३९ बीघा ईख के सूख जाने की शिकायत की गयी है ? यदि हां, तो उस पर कौन-सी कार्यवाही की गयी है ?

श्री . राममूर्ति—

बहुत खोज करने पर भी ऐसे किसी पत्र का पता नहीं चल सका ।

वाराणसी जिले में बेकार नलकूप

श्री रघुनाथसिंह—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले में कितने नलकूप इस समय ऐसे बेकार हो गये हैं कि उनसे सिंचाई का कार्य बिलकुल नहीं हो रहा है ?

श्री राममूर्ति—

मार्च, १९६३ तक ६ नलकूप बन्द थे।

११—श्री रघुनाथ सिंह—

नलकूपों के बिगड़ जाने पर उन्हें कार्यसक्षम् करने के लिए जिले का सिंचाई विभाग कितनी अवधि के बीच उन्हें तत्परता से ठीक करा लेने के लिए उत्तरदायी है ?

श्री राममूर्ति—

नलकूप को ठीक करने के समय की अवधि उसकी खराबी पर निर्भर है। इसलिए उसके ठीक करने का समय निर्धारित नहीं किया जा सकता। कोशिश यही रहती है कि खराबी जल्द से जल्द ठीक करके नलकूप को चालू कर दिया जाय।

१२—श्री रघुनाथ सिंह—

कटेहर विधान सभा क्षेत्र में उमरहा नलकूप को बिगड़े कितने दिन हो रहे हैं इसकी कोई सूचना सिंचाई विभाग के इंजीनियर को मिली है या नहीं ?

श्री राममूर्ति—

उमरहा नलकूप जून, १९६२ में फेल हो जाने के कारण बन्द हो गया था परन्तु अब इसका पुनर्निर्माण हो गया है।

फर्रुखाबाद जिले में नलकूप

१३—श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले में छिबरामऊ और तालग्राम ब्लाक में कितने और कहां-कहां नलकूप बनने की योजना है ?

श्री राममूर्ति—

छिबरामऊ और तालग्राम ब्लाक में निम्नलिखित स्थानों पर ६ नलकूप बन रहे हैं :—

ग्राम	
१—सलेमपुर	.. छिबरामऊ ब्लाक
२—मदारपुर	
३—सिंहपुर	
४—कमलापुर	.. तालग्राम ब्लाक
५—सदरपुर द्वारिकापुर	
६—सराय प्रयाग	

इसके अलावा और कोई नये नलकूप प्रस्तावित नहीं हैं।

रोडवेज विभाग के अस्थायी कर्मचारी, भत्ता

१४—श्री कृष्णपालसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश रोडवेज विभाग में ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है जो कि :

(अ) ४ वर्ष से अधिक समय से अस्थायी रूप में कार्य कर रहे हैं ?

(ब) ७ वर्ष से अधिक समय से अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—

अगस्त, १९६३ के आरम्भ में स्थिति इस प्रकार थी :—

(अ) ३,२९०।

(ब) ७७१।

१५—श्री कृष्णपालसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त विभाग में इस प्रकार का कोई नियम है जिसके अनुसार ३ वर्ष से अधिक समय से कार्य करने वाले अस्थायी कर्मचारी स्थायी कर दिये जायें ? यदि हां, तो उक्त कर्मचारी अभी स्थायी क्यों नहीं किये गये ?

श्री मुजफ्फर हसन—

ऐसा कोई नियम नहीं है।

१६—श्री कृष्णपालसिंह—

क्या यह सत्य है कि उक्त विभाग के कर्मचारियों को उनका डेली एलाउन्स कई महीनों पश्चात् दिया जाता है ? यदि हां, तो अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों को विलम्ब से पूर्व खर्च किये गये धन को प्राप्त करने से उत्पन्न कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए सरकार यह व्यवस्था करने की कृपा करेगी कि एलाउन्स प्रति मास दे दिया जाया करे ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन—

साधारणतया कर्मचारियों के डेली एलाउन्स के बिलों का भुगतान प्रधान प्रबन्धक के कार्यालय में पहुंचने के एक महीने के अन्दर ही कर दिया जाता है। कभी-कभी बिलों के देर से प्राप्त होने के कारण तथा आवश्यक प्रशासकीय कार्यवाही पूर्ण करने में भुगतान में कुछ विलम्ब हो जाता है।

आजमगढ़ जिले में सिंचाई

१७—श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में इस समय राजकीय नहरों और राजकीय नलकूपों से कितनी भूमि की सिंचाई प्रति वर्ष होती है और सिंचाई की वृद्धि के लिये उस जिले में तृतीय पंचवर्षीय योजना में सरकार और क्या कार्य करने जा रही है ?

श्री राममूर्ति—

गत पांच वर्षों में सिंचित क्षेत्र का ५३,७ ६४.४ एकड़ औसत रहा है। २५ नलकूप बनाने का आयोजन था। इन सभी की खुदाई हो चुकी है और १३ कुएं चालू भी हो चुके हैं। प्रस्तावित ६३ मील २ फर्लांग ५१० फीट माइनरों के निर्माण कार्य में ४४ मील ३ फर्लांग ५०० फीट लम्बाई का कार्य १५ सितम्बर, १९६३ तक समाप्त हो चुका है।

राप्ती, घाघरा, छोटी गंडक, रोहिणी का जलस्तर

१८—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि राप्ती का जलस्तर बाढ़काल निम्न सालों एवं स्थानों में क्या था—

(क) सन् १९३४	..	बलरामपुर	.. गोरखपुर
(ख) सन् १९३८	..	बलरामपुर	.. गोरखपुर
(ग) सन् १९५६ से १९६२ तक		बलरामपुर	गोरखपुर

१९—क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि घाघरा नदी का जलस्तर बाढ़काल में निम्न सालों एवं स्थानों में क्या था—

(क) सन् १९३४	.. ..	चौकाघाट	.. अयोध्या	.. तुर्तीपार
(ख) सन् १९३८	..	चौकाघाट	.. अयोध्या	.. तुर्तीपार
(ग) सन् १९५६ से १९६२ तक ?		चौकाघाट	.. अयोध्या	.. तुर्तीपार

२०—क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि छोटी गंडक का जलस्तर बाढ़काल में निम्न-सालों एवं स्थानों में क्या था—

(क) १९३४	.. हेतिपपुर	.. सिरसिया	.. कप्तानगंज
(ख) १९३८	.. हेतिपपुर	.. सिरसिया	.. कप्तानगंज
(ग) सन् १९५६ से १९६२ तक ?	हेतिपपुर	.. सिरसिया	.. कप्तानगंज

२१—क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि रोहिणी का जलस्तर बाढ़काल में निम्न सालों एवं स्थानों में क्या था—

(क) १९३४	..	.. डोमिनगढ़	फरेंदा
(ख) १९३८	..	.. डोमिनगढ़	.. फरेंदा
(ग) १९५६ से १९६२ तक		.. डोमिनगढ़	.. फरेंदा

श्री राममूर्ति—

सूचना संलग्न सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ २५९ पर)।

शादीपुर बस स्टेशन की ईंट

२२—श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)—

क्या परिवहन मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बस स्टेशन बरूकी, नगीना रोड पर बनाये जाने के सम्बन्ध में सोयम और दोयम किस्म की ईंट लगाने की शिकायत आयी थी ? यदि आयी थी, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

इस रोड पर शादीपुर बस स्टेशन के बनने के सम्बन्ध में इस किस्म की शिकायत आई थी। जांच के बाद ठेकेदार पर २०० रु० जुरमाना किया गया है।

नहरी क्षेत्र व नलकूप क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था

२३—श्री विजयपालसिंह—

क्या सरकार को ज्ञात है कि नहर एरिया में गन्ने के उन खेतों पर कोई महसूल नहीं लगाया जाता, जो कि नया बोया गया हो, सींचा भी गया हो किन्तु उग न पाया हो अथवा वर्षा से पहले या वर्षा के बाद किसी कारण से नष्ट हो गया हो, पर कोई महसूल नहीं लगाया जाता ? यदि हां, तो क्या सरकार ट्यूबवेल एरिया के काश्तकारों को भी ऐसी दशा में कुछ रियायत प्रदान करने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति—

जी हां, इर्रीगेशन मैनुअल आफ आर्डर्स के ५वें संशोधित संस्करण के पैरा ३१६ (४) के अन्तर्गत जो केसेज आते हैं उनमें छूट दी जाती है। यह नियम नलकूप क्षेत्रों में भी लागू है।

२४—श्री विजयपालसिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अलग-अलग नहरों पर अलग अलग जिन्सों के लिये अलग-अलग रेट मुकर्रर करती है ? यदि हां, तो क्या सरकार ट्यूबवेल कमान्ड में भी उसी अनुपात से जो नहर पर मुकर्रर किये गये हैं रेट मुकर्रर करने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति—

जी हां, यह सही है कि अलग-अलग नहरों पर अलग-अलग जिन्सों के लिये अलग-अलग रेट मुकर्रर हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि कुछ नहरों पर पानी की सप्लाई एस्योर्ड होती है, कुछ पर नहीं। इसके अतिरिक्त अलग-अलग जिन्सों के लिये कम तथा अधिक पानी की मात्रा की आवश्यकता होती है, अतः नहरों पर अलग-अलग जिन्सों के लिये अलग-अलग रेट हैं। नलकूप क्षेत्रों में सिंचाई का मामला सर्वथा भिन्न है, क्योंकि पानी के माप के अनुसार रेट लिया जाता है अर्थात् कृषक जितना पानी लेता है उस हिसाब से रेट देता है। अतः अलग-अलग जिन्सों पर अलग-अलग रेट का प्रश्न नहीं उठता।

२५—श्री विजयपालसिंह—

क्या सरकार ट्यूबवेल पर भी नहरी ओसराबन्दी लागू करने जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस बात को विचार में रखते हुए कि ट्यूबवेल पर नहरी ओसराबन्दी की जा रही ट्यूबवेल के रेट भी नहर के अनुसार मुकर्रर करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—

नलकूपों पर वर्तमान ओसराबन्दी के नियमों में परिवर्तन करने का विचार नहीं है, न तो उस पर नहरी ओसराबन्दी ही लागू करने का विचार है। नलकूप की दरों में जैसा कि प्रश्न संख्या २४ के उत्तर में कहा गया है, किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

बिरनो, जखनिया ब्लाक के नलकूप

२६—श्री झिलमिटराम (जिला गाजीपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गाजीपुर के बिरनो ब्लाक के ग्राम बुद्धपुर और जखनिया ब्लाक के ग्राम धामूपुर के नलकूप का किस सन् में निर्माण किया गया और उसमें क्या नालियों का निर्माण हो गया है ? यदि हां, तो कितने मील तक ?

श्री राममूर्ति—

बिरनो ब्लाक में बोधपुर गांव का नलकूप १३-११-५८ को चालू किया गया था और इस नलकूप पर १ मील लम्बी तथा २ मील लम्बी कच्ची गूल बन चुकी है।

अखनिया ब्लाक के धामपुर गांव का नलकूप २४-१२-५८ को चालू किया गया। इस कुएं पर एक मील लम्बी पक्की गूल तथा १ मील १ फर्लांग कच्ची गूल बनी है।

गिरौरा माइनर में पानी की कमी की शिकायत

२७—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गिरौरा माइनर जो कि रजबहा जखेड़ा (गंग नहर डिवीजन मेरठ) में से निकली है, एक साल से अधिक समय से पानी बहुत कम दे रही है? जिसके कारण कृषकों को जो माइनर से अपने खेतों की सिंचाई करते हैं उन्हें बहुत नुकसान हुआ है? क्या सरकार इसका कारण बताने की कृपा करेगी?

श्री राममूर्ति—

गिरौरा माइनर पूरी पंसाल से चल कर डिस्चार्ज लेती रही है तथा उसकी टेल पर भी पानी आवश्यकतानुसार पहुंचता रहा है। अतः पानी की कमी का प्रश्न नहीं उठता है।

२८—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार गिरौरा माइनर के मुंह पर जो टक्कर है उसे तुड़वाने की कृपा करेगी क्योंकि इसके कारण इस माइनर से पानी बहुत कम चलता है?

श्री राममूर्ति—

गिरौरा माइनर वर्तमान दशा में निर्धारित डिस्चार्ज लेती रही है। अगर क्रिस्ट तोड़ दी जायगी तो माइनर की टेल पर आवश्यकता से अधिक पानी पहुंचने लगेगा और बरबाद होगा, और अन्य माइनरों की टेल पर पानी की कमी हो जायेगी। अतः क्रिस्ट को तुड़वाने का प्रश्न नहीं उठता है।

२९-३०—श्री रामसिंह (मैनपुरी)—

[दूसरे बुधवार के लिये प्रश्न संख्या ४१-४२ की अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

लाइव-स्टाक कम-ऐग्रीकल्चरल फार्म्स के स्थायी कर्मचारी

३१—श्री रियासत हुसैन—

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के समस्त स्टेट लाइवस्टाक कम एग्रीकल्चरल-फार्म्स में पिछले १२-१४ वर्षों से निरन्तर काम कर रहे कर्मचारियों को अभी तक स्थायी पदों पर कन्फर्म क्यों नहीं किया गया?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

उत्तर प्रदेश के समस्त लाइवस्टाक-कम-एग्रीकल्चरल फार्म्स में कुल ४९६ (१३ राजपत्रित और ४८३ अराजपत्रित) स्थायी स्वीकृत पद हैं जिन पर इस समय कुल ३९४ व्यक्ति १३ राजपत्रित और ३८१ अराजपत्रित कार्य कर रहे हैं, जिनमें से १४५ कर्मचारी स्थायी हैं। शेष २४९ पदों पर कार्य कर रहे कर्मचारियों में से २१९ ऐसे हैं जो पिछले १२-१४ वर्षों से निरन्तर कार्य कर रहे हैं और विभिन्न कारणवश अभी तक स्थायी नहीं किये जा सके हैं। उनमें से अधिकांश के स्थायीकरण का प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

सिंचाई विभाग, वाराणसी सम्बन्धित वर्क्स आर्डर में गड़बड़ी

३२—श्री विजयपालसिंह—

क्या सरकार को पता है कि वाराणसी में सिंचाई विभाग की ओर से १ दिसम्बर, १९६१ को एक वर्क्स आर्डर नं० २० वर्की व हाथी नलकूप में बिजली फिट करने के लिये श्री वी० पी० भाटिया के नाम किया गया और उसे फाड़कर २०, २१, २२, २३ नं० का वर्क्स आर्डर फर्जी किया गया है जिसका कहीं काम नहीं हुआ है?

श्री राममूर्ति—

यह सही है कि २० नम्बर का वर्कआर्डर वर्की तथा हाथी नलकूप पर बिजली फिट करने के लिये १ दिसम्बर, १९६१ को भी श्री वी० पी० भाटिया के नाम किया गया था और फिर उसको फाड़कर उसी काम का दूसरा वर्क आर्डर २३ नम्बर से जारी किया गया क्योंकि २० नम्बर का एक वर्क आर्डर पहले ही २८ नवम्बर को जारी हो चुका था और एक नम्बर के २ वर्क आर्डर नहीं हो सकते थे । जहां तक वर्क आर्डर नं० २०, २१, २२ तथा २३ के फर्जी होने का प्रश्न है इन वर्क आर्डरों में उल्लिखित कार्यों की पूर्ण जांच की गयी है और यह पाया गया है कि ये काम कराये गये हैं और इस प्रकार इन वर्क आर्डरों में से कोई फर्जी नहीं है ।

३३—श्री विजयपालसिंह—

क्या सरकार को पता है कि जिस-जिस में उपरोक्त वर्क्स आर्डर किये गये हैं उनमें हर नं० की तीन प्रतियां रही हैं और २० नं० की दो प्रति फाड़ने के बाद तीसरे २० नं० के पन्ने पर दोनों तरफ फर्जी एक वर्क्स आर्डर किया गया है, और २०, २१, २२, २३ फर्जी वर्क्स आर्डर दो या ढाई हजार रुपये का है ?

श्री राममूर्ति—

वर्क आर्डर ४० नम्बर की किताब से जारी किये गये थे जिसमें हर नम्बर के ४ पन्ने थे । यह सही नहीं है कि २० नम्बर के दो पन्ने फाड़ने के बाद बाकी पन्नों पर दूसरा वर्क आर्डर किया गया ।

वर्क आर्डर नं० २०, २१, २२ तथा २३ में वर्णित कार्यों की जांच की गयी है तथा यह पाया गया है कि ये कार्य हुए थे । इनका मूल्य इस प्रकार है :

	रुपये नये पैसे
वर्क आर्डर नं० २०	२०७.००
वर्क आर्डर नं० २१	२७४.००
वर्क आर्डर नं० २२	३८८.००
वर्क आर्डर नं० २३	६९६.००
कुल मूल्य ..	१,५६५.००

डेरापुर तहसील में नहरी बम्बे

३४—श्री नित्यानन्द पांडेय (जिला कानपुर)—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जिले के अन्तर्गत डेरापुर तहसील में कितने बम्बे और नई गूलें तृतीय योजना के अन्तर्गत निर्मित की जा रही हैं ?

श्री राममूर्ति—

बम्बों की कुल प्रस्तावित लम्बाई लगभग ४० मील के है । जहां तक गूलों का प्रश्न है अभी तक कोई भी योजना प्रस्तावित नहीं है ।

३५—श्री नित्यानन्द पांडेय—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कानपुर जिले में नलकूप, तृतीय योजना में कहां बनवा रही है ?

श्री राममूर्ति—

कानपुर जिले में तृतीय योजना में निर्माण के लिये प्रस्तावित नलकूपों की (Sites) का चुनाव अभी नहीं हुआ है अतएव इस समय यह कह सकना सम्भव नहीं है कि यह नलकूप कहां बनेंगे।

पशु सेवा केन्द्र, रामपुर गढ़ी

३६—श्री भीखालाल—

क्या कृषि एवं पशुपालन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रायपुर गढ़ी, तहसील हसनगंज, जिला उन्नाव में पशु सेवा केन्द्र खोलने का फैसला सरकार ने लिया था और पंचायत रायपुर गढ़ी ने उसके लिये एक हजार रुपया भी जमा कर दिया था ? यदि हां, तो अभी तक केन्द्र की स्थापना क्यों नहीं की गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

रायपुर गढ़ी में पशु सेवा केन्द्र की स्थापना दिनांक १ जून, १९६१ से की जा चुकी है और उस समय से यह केन्द्र कार्य कर रहा है । जहां तक इस केन्द्र के भवन का प्रश्न है, बिल्डिंग बनाने की कार्यवाही की जा रही है जो सम्भवतः इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण हो जायगी ।

बुलन्दशहर जिले में नलकूपों की स्थिति

३७—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या ग्राम निखोव या इससे मिले हुए ग्राम बलीपुर परगना स्याना, जिला बुलन्दशहर में सरकारी नलकूप बनवाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री राममूर्ति—

जी नहीं।

३८—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार को ज्ञात है कि ग्राम निखोव और ग्राम बलीपुर में एक बहुत बड़ा रकबा जरखेज जमीन का बगैर किसी सिंचाई की सुविधा के है और वहां नलकूप की अत्यन्त आवश्यकता है।

श्री राममूर्ति—

जी हां। परन्तु इस क्षेत्र में नलकूप लगाना सम्भव नहीं है।

३९—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र स्याना, जिला बुलन्दशहर में कितने और किस-किस स्थान पर ऐसे सरकारी नलकूप हैं जो कि औसत से कम पानी दे रहे हैं और उनके डिस्चार्ज की कमी के क्या कारण हैं और क्षेत्र में नालियों की क्या दशा है ?

श्री राममूर्ति—

विधान सभा क्षेत्र स्याना में केवल दो नलकूप ऐसे हैं जिनका डिस्चार्ज औसत (२०,००० गैलन प्रति घन्टा) से कम है। ये नलकूप ग्राम खंड मोहननगर तथा ग्राम जवारा में हैं । डिस्चार्ज कम होने का कारण यह है कि ये नलकूप पुराने हो गये हैं और अपना जीवन पूरा कर चुके हैं।

इस क्षेत्र में नालियों की दशा संतोषजनक है।

बुलन्दशहर जिले में बस सर्विस

४०—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या दौलतपुर—जहांगीराबाद—बुलन्दशहर और दौलतपुर—जहांगीराबाद—अनूपशहर के बस रूट्स मंजूर किया जाना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

ऐसा कोई प्रस्ताव रीजनल ट्रांस्पोर्ट अथारिटी के सामने नहीं है ।

४१—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार को ज्ञात है कि दौलतपुर परगना अहारा से और इसके आस-पास के क्षेत्रों से जिला बुलन्दशहर और तहसील अनूपशहर तक पहुंचने के लिये कोई बराये रास्ता बस सर्विस नहीं है जिसके कारण जनता को बहुत तकलीफ है क्योंकि यह इलाका तहसील और जिले से बहुत दूर है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

इस इलाके से सीधी बस सर्विस तो बुलन्दशहर और अनूपशहर के लिये नहीं है मगर दौलतपुर से बुलन्दशहर के लिये अहारा जहांगीराबाद, बुलन्दशहर रूट की गाड़ियां मिलती हैं और अनूपशहर जाने के लिये जहांगीराबाद से अनूपशहर की बसें आसानी से मिल जाती हैं ।

रजबहा शाख बहादुरगढ़, किठौर में पानी की कमी

४२—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकार के विचारार्थ कोई ऐसी योजना है कि जिससे रजबहा शाखबहादुरगढ़ और रजबहा किठौर की क्षमता बढ़ाने के लिये नहर अनूपशहर ब्रांच (मेरठ डिवीजन गंगा नहर) में से मील ६० के आस-पास से कोई गूल निकाल कर रजबहा शाखबहादुरगढ़ और रजबहा किठौर से मिला दी जाय ?

श्री राममूर्ति—

जी नहीं ।

४३—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

यदि कोई ऐसी योजना है, तो उस पर कार्य कब शुरू होगा और वह कब तक पूरी होगी ?

श्री राममूर्ति—

प्रश्न नहीं उठता ।

४४—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार को ज्ञात है कि रजबहा किठौर व रजबहा शाखबहादुरगढ़ में पानी की कमी को दूर करने के लिये ऐसी योजना आवश्यक है ?

श्री राममूर्ति—

किठौर रजबहे पर मील ० से मील १७-४ तक silting होने के कारण रजबहा किठौर व शाखबहादुरगढ़ साथ-साथ नहीं चलाये जा सकते । इस कमी को दूर करने के लिये किठौर रजबहा का regrading करने का प्रस्ताव है जिसके पूरे होने पर पानी की कमी की शिकायत नहीं रहेगी ।

कालाघाट व मुरादाबाद नहर डिवीजन के कर्मचारी

४५—श्री रियासत हुसैन—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि चौक प्रोजेक्ट इन्जीनियर राम गंगा मुरादाबाद की निगरानी में कौन-कौन डिवीजन हैं, जिनका हेड क्वार्टर कालागढ़ धामपुर और मुरादाबाद में है और उनके मातहत कुल कितने कर्मचारी किन-किन पदों पर काम कर रहे हैं ?

श्री राममूर्ति—

चीफ प्रोजेक्ट इंजीनियर, रामगंगा, मुरादाबाद की निगरानी में ४६ डिवीजन हैं जिनमें से १३ डिवीजनों के हेडक्वार्टर्स कालागढ़ में तथा ३ के हेडक्वार्टर्स मुरादाबाद में हैं। धामपुर में किसी डिवीजन का हेडक्वार्टर नहीं है। इन डिवीजनों के मातहत ७८४ कर्मचारी भिन्न-भिन्न पदों पर काम कर रहे हैं। इन डिवीजनों तथा पदों का विवरण संलग्न तालिका में दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ढ़' पृष्ठ २६०--२६१ पर)

४६—श्री रियासत हुसैन—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि इन डिवीजनों में सालाना कितने-कितने रुपये का काम होता है और पहली अप्रैल, सन् १९६२ के बाद क्या-क्या काम हुआ है ?

श्री राममूर्ति—

इन १६ डिवीजनों के अन्तर्गत १९६२–६३ में अनुमानत : १७० लाख रुपये का काम हुआ है। यह धनराशि हर साल भिन्न हो सकती है। राम गंगा योजना के डिवीजनों का कार्य कार्यात्मक आधार (Functional basis) पर विभाजित है और संवितरण (Disbursement) केवल ५ डिवीजनों द्वारा होता है, इस कारण हर एक डिवीजन के संवितरण के आंकड़े नहीं रक्खे जाते। पहली अप्रैल, सन् १९६२ के बाद मुख्यतः सड़कें और मकान बनाने, Pilot Tunnel, Stripping of Dams, Drilling and Grouting पर काम हुआ है।

उप-निदेशक पशुपालन, झांसी का निलम्बन

४७—कुंवर श्रीपालसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सत्य है कि झांसी के पशुपालन विभाग के उप-निदेशक को कतिपय शिकायतों के कारण विभागीय मन्त्री ने उन्हें निलम्बित कर दिया है। यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

उप-निदेशक पशुपालन, झांसी को २० मार्च, १९६३ से निलम्बित किया गया था तथा १४ मई, १९६३ को उन्हें निलम्बन की तिथि से पदासीन किया गया। उपरोक्त अधिकारी को अपने विभागाध्यक्ष के आदेशों की निरन्तर अवहेलना एवं अपने कर्त्तव्यों की उपेक्षा करने के कारण निलम्बित किया गया था।

उतरौला बस स्टेशन के सुधार के लिये प्रार्थना

४८—श्री सूरजलाल गुप्त वकील (जिला गोंडा)—

क्या सरकार को यह पता है कि गवर्नमेंट रोडवेज बस स्टेशन, उतरौला, जिला गोंडा का बुकिंग भवन बहुत पुराना है जिसकी छतें फटी हुई हैं जो किसी समय भी गिर सकती हैं और जिससे जान जाने का खतरा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त भवन को पुनः निर्माण करने की कृपा करेगी ?

श्री मुजफ्फर हसन—

इमारत की छत में कहीं-कहीं दरार है मगर इसके गिरने का खतरा नहीं है। इस इमारत की रिमौडलिंग होने वाली है।

४९—श्री सूरजलाल गुप्त वकील—

क्या सरकार को यह पता है कि गवर्नमेंट रोडवेज बस स्टेशन, उतरौला, पर यात्रियों के लिये कोई वेटिंग रूम आदि का प्रबन्ध नहीं है जिससे यात्रियों को वर्षा, धूप की तपन और जाड़ों में ठंडक से काफी परेशानी उठानी पड़ती है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बस स्टेशन पर शीघ्र वेटिंग रूम बनवाने की कृपा करेगी?

श्री मुजफ्फर हसन—

वेटिंग रूम अलग से तो नहीं है लेकिन यात्रियों के बैठने के लिये बरामदे में जगह है। इमारत की रिमोडलिंग के समय वेटिंग रूम बनवाने का विचार है।

५०—श्री सूरजलाल गुप्त वकील—

क्या सरकार को यह पता है कि उक्त गवर्नमेंट रोडवेज बस स्टेशन पर रात्रि में जो काफी बसें रुकती हैं उनके ड्राइवरों व कण्डक्टर के रहने का कोई प्रबन्ध है? क्या सरकार उनके विश्राम के लिये कोई रनिंग रूम बनाने की कृपा करेगी?

श्री मुजफ्फर हसन—

मौजूदा बस स्टेशन की इमारत में इसका अस्थायी प्रबन्ध है। कर्मचारियों के लिये पक्का विश्रामालय बनाने के लिये आवश्यक कार्यवाही हो रही है।

बांसगांव तहसील में नलकूप

५१—श्री कल्पनाथसिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिले की बांस गांव तहसील के चिल्लूपार और घुरियापार परगने में कितने नलकूप लगाने के आवेदन-पत्र किन-किन स्थानों के लिये मिले हैं और उन पर नलकूप लगाने की क्या प्रगति है?

श्री राममूर्ति—

प्रथम भाग—गोरखपुर जिले की बांसगांव तहसील के चिल्लूपार और घुरियापार परगने में नलकूप लगाने के ७ आवेदन-पत्र अस्थोली, कहेड़ा बुजुर्ग, सूती भवानीगढ़, दुरुई, सहडौली तथा बेलसड़ी ग्रामों के लिये मिले हैं।

दूसरा भाग—क्योंकि बांसगांव तहसील के नलकूप वर्ष में औसतन १,००० घंटों से भी कम चलते हैं इसलिये इस तहसील में कोई और नलकूप लगाने की योजना नहीं है।

५२—श्री कल्पनाथसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले के बांसगांव तहसील के चिल्लूपार और घुरियापार परगने में कौन-कौन से नलकूप बेकार पड़े हुये हैं और कबसे तथा इनके अब तक न बनने का क्या कारण है?

श्री राममूर्ति—

वहां नलकूप संख्या २१, २४ तथा ५५ क्रमशः २१-१०-६०, ३०-९-६१ तथा २४-९-६१ से फेल हैं। नलकूप संख्या २१ पर बोरिंग का काम हो रहा है। डिवीजन में केवल एक ही रिंग उपलब्ध होने के कारण दूसरे नलकूपों पर कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सकता।

रोडवेज बस स्टेशन, शाहजहांपुर की इमारत

५३—श्री मुहम्मद रफी खां —

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गवर्नमेंट रोडवेज, शाहजहांपुर बस स्टेशन की इमारत और जमीन उसके पास कब से और किस किराये पर है, उसका किराया अदा किया जा रहा है या नहीं ? यदि नहीं, तो कब से और क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन —

उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार सूचना निम्नलिखित है :—

समय		मासिक किराया
१-२-१९४८ से २९-५-१९४८	..	३० रु०
३०-५-१९४८ से १५-९-१९४९	..	५७ रु० ३ आना
१६-९-४९ से.१४-९-५१ ..	..	८५ रु० २ आना
१५-९-५१ से अब तक ..	..	११० रु०।

फरवरी, १९५६ तक का किराया अदा हो चुका है इसके बाद से मालिक मकान ने किराया लेने से इनकार कर दिया।

५४—श्री मुहम्मद रफी खां—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गवर्नमेंट रोडवेज बस स्टेशन, शाजहांपुर के एक मील के रेडियस में जमीन की मौजूदा कीमत क्या है ? इन जमीनों की मौजूदा कीमत वही है जो सरकार के रोडवेज बस स्टेशन की जमीन की तजवीज की है या कुछ फर्क है ? अगर फर्क है, तो कितना ?

श्री मुजफ्फर हसन—

बस स्टेशन के नजदीक भरमूबाब कालोनी में १९५३ में १ रु० प्रति वर्ग गज की दर से जमीन एक्वायर की गयी थी। मौजूदा जमीन की कीमत २ रु० प्रति वर्ग गज तजवीज की गई है।

सलेमपुर तहसील में ड्रेनों व नलकूपों पर व्यय

५५—श्री उग्रसेन —

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद में सलेमपुर तहसील में बने हरखोली ताल ड्रेन तथा मायापुर ड्रेन के निर्माण में फरवरी, १९६३ तक कितना धन व्यय हुआ है?

श्री राममूर्ति —

हरखोली, ताल ड्रेन तथा मायापुर ड्रेन के निर्माण पर फरवरी, १९६३ तक क्रमशः ५६,८९४ रु० व ६६,२६९ रु० का व्यय हुआ।

५६—श्री उग्रसेन —

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उक्त हरखोली ताल ड्रेन तथा मायापुर ड्रेन में कितने मील ड्रेन बनी है तथा कितनी पुलियों का निर्माण हुआ है ?

श्री राममूर्ति—

हरखोली ताल ड्रेन तथा मायापुर ड्रेन क्रमश : १५ मील ७ फीट तथा ९ मील १ १/२ फर्लांग की लम्बाई में बन चुकी है और उन पर १२ तथा ९ पुलियों का निर्माण हो चुका है।

५७—श्री उग्रसेन—

क्या सिचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देविरया ट्यू वैल डिवीजन सलेमपुर ग्रुप में ट्यूबवेल नं० ८५, २० तथा ४३ पर १९६२–६३ में कितना धन व्यय हुआ है और कितना काम हुआ है ?

श्री राममूर्ति—

सूचना इस प्रकार है :—

नलकूप सं०		व्यय		कार्य जो हुआ
८५	..	१,०२० रु०	..	१ मील कच्ची गूल बनी है।
२०	..	१,१६० रु०	..	१ मील कच्ची गूल बनी है।
४३	..	३,४९१ रु०	..	४ फर्लांग प.की गूल बनी है।

५८–५९—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

[हटा दिये गये।]

एटा जिले में नलकूप तथा पानी निकासी का कार्य

६०—श्री राजेन्द्रसिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम नरथर की उत्तरी दिशा में पटियारी, बढौला, रनेठी, जोला राजा, विकास खंड पटियाली, जिला एटा, में विद्युत नलकूप बनाने की योजना पर विभाग विचार कर रहा है ? यदि हां, तो कब तक कार्यान्वित करने की आशा है ?

श्री राममूर्ति—

इन स्थानों में राजकीय नलकूप बनाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

६१—श्री राजेन्द्रसिंह—

यदि उक्त स्थानों पर अभी तक नलकूप बनाने की योजना विचाराधीन न हो तो क्या मन्त्री जी उक्त स्थानों पर नलकूपों के निर्माण हेतु सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुये नलकूप निर्माण योजना का आदेश देकर विभाग से कार्यान्वित करवायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राममूर्ति—

चूंकि यह क्षेत्र बूढ़ी गंगा एवं गंगा नदी के दुआब में स्थित है तथा दोनों नदियों का बाढ़ क्षेत्र है, अतः यहां नलकूप बनाना सम्भव नहीं है।

६२—श्री राजेन्द्रसिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम गढ़िया, हथौड़ा खेड़ ढकरई, हथौड़ावन, आदि विकास खंड पटियाली, जिला एटा, के तालाब में पानी भर जाने से कितने एकड़ भूमि जलमग्न हो जाती है ?

श्री राममूर्ति—

लगभग १६० एकड़।

६३—श्री राजेन्द्रसिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि सिंचाई विभाग की ओर से कितने नाले उक्त गांवों के तालाब (ज़ोर) में मिला दिये हैं, जिनके कारण और अधिक क्षति होती है ?

श्री राममूर्ति—

विभाग की ओर से कोई भी नाला इस तालाब में नहीं मिलाया गया है जिससे और अधिक क्षति होती हो।

६४—श्री राजेन्द्रसिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त तालाब (जोर) के पानी को निकालने के लिये किसी नाले के बनाने की योजना है? यदि नहीं, तो क्या ग्रामीणों की फसल की सुरक्षा किसी योजना को बना कर उक्त ग्रामों को इस संकट से मुक्ति दिलाने हेतु उसे कार्यान्वित करेंगे? यदि हां, तो कब तक?

श्री राममूर्ति—

मौजूदा बहौटा नाला इस तालाब से निकलता है और कोई नये नाले की योजना इस समय नहीं है। इसके लिये वर्षा समाप्त होने के बाद ही सर्वेक्षण किया जा सकता है।

कानपुर बस स्टेशन की नई इमारत, मैनपुरी-इलाहाबाद बस सर्विस, बेवर डिपो में ड्यूटी आवर्स, कुरावली बस स्टेशन

६५—श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार २१-८-६२ के तारांकित प्रश्न संख्या १० के उत्तर के सन्दर्भ में बताने का कष्ट करेगी कि कानपुर बस स्टेशन की इमारत किस तारीख तक बन जायेगी और किस स्थान पर बनायी जायेगी?

श्री मुजफ्फर हसन—

अभी यह निश्चित रूप में नहीं बताया जा सकता कि यह इमारत किस तारीख तक बन जावेगी। नई इमारत मौजूदा जगह पर नहर पाट कर बनाई जावेगी।

६६—श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार इस विषय पर विचार करने की कृपा करेगी कि मैनपुरी से इलाहाबाद के लिये सीधी सरकारी रोडवेज की बस चला दी जावे क्योंकि मैनपुरी से इलाहाबाद के लिये बहुत बड़ी तादाद में यात्री मिलते हैं?

श्री मुजफ्फर हसन—

दिनांक १८ जुलाई, १९६३ से कथित मार्ग पर सीधी बस सेवायें चल रही हैं।

६७—श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले के रोडवेज के बेवर डिपो में रोडवेज कर्मचारियों से ९ घंटे व पौने दस घंटे की ड्यूटी ली गयी है जबकि सरकार के आदेश हैं कि आठ घंटे ड्यूटी ली जावे? यदि हां, तो बेवर डिपो में ऐसा क्यों है?

श्री मुजफ्फर हसन—

ऐसा केवल इमरजेन्सी में किया जाता है। निर्धारित समय से अधिक ड्यूटी के लिये ओवर टाइम एलाउन्स दिया जाता है।

६८—श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार इस विषय पर विचार करने की कृपा करेगी कि सरकारी रोडवेज की मेल बसों में मुसाफिरों की सुविधा के लिये पाखानों की और हवा के लिये पंखों की व्यवस्था कर दी जाय?

श्री मुजफ्फर हसन—

मेल बसों में इन बातों की व्यवस्था करना सम्भव नहीं है।

६९—श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी से एटा जाने वाली सड़क पर सरकारी बसें चल रही हैं ? यदि हां, तो इस सड़क पर कुरावली में बस स्टेशन की इमारत तथा टिकिटघर आदि अब तक क्यों नहीं बनाया गया ? वह कब तक बना दिया जायगा ?

श्री मुजफ्फर हसन—

अभी इस मार्ग पर रोडवेज की बसों के साथ प्राइवेट बसें भी चल रही हैं क्योंकि इस मार्ग के राष्ट्रीयकरण के सिलसिले में रिट हाई कोर्ट में चल रही है। राष्ट्रीयकरण होने के बाद ही बस स्टेशन बनाने का प्रश्न उठ सकता है।

गिनौरा ग्राम में नलकूप की आवश्यकता

७०—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम गिनोरा नगली विकास क्षेत्र ऊंचा गांव, जिला बुलन्दशहर, में सरकारी नलकूप लगवाने की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो वहां उस विषय में काम कब शुरू होगा ?

श्री राममूर्ति—

प्रथम भाग—जी नहीं।

द्वितीय भाग—प्रश्न नहीं उठता है।

लखनऊ-गोरखपुर, फैजाबाद-लखनऊ बस सर्विस की मांग

७१—श्री कल्पनाथसिंह—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार के विचाराधीन कोई योजना लखनऊ से गोरखपुर तक बस सर्विस चलाने की है ? यदि हां, तो उक्त योजना कब तक लागू होने वाली है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी नहीं।

७२—श्री कल्पनाथसिंह—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि फैजाबाद-लखनऊ रूट पर सरकारी बसें चलती हैं ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी नहीं, क्योंकि बाराबंकी फैजाबाद मार्ग की योजना मोटर व्हीकिल्स ऐक्ट, १९३९ के अन्तर्गत अभी स्वीकृत नहीं हुई है।

गांव पुरवे में पानी का जमाव, फतेहपुर, फूलपुर नहरें न निकल सकना

७३—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव पुरवे, तहसील केराकत, जिला जौनपुर, में गांव के दोनों तरफ से तोपरे पुल के पास से नहर के नीचे से गांव का पानी निकालने

के लिये एक साइफन लगाने के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या सरकार को पता है कि हर साल बरसात में पानी न निकालने से गांव में काफी पानी भर जाता है ?

श्री राममूर्ति—

जी हा, इस गांव में वाटरलागिंग हो जाती है। यहां का पानी निकालने के लिये एक साइफन मौजूद है परन्तु यह ठीक से काम नहीं कर रहा है अतः एक दूसरा साइफन लगाने का विचार है। इसके अलावा एक ड्रेन और दो पुलिया बनाने का भी प्रस्ताव है जिससे वाटरलागिंग दूर की जा सके ।

७४—श्री ऊदल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो शारदा सागर की केराकत नहर से गांव मऊपुर के पास ो माइनर एक फतेहपुर, दूसरी फूलपुर परगना कोल असला, जिला वाराणसी, में निकलने वाली थी उसमें अब तक क्या कार्यवाही हो रही है? क्या इस पर क्रमशः १६ हजार व १२ हजार रुपये खर्च होने जा रहे हैं ?

श्री राममूर्ति—

इन माइनरों का सर्वेक्षण हुआ था परन्तु निकट भविष्य में इन माइनरों के निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । अतः अभी इन पर व्यय का प्रश्न ही नहीं उठता ।

अजीतगंज नहर में पानी की कमी

७५—श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार को पता है कि मैनपुरी जिले के रजबहा (बम्बा) नगरिया की माइनर अजीतगंज, (नहरगंग कानपुर) डिवीजन मैनपुरी में करीब दो वर्ष से टेल तक पानी न पहुंचने के कारण कई हजार एकड़ भूमि बिना सिंचाई के रह जाती है ? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री राममूर्ति—

नगरिया डिस्ट्री यूटरी की अजीतगंज माइनर के टेल पर पिछले साल (१३६९ फसली) पानी ठीक पहुंचा था किन्तु इस साल (१३७०) फसली कुछ कम पहुंचा । किन्तु यह सही नहीं है कि इससे दो साल से कई हजार एकड़ भूमि बिना सिंचाई के रह जाती है।

सिकन्दराबाद-बुलन्दशहर बस सर्विस

७६—श्री जसरामसिंह—

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर, में शहर से बाहर जल्दी से जल्दी भूमि लेकर बस स्टैन्ड बनाने का आदेश कब तक दिया जायगा ?

श्री मुजफ्फर हसन—

भूमि प्राप्त करने के लिये आवश्यक कारवाही की जा रही है। बस स्टेन्ड के निर्माण का निश्चित समय बताना संभव नहीं है।

७७—श्री जसरामसिंह—

सिकन्दराबाद से बुलन्दशहर के लिये क्या दो बस चलाना अनिवार्य किया जावेगा क्योंकि भीड़ अधिक रहती है और जनता को परेशानी रहती है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

इस समय सिकन्दराबाद और बुलन्दशहर के बीच चार शटिल सर्विस चल रही हैं। अतिरिक्त सेवाएं चालू करना आवश्यक नहीं है।

बड़हलगंज बस स्टेशन

७८—श्री कल्पनाथसिंह—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर रीजन में बड़हलगंज बस स्टेशन बनाने के और उसके लिये जमीन लेने के संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जमीन प्राप्त करने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

बुलन्दशहर जिले में नहरों की स्थिति

७९—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि क्या पहले साल रबी की फसल में रजबहा किटौर और शाख बहादुरगढ़ (गंगा नहर मेरठ डिवीजन) में बहुत कम पानी चला है ?

श्री राममूर्ति—

जी नहीं। पानी ठीक चला।

८०—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनके विचाराधीन कोई ऐसी योजना है कि जिससे नहर अनूपशहर, गंगा नहर पर जो छोटे पुल हैं जिन पर से कि गाड़ियां नहीं गुजर सकती हैं उनको चौड़ा बनवाया जाय या चौड़ा किया जाय ?

श्री राममूर्ति—

जी नहीं।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९६३

सचिव विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित एवं विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९६३ सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिए नत्थी 'ण' आगे पृष्ठ २६२–२६५ पर)

आश्वासन समिति का २१वां प्रतिवेदन†

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आश्वासन समिति के सभापति की हैसियत से समिति का २१वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

---

†छापा नहीं गया।

इस प्रतिवेदन में उन आश्वासनों की स्थिति बतलायी गयी है जो सदन में इसी वर्ष फरवरी से अप्रैल तक दिये गये थे। इन आश्वासनों पर विचार करते समय यह देखा गया है कि समिति को जो सूचनाएं प्रस्तुत की जाती हैं, उनसे कभी कभी ऐसा आभास होता है कि वे अनिश्चित एवं काल्पनिक हैं। उदाहरणार्थ, आश्वासन संख्या २०६ की पूर्ति की दिशा में राजस्व (ङ) विभाग से जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें कहा गया है कि श्री कोमिल प्रसाद ने मुख्य मंत्री सुरक्षा कोष में १५ रुपये जमा किये होंगे न कि ५० रुपये. उत्तर में प्रयोग किया गया शब्द "होंगे" संदेह उत्पन्न करता है कि आया मामले में पूर्ण जांच हुई भी है अथवा नहीं। अतः मैं यह चाहूंगा कि समिति को जो सूचनाएं उपलब्ध करायी जावें वे सुस्पष्ट, निश्चित एवं उपयुक्त ही हों। मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि इस प्रतिवेदन की मुद्रित प्रतियां माननीय सदस्यों को बाद में वितरित की जायेंगी, क्योंकि यह अभी छपी नहीं हैं। अन्त में, मैं इस समिति से संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके सहयोग तथा कठिन परिश्रम के लिये धन्यवाद देता हूं।

*श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानकारी हासिल करना चाहता हूं कि माननीय सभापति, आश्वासन समिति, ने कई रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की हैं और हर रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की हैं और हर रिपोर्ट में उन्होंने यह शिकायत की है कि सरकार से जो सूचना मिलती है उसमें या तो बहुत विलम्ब होता है या वह निश्चित नहीं होती हैं, ठीक समय पर नहीं मिलती और सरकार की तरफ से भी कई बार आश्वासन दिया गया कि भविष्य में इस प्रकार की गलती नहीं होगी, सरकार इन कमियों को दूर करने की कोशिश करेगी, लेकिन उन आश्वासनों के बावजूद लगातार इस प्रकार की शिकायत माननीय सभापति, आश्वासन समिति, की ओर से आ रही है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने अब तक जो आश्वासन सदन में दिये हैं कि आगे से ऐसी कमियां नहीं होंगी, यह कमियां दूर की जायेंगी, उस संबंध में किया गया है। केवल यह बताना पर्याप्त नहीं होगा कि सरकार आगे से उसका ध्यान रखेगी। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि माननीय उपनेता सदन यहां बैठे हुए हैं, वह बतायें कि जो यह शिकायतें की गई हैं उस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है और क्या कदम उठाये हैं, जिससे कि भविष्य में इस प्रकार की कार्यवाही न हो, जैसे कि एक उदाहरण यहां दिया गया है सुरक्षा कोष के संबंध में। सुरक्षा कोष में रुपया जमा करने की शिकायत हो और उसकी भी ठीक तरह से जांच करके उत्तर न दिया जाय तो शंका और सन्देह उत्पन्न होता है। तो उपनेता सदन इस बात के बारे में बतायें।

*माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

हिदायत कर दी गई है अफसरान को कि इसमें कोताही न करें।

श्री अध्यक्ष—

मैं इस संबंध में इतना कहना चाहूंगा कि इसमें कोई शंका नहीं है मुझको या सदन को कि सरकार बार-बार अपने प्रेस को और संबंधित अधिकारियों को हिदायत भेजती रहती है। सवाल सिर्फ यह है कि उन हिदायतों को पूरा करने के लिये कदम उठाया जाय। माननीय चन्द्रजीत जी का और सभापति, आश्वासन समिति, का आग्रह आपसे यह है कि सिर्फ हिदायत ही नहीं, बल्कि कुछ ऐसे कदम भी आप उठायें कि जिससे यह असुविधा न हो। उनका कहना यह है कि अभी १७, १८, १९ और २०वें प्रतिवेदन भी नहीं छपे जिनको कि पेश किये अरसा हुआ। वह यह चाहते हैं कि ऐसे कदम उठाये जायं, केवल हिदायत नहीं, कदम उठाये जायं, जिससे कि यह असुविधा न हो।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

हिदायत भी एक पहला कदम है। आगे हम इसमें और देखेंगे, छापेखाने में काम बहुत ज्यादा है।

श्री अध्यक्ष—

तो ठीक है इसका मतलब यह है कि आप इसके प्रति जागृत हैं, सजग हैं।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष जी, अभी माननीय उपनेता सदन ने गवर्नमेन्ट प्रेस के काम के संबंध में यह बताया कि वहां काम अधिक है और इसलिये इस सदन के द्वारा नियुक्त समिति के काम के छपने में विलम्ब हो रहा है। इस संबंध में मुझे दो निवेदन करने हैं। पहला तो यह; अव्वल तो सरकार को ध्यान देना चाहिये कि इस सदन के काम को एक प्रायरिटी है।

श्री अध्यक्ष—

बहुगुणा जी, वह मैंने उनसे कह दिया है ...

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, एक सुझाव मैं दे रहा हूं। सुझाव यह है कि गवर्नमेन्ट प्रेस में लाखों रुपये का काम अभी भी बाहर से होता है। मुझे हैरत है कि.... (व्यवधान) सरकार को इस काम (व्यवधान)

को बाहर से कराने की क्यों नहीं सूझी और क्योंकि उनकी नहीं सूझी तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इसको जल्दी से जल्दी बाहर से छपवाकर ही वितरित करायें।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

मुझे खुशी है कि हमारे मित्र को सूझी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आर्डर, आर्डर। आप लोग शान्त रहें। देखिए, आप यह भी मानेंगे कि ऐसे शब्द (व्यवधान)

के प्रयोग करने से कोई हमारा गौरव नहीं बढ़ता है, सूझी नहीं सूझी। कल तक आप भी गवर्नमेन्ट में थे। यह तो अपने घर की बात है। आर्डर, आर्डर। (व्यवधान)

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। घर की बात घर में होती है। सदन में घर की बात नहीं होती। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

घर की नहीं बल्कि यह सदन की बात है। सदन के अन्दर सदन की बात होती है और इस सदन के अन्दर अगर हम एक दूसरे के साथ भद्र शब्दों का प्रयोग करें तो कोई बुराई नहीं है। मैं यह मानने के लिये तैयार हूं कि अगर "सूझी" शब्द का इस्तेमाल न होता तो उचित था। मैंने स्वयं माननीय उपनेता सदन का ध्यान आकर्षित इस तरफ कर दिया है, गवर्नमेन्ट का ध्यान इस तरफ आकर्षित कर दिया है और उनसे कहा है कि वह इस बात का ध्यान रखें।

श्री नेकराम शर्मा—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपने यहां पर अभी कहा है कि वह घर की बात है तो सदन में घर की बात नहीं होती।

श्री अध्यक्ष—

वह मैंने सदन की बात ही कही थीं।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

मैं प्वाइन्ट आफ पर्सनल एक्सप्लेशन पर खड़ा हुआ हूं। आपने अभी मुझे यह सुझाव दिया था कि मैं भी कुछ दिन पहले तक सरकार का अंग था। यदि आप मुझे इतना कहने के लिये अनुमति प्रदान करें तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि एक प्रकार से यह आक्षेप है और वह यह कि मैंने वहां बैठकर अपने कर्त्तव्य का निर्वाहन नहीं किया। मैं इसके संबंध में बड़े अदब के साथ आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे उस कर्त्तव्य से, जो सरकार का अंग होने के नाते मुझसे संबंधित था, मुझसे इस कार्य का जिसकी चर्चा सदन में है कोई संबंध नहीं था। तो न मैं उस विषय को देखता था और न मुझसे उसका दूर से भी कोई सम्बन्ध था। इसलिये आपने जो मेरे ऊपर कृपा की है मुझे मेरे सरकार में होने की याद दिलाकर, उस कृपा का आपके प्रति आभार प्रकट करते हुए यह निवेदन करूंगा कि जितने दिन मैं सरकार में रहा हूं मैंने अपने कर्त्तव्य के निर्वाहन करने में कोई कोताही नहीं की।

श्री अध्यक्ष—

मेरा ऐसा मन्शा नहीं था। अगर आप ऐसा समझते हैं तो वह केवल गलतफहमी कुछ हो सकती है या मेरे शब्दों में कुछ गलती है। दूसरी बात यह है कि जहां तक हमारी असेम्बली का काम है, प्रोसीडिंग्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, मुझे यह सूचना मिली है कि वह सारा काम बाहर नहीं हो सकता। वह सारा काम गवर्नमेन्ट प्रेस में ही होना चाहिये। यह सब होते हुए भी मैंने सरकार से कहा है कि इसके ऊपर ध्यान देकर आगे कदम उठाना चाहिये, ताकि सदस्यों को कठिनाई न हो।

*श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

श्रीमन् बड़ी नम्रता के साथ श्रीमान्, जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस बात के लिये आप स्वयं उपदेश दिया करते हैं कि कटाक्ष नहीं होना चाहिये उसी का कुछ आभास अभी देखने को मिला है। अभी यह कहा गया कि अब तो आपको सूझी। और श्रीमन् ने कहा कि सरकार में आप रह गये। तो एक कटाक्ष वातावरण में श्रीमन् ने स्वयं इस तरह के शब्द कहें और उनको स्वीकार किया। हम लोग तो नगण्य हैं। हम लोग अगर यहां पर साधारण रूप से कोई प्रश्न करते हैं तो उनका उत्तर साधारण रूप से ही मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है।

विधान सभा का सत्र आहूत करने हेतु विज्ञप्ति न्याय सचिव के नाम से प्रसारित होने के सम्बन्ध में श्री एल०पी० निगम के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

माननीय टम्बेश्वरीप्रसाद जी की ओर से दो विशेषाधिकार के प्रस्ताव आये हैं। एक तो श्री एल० पी० निगम के विरुद्ध है कि उनके नाम से एक विज्ञप्ति प्रकाशित हुई है। आप कहना यह है कि वह नियम विरुद्ध है; सदन की परम्परा और पद्धति के विरुद्ध है; इससे सदन का अवमान हुआ है। मैं इस विषय में सदन को बतला दूं कि हमारे यहां वह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अध्यक्ष]

जो प्रेक्टिस अभी तक रही है वह यह ही रही है कि सदन के आहूत करने की विज्ञप्ति जो गवर्नर की होती है वह आज तक लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट की ओर से हुआ करती है। जैसा कि मैंने आपसे कल भी कहा था कि मैं इस विषय में गवर्नमेंट के साथ बातचीत कर रहा हूं। अभी हमारे और सरकार के बीच में मतभेद है। मेरा कहना यह है कि विज्ञप्ति हमारी तरफ से हो और सरकार का खयाल है कि विज्ञप्ति सरकार की तरफ से हो सकती है। इस विषय पर बातचीत हो रही है और मुझे आशा है कि इस सम्बन्ध में मैं सदन को सूचना दे सकूंगा कि क्या परिणाम हुआ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर) ---

मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर आप इस नतीजे पर पहुंचे कि सरकार की राय गलत थी और आपकी राय सही थी तो उस वक्त क्या नतीजा होगा। जो सदन के अन्दर कार्यवाही हुई वह गलत हुई, यही नतीजा होगा ?

श्री अध्यक्ष---

नहीं, नहीं। कानून के सम्बन्ध में मतभेद है। उनका एक विचार है और मेरा दूसरा विचार है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

अगर आपका विचार सही मान लिया गया तब ?

श्री अध्यक्ष---

नहीं, मेरा विचार सही मान लेने का प्रश्न नहीं है। बात सिर्फ यह है कि अभी तक जो प्रथा चली आई है उसी के अनुरूप काम हुआ है। और अगर पहले कभी ऐसा विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठा तो आज भी नहीं उठ सकता।

श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)---

आपके नुक्ते नजर से एसेम्बली का कानून क्या कहता है ?

श्री अध्यक्ष---

मैंने कहा कि प्रेक्टिस जो है उसके अनुरूप काम हो रहा है।

श्री भगवानसहाय ---

अगर आपकी राय सही होगी तो फिर इस विशेषाधिकार के प्रश्न का क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष---

मैं अब इसको रूल आउट कर रहा हूं। अब इसके ऊपर विवाद नहीं होगा।

श्री जगनप्रसाद रावत (जिला आगरा) ---

मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर आपका और गवर्नमेंट का मतभेद बना रहा तो अन्तिम फैसला किसका होगा ? आपका या गवर्नमेंट का ?

श्री अध्यक्ष---

मेरा होगा।

*श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर) ---

मेरा निवेदन यह है कि आपने उसको अस्वीकार कर दिया, वह बात तो अलग है ; लेकिन मैंने निगम साहब को पत्र लिखा विधान सभा बुलाने के सम्बन्ध में कि आखिर आपने यह क्या किया, तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। दो बार श्रीमान् के कार्यालय में गया। वहां पर कहा गया कि मैं आपसे कोई बात करने को तैयार नहीं हूं। मैं सरकारी नौकर हूं, और सरकार के प्रति जिम्मेदार हूं, किसी सदस्य को नहीं जानता। अब आप ऐसे आदमी पर ऐसी जिम्मेदारी दे रहे हैं कि वह इस सदन को बुलाये और हम लोगों को बुलाये, यह बात मेरी समझ में नहीं आती। मैंने आपको पत्र लिख कर दिया, सदन को बुलाने के सम्बन्ध में, लेकिन आपके कार्यालय में वह कागज नहीं मिला। आखिर यह सदन बुलाने के सम्बन्ध में क्या जो एल० पी० निगम साहब चाहेंगे या जो हमारी सरकार चाहेगी, वही आपको करना होगा ? आपने अस्वीकार कर दिया है तो आप ही बताइये कि किस तरीके से और किस से पूछा जाय ?

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

श्रीमन् आपने अभी सूचना दी कि इससे पूर्व भी इस सम्बन्ध में यही होता आया है, लेकिन मेरी सूचना यह है कि निगम साहब या इनके पूर्व, जो भी अफसर थे, कभी भी उन्होंने हाउस को समन नहीं किया और न कोई ऐसी विज्ञप्ति निकाली।

श्री अध्यक्ष--

हमेशा ऐसा होता है। आप देख लें।

श्री नेकराम शर्मा ---

जब आप लिखते हैं तो वह गजट करते हैं। श्रीमन्, यह आपको अधिकार है कि आप हम लोगों को बुलायें।

श्री अध्यक्ष---

अभी भी गजट होता है।

श्री नेकराम शर्मा ---

आपके दफ्तर के सेक्रेटरी के जरिये ही यह काम होता रहा है।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइये। मैंने अपनी बात कह दी है। अगर यह बात गलत है तो आप आ जाइये, हम आप बातचीत कर लेंगे।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद ---

आप नियम ४ देख लें उसमें कहीं भी गजट की कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री अध्यक्ष---

आप कृपा कर बैठ जाइये। मैंने जो आदेश दे दिया अब उसके ऊपर कोई विवाद नहीं होगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद --

आप नियम ४ के भी औचित्य को स्वीकार नहीं करते। नियम ४ में गजट की कोई व्यवस्था ही नहीं है। आप अस्वीकार मेरे प्रश्न को कैसे कर सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइये। मैंने व्यवस्था दे दी। वह प्रश्न आप अलग से उठाइयेगा तो बता दूंगा।

श्रीमती सुचेता कृपालानी के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

दूसरी सूचना माननीय टम्बेश्वरी प्रसाद जी की माननीया सुचेता कृपालानी जी के बारे में है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--

मैंने मुख्य मन्त्री के खिलाफ १६-१७ रोज पहले एक प्रश्न दिया था.....

श्री अध्यक्ष--

ठहर जाइये, पहले मैं इसे ले रहा हूं।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

मैं इसे वापस ले रहा हूं।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है। मुझे बड़ा दुःख था कि इस किस्म का प्रश्न आपने उठाया। बहुत अच्छा हुआ कि आपने इसे वापिस ले लिया।

सदन को आहूत करने में अपनायी गयी कथित प्रक्रिया के सम्बन्ध में सूचना निदेशक के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर) --

मैंने १६ सितम्बर को एक प्रश्न भेजा था उस सम्बन्ध में क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष--

इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचना मिली है कि यह विषय सबजुडिस है। सरकार की तरफ से अब बतलाया जायगा कि मामला क्या है। (मन्त्री से) क्या इस सम्बन्ध में कोई सूचना है ? प्रश्न यह है, सारा आर्गूमेंट यह है कि एक आर्डर जारी किया गया कि विधान सभा को १६ तारीख को बुलाया जाय। उस आर्डर को सुव्यक्ततः निरस्त किये बिना एक दूसरा आर्डर जारी किया गया कि विधान सभा को २३ तारीख को बुलाया जाय। तर्क यह है कि जब एक मर्तबा गवर्नर यह आर्डर दे दे कि विधान सभा अमुक तारीख को बुलायी जायगी और वह आर्डर एक्सप्रेसली (Expressly) कैंसिल न हो और उसके बाद २३ तारीख को बुलाने का एक दूसरा आर्डर निकाल दिया जाय तो इस १६ और २३ तारीख के बीच में जो जो अध्यादेश जारी हुये वे गलत जारी हुए इस वास्ते कि सदन यह समझा जायगा कि १६ तारीख से ही सेशन में है। यही तो आपका कहना है न ?

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

श्रीमन्, मेरा एक निवेदन है। आपने कहा था कि जो मैंने नोटिस दिया है उसे आप पढ़ कर सुना देंगे और इसलिये उसके बाद आप मुझे सुनें।

श्री अध्यक्ष--

मैं पहले जान लूं कि स्थिति क्या है। इस सम्बन्ध में मुझे कल बतलाया गया कि यह प्रश्न किसी रिट के सम्बन्ध में हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत है। तो इस सम्बन्ध में मैं सूचना चाहता हूं सरकार से।

माल मन्त्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--

ऐसी ही मेरी भी सूचना है कि कोई रिट दाखिल हो गया है और यह सारा मामला सबजुडिस हो गया है।

श्री अध्यक्ष--

उस रिट की कापी मेरे पास भेज दी जाय। मैं उसे देखना चाहूंगा।

श्री हुकुमसिंह विसेन --

मैं एडवोकेट जनरल को आज ही फोन करूंगा और कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द कापी आपको मिल जाय।

(व्यवधान)

आज कापी मिलने में दिक्कत हो सकती है। कल तक जरूर आ जायगी।

श्री अध्यक्ष--

तो कल मार्निंग तक आ जाय। मैं उसे देखना चाहूंगा।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

अब मुझे सुन लिया जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

अब आप लोग बैठ जाइये। श्री नरसिंह नारायण जी बोलेंगे।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

श्रीमन्, मैंने.....

श्री अध्यक्ष--

मैं आपको बता दूं कि चूंकि मैं इस मामले को तय करने के लिये रिट देखना चाहता हूं और रिट की कापी वह कहते हैं कि कल सबेरे तक आ जायगी, इसलिये मैं चाहूंगा कि कल सबेरे तक इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय। मैं आपको सुनूंगा और सुन कर ही अपना फैसला करूंगा, लेकिन रिट मेरे पास होना चाहिये ताकि मैं आपके सामनेभी उसे रख सकूं। यह बात है।

(व्यवधान)

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

आप दो मिनट तो मुझे सुन लें।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये। सब बैठ जाइये।

श्री जगनप्रसाद रावत (जिला आगरा) —

मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि रिट का जो हवाला आपने दिया है कि किसी रिट की मौजूदगी में यहाँ प्रश्नों का उत्तर देने में कठिनाई होती है तो उस हालत में उन अध्यादेशों पर विचार कैसे किया जा सकता है जिनके सम्बन्ध में रिट है? अगर अध्यादेशों पर विचार करने में रिट बाधक नहीं हो सकता तो प्रश्नों के उत्तर में वह कैसे बाधक हो सकता है? यह बात मेरी समझ में नहीं आती।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्रीमन्,.....

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये।

रिट के सम्बन्ध में प्रश्न हाईकोर्ट में आ गया। कल उसकी सुनवाई है, कल फैसला होगा। अब जब अध्यादेश के सम्बन्ध में विचार होगा तब यह प्रश्न उठेगा। अगर उठेगा मैं उसे देख लूंगा। अगर नियमों के अन्दर बहस हो सकती है तो होगी, नहीं हो सकती तो नहीं होगी। यह अभी नहीं हो रहा है। यह कल तक के लिये स्थगित है।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, जब यह अध्यादेश हमारे कार्यक्रम पर लग गया, हमने उसमें संशोधन प्रस्ताव दे दिये, सारी कार्यवाही उस सम्बन्ध में कल से आज तक हो रही है और जब मन्त्री जी को कोई निश्चित जवाब देने की बात आयी तो उन्होंने रिट की शरण ले ली। सरकार की जिम्मेदारी थी कि सही स्थिति की जानकारी कराते। अब क्या अधिकार है कि पहले भ्रम में डालकर अब रिट का स्टेपिल मारते हैं?

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय,...

श्री अध्यक्ष—

एक बात सुन लीजिये। जो विषय अभी प्रस्तुत था वह यह था कि १६ और २३ तारीख के सम्बन्ध में जो आर्डर्स जारी हुये उनके प्रभाव से असेम्बली के सेशन का आरम्भ होना या न होना यह सवाल है। इस विषय को मैंने कल तक के लिये स्थगित किया है, इस वजह से उसके सम्बन्ध में कुछ नहीं बोलेंगे।

श्री दीपनारायणसिंह—

मैंने लिख कर दिया है, उसको पढ़ लीजियेगा। रिट कोई बाधक न हो।

*श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

प्वाइंट आफ आर्डर। जो रिट हुआ वह जिला परिषद् के अध्यक्षों के नामिनेशन के सम्बन्ध में है उससे जो १६ तारीख को और २३ सितम्बर को असेम्बली समन की गयी इसका क्या सम्बन्ध है, इस पर आप व्यवस्था दे दें। दो आर्डिनेंस दो तरह के हैं....।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

नरसिंहनारायण जी आप जरा बैठें ....

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

आप सुन तो लें। आप सक्षम हैं, बाद में जवाब दें। मेरा कहना यह है कि एक अध्यादेश निकाला गया, इस असेम्बली के सेशन के लिए गवर्नर ने निकाला। उसके संबंध में आपके सामस एक कंटेम्प्ट आफ दि हाउस का नोटिस इस आदरणीय सदन के सदस्यों ने दिया कि उससे इस हाउफ की मान-मर्यादा को ठेस लगी जो डाइरेक्टर आफ इन्फार्मेशन ने आदेश निकाला। दूसरी तरह एक आर्डिनेन्स जारी हुआ, वह जिला परिषद् के अध्यक्षों के नामिनेशन के सम्बन्ध में है। वह भी १६ तारीख को जारी होता है। अब हम डिस्कस करने के लिये बैठे हैं कि १६ और २३ तारीख को असेम्बली आर्डिनेंस के जरिये से समन की गयी। उसके बारे में हमने कंटेम्प्ट वाला नोटिस दिया है, जो एक विधान सभा से संबंधित है, हेड आफ दि लेजिस्लेचर से संबंधित है और दूसरा कानून से सम्बन्ध रखता है अध्यादेश। मैं निवेदन करूंगा कि आप व्यवस्था दें कि वह कौन से कारण हैं, क्या वजूहात हैं। क्या विधान सभा को परेशानी है कि नामिनेशन के मामले पर जो रिट हो गया उसके अन्तर्गत हम उस पर भी बहस नहीं कर सकते ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

अभी हमारे मित्र ने दो अध्यादेशों का जिक्र अपनी स्पीच में किया कि एक १६ को हुआ और एक २३ को हुआ। वह मेरी समझ में आया नहीं कि उनका मतलब अध्यादेश से है या जो नोटिस जारी हुआ उससे है ?

श्री अध्यक्ष—

मैं समझा दूं, उन्होंने जल्दी-जल्दी में अध्यादेश कह दिया। उनका मतलब जो १६ और २३ को आदेश जारी हुये उनसे है और १७ को जो अध्यादेश निकला है उससे। १७ को जो अध्यादेश निकाला है उसके सम्बन्ध में उनका चैलेन्ज यह है कि असेम्बली और कौंसिल दोनों ही सेशन में थे इस वजह से यह अध्यादेश नाकिस है। अब उस पर आज बहस नहीं हो सकती मैं रिट को देख लूं, उसको देख कर कल फैसला दूंगा।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, मंत्री जी को यह सूचना कहां से है कि अध्यादेश के संबंध में रिट दाखिल है ? मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि किसी एक सिविल अपील के सिलसिले में इस अध्यादेश से सम्बन्धित एक मिसलेनियस एप्लीकेशन है। रिट के बारे में, सरकार के पास अगर जानकारी है तो वे बतायें। इस सदन में दिया गया वक्तव्य जिम्मेदारीपूर्ण होता है। उसके विपरीत, वस्तु-स्थिति से परे, मंत्रिपरिषद् का कोई सदस्य अगर वक्तव्य देता है या कोई सूचना आपको देता है तो वह न तो प्रजातांत्रिक पद्धति को अपनाता है और न ही उसकी मर्यादाओं की रक्षा करता है।

श्री अध्यक्ष—

यह बात कल सिद्ध हो जायेगी कि वह गलत है या सही है।

श्री उग्रसेन—

इसकी सूचना तो सरकार दे ही दे कि उसने उस नोटिफिकेशन को वापस लिया या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठिये।

*श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, कल जो रिट देखने की बात आप कर रहे हैं वह देखें, लेकिन यह स्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि पहले १६ के लिये नोटिफिकेशन हुआ, फिर २३ से मीटिंग हो रही है, उसके आदेश हुये, यह भी फैक्ट है कि १७ को अध्यादेश निकला। अब जानने की बात केवल यह रह जाती है, जिसके ऊपर माननीय नरसिंह नारायण जी का विशेषाधिकार का प्रस्ताव आधारित है, १६ के लिए आप के पास कोई इत्तला आयी या नहीं? दूसरी बात यह है कि १६ तारीख को जो जानकारी हुयी वह इन्फार्मेशन विभाग के डाइरेक्टर द्वारा जारी की गयी विज्ञप्ति से हुई। क्या उनको गवर्नर महोदय के यहां से वह विज्ञप्ति जारी करने का अधिकार प्राप्त हुआ था? या आप सीधे गवर्नर साहब को लिखें और पूछें कि क्या उन्होंने डाइरेक्टर, इन्फार्मेशन विभाग को उसका नोटिस जारी करने का अधिकार दिया था या नहीं?

श्री अध्यक्ष—]

अगर आप मुझसे मिल लेते तो मैं आप को सब बातें बता देता। जो बात मैं जानता हूं वही मैं कहूंगा, उससे बात बदलेगी नहीं और इसीलिये मैंने माननीय नेकराम जी की बात पर यह बात कही थी कि मैं इस बात को मान कर चल रहा हूं कि १६ तारीख के लिये गवर्नर का आर्डर था। (शोर) जो भी बात है वह तो लिखी हुई है, कागजात में है। आप कल तक ठहर जाइये, जो उचित होगा वही किया जायगा।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, मैं एक सूचना चाहता हूं। मुझे आदरणीय बहुगुणा जी की यह बात सुनकर आश्चर्य हुआ कि मंत्रिपरिषद् के एक सदस्य ने इस संबंध में गलत सूचना दी।

श्री अध्यक्ष—

एक बात बिलकुल स्पष्ट हो जाय और वह यह है कि अगर आपस में आप का कोई मन-मुटाव है तो उसको हम यहां नहीं सुनेंगे। अगर बीच-बीच में इस तरह की बातें होंगी तो सदन का काम नहीं चल सकता।

श्री उग्रसेन—

माननीय मंत्री जी.....

श्री अध्यक्ष—

मैंने आप को बोलने की इजाजत नहीं दी है, आप बैठ जायं।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप स्वयं इसको एप्रीशियेट करेंगे।

श्री अध्यक्ष—

पहले मैं नियम ५२ के प्रश्नों को ले लूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बांदा जिले के नरी के गडरन पुरवा ग्राम में पुलिस द्वारा डाकुओं से मिलकर लूटमार करने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

नियम ५२ के अन्तर्गत मेरे पास जो प्रश्न आये हैं उनमें से मैंने श्री मतीन सिंह के प्रश्न को स्वीकार किया है। वह इस प्रकार है—

"गत सप्ताह बांदा जिले के थाना पैलानी अन्तर्गत ग्राम नरी के गडरन पुरवा नामक ग्राम में पुलिस वालों ने डाकुओं से मिल कर भीषण लूटपाट तथा बलात्कार किया। पूरे ग्राम का मूल्यवान सामान उठा ले गये। पुरुषों को बांध दिया गया तथा रात्रि भर लूट व बलात्कार का राक्षसी कार्य होता रहा।

दूसरे दिन जब ग्रामवासी थाने में गये तो उन्होंने वहां सिपाहियों के रूप में उनको देखा जो कि रात्रि में डाका डाल रहे थे। रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। ग्राम वाले सिपाहियों की नामजद रिपोट लिखा रह थे। ग्रामीणों को थाने में उल्टे मारा भी गया।

१५–१६ वर्ष की बालिकाओं के साथ जो बलात्कार किया गया उसका वर्णन करना मेरे लिये असम्भव है। (शेम शेम की आवाजें)। इतना संकेत पर्याप्त है कि भाई पेड़ से बंधा था और बहन चीख रही थी, इज्जत लुट रही थी। पुलिस कप्तान की सहायता से रिपोर्ट लिखी गयी है। परन्तु अभी तक कोई सन्तोषजनक कार्यवाही नहीं की गयी है। इससे सरकार के प्रति घोर असन्तोष तथा उत्तेजना फैल रही है।

मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस सुनिश्चित अविलम्बनीय प्रश्न पर माननीय मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।"

माननीय मंत्री जी इस पर बयान कब देंगे?

गृह उप मंत्री (श्री नवलकिशोर)—

इसके लिये तीन दिन का मौका दे दिया जाय।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मैंने जो कार्य-स्थगन प्रस्ताव भेजा था उसका क्या हुआ?

श्री अध्यक्ष—

नियम ५२ के अन्तर्गत एक ही प्रश्न स्वीकार होता है जिसे मैंने स्वीकार किया है और अन्य अस्वीकृत समझे जायेंगे।

श्री उग्रसेन—

भारतीय संविधान के अन्तर्गत मजबूर होकर करीब ६ महीने के बाद तो आपने सत्र बुलाया है जब कि मैं जानता हूं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ९ महीने तक चलती है, जापान की डायट ९ महीने तक चलती है। एक हफ्ते के लिये तो आप ने सदन को बुलाया है और माननीय सदस्यों की बात नहीं सुनें तो यह कहां तक उचित है। मैं तो कहता हूं कि आप नियम ५२ में ५ प्रश्न लीजिये, नहीं तो कोई काम नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष—

इस नियम के विरुद्ध कुछ नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री लखपत राम जी, आप बैठ जाइये। (उनके बोलते रहने पर)

मैं आदेश देता हूं कि आप बैठ जाइये। अगर आप नहीं बैठेंगे तो मैं कहूंगा कि आप सदन छोड़ दें।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

मैं सदन छोड़ने के लिये तैयार हूं लेकिन मेरी बात तो आप सुन लें। यह बड़ा ही महत्व का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

श्री लखपत राम जी, आप बैठ जायं वरना सदन को छोड़ दें।

श्री लखपतराम शर्मा—

मैं सदन छोड़ रहा हूं।

(श्री लखपतराम शर्मा सदन त्याग कर चले गये।)

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

श्रीमन्, नियम ५२ के सम्बन्ध में मुझे भी कहना था। जब आप उसे खत्म कर लेंगे तब फिर हमारी बात कैसे सुनेंगे?

श्री अध्यक्ष—

अभी आप बैठें।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष महोदय, यह यही है कि नियम ५२ में एक ही सूचना आप स्वीकार कर सकते हैं, नियम में इसका प्राविधान है, लेकिन आप को इसका भी अधिकार है कि किसी महत्वपूर्ण सूचना पर माननीय मंत्री जी से सदन में एक वक्तव्य दिलवा दें। कल भी आपने नियम ५३ को स्वीकार किया और एक दूसरी सूचना जो नियम ५२ की थी उस पर आपने माननीय शिक्षा मंत्री से.....

श्री अध्यक्ष—

नियम ५२ और ५३ तो अलग-अलग हैं।

श्री कल्पनाथसिंह—

वैसे तो अलग-अलग हैं, लेकिन किसी महत्व....

श्री अध्यक्ष—

मैंने महत्वपूर्ण समझा होता तो ले लेता।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

मेरा निवेदन तो आप सुन लें।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं। एक चीज थी जिसे मैंने मुनासिब नहीं समझा।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

मेरा भी एक निवेदन नियम ५२ के संबंध में है।

श्री अध्यक्ष--

इसको समाप्त कर लूं तब आप बातचीत कीजिएगा।

जिला परिषदों के अध्यक्ष पदों पर सरकार द्वारा नाम निर्देशन करने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--

माननीय हिम्मत सिंह, श्री टम्बेश्वरी प्रसाद, श्री हरीश कुमार गंगवार और श्री रक्षपाल सिंह जी ने एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है कि सरकार ने अन्तरिम जिला परिषद् के अध्यक्ष पदों पर उन्हीं व्यक्तियों को नामजद किया है जो कि कांग्रेस संगठन के अधिकारीगण हैं। यह भी अध्यादेश से ही सम्बन्धित है, अतः जब उस पर बातचीत होगी तो उसी में इसकी भी चर्चा हो सकेगी।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--

तब तक तो अन्तरिम जिला परिषदों का ही सफाया कर दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष--

पास भी कर देंगे तब भी कुछ नहीं होगा।

कम्युनिस्टों तथा किसान मजदूर नेताओं को नजरबन्द रखने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--

एक श्री झारखंडे राय जी का है कि "बहुत से किसान मजदूर नेता लगभग एक साल से नजरबन्द हैं"। यह तो कानून के अन्तर्गत ही है और यदि वे डी० आई० आर० के अन्तर्गत बन्द हों तो भी यह ऐडजर्नमेंट मोशन का विषय नहीं बनता।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

श्री केशव प्रसाद गुप्त और श्री विद्यासागर नौटियाल जो करीब ६ महीने से नजरबन्द हैं, जिनका पत्र मेरे पास है, उनको क्यों नहीं छोड़ देते?

श्री अध्यक्ष--

आप कृपा करके नियमों का पालन कीजिये।

श्री उग्रसेन--

४३१ सदस्यों में क्या मैं ही हूं जो नियमों को तोड़ रहा हूं?

श्री अध्यक्ष--

मेरी बिना इजाजत के आप नहीं बोल सकते हैं।

श्री उग्रसेन—

इसकी मुझे जानकारी है और इस बारे में श्री केशव प्रसाद गुप्त व श्री विद्या सागर नौटियाल ने मुझे पत्र लिखा है कि उन्हें किस कानून के अंतर्गत नजरबन्द रखा गया है। अब तो संकटकालीन स्थिति भी नहीं है, फिर उनको नजरबन्द रखने की क्या जरूरत है?

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता था कि....

श्री अध्यक्ष—

अब आप बैठ जायं कृपा करके, श्री चन्द्रजीत यादव, श्री भीखालाल और श्री ऊदल का है.....

श्री झारखंडेराय—

मैं कामरोको प्रस्ताव के सम्बन्ध में ही कहना चाहता था.....

श्री अध्यक्ष—

वह तो मैं उस पर निर्णय कर चुका, अब आप बैठ जायं.....

श्री झारखंडेराय—

यह बात तो नहीं होगी, आप जरा सुन लें हमारी बात....

श्री अध्यक्ष—

अगर उसके सम्बन्ध में आपको कुछ बातचीत करना है तो आप मुझसे कर लें। अगर गलती होगी तो फिर से रिवाइज कर दूंगा, लेकिन सदन में अभी जो आदेश हो गया उसके सम्बन्ध में इस तरह से चर्चा न की जाय।

श्री झारखंडेराय—

कम से कम आप सरकार को इतना बताने के लिये तो मजबूर करें कि इन लोगों को क्यों गिरफ्तार किया गया है, उसका क्या आधार है, क्या कारण है?

श्री अध्यक्ष—

ठीक है आप की रिक्वेस्ट होगी तो मैं विचार करूंगा, आप आ जायं, मैं उसको देखने को तैयार हूं।

वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के सम्बन्ध में चर्चा उठाने हेतु नियम ५३ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक यह कीमतों के बारे में नियम ५३ का आया है, यह एक ऐसा विषय है कि जिस पर चर्चा हो जानी चाहिये, यह चर्चा किस दिन होगी यह मैं माननीय नेता सदन या उपनेता सदन से बातचीत कर के तिथि तथा समय निश्चित कर दूंगा। यह नियम ५३ की सूचना इस प्रकार से है कि "गत ३–४ महीनों से जनसाधारण के नित्य प्रयोग में आने वाली वस्तुओं की कीमत तीव्रता के साथ बढ़ती हुई चली जा रही है। सामान्य रूप से कारखानों में उत्पादन होने वाले सामानों का मूल्य २५ प्रतिशत बढ़ गया है। जनसाधारण की आय में वृद्धि हुए बिना कीमतों का इस प्रकार बढ़ना साधारण किसानों, मजदूरों, छोटे कर्मचारियों और मध्यम वर्ग के लोगों के जीवन को अत्यन्त संकटग्रस्त बना दिया है। वस्तुओं के मूल्य और रहन-सहन के स्तर मे कोई संतुलन नहीं रह गया है।

सरकार मूल्य नियन्त्रण करने और चोर बाजारी को रोकने में पूर्णतया असमर्थ है। सरकार ने और मिल मालिकों ने बढ़ती हुई महंगाई के अनुपात में महंगाई भत्ता भी नहीं दिया है फलस्वरूप जनता का हर वर्ग त्रस्त है।"

इसके लिये मैं समय मुकर्रर कर दूंगा।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

३० के लिये तो आप ने एक और कर रखा है, इसे जल्द ही करा दें।

श्री अध्यक्ष—

यह इसी सप्ताह में हो जायेगा।

नियम ५२ के अन्तर्गत दी गई सूचना के सम्बन्ध में जानकारी

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं जब-जब खड़ा होता हूं तब तब आप की नजरेइनायत नहीं हो पाती है, बड़ी कृपा आप की मुझ पर है ....

श्री अध्यक्ष—

नजरेइनायत हो पाती है या नहीं हो पाती है इस तरह की बातचीत करना सदन में अपमान-जनक है, यह गलत तरीका है। इस तरह से आप कहेंगे तो मैं ऐसा नहीं करने दूंगा, यह गलत है यह सब आप वापस लीजिये।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

मैं कह रहा हूं श्रीमन्, नजरेइनायत होती है, आप मुझे गलत समझ रहे हैं तो मैं क्या करूं ?

श्री अध्यक्ष—

आप बहुत होशियार हैं, ऐसी बात यहां नहीं होनी चाहिये कि नजरेइनायत होती है।

*श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

श्रीमन्, मेरा कहना यह है कि कल भी आप ने श्री कल्पनाथ सिंह जी ने जो दफा ५२ में प्रश्न दिया था उस पर कहा था कि यह लोकमहत्व का है। उसमें कहा गया था कि मन्त्रिपरिषद् के ९ माननीय सदस्यों ने सकारण इस्तीफा दिया है। आज मैंने फिर उसको दफा ५२ के अन्तर्गत दिया है कि ९ मन्त्रिपरिषद् के सदस्यों ने सकारण मन्त्रिपद से इस्तीफा दिया है और उन्होंने उसके कारण में कहा है कि २५ प्रतिशत सरचार्ज वापस होना चाहिये, कुनबापरस्ती चल रही है, हर प्रकार का भ्रष्टाचार जारी है और इस कारण से उन्होंने इस्तीफे दिये। मैं चाहता था कि इस विषय में सरकार की तरफ से एक वक्तव्य आये। आज प्रदेश की जनता में चिन्ता व्याप्त है, क्या कारण है कि रोज कत्ल, डकैती बढ़ रहे हैं, जन जीवन की कोई सुरक्षा नहीं रह गई है। मैंने इस सम्बन्ध में एक दफा ५२ पेश किया था, आप की नजरेइनायत हो जाती तो उधर से इस पर वक्तव्य हो जाता और सदन और बाहर के लोगों को कुछ प्रकाश मिल जाता कि क्या कारण है कि मन्त्रिपरिषद् के ९ सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है।

श्री अध्यक्ष—

इस सम्बन्ध में जो कुछ मुझे कहना था कल कह चुका हूं अब दुबारा कुछ नहीं कहना है। हम किसी मन्त्री को मजबूर नहीं कर सकते कि वह जवाब दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विधान भवन में सी०आई०डी० के प्रवेश पर आपत्ति

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आपने पंजाब के बारे में पढ़ा होगा कि वहां सी० आई० डी० को सदन में, गैलरीज में तथा स्पीकर के कक्ष में चारों तरफ आने से रोक दिया गया है। लेकिन हमारे यहां सी० आई० डी० गैलरीज में रहती है, सदन में रिपोर्टिंग भी एक दफा करते हुए रिपोर्टर के बारे में प्रश्न उठ चुका है, आपके कमरे के आस-पास रहते हैं तथा सदन में आपके द्वारा उनको पास दिये जाते हैं। क्या आप इस प्रथा को यहां रोकने जा रहे हैं ? अगर हां, तो कल से ही इस पर ऐक्शन लें।

श्री अध्यक्ष—

आप लिखकर दे दें तो ज्यादा अच्छा हो, क्योंकि मुझे इस बात का पूरा ज्ञान नहीं है।

श्री नेकराम शर्मा—

पास आपके ही द्वारा इश्यू होते हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैं इसको तस्दीक कर लूं कहां रहते हैं।

श्री नेकराम शर्मा—

तो कल उठाया जायगा यह प्रश्न।

मुख्य मंत्री द्वारा अपने पद की गोपनीयता भंग करने के सम्बन्ध में आपत्ति

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, माननीय गुप्ता जी ने अनुच्छेद १६४ (३) के अन्तर्गत अपने पद तथा गोपनीयता की जो शपथ ली है उसका उल्लंघन किया है इसलिये कि उन्होंने अपना इस्तीफा भारत के प्रधान मन्त्री, श्री जवाहर लाल नेहरू को दिया और खुले तौर पर सार्वजनिक रूप से उसकी सब जगह चर्चा की। मन्त्रिपरिषद् के सदस्य एक विशेष प्रकार की शपथ लेते हैं तथा साथ ही गोपनीयता की भी लेते हैं। पार्टी पद्धति जो चलती है उसका नियन्त्रण जो होता है जनतन्त्र में तो पार्टी कह सकती है कि तुम मुख्य मन्त्री न रहो। मगर मुख्य मन्त्री प्रधान मन्त्री को इस्तीफा दे कर कांग्रेस वर्किंग कमेटी से मंजूर करा के सार्वजनिक तौर पर इसका प्रचार करते हैं तो यह इस्तीफा उनका कहां है। माननीय राज्यपाल मुख्य मन्त्री को नियुक्त करते हैं उन्होंने अपना इस्तीफा गवर्नर को न दे कर दूसरे को दिया यह कहां तक उचित है ? हमारी और उनकी शपथ में अन्तर है। हम संविधान में आस्था रखने की शपथ लेते हैं, वह अपने पद और गोपनीयता की लेते हैं। जब राज्यपाल को इस्तीफा भेज देते तब प्रचार करते। यह सदन विधान के अन्तर्गत निर्मित है। माननीय गुप्ता जी ने आरदणीय सदन को पानदरीबे का 'गुप्ता सदन' बना लिया है इसका हमें दुख है। जब सारे प्रदेश के लोगों ने समझ लिया कि गुप्ता जी ने इस्तीफा दे दिया तो सारा काम-काज ठप्प हो गया है ....

श्री अध्यक्ष—

यह व्यवस्था है या लेक्चर दे रहे हैं ?

श्री उग्रसेन—

कामराज प्लान ने प्रदेश का सारा कामकाज ठप्प कर दिया है।

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न दूसरा है।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

श्रीमन्, माननीय उग्रसेन जी अपने नेता राजनारायण जी से सलाह नहीं लेते। अगर माननीय मुख्य मन्त्री अपनी पार्टी के नेता के पास भेजें तो वह सदन की प्रापर्टी नहीं है, न सदन विचार करने के लिये सक्षम है।

श्री उग्रसेन—

यह कोई कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इस्तीफा नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

अब आप बैठ जायं।

जो विषय इस समय पेश है उस पर मेरी व्यवस्था यही है कि जो माननीय दीपनारायण सिंह जी ने माननीय उग्रसेन जी के उत्तर में कहा वही ठीक है। उसको मैं स्वीकार करते हुए इसे ओवररूल करता हूं।

श्री उग्रसेन—

माननीय दीपनारायण जी ने क्या कहा मैं उसे क्या समझूं आप अपने मुखारविन्द से बतलायें।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये।

मंत्रि-परिषद् के कतिपय मंत्रियों द्वारा त्याग-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य देने की मांग

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

मन्त्रियों के इस्तीफा देने के कारण के सम्बन्ध में आप मुख्य मन्त्री जी से पूछ तो लीजिये। वह सरकार से सम्बन्धित मामला है।

श्री अध्यक्ष—

आप नियम अथवा कानून बतला दीजिये। मैं उन्हें मजबूर नहीं कर सकता। यहां तक है कि गवर्नमेंट किसी सवाल का जवाब अगर न देना चाहे तो न दे। हम गवर्नमेंट के किसी मन्त्री को मजबूर नहीं कर सकते। यह प्रश्न पहले भी आ चुका है। माननीय चरण सिंह जी ने इस्तीफा दिया था उस समय भी यह प्रश्न उठा था। उस समय माननीय खेर जी की यह व्यवस्था है "हम मन्त्री को मजबूर नहीं कर सकते। वह स्वयं न देना चाहें या दबाव के कारण न देना चाहें तो यह पार्टी का सवाल है।" उस सम्बन्ध में मैंने भी एक व्यवस्था दे दी है और कोई बातचीत करना चाहता है तो मेरे कार्यालय में बातचीत कर सकता है। आप मुझे समझा दीजिये, मैं उसे मानने के लिये तैयार हूं लेकिन उसकी चर्चा सदन में नहीं होनी चाहिये।

कतिपय विषयों के सम्बन्ध में प्रश्न तथा जानकारी

*श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। माननीय अली जहीर ने श्रीमती सुचेता कृपालानी के सम्बन्ध में यह कहा कि माननीय कृपालानी को मुख्य मन्त्री पद के लिये चुना गया तो वह आचार्य कृपालानी को मन्त्रिमन्डल की बातें बतलायेंगी। अब जब मन्त्रिमन्डल की संयुक्त जिम्मेदारी होती है और दोनों एक ही मन्त्रिमन्डल के सदस्य हैं और श्रीमती सुचेता कृपालानी द्वारा गोपनीयता रखे जाने में शक है तो इस वक्त वैधानिक ढंग से यह मन्त्रिमन्डल संगठित ही नहीं है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

माननीय अली जहीर ने सार्वजनिक रूप से यह भी कहा अपने बयान में कि श्रीमती सुचेता कृपालानी का चुनाव पंडित जवाहर लाल नेहरू के मुंह पर तमाचा होगा।

न्याय मन्त्री (श्री सैयद अली जहीर)—

अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहना है कि जो बातें यहां कही जा रही हैं वे मेरे किसी बयान में नहीं हैं। मैंने जो बात कही थी वह सिर्फ यह है कि "आम तौर से लोग यह खयाल करेंगे कि माननीय सुचेता कृपालानी आचार्य कृपालानी की वाइफ हैं और चूंकि यह इतने करीब का सम्बन्ध है इनको इस किस्म का अन्देशा हो सकता है"। "दूसरी बात मैंने यह नहीं कही थी कि मैं उनके मन्त्रिमन्डल में शरीक नहीं हूंगा, यह जरूर है कि दो उम्मीदवार थे उनमें से एक को अपनी समझ में मैं बेहतर समझता था।

श्री अध्यक्ष—

जो कुछ माननीय अली जहीर ने कहा वह पार्टी की अन्दरूनी बात है। पार्टी के अन्दर एक इलेक्शन हो रहा था, हर एक कांग्रेस का सदस्य जो डेमोक्रेसी को मानता है लोकतन्त्र के अन्तर्गत उस अधिकार को बरत सकता है जो उन्होंने बरता। कन्वेंसिंग के सिलसिले में किसने क्या कहा यह इस सदन का विषय नहीं है। यह पार्टी का प्राइवेट अफेयर है। इसको मैं सदन में नहीं उठाने दूंगा। अब यह समाप्त हुआ।

(व्यवधान)

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

तो आज उनको इस मन्त्रिमन्डल में नहीं बैठना चाहिये, नैतिकता इस बात की है।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री उग्रसेन—

और आप ने जो प्रचार किया था और वोट मांगे थे वह इसी में माना जायगा ?

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये। मैंने कहा कि यह विषय ऐसा है कि जो सदन में नहीं उठाया जाना चाहिये।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उग्रसेन—

कल आपने खेर साहब की रूलिंग का हवाला दिया था....

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

आप बैठ जाइये। मैं आपका उपदेश नहीं मानता।

(श्री रघुनाथसिंह के खड़े हो कर बोलने लगने पर)

माननीय रघुनाथ सिंह जी, आप बैठ जाइये। आप बार-बार व्यवधान करते रहते हैं। या तो आप बैठ जाइये वरना मैं कहूंगा कि आप सदन छोड़िये।

(श्री रघुनाथसिंह ने अपना स्थान ग्रहण किया)

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—

हम लोगों ने एक लिखित प्रार्थना आपके पास भेजी है। जब हमारे देश पर चीन का हमला हुआ था और साधनों का संकट था....

श्री अध्यक्ष—

आप क्या बात कहना चाहते हैं, प्रोपोजीशन बताइये।

श्री झारखंडेराय—

वही कह रहा हूं, आप इतनी जल्दी क्यों मचाते हैं।

श्री अध्यक्ष—

पहले आप प्रोपोजीशन बताइये कि यह बात है।

श्री झारखंडेराय—

मैं यह कह रहा हूं कि चीन के आक्रमण की पृष्ठभूमि में जब साधनों की कमी की समस्या पैदा हुई थी तो हमारी प्रदेशीय सरकार ने विरोधी पक्ष के नेताओं से बातचीत कर के चवन्नी लगान किसानों पर बढ़ाया था और वह लगान दोनों किस्मों का वसूल कर लिया गया है। सरकार ने यह फायदा किया था कि उस लगान को हम एक साल बाद वापस कर लेंगे। इसी बात की प्रार्थना हमने आपके जरिये से मुख्य मंत्री से की है कि आप कृपा कर के मुख्य मंत्री जी से इस बात का कोई स्पष्ट आश्वासन दिलायें कि जो अश्योरेंस उन्होंने दिया था उसको पूरा करेंगे और जो लगान बढ़ाया गया है उसे खत्म करेंगे। इस बात की प्रार्थना लिखित हम लोगों ने दी है। उस पर मैं चाहता हूं कि आप कार्यवाही करें। यह ६ करोड़ किसानों का प्रश्न है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

श्रीमन्, माननीय झारखंडे राय से जरा पूछ लीजिये कि उन्होंने ही तो इस लगान का समर्थन किया था और अब कहते हैं कि उसे वापस लिया जाय।

श्री झारखंडेराय—

हमने जो किया था वह उस समय को देखते ठीक किया था और जो अब कर रहे हैं वह भी परिवर्तित परिस्थिति में ठीक कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

वह कल आया था उसको मैंने स्वीकार नहीं किया ।

श्री झारखंडेराय—

आज लिखित दिया है, कल नहीं, और आपके जरिये मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना की है...

श्री अध्यक्ष—

तो मुझ से बातचीत कर लीजियेगा। मैं देख लूंगा तब बताऊंगा।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, मिर्जापुर जिले में सैदपुर सेंटर है। तीन महीने हो गये अभी तक वह सस्पेन्ड है और सैकड़ों लड़के वहां पर हैं, बहुत परेशानी हो रही है। इसलिये मैं चाहूंगा कि इसके बारे में अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के रूप में मंजूर कर लें या किसी दूसरे तरीके से एक वक्तव्य मंत्री जी से दिला दें।

श्री अध्यक्ष—

यह इतनी मोटी सी बात है। एक चीज तय हो चुकी है कि नियम ५२ में एक ही लेंगे, बाकी नहीं लेंगे। अगर कोई विशेष बात आप कहना चाहते हैं तो मुझसे कहते। यहां सदन का कितना समय जा रहा है।

श्री झारखंडेराय—

श्रीमन्, मैं यह कह रहा हूं कि यह एक ही वीक का सेशन है ।

श्री अध्यक्ष—

मैं आज ही बातचीत कर लूंगा ।

श्री झारखंडेराय—

मैं चाहता हूं कि महत्वपूर्ण विषय टल न जायं ।

श्री अध्यक्ष—

इस तरह से टाइम जायगा तो टल ही जायेंगे। मैंने कहा कि आप आफिस में बातचीत कर लें।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, क्या कोई माननीय सदस्य बिना ओथ लिये सदन में बैठ सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष—

सदस्य की हैसियत से नहीं बैठ सकते हैं ।

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, कल से नवाब रामपुर विराजमान हैं ।

श्री अध्यक्ष—

मने उनको कमरे में शपथ दिलाई है ।

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, सदन की यह परम्परा है.....

श्री अध्यक्ष—

परम्परा यह भी रही है । आप कोई कानूनी बात बता दें तो हम देख लेंगे ।

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, मेरे पास एनसाइक्लोपीडिया है.....

श्री अध्यक्ष—

देखिये जब उनका निर्वाचन हुआ तो दो एक दिन के बाद वे आये और मैंने उनको शपथ दिलाई है ।

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, सदन की यह परम्परा है कि जो माननीय सदस्य चुनकर आयेंगे तो वे सदन के समक्ष ओथ लेंगे । हमें पता नहीं है कि उन्होंने ओथ ली है या नहीं । अगर उन्होंने शपथ आपके पास ले ली है तो घोषणा करनी चाहिये थी । जब तक आप घोषणा न करते तब तक उन्हें सदन में बैठना नहीं चाहिये था । आपने घोषणा नहीं की है और वे सदन में बैठ रहे हैं यह संसदीय परम्परा के विरुद्ध है ।

श्री अध्यक्ष—

अब मैं व्यवस्था दे दूं । जहां तक मुझे मालूम है मैं शपथ कहीं भी दिला सकता हूं । अपने आफिस में दिला दूं । या सदन में दिला दूं । अगर सदन चलता होता तो सदन में दिला देता । दूसरे यह कि कोई ऐसी मिसाल नहीं मिली कि जहां किसी व्यक्ति को शपथ दी गई हो उसकी घोषणा यहां सदन में हुई हो और अगर उसकी आवश्यकता है तो यहां घोषित किया जाता है कि दोनों आदमियों ने मेरे सामने शपथ ली ।

उत्तर प्रदेश विधि (नई दशमिक सिक्का प्रणाली द्वारा पुरानी सिक्का प्रणाली के निर्देशों का प्रतिस्थापन) विधेयक, १९६३*

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधि (नयी दशमिक सिक्का प्रणाली द्वारा पुरानी सिक्का प्रणाली के निर्देशों का प्रतिस्थापन) विधेयक, १९६३ पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय ।

अध्यक्ष महोदय, इस कानून का सिर्फ मतलब यह है कि जो मेरे कानून ऐसे जिनमें पुराने सिक्के में फिगर्स लिखे हुये हैं उनको बदलकर नये सिक्कों में लिख दिया जाय । यह जो छपा है इसमें आप देखेंगे कि इसमें पुराने कानूनों का हवाला दिया गया है कि जो कानून है उनमें क्या लिखा था और क्या लिखना चाहते हैं । वह जो शिड्यूल रहेगा उसके कालम ४ और ५ में लिखा है । कालम ४ में कानूनों का नाम लिखा है और ५ में वे अल्फाज लिखे हैं जिनको रखा जायगा । मेरे

*६ जुलाई, १९६३ को डाक द्वारा सदस्यों के पास भेजा गया ।

[श्री सैयद अली जहीर]

खयाल में चूंकि गवर्नमेन्ट आफ इंडिया का कानून बन गया है और उसमें यह तय हो चुका कि जो कुछ इस तरह की बातें होंगी इंडियन कौइनेज ऐक्ट में वह उसी हिसाब से होगी जो नया डेसिमल क्वायनेज लागू है। इसलिए यह कानून पेश किया जा रहा है। मेरे खयाल में इसमें आपत्ति का कोई सवाल नहीं है। इसको मंजूर होना चाहिए।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय,...

श्री अध्यक्ष—

देखिए, आपका संशोधन यह है कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। इसका मतलब यह है कि विधेयक के सिद्धान्तों से आप सहमत हैं?

श्री रक्षपालसिंह—

बिल्कुल।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधि नयी दशमिक सिक्का प्रणाली द्वारा पुरानी सिक्का प्रणाली के निर्देशों का प्रतिस्थापन विधेयक, १९६३ को सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाये जिसे परिधि बढ़ाने का अधिकार हो तथा जो अपना प्रतिवेदन, १ मास के अन्दर, प्रस्तुत करे।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया बहुत छोटा सा विधेयक है। जो नयी दशमिक सिक्का प्रणाली चलायी गयी है। जिसके अन्दर एक रुपये में १०० पैसे करने की बात हुई है, उसके अनुसार, जो पुराने कानून थे उनमें जहां आने आये हैं उनके स्थान पर नये पैसे करने की बात है। बात सही है। उसके अनुसार ८ कानूनों के अन्दर संशोधन करने का विधेयक प्रस्तुत है। वैसे तो यह बात सत्य है कि यह परिवर्तन होना आवश्यक है, क्योंकि अपने देश के अन्दर यह प्रणाली तय हो गयी है। लेकिन प्रवर समिति में भेजने का यह कारण है कि अपने प्रदेश में केवल आठ ही कानून ऐसे नहीं हैं जिनमें रुपये पैसे की बात है। पहले विधेयकों में ऐसे परिवर्तन किये गये हैं। मैंने अभी जाकर कोर्ट फीस और स्टैम्प ऐक्ट देखे। सरकार ने उन कानूनों में उनके विधेयक लाते समय परिवर्तन किये हैं। जो सरकार ने आठ कानूनों की सूची दी है, इससे अधिक और भी कानून हैं जिनके अन्तर्गत परिवर्तन करने की आवश्यकता है। आप देखें कि पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ में संशोधन करने की बात कही गयी है। उसमें एक आने का जो टैक्स वसूल होता था उसकी जगह पर छः नये पैसे करने की बात कही गयी है। मैं इस बात पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पंचायत राज ऐक्ट जब से नयी दशमिक प्रणाली आयी है उसके बाद से दो बार संशोधित हो चुका है, १९५५ में और १९५८ में और आप को यह जान कर आश्चर्य होगा कि दो-दो बार संशोधन करने के बाद भी एक आना वैसा का वैसा पड़ा रह गया है। मैं यह बात सदन के सामने एक उदाहरण के रूप में रखना चाहता हूं। अगर यह विधेयक प्रवर समिति में चला जायगा तो जो कानून रह गये हैं जिनमें ऐसे परिवर्तन की आवश्यकता है उनमें भी परिवर्तन होंगे। यह लिस्ट जो है अपूर्ण है। जो धारायें इसमें दी गयी हैं उनमें भी मैं समझता हूं कोई ऐसा प्राविधान नहीं है कि जिसके आधार पर उस कानून के अन्दर आने वाले जितने भी उपबन्ध हैं या जितने भी स्थानों पर पुरानी प्रणाली है उन सभी स्थानों पर नयी प्रणाली रख दी जाय, ऐसी कोई व्यवस्था इसमें नहीं है।

(इस समय १२ बजकर ४५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुए।)

तो प्रवर समिति में जाने से यह तय हो सकेगा कि प्रदेश में और कितने कानून ऐसे हैं जिनमें इस प्रकार का परिवर्तन करना आवश्यक है और जो कानून इसमें प्रस्तुत हैं उनके अन्दर भी कौन कौन सी ऐसी धारायें हैं और हैं जिनमें परिवर्तन किया जा सकता है जैसे मैंने अभी पंचायत राज ऐक्ट का उदाहरण रखा।

श्रीमन्, इसके बारे में मैं एक बात और कहूंगा और वह यह कि इस कानून में इसके डेट आफ एन्फोर्समेंट के बारे में कोई प्राविधान नहीं है और जिस दिन से यह गजट में प्रकाशित होगा उस दिन से यह कानून बनेगा, तो इसमें आगे चल कर एक कठिनाई उपस्थित हो सकती है जिसका संकेत कर देना मैं आवश्यक समझता हूं और वह यह कि ६ नये पैसे और एक आने में जो मूल्य का अन्तर है उससे आगे चल कर कई अड़चनें पैदा हो सकती हैं। एक उदाहरण मैं देता हूं कि पंचायत राज का एक आने के हिसाब से जो टैक्स वसूल किया जाता है वह कई कई स्थानों पर दस दस सालों का और पांच पांच सालों का बाकी है। तो किस दिन से वह ६ नये पैसे एक आने के बराबर समझे जायेंगे, इसका भी इसके अन्दर प्राविधान होना आवश्यक है, क्योंकि कई केस इस तरह के सामने आये। बिक्री-कर के मामले में हाईकोर्ट में आने और नये पैसे के हिसाब से हजारों रुपये का फर्क सामने आया है। तो उसमें डेट आफ एन्फोर्समेंट भी होना चाहिये।

एक बात और भी है—एक आने की जगह जहां ६ नये पैसे किये जायेंगे वहां यह सही है कि कम देना पड़ेगा, लेकिन कई स्थानों पर ३ आने की जगह जहां १९ नये पैसे होंगे वहां ज्यादा देना होगा। उसके बारे में सरकार का कहना यह है कि सिक्का प्रणाली के अनुसार यह होगा, लेकिन इस व्यवस्था के अनुसार किसी को कम और किसी को ज्यादा देना पड़ेगा। तो श्रीमन्, इन्हीं कारणों से मैं चाहता हूं कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाय जहां इसके अन्तर्गत और भी आवश्यक प्राविधान किये जा सकेंगे और प्रदेश के और कानूनों में भी परिवर्तन हो सकेगा। वह समिति ऐसा संशोधन इसमें कर सकेगी जिससे कि सारे प्रदेश के लिए एक यूनिफार्म ला बनाया जा सके। इसलिए इसको समिति में भेज दिया जाय ताकि ज्यादा विस्तारपूर्वक इसके ऊपर विचार किया जा सके।

श्री सैयद अली जहीर—

अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में कोई खास वजह इसको प्रवर समिति में भेजने की नहीं है। जिन कानूनों का जिक्र है वह आठ कानून हैं, वह इसमें लिख दिये गये हैं कि कौन-कौन से हैं और उनमें क्या तब्दीली की जा रही है। जहां तक ला डिपार्टमेंट का ताल्लुक है हमने ला डिपार्टमेंट से पूछा था कि कौन से ऐसे कानून हैं कि जिनमें इस किस्म के तरमीम की जरूरत है और हमें यह मालूम हुआ कि इस वक्त तो सिर्फ आठ ही कानून हैं जिनमें तरमीम की जरूरत है तो उन्हीं आठ कानूनों के लिए यह कानून बन कर यहां आ गया। इसमें कोई नयी बात नहीं की जा रही है। चूंकि न्यू क्वायनेज राईज हो गया इसलिए उसको लागू करने के लिए एक आने की जगह ६ नये पैसे रख दिया गया है। मेरी समझ में कोई वजह नहीं है कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधि (नयी दशमिक सिक्का प्रणाली द्वारा पुरानी सिक्का प्रणाली के निर्देशों का प्रतिस्थापन) विधेयक, १९६३ को सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय जिसे परिधि बढ़ाने का अधिकार हो तथा जो अपना प्रतिवेदन १ मास के अन्दर प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधि (नयी दशमिक सिक्का प्रणाली द्वारा पुरानी सिक्का प्रणाली के निर्देशों का प्रतिस्थापन) विधेयक, १९६३ पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३, अनुसूची, खंड १ प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विधि (नयी दशमिक सिक्का प्रणाली द्वारा पुरानी सिक्का प्रणाली के निर्देशों का प्रतिस्थापन) विधेयक, १९६३

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश की कतिपय विधियों में, नयी दशमिक सिक्का प्रणाली द्वारा पुरानी सिक्का प्रणाली के निर्देशों का प्रतिस्थापन करने के लिए

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के चौदहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विधि (नयी दशमिक सिक्का प्रणाली द्वारा पुरानी सिक्का प्रणाली के निर्देशों का प्रतिस्थापन) अधिनियम, १९६३ कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियमों का संशोधन

२—इस अधिनियम की अनुसूची के चौथे स्तम्भ में उल्लिखित अधिनियमितियां उक्त अनुसूची के पांचवें स्तम्भ में उल्लिखित मात्रा में और रीति से संशोधित की जाती हैं।

अनुसूची

[धारा (२)]

क्रम-संख्या	वर्ष	संख्या	संक्षिप्त शीर्षनाम	संशोधन
१	२	३	४	५
१	१८५६	१२	सिविल कोर्ट्स अमीन्स ऐक्ट, १८५६	धारा ९ में शब्द "one anna" के स्थान पर शब्द "six naye paise" रख दिये जायें।
२	१९१४	२	यू० पी० टाउन एरियाज, ऐक्ट, १९१४	ऐक्ट की धारा १४ की उपधारा (१) में— (१) खंड (ए) में शब्द "one anna" और शब्द "three annas" के स्थान पर क्रमशः शब्द "six naye paise" और शब्द "nineteen naye paise" रख दिये जायें; (२) खंड (बी) में शब्द "six pies" के स्थान पर शब्द "three naye paise" रख दिये जायें; और (३) खंड (सी) में शब्द "one anna and three pies" के स्थान पर शब्द "eight naye paise" रख दिये जायें।
३	१९१६	२	यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६	ऐक्ट की अनुसूची (Schedule) ५ में शब्द तथा अक्षर "Rs. a. p." के स्थान पर शब्द तथा अक्षर "Rs. nP." रख दिये जायें।

क्रम-संख्या	वर्ष	संख्या	संक्षिप्त शीर्षनाम	संशोधन
१	२	३	४	५
४	१९२२	१०	यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, १९२२	(१) धारा १०९ में जहां भी शब्द "three annas and nine pies' आये हों उनके स्थान पर शब्द "twenty three naye paise" रख दिये जायें; (२) धारा १११ की उपधारा (१) में शब्द "pies' के स्थान पर शब्द "naye paise" रख दिये जायें; (३) धारा ११२ में— (क) शब्द "number of pies" और शब्द "payable under section" के बीच में शब्द "or naye paise" बढ़ा दिये जायें; (ख) खंड (एफ) में और तत्पश्चात् जहां भी शब्द "pies" आया हो उसके स्थान पर शब्द "naye paise" रख दिये जायें; (ग) शब्द "three quarters of a pie" के स्थान पर शब्द और अंक "25/64 naye paise" रख दिये जायें; और (४) धारा ११४ के खंड (सी) में शब्द "four pies" के स्थान पर शब्द "two naye paise" रख दिये जायं।
५	१९४७	२३	यू० पी० मोलैसेज कन्ट्रोल ऐक्ट, १९४७	धारा ५ की उपधारा (३) में— (१) सूत्र में अंक तथा अक्षर "42/23X" के स्थान पर अंक तथा अक्षर "22/144X" रख दिये जायें; (२) शब्द "annas" के स्थान पर शब्द "naye paise" रख दिये जायें; और (३) शब्द "Pies" के स्थान पर शब्द "naye paise" रख दिये जायं।
६	१९४७	२६	यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७	धारा ३७ की उपधारा (१) के खंड (ए) और (बी) में जहां भी शब्द "one anna" आयें हों उनके स्थान पर शब्द "six naye paise" रख दिये जायें।

क्रम-संख्या	वर्ष	संख्या	संक्षिप्त शीर्षनाम	संशोधन
१	२	३	४	५
७	१९५२	३३	उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) अधिनियम, १९५२	धारा ३ में— (१) द्वितीय तथा तृतीय प्रतिबन्धात्मक खन्ड में जहां भी अंक तथा शब्द "६ आना" आये हों, उनके स्थान पर शब्द "सैंतीस नये पैसे" रख दिये जायें; और (२) चतुर्थ प्रतिबन्धात्मक खण्ड में अंक तथा शब्द "१ आना" के स्थान पर शब्द "छः नये पैसे" रख दिये जायें:—
८	१९३४	२७	यू० पी० एग्रीकल्चरिस्ट्स रिलीफ़ ऐक्ट, १९३४	(१) अनुसूची ५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये :

"SCHEDULE V

Scale mentioned in Section 40

Amount or value of the bond	Stamp duty		Registration fee		Copying fee	
	Rs.	nP.	Rs.	nP.	Rs.	nP.
Where the amount or value secured does not exceed Rs. 50 ..	0.	06	0.	06	0.	19
Where it exceeds Rs. 50 but does not exceed Rs. 100 ..	0.	12	0.	12	0.	19
Where it exceeds Rs. 100 but does not exceed Rs. 200	0.	25	0.	25	0.	25
Where it exceeds Rs. 200 but does not exceed Rs. 300	0.	37	0.	37	0.	37
Where it exceeds Rs. 300 but does not exceed Rs. 400	0.	50	0.	50	0.	50
Where it exceeds Rs. 400 but does not exceed Rs. 500	0.	75	0.	75	0.	62
Where it exceeds Rs. 500 but does not exceed Rs. 600	1.	62	2.	25	0.	75

Amount or value of the bond	Stamp duty		Registration fee		Copying fee	
	Rs.	nP	Rs.	nP.	Rs.	nP.
Where it exceeds Rs. 600 but does not exceed Rs. 700	2.	00	2.	25	0.	75
Where it exceeds Rs. 700 but does not exceed Rs. 800	2.	37	2.	25	0.	75
Where it exceeds Rs. 800 but does exceed Rs. 900	2.	75	2.	25	0.	75
Where it exceeds Rs. 900 but does not exceed Rs. 1,000	3.	12	2.	25	0.	75
For every Rs. 250 or part of Rs. 250 above Rs. 1,000 and up to Rs. 3,000	1.	00	0.	25	0.	00"

(२) अनुसूची ६ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"SCHEDULE VI

Schedule of Court fees payable on a plaint under Section 33—

	Rs.	nP
If the principal amount of loan is less than Rs. 100	2.	00
If the principal amount of loan is not less than Rs. 100 but is less than Rs. 250 ..	5.	00
If the principal amount of loan is not less than Rs. 250 but is less than Rs. 500 ..	7.	50
If the principa amount of loan is not less than Rs. 500 but is less than Rs. 1,000	10.	00
If the principal amount of loan is Rs. 1,000 or above	15.	00"

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड २, अनुसूची, खण्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सैयदअली जहीर—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधि (नयी दशमिक सिक्का प्रणाली द्वारा पुरानी सिक्का प्रणाली के निर्देशों का प्रतिस्थापन) विधेयक, १९६३ पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय ?

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधि (नयी दशमिक सिक्का प्रणाली द्वारा पुरानी सिक्का प्रणाली के निर्देशों का प्रतिस्थापन) विधेयक, १९६३ जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेन्ट ऐन्ड इविक्शन (संशोधन) विधेयक, १९६३†

रसद मन्त्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐन्ड इविक्शन (संशोधन) विधेयक, १९६३ पर जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, विचार किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई खास चीज नहीं है। इसकी मियाद खत्म होती थी ३० सितम्बर को और इस विधान सभा का सेशन ३० तारीख तक चलने की बात थी, इसलिये जितने संशोधन करना चाहते थे वह नहीं आये। सम्भवतः वह अगले अधिवेशन में आयेंगे। इसमें तो केवल उसकी मियाद बढ़ाने का उद्देश्य है। इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। सरकुलेशन की बात या और जो नई बात हो वह असली संशोधन विधेयक जब आयेगा तो उसमें हो सकेगी। अब तो इसमें केवल मियाद बढ़ाने का प्रश्न है। मुझे आशा है सदन इसको स्वीकार करेगा।

*श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि "उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कंट्रोल रेंट ऐण्ड इविक्शन (संशोधन) विधेयक, १९६३ को सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय, जिसे विधेयक को परिधि बढ़ाने का अधिकार प्राप्त हो और जो अपना प्रतिवेदन १ मास के अन्दर प्रस्तुत करे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी का बड़ा शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने यह संशोधन विधेयक इस सदन के सामने पेश किया। मैंने उनके भाषण को सुनने की कोशिश की, लेकिन मुझको [illegible] निराशा हुई मन्त्री जी के भाषण को सुन कर। केवल एक उद्देश्य इसका कहा गया है कि इसकी मियाद बढ़ा दी जाय। क्यों इसका समय बढ़ा दिया जाय और कौन-कौन संशोधन प्रस्तावित हैं इसके ऊपर कोई विशेष प्रकाश नहीं पड़ सका। वैसे इतनी उम्मीद जरूर हुई कि कोई संशोधन वह इस ऐक्ट के अन्दर करने वाले हैं। वह संशोधन अगले अधिवेशन में इसकी अवधि बढ़ाने के बाद करेंगे। वह अवधि बढ़ा रहे हैं इसकी ६ साल के लिये। किस सेशन में वह विधेयक आयेगा, ६ साल में वह कौन सा दिन होगा इस तरफ कोई संकेत नहीं किया गया, माननीय मन्त्री जी की तरफ से और शायद हम लोगों को फिर वह दिन भी इन्तजार करते बीत जाय जब वह यह संशोधन विधेयक लायें। हो सकता है उस वक्त भी ऐसा ही संशोधन आ जाय कि इसकी ६ साल मियाद और बढ़ा दी जाय। इसकी सफ़ाई मंत्री जी की तरफ से नहीं हुई कि असल संशोधन विधेयक कब आनेवाला है।

यह प्रसन्नता की बात है कि यह कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐण्ड इविक्शन विधेयक इस सदन में आया। तकलीफ इस बात की है कि जो इसके उद्देश्य और कारण दिये हैं वह अंग्रेजी में हैं। यह नई परम्परा है। यह मैं मानता हूं कि अगर किसी बिल में संशोधन करना हो तो वह संशोधन अंग्रेजी में आ सकते हैं, लेकिन उद्देश्य और कारण जहां तक मेरा खयाल है हिन्दी में आते रहे हैं। इस विभाग ने इस परम्परा को तोड़ा है। मन्त्री जी से मुझे यह निवेदन करना

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†२३ सितम्बर, १९६३ की कार्यवाही में छपा है।

है और सदन के सदस्यों से यह कहना है कि इसके उद्देश्य में अगर यह देखा जाय तो इस पूरे बिल में यह कहा गया है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुपात से शहरों में इतने मकान तैयार नहीं हो सके जिसकी वजह से लोगों के पूरे रहने की व्यवस्था नहीं कर पाये। उद्देश्य अच्छा है। अवश्य व्यवस्था होनी चाहिये। लेकिन इस उद्देश्य की पूर्ति क्या इस संशोधन मात्र से ही हो जाती है। सवाल यह है, श्रीमन्, कि जो सिचुएशन रही है पिछले दिनों में इस सरकार के सामने, उत्तर प्रदेश की जनता के सामने इस पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया है।

श्रीमन्, मुझे यह भी कहने के लिये मजबूर होना पड़ रहा है कि आज इस कानून की न जाने कितनी धाराओं की सिविल अदालतों में छीछा-लेदर हो गयी लेकिन उसके बावजूद भी आज तक उन धाराओं के बारे में कोई संशोधन इस सदन में पेश नहीं किया जा रहा है। इन बातों के रहते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती जिस उद्देश्य और कारण को आपने इस बिल के सिलसिले में रखा है। वजह क्या है? इस पर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं आपके द्वारा माननीय सदन का और मंत्री जी का कि आपने जो ओरीजिनल ऐक्ट है उसमें इस बात का प्राविधान किया है कि उन मकानों पर यह ऐक्ट लागू नहीं होगा जो मकान १ जनवरी, १९५१ के बाद बन चुके हैं या अन्डर कन्सट्रक्शन थे। कहां १ जनवरी, १९५१ और आज २४ सितम्बर, १९६३, इस बीच में क्या परिस्थितियां बदलीं कौन-कौन सी दिक्कतें आईं। सन् १९६१, का सेन्सस क्या कहता है। इन सब बातों को ठीक ढंग से, मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी रखेंगे और सारी परिस्थितियों को देखेंगे लेकिन तकलीफ है कि उन परिस्थितियों को और उन तथ्यों को इस सदन के सामने नहीं रखा गया। श्रीमन्, यह एक ऐसा अहम सवाल है कि आज पापूलेशन किस परसेन्टेज से बढ़ी है, मकान किस परसेन्टेज से बनाए गये हैं, कोई समानता है और अगर है तो वह किस हद तक या किस हद तक नहीं है। इस सदन के सदस्यों का और सरकार का क्या कर्तव्य होता है जनता के प्रति, उसके अधिकारों के प्रति या उसकी आवश्यकता के प्रति इन बातों पर माननीय मंत्री जी की तरफ से कोई प्रकाश नहीं डाला गया। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी जब उत्तर देंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे और उन आंकड़ों को पेश करने की कृपा करेंगे कि १९५१ में क्या पापुलेशन थी और १९६१ में पापुलेशन क्या हुई। कितने मकान उस समय उत्तर प्रदेश (टैम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐन्ड इविक्शन ऐक्ट के मातहत मंत्री जी के कब्जे में आये। उनकी क्या स्थिति है कितने परसेन्टेज मकान मालिकों के हक में छोड़े गये। कितने परसेन्ट मकान जरूरत मन्द मकान मालिकों के नाते उन्हीं के लिये छोड़े गये और दूसरी तरफ कन्सट्रक्शन का क्या प्रोसेस है। उसका क्या परसेन्टेज है। कौन सा प्लानिंग खास तौर से यह कार्य करना चाहता है। इस पर मैं जरूर चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी प्रकाश डालें। उत्तर में इन सारी बातों को सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। वजह यह है कि यह प्लानिंग का युग है। प्लान्ड एकौनामी है और इसकी मन्शा भी अगर आप देखें तो इसके पीछे यह बात छिपी हुई है कि प्लानिंग हम इस बात में भी करने जा रहे हैं कि लोगों को रहने के लिये हम कितनी एकौमोडेशन प्रोवाइड कर सकें। श्रीमन्, इस उद्देश्य की पूर्ति अगर इस ऐक्ट के द्वारा नहीं होती तो मैं यह समझता हूं कि यह ऐक्ट निरर्थक है। यह संशोधन जो माननीय मंत्री जी ने रखा है निरर्थक है। इससे कोई परपज सर्व नहीं होने वाला है।

दूसरी बात, श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता था कि १९५२ के बाद और उसके पहले आप देखें कि मकान के किराये पर क्या असर पड़ा है और इस बात को माननीय मंत्री जी को स्पष्ट रूप से कहना चाहिये था। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि उस समय मकानों के किराये का असेसमेन्ट किस आधार पर किया जायगा और जो आधार उस समय ऐक्ट में बनाया गया था वह आज उचित है या नहीं, इस पर भी मंत्री जी को प्रकाश डालना चाहिये था। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी अपने उत्तर भाषण में इस पर काफी प्रकाश डालेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

क्या आप ज्यादा समय लेंगे ?

श्री कल्पनाथसिंह—

अभी तो श्रीमन्, मुझे बहुत-सी बातें कहनी हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

तो अब हम उठते हैं और २ बजे फिर बैठेंगे ।

(इस समय १ बजे सदन स्थगित हुआ और २ बजकर ५ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष, के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री कल्पनाथसिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा हूं कि १९५२ से अब तक जो हालत है अरबन एरियाज में वह यह है कि पूरी सोसाइटी ४ हिस्सों में बांट दी गयी है । दो तो वह हुए जो मकान मालिक हैं और दो वह हैं जो किरायेदार हैं । मकान मालिक और किरायेदार में जो पहले के मकान मालिक और पहले के किरायेदार हैं उनमें आपस में झगड़ा है। मकान मालिक कहता है कि हमको किराये पर अपना मकान देना पसन्द नहीं । मकान मालिक कहता है कि किरायेदार ने हमारे मकान को तोड़ डाला, उसको खत्म कर दिया । क्या-क्या चार्जेज उसके खिलाफ लगाये जाते हैं और यहीं तक नहीं, इसके कारण सिविल ही नहीं फौजदारी नेचर के भी केसेज बन जाते हैं । यह ऐसा पहलू है श्रीमन्, जिस पर लोगों को ध्यान देना चाहिए । जब मकान मालिक और किरायेदार के संबंध इतने कटु हैं तो फिर आगे जो दो भाग बच जाते हैं मकान मालिक और किरायेदार के उनमें भी आपस में ऐसी तनाव-पूर्ण स्थिति रहती है कि हमेशा शुबहे का वातावरण बना रहता है। मकान मालिक सोचता है कि इस आदमी को हम मकान किराये पर दे रहे हैं तो आगे यह क्या करने वाला है। मकान मालिक डर के मारे मरा जा रहा है । किरायेदार इस उम्मीद में परेशान है कि कब उसको मकान मिले और कैसे वह अपने मकान मालिक को खुश कर ले ताकि वह सारी परेशानियों से बच जाय । यह स्थिति सारी अरबन सोसाइटी में आज मौजूद है ।

दूसरी स्थिति यह है कि फर्ज कर लीजिये एक आदमी को मकान अलाटेड है । सरकारी नौकर है और सरकारी नौकर होने के नाते उस शहर से उसका दूसरे शहर में ट्रांस्फर हो गया । लेकिन अगर इतने कम किराये पर और मौके पर उसको मकान मिला है तो वह उस मकान को कभी छोड़ने के लिये तैयार नहीं होता । उसका अगर ट्रान्सफर भी हो जाता है तो वह कहता है कि उसकी बीबी या बीबी नहीं तो कोई न कोई रिश्तेदार उस मकान में रहता है और इस प्रकार मकान उसके नाम पर बरकरार रहता है । वह मकान उसका पुस्तैनी बना हुआ है । ऐसे भी केसेज हैं कि जहां किरायेदार ने मकान को किराये तक पर उठा रखा है । जो भी मकान एक बार किसी के नाम एलाट हो गया, उसके खाली होने की नौबत कभी नहीं आती । एलाटमेंट में फिर जितनी दिक्कतें सामने और आती हैं वह भी किसी से छिपी नहीं है।

श्रीमन्, इसमें एलाटमेंट करने की डिस्क्रेशनरी पावर्स हैं । आफिसर जिसको चाहे मकान एलाट कर सकता है । आब्जेक्शन फाइल करने का भी अधिकार एप्लीकेंट को नहीं है । उनको यह भी नहीं बताया जाता कि किन ग्राउन्ड्स पर मकान उनको एलाट नहीं हुआ । प्रायारिटी लिस्ट बनती है, मगर उसमें कौन आता है कौन नहीं, इसका कोई पता नहीं । यह ऐसा मामला है जिसे कानून में स्पष्ट होना चाहिये । कुछ संशोधन करने की सरकार सोच भी रही थी, मगर जो हालत आज है उनको दृष्टि में रख कर यह संशोधन होना चाहिये ।

दूसरी बात मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि इसका प्रासेस बड़ा लम्बा-चौड़ा है। अगर किसी के इजेक्टमेंट करने का सवाल है तो सबसे पहले जिलाधीश की परमीशन ली जाय, फिर उसके बाद कमिश्नर आता है, फिर सरकार आती है, वहां की अपील के बाद फिर रिट दायर हो और फिर उसके बाद रेगुलर सूट फायल किया जाय। कितना लम्बा चौड़ा प्रासेस है। इसके बजाय इसमें उसके लिये कोई सीधा प्रासेस होना चाहिये था और वह यह हो सकता था कि वह सीधा सिविल अदालत में चला जाय। आप, जो इजेक्टमेंट की धारा है, उसमें अगर उचित समझें तो कुछ स्पेसिफिक कारण दे सकते हैं कि इन-इन बातों पर इजेक्टमेंट किया जा सकता है।

मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इन सब बातों पर विचार करेंगे और इनको अपने ध्यान में रख कर ही संशोधन करेंगे। उनका क्या इरादा है, उस पर अगर कुछ प्रकाश वे डाल दें तो मैं समझता हूं कि अधिक उत्तम होगा। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव को, जो मैंने रखा है, उचित समझता हूं और चाहता हूं कि मंत्री जी इसे कबूल करें, इसे प्रवर समिति में भेज दें ताकि इसकी खामियों पर वहां अच्छी तरह विचार हो सके और एक उत्तम बिल इस सदन के समक्ष आ सके।

*श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, मैं इस विधेयक के इस संशोधन के सम्बन्ध में खड़ा हुआ हूं। कन्ट्रोल आफ रैन्ट ऐन्ड इविक्शन ऐक्ट सिद्धांत से मूलतः मैं सहमत हूं, पर एक बात बड़े दुख की है। जो संशोधन आज लाया गया है इसे टेम्पोरेरी कहा गया है। मैं आजतक इनके टेम्पोरेरी शब्द का अर्थ नहीं समझ पाया। यह ऐक्ट पहले सन् १९४७ का ४८ में पास हुआ। तब भी टेम्पोरेरी था। १९५१ में इसकी दशा यूं ही चली आई। सन् १९५२ में इन्होंने एमेंड किया लेकिन इनका टेम्पोरेरी शब्द गायब नहीं हुआ। सन् १९५४ में संशोधन किया मगर सन् ४७ का टेम्पोरेरी शब्द चलता रहा। भगवान जाने, इस टेम्पोरेरी शब्द का अर्थ ये क्या समझते हैं। पता नहीं क्या ये सेंचुरी से मतलब समझते हैं। अब टेम्पोरेरी शब्द का अर्थ इन्होंने लगाया है कि १९६३ से १९६९ किया जाय। मैं समझता हूं कि अंग्रेजी की किसी भी डिक्शनरी में टेम्पोरेरी का यह अर्थ नहीं होगा। इससे हर व्यक्ति जो इस ऐक्ट के पंजे में था, इससे प्रभावित था, वह समझता था कि सरकार कुछ संशोधन करेगी और एक अच्छा कम्प्रीहेंसिव कानून लावेगी। ये अनुभव ही करते रहे लेकिन उसे कार्य रूप में परिणत नहीं किया। यह इनके ला डिपार्टमेंट की जबर्दस्त अकुशलता है। मिनिस्टर आफ जस्टिस ने कहा था कि यह ऐक्ट इस बात का तकाजा करता है कि जितनी जल्दी इसमें संशोधन किया जाय अच्छा ही। यदि मुझे ठीक स्मरण है तो महामहिम राज्यपाल के एड्रेस में था कि रेन्ट कन्ट्रोल ऐन्ड इविक्शन ऐक्ट तैयार होगा और एक कम्प्रीहेंसिव ऐक्ट सामने आवेगा लेकिन २ वर्ष हो गया है और कुछ नहीं हुआ है। अब ६ साल तक इनका टेम्पोरेरी ऐक्ट चलता रहेगा। ये आपातिक कर लाये थे, वह टेम्पोरेरी था, लेकिन अब वह परमानेंट हो गया। इन्होंने लार्जलैंड होल्डिंग्स ऐक्ट १३६५ से लागू किया था और उसमें टेम्पोरेरी शब्द नहीं लगा यद्यपि उसे बाद में रिपील कर दिया। हाई कोर्ट के जजेज ने, पूरी बैन्चेज ने, डिवीजन बैंच और सिंगिल बैंच के आब्जर्वेशन्स हैं। उन्होंने इनका ध्यान आकर्षित किया।

मैं सेक्शन्स पर नहीं जाऊंगा। देखने में यह संशोधन बड़ा इन्नोसेंट मालूम होता है। मगर यह मोस्ट मिस्चिवस इस माने में है कि लैंडलार्ड का और किरायेदार का दुख इन्होंने दूर नहीं किया। एक कम्प्रीहेंसिव ऐक्ट ये नहीं ला पाये हैं। सन् १९४७ से १६ वर्ष हो गये मगर अभी टेम्पोरेरी ही चल रहा है। इन्होंने कुछ वायदे किये थे। बड़े शर्म की बात है। हमारी सरकार जुडिशल प्रोनाउंसमेंट्स की कितनी अवहेलना करती है हमारे हाईकोर्ट के जज भी इनके सेंश्योर से बच नहीं पाते हैं। पहले ही कहा गया था कि सरकार इस ऐक्ट को रिवाइज करे वरना हजारों सूट्स चलेंगे। हमारे माल मंत्रीजी नहीं हैं। वह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी]

कह दिया करते हैं कि वकील इसके जिम्मेदार हैं कि मुकदमें बहुत हुआ करते हैं। हाई कोर्ट का ठीक कहना है कि अगर आप अपने कानून में गलतियां करेंगे तो उनका उपयोग करके, उन लैकूना का एडवान्टेज उठाकर, वकील अपने क्लायन्ट को लाभ पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा है कि 'This argument was successfully presented by Mr. Radhika Pd. who took the fullest advantage of the numerous lacunal in the Act. आखिर में उन्होंने कहा है कि इस ऐक्ट पर विचार होना चाहिये। यह भी कहा गया है कि इसके संशोधन करने से बहुत सा अपायडेबिल लिटीगेशन और वेस्ट आफ पब्लिक मनी रोका जा सकता है। मगर हमारी सरकार को पब्लिक मनी का कोई ध्यान ही नहीं है। कितना भी लिटीगेशन में खर्च हो, कसूर आवेगा वकील पर ही कि उसने लड़ा दिया।

श्री उपाध्यक्ष--

आप जरा धीरे बोलें ताकि लिखने में आसके।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी--

बहुत अच्छा, कोशिश करूंगा।

हाईकोर्ट ने सन् १९६० में सरकार का ध्यान आकर्षित किया। उस समय कोई एमर्जेंसी भी नहीं थी। आपने उस समय से अब तक कोई कम्प्रीहेंसिव ऐक्ट नहीं बनाया और वायदे ही करते रह गये। आज पब्लिक से कितना रुपया ड्रेनेज आउट होता है, चाहे वह वकील के पास आवे या सरकार के कोर्ट फीस में जाय। सरकार के मन में दर्द नहीं आया कि इसकी अवधि सन् १९६९ तक बढ़ाने जा रही है। क्या उसने कभी विचार नहीं किया? मैंने कहीं लिखा था और मुझे पता नहीं था कि यह आज आजावेगा, नहीं तो जितने लेकूना हाई कोर्ट ने प्वाइंट आउट किये हैं, मैं सब सरकार के सामने लाकर रख देता। यह इनके टैम्पोरेरी ऐक्ट की दशा है और इस शब्द का इनका अर्थ है। मैं २, ४ मिसाल दे दूं। इस ऐक्ट में कुछ महान गलतियां हैं। हमारी सरकार जो कुछ भी कानून बनाती है, उसमें पोलीटिकल दृष्टि रखती है। वह उससे कभी बाज नहीं आ सकती है। इसमें सेक्शन्स ३, ७ और ७-एफ ऐसे हैं कि स्टेट को फाइनल अथारिटी है। आखरी फैसला सरकार के हाथ में है। सरकार में वर्षों लग जाते हैं मगर कोई फैसला नहीं होता है। यह सरकार इसलिये संशोधन नहीं कर रही है कि संशोधन करने से हल्ला होगा कि आप स्टेट गवर्नमेंट की, कमिश्नर की, ये सब एग्जीक्यूटिव पावर्स हटाइये। यही कारण है कि सरकार एक कम्प्रीहेंसिव बिल नहीं ला रही है। क्या बताऊं? सेक्शन ३ इनके विशेषज्ञों ने बनाया होगा। अब किसी को इजेक्ट करना हो तो उसे दफा १०६, ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, में नोटिस देना पड़ता है। आवश्यक है कि वह नोटिस दे और उसके बाद क्लेक्टर से उसको परमीशन लेनी पड़ेगी। तो पहले दफा १०६ का नोटिस दिया। क्लेक्टर ने जिस दिन आर्डर दे दिया तो कानूनन तो उसकी टेनेंसी खत्म हो गयी और उस दिन से वह ट्रेसपासर हो गया। अब उसने सूट फाइल कर दिया और वह अगर १२ साल तक चलता रहा तो उस समय उसकी क्या पोजीशन होगी, इसका कोई ख्याल नहीं रखा गया है। दूसरी बात आक्यूपेशन की है। उसके लिये उसको डेमेजेज का सूट फाइल करना होगा। इस तरह की दिक्कतें हैं लेकिन सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। एक अधिकार यह भी दिया हुआ है कि क्लेक्टर लैन्ड लार्ड से कहेगा कि वह लैट (Let) करे और अगर वह लैट नहीं करता है, उसकी आज्ञा नहीं मानता है तो सेक्शन ८ में वह उसको केवल जेल भेज सकता है। ऐसी भी परिस्थितियां हैं जिसमें लोग हाईकोर्ट तक गये हैं और बरसों उनमें लग गये हैं। लेकिन इस सरकार ने सन् १९५८ से इस कानून को बदलने की कोई जरूरत महसूस नहीं की और वह केवल अपनी ब्रूट मेजोरिटी के बल पर। जो लोग यहां बैठे हुए हैं उनका जनता के दुख से दुख नहीं होता, उनके दर्द से दर्द नहीं होता। आज लैंड लार्ड टेनेन्ट्स को तरह-तरह से तबाह कर

रहे हैं। सरकार की तरफ से कहा जाता है कि आबादी मकानों के अनुपात से अधिक बढ़ रही है इसलिये उनकी कमी है। लेकिन बात सारी यह है कि आपके इस कानून से न तो टेनेंट ही अपने को सिक्योर फील करता है और न लैंडलार्ड ही।

एक बात और है। मान लीजिए कलेक्टर ने 'ए' को आर्डर दिया कि मकान 'बी' को दे दिया जाय। लेकिन ए और जेड का मकान के मालिकाना में झगड़ा है और जेड जिसके कब्जे में वह मकान है उसको नहीं देता है, क्योंकि वह तो उस आर्डर से बाउंड नहीं है, तो क्या होगा, इस बारे में इस कानून में कोई प्रावीजन नहीं है। इस प्रकार बहुत-सी ऐसी बातें हैं।

इस ऐक्ट में १८ सेक्शन्स हैं जिनमें से १२ सेक्शन्स ऐसे हैं जिनको बदलने की आवश्यकता है और मालिक मकान और टेनेंट दोनों के हित में उसको बदला जाना चाहिये। मगर अभी ये १९६९ तक इस ऐक्ट को ओवरहाल नहीं करेंगे। यद्यपि इस सरकार के पास बहुत-सा समय था जिसमें वह इस कानून को बदल सकती थी या उसकी म्याद पहले से बढ़ा सकती थी लेकिन इस सरकार का तो यह कायदा ही है कि वह गड़हे के सामने खड़ा करके फिर उसको दिखाती है कि इससे बचाओ। ३० तारीख को इसकी लाइफ एक्सपायर हो रही है और हमसे कहा जाता है कि इसकी म्याद को बढ़ा दिया जाय। स्वाभाविक है कि हम सभी कहेंगे कि जब ३० सितम्बर को इस ऐक्ट की जिन्दगी समाप्त हो रही है तो उसे आगे के लिये बढ़ा दें। बहुत से लोग कहते हैं कि इसकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है। लेकिन मैं कहता हूं कि सरकार ने गुड फेथ में इसको नहीं किया है। अगर गुड फेथ में सरकार इसे लाती तो इस ऐक्ट की जिन्दगी को ३१ दिसम्बर तक ही बढ़ाती या जैसे कि एक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया था कि इसकी जिन्दगी को ३१ मार्च तक बढ़ा दिया जाय वैसा ही कर देती। लेकिन आज १३ वर्ष के बाद भी यह घपला रह गया। क्या हमारा ला डिपार्टमेंट इस योग्य नहीं है कि वह ३१ मार्च तक इस ऐक्ट में अमेंडमेंट करके एक शुद्ध कम्प्रीहेंसिव बिल लावे और माननीय हाईकोर्ट की रूलिंग्स जो इस बीच में हुई हैं उनको ध्यान में रखते हुए नया बिल लावे? मुझे माननीय मंत्री जी द्वारा ६ महीने की बात सुन कर बड़ी चोट लगी। माननीय मंत्री जी का यह कहना कि दरख्वास्त देने पर हम इनक्वायरी करेंगे, मैं कहता हूं कि जो चीज मेरी आंखों से देखी हुई है उसमें शहादत की क्या बात है। ऐसे कहने के लिये चाहे सरकार जो कुछ भी कहे, लेकिन मेरा पूर्ण विश्वास है कि यह ऐक्ट सन् १९६९ से पहले कभी अमेंड नहीं होगा। इसका टेम्पोरेरी शब्द जो १३ वर्ष से चला आ रहा है वह परमानेंट हो जायगा। १३ वर्ष के बाद भी वह बदलने वाला नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं कहता हूं कि अगर सरकार नेक नीयती से इस ऐक्ट में अमेंडमेंट करना चाहती है तो जैसा कि मैंने सेक्शन ३, ७ व ७ एफ का जिक्र किया, इस पर विचार किया जाय और लीगल पोजीशन को साफ कर दिया जाय कि लेट आउट करने या न करने से किसको क्या नफा या नुकसान है। इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं।

*श्री तमेश्वरप्रसाद (जिला बस्ती)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मैंने बड़े गौर के साथ माननीय माधोप्रसाद जी त्रिपाठी के भाषण को सुना। यह तो सब को मालूम ही है कि ३० सितम्बर को यह ऐक्ट एक्सपायर कर जायगा तो क्या हालत होगी। आज जितने भी टेनेंट्स मकानों में कम रेंट पर रहते हैं और जिनको बीस बीस साल से उसी मकान में रहने की सुविधा है और कम किराया देने की सुविधा है, वह समाप्त हो जायगी। यह हालत हो जायगी कि मकान मालिक लोग उनको बेदखल कर देंगे और वे लोग बिना घर-बार के हो जायेंगे। जो यह बार-बार कहा गया है कि जो मौजूदा प्रोविजन है अपील का या रिवीजन का, वह बहुत कास्टली है और बड़ा परेशान करने वाला है, वास्तव में इस ऐक्ट से रेंट के रूप में टेनेंट्स को ही फायदा है और इसमें इस बात का प्रोवीजन किया गया है कि जगह-जगह ऐसा अड़ंगा लगाया गया है जिसके कारण टेनेंट बेदखल नहीं हो सके। मसलन अगर किसी टेनेंट को बेदखल करना है तो दीवानी में दावा दाखिल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री तमेश्वरप्रसाद]

करने के लिये उसे पहले डिस्ट्रिक्ट सप्लाई आफिसर से परमिशन लेना होगा। जब वह परमिशन की दरख्वास्त देगा तो ओनर को नोटिस जायगा और नोटिस देने के बाद वह अपना आब्जेक्शन दाखिल करेगा और फिर उसकी हियरिंग होगी और हियरिंग होने के बाद डिसीजन होगा और उसके खिलाफ रिवीजन कमिश्नर को लाई करता है। तो जो सुविधा टिनेंट को दी गयी है वह उनके इन्टरेस्ट में है और उनके प्रोटेक्शन के लिये ही यह ऐक्ट है। अगर आप चाहते हैं कि यह सब हटा लिया जाय या इस ऐक्ट को रिवील कर दिया जाय तो इसका माने यह होगा कि जो इल्जाम आप इस तरफ के लोगों पर लगाते हैं कि कांग्रेस के लोग कैपिटलिस्ट हैं और कैपिटेलिस्टों का साथ देते हैं वह इल्जाम आप पर ही जायगा क्योंकि जिन गरीब किरायेदारों के लाभ के लिये यह बनाया गया था जो १००, ५० या १५० रुपया पाते हैं वेतन में और मुद्दत से थोड़ा किराया देते हैं उन के ऊपर ज्यादती होगी और उन को एक दम उस को खाली करना पड़ेगा।

यह जो कहा गया कि इसमें टैम्पोरेरी बराबर लिखा चला आता है असल में ऐक्ट में खुद ही लिखा है कि यह टैम्पोरेरी इस वास्ते हैं कि १९५२ के बाद जो मकान बने हैं उन पर यह लागू नहीं है। १९५२ के बाद के मकानों के जो मकान मालिक हैं वह जितना चाहें किराया ले सकते हैं। उन पर किराया लेने के मुताल्लिक कोई पाबन्दी नहीं है वह जितना चाहे किराया ले सकते हैं। इसलिये नये मकानों पर कोई रुकावट नहीं है, उनके बनाने में कोई असुविधा नहीं है, उनको राइट है कि वह अपना रुपया लगा कर नये मकान बनायें और उन्हें मन चाहे किराये पर दें। उन पर यह ऐक्ट लागू नहीं है लेकिन उसके पहले के मकानों पर यह ऐक्ट लागू है इसलिये मेरी समझ में यह जो कहा गया कि सरकार कैपिटलिस्ट है, वह बहुमत में बैठी है और हमारे ऊपर इस तरह से कानून लादा जा रहा है, यह कहना उचित नहीं है। आप तो यह दावा करते हैं कि हम गरीबों के लाभ को देखते हैं और जो कांग्रेस के लोग हैं वह पूंजीपतियों के लाभ को देखते हैं लेकिन जो आर्गूमेंट हुये हैं उन से जाहिर है कि जो ऐक्ट टेनेंट्स के लाभ के लिये हैं उसके एक्सटेंशन में बहुत परेशानी है, आप को बड़ी हमदर्दी है और आप यह भी कहते हैं कि एक्सटेंशन क्यों हो रहा है। सन् १९४७ में जो हालत मकानों के बनने की थी उसमें कोई इजाफा या कमी होती है या किरायेदारों की हालत सुधरती है और अगर देखा जाय कि कैसे संशोधन किया जाय और उन को कैसे लाभ पहुंचाया जाय तो अब तक जो देखा गया है उस से यही मालूम होता है कि १९४७ से ६३ तक के समय में कोई तब्दीली नहीं हुई है और किरायेदारों की हालत सन्तोषजनक नहीं है।

इसके बहुत से प्राविजन्स का जिक्र माननीय त्रिपाठी जी ने किया। हम भी इसी ऐक्ट के मातहत मुकदमे करते हैं और इसके बारे में जानते हैं और शायद उन से ज्यादा केसेज करते हैं। उन्होंने जिलाधीश का हवाला दिया, आप देखें कि कोई मकान मालिक है और वह दूसरे मकान में किराये पर है और इत्तिफाक से उसके टेनेन्ट ने मकान खाली कर दिया तो उस को हक नहीं है कि वह अपने मकान में खुद आ जाय तब तक कि सप्लाई आफिसर के यहां से उसको एलाटमेंट अपने फेवर में न मिल जाय। इस तरह से बहुत सी रेस्ट्रिक्शन्स की गई हैं ताकि आम जनता को हर तरह से मकान में रहने की सुविधा हो और कम किराया देकर भी वह सेफ रहें। मेरे ख्याल से यह ऐक्ट किरायेदारों के लाभ के लिये है और इस में ऐसी कोई खराबी नहीं है। अब इसमें और क्या अच्छे संशोधन हो सकते हैं यह एक दूसरी बात है और इस विषय में सोचा जा सकता है लेकिन अब जब कि इसका समय खत्म हो रहा है तब कोई और आल्टरनेटिव नहीं है सिवा इसके कि अब इसके समय को बढ़ा दिया जाय और समय के न बढ़ाने से किरायेदारों का बड़ा नुकसान होगा। इसलिये मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, इस संशोधन बिल को पेश करते हुये माननीय मंत्री जी ने जो बयान दिया उस में उन्होंने बहुत सी बातों का जिक्र किया। उन्होंने यह स्वीकार किया कि इस बिल में जब से यह बना है उन्हें बहुत सी खामियां

नजर आईं और उन्होंने कहा कि लोगों को इससे बड़ी परेशानियां हैं। उन्होंने [illegible] है। साथ ही यह भी कबूल किया कि इस विधेयक का समय ६ साल बढ़ा दिया जाय उसके बाद बहुत सी तरमीमें लाने वाले हैं और एक कम्प्रिहेंसिव बिल लायेंगे। मंशा उनका साफ है या सदस्यों तथा जनता को भुलावे में डालना चाहते हैं और अगर मंशा वही है जो कहते हैं तो ६ साल का समय बढ़ाना गलत है। अगर विधेयक में तरमीम करनी है तो इसको अगले अधिवेशन में ला सकते थे, २,४,६ महीने की अवधि बढ़ा लेते। अगर ऐसा बिल आता तो मैं उनके भाषण पर विश्वास करता। लेकिन ऐसा है नहीं। जब से ऐक्ट बना है तब से जब जब इसकी अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव आया तब तब यही कहा गया कि एक कम्प्रिहेंसिव बिल लाने वाले हैं इसलिये इसका समय बढ़ा दिया जाय। पिछली कार्यवाही में पढ़ना चाहता हूं। माननीय अली जहीर ने कहा था "असल में हमारा इरादा था कि हम इस ऐक्ट में और तरमीम भी करें जो गुजिस्ता तजुर्बे की बिना पर हमको जरूरी महसूस हुई हैं और बाज-बाज जरूरी तरमीमें ऐक्ट में रखी जायं लेकिन चूंकि समय बहुत कम था इसलिये नहीं हो सका।" इसी सिलसिले में आगे चल कर कहते हैं, १३ अगस्त, १९५८ को पृष्ठ ३६६ पर "जी हां, हमारा इरादा एक बिल पेश करने का है उसके लिये गालिबन एक सेलेक्ट कमेटी भी बैठेगी और मेम्बर को अधिकार होगा कि अपने मन के मुताबिक राय वहां दे सकेगा।" तो ऐसा लगता है बहुत अर्से से इस बिल में संशोधन लाने वाले हैं और आज उसकी मियाद खत्म होने को आयी तो फिर कह रहे हैं ६ साल के लिये मियाद बढ़ा दें ताकि काम्प्रिहेंसिव बिल ला सकें। तो मंत्री जी बतायें उनकी असल में मंशा क्या है? अगर उनकी मंशा सही है तो ४, ६ महीने की मियाद बढ़वा लें और अगले अधिवेशन में बिल ले आयें।

इसमें जो तमाम खामियां हैं वह तो नहीं रख सकता, लेकिन एक फोटोग्राफ आपके सामने पेश कर रहा हूं जिसमें केन्द्र के एक मंत्री के भाई साहब हैं उनका नाम है कृष्णदेव मालवीय वह बनारस में एक गरीब आदमी के मकान में रहते हैं और मकान मालिक खुद भटकता फिर रहा है। ६० रुपये के किराये पर उस मकान में रह रहे हैं। वह कोयले के ठेकेदार हैं और कई हजार रुपये मासिक आमदनी है लेकिन जबरदस्ती उस मकान को लिये हुये हैं जबकि उन्होंने अपना दूसरा मकान बनवा लिया है जिसको १५० रुपये किराये पर उठाये हुये हैं। यह तस्वीरें यहां मौजूद हैं। खबर यह भी है कि हाल ही में दो मकान और बनाने जा रहे हैं जो महल के बराबर बड़े होंगे। ऐसी हालत में एक गरीब आदमी के मकान को जबरदस्ती कब्जे में किये हुए हैं। तो ऐसी गुंजायश इस बिल में है।

दूसरी तस्वीर है एक बुनकर की जिसने अपनी कमाई को बचाकर एक मकान खरीदा। उस मकान में रहने के लिये वह कब्जा नहीं पा रहा है जब कि वह एक छप्पड़ में रहता है। उसके परिवार में २५–३० आदमी हैं जो सड़कों पर निवास कर रहे हैं और अपने मकान में नहीं रह पा रहे हैं। इस कानून में कोई गुंजायश नहीं है कि एक आदमी कितने मकान रखेगा और रेंट कंट्रोल में भी मकान जबरदस्ती ले रखेगा? मैं अदब से कहूंगा कि अगले सेशन में संशोधन विधेयक ले आना चाहिये जिससे प्रदेश की जनता को राहत मिल सके, न कि प्रदेश की जनता को धोखे में डाल कर ६ साल तक इस विधेयक की मियाद बढ़ाई जाय। इस संशोधन विधेयक के लिये ३१ मार्च, १९६४ तक का ही समय काफी है और फिर सरकार एक काम्प्रिहेंसिव बिल ले आये।

*श्री गिरधारीलाल (जिला वाराणसी)—

उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में यह जो कंट्रोल आफ रेंट ऐंड इविक्शन (संशोधन) विधेयक प्रस्तुत है उस पर अपने विचार प्रकट करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। सन् १९४२ में डी०आई० आर० के जरिये यह कानून प्रचलित हुआ। उसके बाद सन् १९४७–५३ और ५८ में तीन बार संशोधन विधेयक के रूप में यह बिल सदन के सामने आया और हर बार सरकार की तरफ से यह कहा गया कि जल्दी में यह बिल आ रहा है, अन्यथा पूरे तौर से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गिरधारीलाल]

जितनी बातों की शिकायत है सबका समावेश करके एक काम्प्रिहेंसिव बिल ले आया जायगा। जब सरकार यह महसूस कर रही है कि इस बिल में खामियां हैं तो फिर ६ साल के लिये यह संशोधन विधेयक सदन के सामने सरकार क्यों ला रही है ? मैं समझता हूं कि ३१ मार्च या ३१ दिसम्बर, तक का समय पर्याप्त होगा। इसकी मंशा चाहे जो रही हो, किरायेदारों को इससे जो भी फायदा पहुंचता रहा हो, लेकिन आज उसकी मंशा के बिलकुल विपरीत हो रहा है। आज इस तरह के कानून से लोगों को दोहरा नुकसान हो रहा है।

एक तरफ कहा जाता है कि सरकार किरायेदारों को फायदा पहुंचा रही है, लेकिन जो किरायेदार सन् १९५२ के बाद अपने मकान बनवा चुके हैं उनको सरकार ने छूट दे रखी है कि वे मनमाना किराया लें। जिस मकान में वह किरायेदार सन् १९४० से पहले आबाद था और १० रुपये महीने पर मकान लिये हुये था वह कानून के हिसाब से २५ फीसदी उसका किराया बढ़ा कर साढ़े १२ रुपया दे कर उस मकान में आज भी आबाद है और दूसरी तरफ अपना मकान १९५२ के बाद बनवा कर १०० या २०० रुपया किराया ले कर नाजायज फायदा उठा रहा है। क्या हमारे सदन की यह मंशा है कि कुछ लोग थोड़ा सा पैसा लगा कर इस तरह से फायदा उठा सकें और दूसरी तरफ कुछ लोग जिनके मकान सन् १९५२ से पहले बने हुए हैं और जिनके मकानों में किरायेदार रह रहे हैं नुकसान उठायें। इस सदन के सामने सारे प्रदेश की जनता का सवाल है चाहे कोई अमीर हो अथवा गरीब हो। सरकार की तरफ से इस तरह का कानून होना चाहिये जिसकी दृष्टि में सब बराबर हों। लेकिन आज इस कानून की दृष्टि में दो तबके के लोग हो गये हैं। एक ही पड़ोस में दो मकान एक तरह के हैं, लेकिन एक का किराया कुछ है और दूसरे का किराया कुछ है। तो एक ही कानून से एक तरह के लोग फायदा उठायें और दूसरे तरह के लोग नुकसान उठायें यह नहीं होना चाहिये और सरकार को चाहिये कि जितनी भी खामियां इस कानून के अन्तर्गत हैं उनको ३१ मार्च तक एक काम्प्रिहेंसिव बिल ला कर खत्म कर देना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे समय की मांग को देखें और इस कानून के लिये जो उन्होंने १९६९ तक का समय लिया है उसको रद्द कर के ३१ मार्च, १९६४ तक मंजूर करें।

*श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक इस सदन के सामने प्रस्तुत है मैं उसका घोर विरोध करता हूं इस माने में कि जो मंशा इस विधेयक के जरिये प्रकट की गयी है उससे साफ जाहिर होता है कि यह सरकार एक तरह से अपने आदमियों से रोजगार कराने जा रही है और वह रोजगार जैसा कि अभी माननीय गिरधारीलाल जी ने बहुत स्पष्ट बातें कहीं, मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा, कि एक तरफ तो गरीब आदमी के मकान पर थोड़े किराये में लोग कब्जा किये हुये हैं और दूसरी तरफ नये मकान बना कर बड़े किरायों पर उठाये हुये हैं और वह गरीब आदमी जिसका अपना मकान है उसके रहने के लिये कोई स्थान नहीं है और जब वह खाली हो तो भी उसमें जा नहीं सकता।

इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों में यह दिया हुआ है कि मकानों की संख्या बहुत ही कम है उनका निर्माण भी उस अनुपात में नहीं हो रहा है जिस अनुपात में जनसंख्या में बढ़ोत्तरी हो रही है। तो पहले तो हम दूसरे प्रान्तों पर सीमेंट आदि के लिये निर्भर करते थे, लेकिन अब हमारे यहां ही मिर्जापुर में गवर्नमेंट की सीमेंट फैक्टरी है जिसमें प्रोडक्शन भी बहुत काफी हो रहा है। फिर भी सरकार ने आज कोई ऐसा इंतजाम नहीं किया जिससे शहरों और गांवों में गृह निर्माण योजना में बढ़ोत्तरी हो। आज सीमेंट वितरण का तरीका इतना लज्जाजनक है कि ब्लैक से तो आप १४ रुपये बोरी आसानी से जितनी चाहें सीमेंट ले सकते हैं लेकिन अगर सप्लाई आफिसर या तहसीलदार के यहां जायं तो एक बोरी की परमिट मिलेगी और उसके लिये भी दो, तीन रुपये आपके आने जाने में ही खर्च हो जायेंगे। इसी तरह अगर आप ईंट की पूछें

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तो ईंट का तो मिलना भी मुश्किल है। अगर आप भट्ठा लगाना चाहें तो वह भी मुश्किल है क्योंकि कोयला नहीं मिलता। पहले जिसके पास पेड़ थे वह उन्हीं को काट कर अपना भट्ठा लगा लेता था, लेकिन आज उसके लिये भी इजाजत लेनी पड़ेगी। चाहे पूरा पेड़ सूख गया हो, लेकिन अगर जरा भी कहीं हरा रह गया तो उसे काटने के लिये इजाजत लेनी पड़ेगी। यही सब कारण हैं जिनकी वजह से मकानों का निर्माण नहीं हो रहा है।

दूसरे अगर आज आप देखें तो धनी धनी होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। नतीजा यह होता है कि गरीब जो किसी तरह से पैसा इकट्ठा करके अपनी झोपड़ी लगाना चाहता है वह भी मुश्किल हो गया है। आज आप गाजीपुर म्युनिसिपल एरिया में जायें तो वहां खंडहर ही खंडहर नजर आयेंगे। पन्द्रह साल से ऊपर आजादी को हो गये, लेकिन खंडहरों की तादाद बढ़ती जा रही है। आज बाढ़ में सैकड़ों की तादाद में मकान गिर रहे हैं। जब देश की यह हालत हो कि लाखों की तादाद में मकानात गिर रहे हों तो आवास की व्यवस्था सरकार या जनता कैसे करेगी, यह सोचने की बात हो जाती है।

जहां तक इस विधेयक का सवाल है माननीय मंत्री जी ने कहा है कि यह बड़ा निर्दोष विधेयक है जो इसमें ६ साल के लिये पीरियड ऐक्सटेंड किया है। मैं माननीय सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि तीन बार इसका पीरियड ऐक्सटेंड किया गया है। पहली बार जो ऐक्सटेंड किया गया था....

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो आ चुका है।

श्री कमलासिंह यादव—

इसीलिये मैं संक्षेप में ही कहूंगा। पहली बार इसका पीरियड चार साल के लिये बढ़ा था, दूसरी बार ५ साल के लिये और अब ६ साल के लिये बढ़ाया जा रहा है। मैं इसी पर सदन का ध्यान दिलाना चाहता था कि इस सरकार की यह परिपाटी है कि पहली बार ४ साल के लिये बढ़ाया गया तो दूसरी बार ५ साल के लिये और तीसरी बार ६ साल के लिये बढ़ाया जा रहा है। लेकिन सदन को देखना चाहिये कि पहली बार जब ४ साल के लिये बढ़ाया गया था तो सरकार ने कौन सी सहूलियत जनता को दी, ५ साल के लिये बढ़ाया गया तो सरकार ने क्या किया और अब ६ साल के लिये बढ़ाया जा रहा है तो सरकार क्या करेगी?

जब सदन खत्म हो रहा था तो मंत्री जी कह रहे थे कि एक विधेयक वे ला रहे हैं और उसमें बहुत से अमेंडमेंट्स आयेंगे उस पर हम लोग बोलें। मैं यह कह रहा हूं कि जब ४ साल और ५ साल के लिये इसका पीरियड बढ़ाया गया तो उस समय भी मंत्री जी यही कह रहे थे। उसको हमने देखा और अब ६ साल के लिये बढ़ोत्तरी हो जायगी तो क्या हालत होगी इसको भगवान ही जाने। मैं यह कहूंगा कि मंत्री जी ने जो नेकनीयती दिखाई है वह वाकई है कि एक कम्प्रिहेंसिव बिल ला रहे हैं तो अगली बार जब सेशन बैठे, उससे एक आध महीने बाद तक के लिये इसका पीरियड ऐक्सटेंड करा लें तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन मंत्री जी ६ साल के लिये चाहते हैं उसके लिये हम तैयार नहीं हैं।

दूसरी चीज यह है कि इस विधेयक को हमेशा टेम्पोरेरी के रूप में लाया जाता है। जब आप जानते हैं कि हमारे प्रदेश में ऐसी स्थिति है कि हम अधिक से अधिक मकानों का निर्माण नहीं कर सकते हैं हमारे प्रदेश की जनता की ताकत इतनी नहीं है कि अधिक से अधिक संख्या में मकान बना सकें और हम देख रहे हैं कि जिस अनुपात में जन-संख्या बढ़ रही है उसको हम ठीक तरह से मीट नहीं कर सकते हैं तो ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि मंत्री जी को यह चाहिये था कि एक परमानेंट विधेयक ले आते ताकि बार-बार एक्सटेंशन की जरूरत न रहती क्योंकि आप देखते हैं कि जब-जब पीरियड ऐक्सटेंड करने के लिये बिल लाया जाता है तो सदन का काफी समय और रुपया बरबाद होता है।

[श्री कमलासिंह यादव]

एक चीज और कहना चाहता हूं कि सैक्शन ७ (एफ) में पावर्स ली गई है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आज्ञा न दे तो कोई भी आदमी एविक्शन का दावा कोर्ट में नहीं कर सकता है और अगर कोई पार्टी डिस्सेटिसफाइड है तो कमिश्नर के यहां रिवीजन दाखिल करेगी और वहां से फाइनल होगा। लेकिन फिर भी सरकार ने अधिकार ले लिया है और मंत्री जी कहते हैं कि सरकार के लिये जरूरी है। वे दूसरी लाइट में कह रहे हैं। वह कहते हैं कि एक्जीक्यूटिव फाइनल सेंक्शन देती है तो पावर एक्जीक्यूटिव के पास ही रहनी चाहिये। इस सैक्शन में यह दिया हुआ है कि :—

"The State Government may call for the record of any cause granting or refusing to grant permission for the filing of a suit for eviction referred to in Section 3 or requiring any accommodation to be let or not to be let to any person under Section 7 or directing a person to vacate any accommodation under Section 7-A and may make such order as appears to it necessary for the ends of justice."

इस तरीके पर परमीशन बेदखली या दावा करने के लिए ही नहीं है बल्कि साथ ही साथ मकान किराये पर दे दिया जाय या न दिया जाय, मकान खाली कराया जाय या न कराया जाय यह सब बातें आ रही हैं। इसमें जुडिशल और एक्जिक्यूटिव दोनों का काम आ जाता है। सेक्शन १६ में एक बड़ी भारी पावर है—

"No order made under this Act by the State Government or the District Magistrate shall be called in question in any Court."

इस तरह से कोई भी कुकृत्य करे उस पर परदा पड़ जाता है, उसी तरह से गवर्नमेन्ट कुछ भी करे उस पर परदा पड़ जाता है क्योंकि उसके आर्डर के खिलाफ आप कोई भी रिलीफ सीक नहीं कर सकते। नतीजा यह हो रहा है कि इसकी आड़ में जो मन चाहा वह किया। कलेक्टर और कमिश्नर न्याय करने की कोशिश करते हैं, एक दो परसेंट केसेज ऐसे हैं जिन में अन्याय होता है। अगर सरकार में पहुंच हो तो उनका आर्डर खत्म हो जाता है। इससे बहुत बड़ा खतरा प्रदेश के सामने है जबकि छः साल के लिये हम एक्सटेंशन देते हैं।

दूसरी चीज यह कही गयी कि लिटिगेशन बहुत बढ़ता जा रहा है। अगर सरकार की वाकयी यह मंशा है कि लिटिगेशन न बढ़े तो कोर्ट फीस से एग्जेम्ट कर देते, लेकिन कोर्ट फीस से भी एग्जेम्ट नहीं किया। सरकार यह सोच रही है कि जितना लैकुना हम रखेंगे उतना ही लिटिगेशन होगा और हमारी आमदनी बढ़ेगी। सरकार एक तरह से रोजगार कर रही है।

मंत्री जी ने यह जो रवैया अख्तियार किया है कि आध घंटे में, दो घंटे में, एक-एक दिन में पांच-पांच बिल पास करवा लें यह देश के लिए बहुत घातक है। उसका नतीजा यह हो रहा है कि देश का रुपया बरबाद हो रहा है। जब इस वक्त आपातकालीन परिस्थिति है उस वक्त भी अगर यह हालत रही तो बहुत ही शर्म की चीज होगी।

हमारे ला डिपार्टमेन्ट की बहुत ज्यादा खामियां हैं। मालूम होता है कि सरकारी अफसरों की सिफारिश से ला डिपार्टमेन्ट में लोग आ जाते हैं या मंत्री जी का कोई खास आदमी हो गया तो उसको उन्होंने रख लिया, लेकिन यह देखने की कोशिश नहीं की कि ला डिपार्टमेन्ट जो काम करता है उसके लिए वह कहां तक जिम्मेदार है, बल्कि जब जिम्मेदारी का सवाल आता है तो हम देखते हैं कि जब पंचायत राज ऐक्ट का मामला आया तो कृपलानी जी ने कहा कि ला डिपार्टमेन्ट जिम्मेदार है। ला डिपार्टमेन्ट ने कहा कि प्लानिंग वाले जिम्मेदार हैं। इस तरह की चीज अगर इस प्रदेश में हो इस तरह से पब्लिक का रुपया बरबाद किया जाय तो इससे बढ़ कर हास्यास्पद चीजें क्या हो सकती हैं? सरकार को चाहिये ला डिपार्टमेन्ट में काबिल आदमी रखे, जिम्मेदार आदमी रखे जो कि जिम्मेदारी से काम करें ताकि यह अमेंडमेंट्स जो डेली हुआ करते हैं वह ऐसे न आकर एक बार

आवें और उन पर दो-चार रोज बहस हो जाय और हर तरह का अमेंडमेंट हो जाय, तो यह ज्यादा अच्छा होगा । इस तरह से सरकार जल्दबाजी न करके कानून के ऊपर अच्छी तरह से ध्यान दे और ठीक तरह से कानून बनावे जैसे कि अंग्रेजों के जमाने में बनते थे । श्रीमन्, को यह याद होगा कि तीन ला अंग्रेजों के जमाने के बने हुए हैं--इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसिजर कोड और इंडियन एविडेंस ऐक्ट । इंडियन पेनल कोड के मुताल्लिक तो कोई भी यह नहीं कह सकता कि कोई भी आदमी प्रदेश के अन्दर कानून के खिलाफ कोई काम करे और वह उसके क्लाजेज के अन्दर न आये । इस तरह की चीज अंग्रेजों ने हमारे देश के अन्दर छोड़ी है और उसके मुकाबिले का कोई भी कानून आज तक नहीं बना । तो अगर सरकार काबिल आदमी रखे और अच्छा कानून बनाये तो यह दिक्कत जो रोजमर्रा हमारे सामने आ रही है वह नहीं आयेगी । इन शब्दों के साथ में इस विधेयक का विरोध करता हूं ।

*श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा ऐसा विश्वास था कि यह विधेयक जो कि एक पंक्ति का है और संख्या ३ को परिवर्तित करके ९ किया जा रहा है, अर्थात् इस विधेयक का काम, इसका मंशा १९६३ में समाप्त हो रहा था उसको १९६९ तक की अवधि बढ़ायी जा रही थी, इस पर इस भवन में विवाद नहीं होगा । लेकिन, श्रीमन्, एक बहुत ही दिलचस्प विवाद विरोधी दल के आदरणीय सदस्यों ने उपस्थित कर दिया है और उनको इस बात का एतराज है कि विधेयक जो कि खामियों से भरा हुआ है इसकी अवधि १९६९ तक नहीं बढ़ानी चाहिए थी । श्रीमन, दिलचस्प शब्द का प्रयोग मैंने इसलिए किया कि समाजवाद के कर्णधार जिस प्रकार से और जिस दृष्टिकोण से इस विधेयक में खामियां पाये हैं वह हमारे देश के लिए बड़ा घातक होगा । प्रजा समाजवादी दल के हमारे आदरणीय साथी जब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि वे बेचारे रिक्शे वाले गरीब जिन्होंने मकान बना लिये हैं वे बड़े संकट में पड़ गये हैं । श्री माधोप्रसाद जी त्रिपाठी ने कहा कि इस विधेयक में संशोधन होना चाहिए, लेकिन उनकी आत्मा साफ नहीं थी, वह यह नहीं बता सके कि मकान मालिकों के पक्ष में संशोधन होना चाहिए या टेनेन्ट्स के पक्ष में, इस बात का फैसला उन्होंने गवर्नमेंट के जिम्मे छोड़ दिया । एक समाजवादी दल के सदस्य खड़े हुए । उन्होंने बताया कि एक इतना गरीब मकान मालिक है जिसके मकान में एक धनी आदमी ने कब्जा कर लिया है और वह मकान मालिक फोटो लेकर, घूम रहा है जोकि बिना मकान के है । यदि इस तरह से हमारे समाजवाद के कर्णधार मकान मालिकों को और आगे चलकर राजाओं को, पूंजीपतियों को और ताल्लुकेदारों को सबको गरीब की संज्ञा देना शुरू कर देंगे तो हमारे समाज में, हमारे देश में, गरीबी और समाजवाद का एक बहुत ही नग्न उपहास हमारे मित्र करेंगे ।

श्रीमन्, टेंम्पोरेरी शब्द पर बड़ा एतराज किया गया । मैं समझता हूं कि जो विधेयक की प्रवृति है जो कि इसकी आवश्यकता है उसमें यह केवल टेम्पोरेरी ही रह सकता है और यदि सरकार ने इसे परमानेन्ट विधेयक बनाया तो मैं समझता हूं वह बहुत ही अदूरदर्शिता का कार्य करेगी । आखिर, परिस्थिति क्या है जिस कारण कि यह विधेयक बनाया गया है ? हमारे प्रदेश और प्रदेश के नगरों में मकानों की कमी है । आज उद्योगीकरण का जमाना चल रहा है । शिक्षा का जमाना चल रहा है और बहुत से लोग गांवों से आकर के नगरों में शरण प्राप्त करने का प्रयास करते हैं । किसी को ७०, किसी को १००, किसी को २०० रुपये तनख्वाह मिलती है । यदि यह रेन्ट कंट्रोल ऐक्ट जो है इसको देश से उठा दिया जाय तो एक क्रान्तिकारी परिस्थिति पैदा हो जायगी । कोई भी मकान मालिक किसी को मकान नहीं देगा और मुंह मांगा किराया वसूल करेगा और एक समय हम देखने को पायेंगे कि फक्ट्री में काम करने वाला मजदूर और आफिसों में काम करने वाला क्लर्क अपने बीबी-बच्चों को लेकर सड़कों पर आकर आसीन हो जायगा और यह हमारे मित्र तब अपने भाषण के सिलसिले में एक अजीब समाजवाद का नग्न रूप रखेंगे । आज इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता । आज हमारे प्रदेश के नगरों में ऐसी स्थिति है कि लोगों को मकान नहीं मिलते हैं । जिनको मकान मिल जाता है फिर वापस नहीं हो सकता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कृष्णानन्दराय]

है। मकान मालिक ने यदि किसी परिस्थिति के कारण मकान दे दिया तो फिर उसको मिल नहीं पाता है। जैसा कि मैंने कहा आज उद्योगीकरण हो रहा है और शहरों में मकान बन रहे हैं और मकानों में वृद्धि हो रही है। अगर इस ऐक्ट में संशोधन न किया जाय तो लोग जो पुराने मकानों में रहते हैं उनमें से उन लोगों को निकाल देंगे। हमारी पंचवर्षीय योजनायें चल रही हैं। हमारी सरकार भी शहरों के अन्दर बहुत से मकान बना रही है। बराबर मकान बनते चले जाते हैं। तब भी लोगों को मकान नहीं मिलते हैं। एक हमारे मित्र ने अभी बतलाया कि जो नये मकान बनते हैं उन पर यह ऐक्ट लागू नहीं होता। ऐसी स्थिति में वे मकानों के मालिक जितना किराया चाहें लें। उन पर कोई पाबन्दी नहीं है। हमारे उधर के भाइयों ने बहुत नर्मी के साथ उन लोगों की वकालत की। मैं दाद देता हूं उनकी बुद्धि को। उन लोगों को कोई नुकसान नहीं है। माधोप्रसाद जी त्रिपाठी गोरखपुर में दर्जनों मकान बना सकते हैं। उन पर रेंट कंट्रोल लागू नहीं होगा। इसलिये यह कहना कि इस ऐक्ट में खामी रह गई है और इस को हटा दिया जाय और १९६३ से ६९ तक इसकी अवधि को न बढ़ाया जाय, यह बात समझ में नहीं आती। इसमें निराशा का प्रश्न नहीं है। हमारे प्रदेश में मकान बन रहे हैं। यह हो सकता है कि ५, ७ वर्ष में मकानों की आवश्यकता ही न रह जाय। तब इस ऐक्ट की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि गवर्नमेंट इसको टैम्पोरेरी रखे और यह ऐक्ट जिसमें टेनेन्ट और मालिक के लिये एक मिडवे का रास्ता है, इसको चलने दें, नहीं तो दूसरी तरफ मकान बनने के प्रोत्साहन में कमी आयेगी और टेनेन्ट की स्पिरिट में कमी आयेगी। इसलिये इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

*श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं बड़े अचम्भे की यह बात आपके सामने कहूंगा कि हमारे उधर के बैठने वाले भाई कई बार यह ताना देते हैं कि इधर के भाई समाजवाद का नारा लगाने-वाले समाजवाद जानते नहीं हैं और उसी का विरोध करते हैं, लेकिन यह मेरी समझ में नहीं आता कि समाजवाद को लानेवाले और नवाब, राजा, महाराजा और पूंजीपतियों की बगल में बैठने-वाले हमको समाजवाद सिखलाने का कैसे ढोंग रचते हैं। कैसे यह हमको समाजवाद सिखायेंगे? जरा वह अपनी बगल में देखें तो उनको असल बात समझ में आजायेगी। जो बात यहां पर बैठकर कहते हैं उससे बिलकुल उलटी कहते हैं। यह उनकी मजबूरी है कि यहां पर बात मिलाने के लिये इस तरह से कहते हैं, लेकिन असलियत देखी जाय तो कुछ और ही है।

जहां तक इस विधेयक का सवाल है अगर असल रूप में इसको देखा जाय तो मालूम पड़ेगा कि इसके अन्दर बहुत ही खामियां हैं। आप भी इस बात को मानते हैं कि इसमें बहुत सी खामियां हैं। हम लोग भी यह कहते हैं कि इसके अन्दर बहुत सी खामियां हैं। इस चीज को लागू हुए १६, १७ वर्ष हो गये, लेकिन आज तक उन खामियों को दूर नहीं किया जा सका, क्योंकि आप हमेशा एक चीज को कागज पर ही सामने रखते हैं। आपके काम करने का ढंग कागजी है। आप उसको प्रैक्टिकल शेप देने का तरीका जानते नहीं हैं। आप प्रैटिक्ल तरीके पर उसको देखें तो मालूम होगा कि टी०आर०ओ० के दफ्तर में, राशनिंग के दफ्तर में और डि० एस० ओ० के दफ्तर में क्या हालत है। वे गरीब जो एक मकान रखते थे, किसी वक्त में उन्होंने कुछ गुंजायश होने पर दूसरा बनाया था, उसको किराये पर दे दिया और जिन लोगों ने उन मकानों को लिया था उन दोनों की हालत आज खराब है और बड़ी दयनीय दशा है। टी० आर० ओ० के दफ्तर में हजारों मुकदमें लड़े जाते हैं और रात दिन लोग बैठे रहते हैं और बैठे-बैठे थक जाते हैं। जब वहां से उनकी मंशा पूरी नहीं होती है तो वे कमिश्नर के पास जाते हैं। कमिश्नर के बाद माननीय मंत्री जी के पास पहुंचते हैं और फिर इसके बाद हाईकोर्ट में पहुंचते हैं। परिणाम यह होता है कि जिसकी जेब में ज्यादा पैसा होता है वह आगे मुकदमें को खींचता चला जाता है,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं होता है । क्यों नहीं ऐसा किया जाता कि अगर कोई इमीडियेट ढंग आपके पास नहीं है कोई ऐसा कानून तैयार नहीं है जिसको आप हाउस के सामने पेश करें । इसकी अवधि थोड़ी देर के लिए बढ़ा दीजिये और उस दौरान में एक ऐसा विधेयक पेश कीजिए जिसके अन्दर जनता को रेन्ट कन्ट्रोल आफिसर के पास न जाना पड़े, डी० एस० ओ० के पास न जाना पड़े, कमिश्नर के पास न जाना पड़े, सरकार के यहां न आना पड़े और ये सारे रास्ते खत्म हो जायं । क्यों नहीं मुंसिफ की अदालत में लोग सीधे चले जाया करें, ऐसा सीधा रास्ता अख्तियार करके क्यों नहीं आप यह देख सकते कि अगर किरायेदार की मांग सही हो या गलत कचहरी में भी देखी जा सकती है फिर क्या वजह है कि बाहर का आदमी पहले यह निश्चय करे कि इसकी मांग सही है या गलत । २, ३ या ४ जगहों के निकलने के बाद जब आदमी मुन्सिफ के यहां जाता है चाहे वह मकान मालिक हो या किरायेदार तो किन परेशानियों के आलम में उसको निकलना पड़ता है और उस वक्त उसकी जेब भी खाली हो जाती है जब वह मुन्सिफ के यहां पहुंच पाता है । सेशन जज के यहां या कोई कोर्ट में जाते जाते उसकी पूंजी और उसका मकान खत्म हो जाता है तो यह हालत है आपके कानन की । यह १५ साल से चला आ रहा है, लेकिन इसके अन्दर इतनी खामियां हैं कि इसको एक दिन भी स्टेट्यूट बुक पर रखना मुनासिब नहीं है । यह बड़ा खराब तरीका है कि आप नये-नये कानून सामने लाते चले जा रहे हैं. लेकिन बिनोबा जी के शब्दों में अगर मैं कहूं तो यह है कि जैसे एक बर्फ की डली होती है १० आदमियों के बीच बटते-बटते हाथ में पिघलते-पिघलते उसका कचूमर निकल जाता है । उसी तरह से इस बिल के जरिए से यहां के मकान मालिकों और किरायेदार दोनों का १० हाथों से फैसला कराते-कराते कचूमर निकल जाता है । इस कानून में बहुत खामियां है ।

हमें बिलकुल भी विश्वास नहीं है कि इस सरकार के जरिए से कोई भी काम ठीक तरीके से चल सकता है, लेकिन फिर भी हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि थोड़े अर्से के लिए, ६ महीने या साल भर के लिए आप इसको बढ़ा लीजिए और अगर उस दौरान म आपके लीगल एडवाइजर आपको सही राय दे सके और जो प्रैटिकल डिफिकल्टीज आपके सामने दिन-रात आती हैं उनको सामने रखकर कोई नया कानून असेम्बली में ला सकें तो हमें उससे बड़ा सन्तोष होगा और मैं आपको यकीन दिलाता हूं उस वक्त सही स्पिरिट में हम आपकी हां हां में भी मिला सकते हैं, लेकिन इस तरह से कि एक दफा मियाद बढ़ा ली, २ दफा मियाद बढ़ा ली हर बार यही रास्ता अख्तियार करें कि इसके अन्दर खामियां हैं,इसके अन्दर कमजोरियां हैं और हम इनको दूर करने जा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि ये कमियां दूर नहीं हो पायेंगी । यह कहां का तरीका है कि हमारी मेजौरिटी है, लोग हमारे विधेयकों के लिए हाथ उठा दगे और वह पास भी हो जायगा । ठीक है हो जायगा, लेकिन डेमोक्रेसी में यह तो नहीं होता कि मैजारिटी के जोम में जुल्म के सहारे इस तरह की चीजें की जांय यह कोई डमोक्रेसी नहीं ह और न यह आप डमोक्रटिक वसूलों के मातहत चलते हैं । हां, कि आप इस चीज का फायदा उठायें कि इधर के बैठने वाले गुटों में बंटे हुए हैं और आप मैजारिटी की बुनियाद पर हर गलत बात को हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं यह चीजें मुनासिब नहीं ह । जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं आपके, सामने, आपके पास बड़े-बड़े दिमाग हैं वह आपको बता सकते हैं कि क्या-क्या संशोधन होने चाहिए उनको देखकर आप ६ महीने या साल भर का और समय ले लीजिए । उसके बाद आप नया संशोधन ले आइये इस बिल को नयी शक्ल दीजिए और पब्लिक की मुश्किलात को दूर कीजिए, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम भी खुश होंगे, आपका काम भी बनेगा और पब्लिक भी आपको दुआ देगी ।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अभी समाजवादी विचारकों की बातें बड़े गौर से सुनीं । प्रश्न यह है कि किराया देकर रहता कौन है । राजा जौनपुर, राजा मनकापुर या टाटा या बिरला ? किराये पर तो मेहतर, इक्केवाला, या गरीब क्लर्क रहता है जिसे ५०, ६०, ७० या १०० रुपये माहवार तनख्वाह मिलती है । समाजवादी विचारक जो उस तरफ बैठे हुए हैं और आज इस देश को समाजवाद की तरफ बड़ी तेजी से ले जा रहे हैं, उन का यह आक्षेप ठीक

[श्री जे० पी० मिश्र]

नहीं है। हम ने इसकी मियाद इसलिये बढ़ायी है कि जो इक्केवाला है, जो गरीब कम तनख्वाह पाने वाला है, उसे कुछ राहत मिल सके। अगर सरकार इस कानून को उठा ले तो आज वह परेशान हो जायगा।

मैं मायर साहब से, कमलासिंह साहब से जानना चाहूंगा कि उन पर इस कानून को उठा लेने का क्या असर पड़ेगा? गरीब से गरीब इन्सान, इस कानून के न होने से मकान मालिक के जबड़े में समा जायगा। मकान मालिक आज अपने मकान का किराया दुगना, तिगुना और चौगुना करना चाहता है। अब इस कानून का रखना हमारा समाजवाद है और इसके विपरीत हैं आपके विचार। दोनों में कंट्रैडिक्शन है। हमारे और आपके विचार ही एक दूसरे के विपरीत हैं। आपकी भावनायें पूंजीवादी हैं। आप चाहते हैं कि मकान मालिक को प्रश्रय मिले। हम तो बड़े परेशान हैं। कल को अगर हम कानून ले आयें कि जिस तरह से हमने जमीनें किसानों को दिलवायीं, उसी तरह से कानून लायें मकानों के लिये तो ये समाजवादी लोग क्या करेंगे? फिर वे किस की तरफ से बोलेंगे? हलवासिया साहब का मकान इसी हजरतगंज में है। अगर हम कानून बना दें कि किराये का बीस गुना जो किरायेदार जमा कर देगा, मकान उसका हो जायगा तो आप क्या करेंगे? कमला साहब और मायर साहब फिर किस की हामी भरेंगे? ६ वर्ष के लिये अगर इस कानून की मियाद बढ़ायी जा रही है तो वह इसी मकसद से कि सरकार अभी तक पूरा इंतजाम नहीं कर पायी है मकानों का और फिर सिर पर इमरजेंसी भी आ गयी। बीच में काम रुक गया और साथ ही दूसरी अड़चनें भी आ गयीं। अगर इसी दृष्टिकोण से ये समाजवादी विचारक विचार करते रहे तो मेरा तो खयाल यह है कि ६ वर्ष के स्थान पर इसे और बढ़ना चाहिये। यह कम है। इसे कम से कम चौथे प्लान पीरियेड तक यानी १९७२ तक बढ़ा देना चाहिये। मैं समझता हूं कि तीसरी और चौथी योजना में सरकार अवश्य इस कमी को पूरा कर सकेगी। मैं समझता हूं कि मकान के मामले में इस कानून की जरूरत चौथे प्लान के बाद नहीं रहेगी। तो मैं अपने विरोधी दल के साथियों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपके आज के विचार पूंजीवादी हैं और पूंजीवादी विचारधारा के मातहत आप बढ़ रहे हैं और धोखा देते हैं आप प्रदेश की जनता को यह कह कर कि आप समाजवादी विचारक हैं। आपकी भावनाएं पूंजीवादी हैं। आप मकान मालिकों के बड़े हमदर्द हैं। । (व्यवधान) सुन लीजिए। मैं यह निवेदन कर रहा था श्रीमन् आपके माध्यम से कि जितने विरोधी दल के साथी हैं अगर वे मेरे साथ घूमें और इस सप्ताह के लिये माननीय मंत्री जी इस बिल को मुल्तवी कर दें तो वे पायेंगे कि एक भी मकान में रहने वाला किरायेदार उनको ऐसा नहीं मिलेगा कि जो इस कानून की मियाद बढ़ाने के पक्ष में न हो। सौ में सौ किरायेदार कहेंगे कि इस कानून को बने रहना चाहिये। कोई किरायेदार त्रिपाठी जी की भाषा में नहीं बोलेगा, या कमलासिंह जी की भाषा में भी नहीं बोलेगा कि इस कानून को तोड़ दिया जाय। हम समाजवाद में अगुवा हैं और आज मैं देख रहा हूं कि आप पीछे पड़े जा रहे हैं।

श्री कमलासिंह यादव—

एक प्वाइंट आफ आर्डर है। इस विधेयक में जो अमेंडमेंट लाया गया है वह प्रवर समिति में भेजने का है। इसका मंशा है कि हम इसके मंशा का विरोध नहीं करते और सिद्धांत रूप में उसे स्वीकार करते हैं। यह भी हम लोगों ने कहा कि इसको स्थायी रूप से बना रहने दिया जाय। उसके बाद भी मिश्र जी उल्टी बात कर रहे हैं। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री जे० पी० मिश्र—

आपको यह कहना चाहिए था कि हम उस विधेयक का समर्थन करते हैं। अगर आप यह भाषा बोलते तो मेरी समझ में आती। आप भाषा बोले उल्टी, तो उल्टी भाषा हम समाजवादी विचारक तो समझ नहीं सकते। हमारी भाषा और आपकी भाषा में बहुत अन्तर

है। हम ठोस, कांस्ट्रक्टिव कदम उठाते हैं तो आप उसका विरोध करते हैं। अगर आप इस विधेयक की नीयत और कांग्रेस की समाजवादी विचार-धारा को समझ नहीं पाये तो समझने का प्रयत्न कीजिये। आपने समझने में थोड़ी अनुदारता दिखाई है कमलासिंह जी! (व्यवधान) परेशान न हों, सुनने की कोशिश करें।

मैं, श्रीमन्, आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि किरायेदारों, गरीब लोगों और असली समाजवाद के उपासकों की रक्षा के लिए इस "१९६९" को "१९७२" कर दीजिये। अगर संशोधन ला सकें तो चौथे प्लान पीरियड के खात्मे तक इसको जरूर लागू रखें।

दूसरा निवेदन यह है कि मैंने माननीय कमलासिंह की दूसरी दलील सुनी, मैं नहीं समझ पाया कि उत्तर प्रदेश में अभी भी सीमेंट की कमी है। कमलासिंह जी के ब्लाक का जो बी० डी० ओ० है उससे पूंछें कि किस तरह से सीमेंट का ड्रेमोक्रटिक वितरण ८७५ ब्लाकों में और तहसीलों में हो रहा है। अगर आज भी आपको सीमेंट की बोरी १४ रुपये और २२ रुपये में बिकती दिखाई पड़ती है तो यह आप अपने साथ अन्याय कर रहे हैं। उसका सरकार और कांग्रेस पार्टी पर कोई असर नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज क्या भाव है और किस आसानी से सीमेंट घर बठे मिलती है (हंसी और तालियां) इस तरह से मुझे उखाड़ने की कोशिश फिजूल है, मैं तो पुराना अखाड़िया हूं।

तीसरी बात यह है कि जिस तरह से नये मकानों को सरकार बिला नकेल छोड़े देती है उससे परेशानी है। मैं चाहूंगा कि सरकार कोई संशोधन ले आये कि जो नये मकान मालिकों ने नयी इमारतें तामीर की हैं वह भी इस कंट्रोल आर्डर के मातहत आ सकें ताकि ज्यादा सहूलियत उस आम जनता को हो सके कि जो मकान की तलाश में चारों तरफ मारी-मारी घूमती है।

चौथी बात आपके माध्यम से यह निवेदन करनी है (व्यवधान) अगर इजाजत हो तो बोल सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

अब जल्दी समाप्त कीजिये।

श्री जे० पी० मिश्र—

चौथी बात यह है कि तीसरे प्लान में और चौथे प्लान में हाउसिंग के सम्बन्ध में जितनी रकमें बजट के समय हर साल प्रस्तुत की जाती हैं वह नाकाफी हैं और उनसे अगर यह आशा की जाय कि चौथे प्लान पीरियेड के खत्म होने तक नार्मल परिस्थिति पैदा हो जायेगी, इसमें मुझे बड़ा शुबहा है। इसलिये मैं सरकार से, आपके माध्यम से, यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि चूंकि हाउसिंग प्राब्लम इस प्रदेश की एक्यूट प्राब्लम है, इसलिये बजट के समय इस पर अधिक विचार होना चाहिये और इस ओर ध्यान देना चाहिये ताकि चौथे प्लान पीरियड तक प्रदेश में रहने वाले किसी व्यक्ति को मकान की तकलीफ न हों, उसे मकान के लिये सप्लाई दफ्तर आदि में न जाना पड़े। इसके लिये सरकार को रकम भी ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी। अगर विचारों में कुछ टकराव हो गया हो तो उसके लिये मैं विरोधी दल से क्षमा चाहूंगा और यह अवश्य कहना चाहूंगा कि समाजवादी विचारक इसी तरफ बैठे हैं, उस तरफ तो खिचड़ी है, जिनका कोई सिद्धांत ही नहीं है और ८–१० संगठन के लोग मिला कर समाजवाद के नाम पर लांछन लगाने के लिये स्वतंत्र हैं। इसलिये वे जो बात कहें, वे बहुत सोच विचार कर कहें तो अच्छा हो।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय कल्पनाथ सिंह जी के संशोधन पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। माननीय मिश्र जी ने कहा कि यह कानून हटा लिया जाय तो गरीबों पर मुसीबत आ जायेगी, मैं समझता हूं कि उन्होंने यह समझा ही नहीं कि हम किस चीज

[श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट]

पर बहस कर रहे हैं। उन्होंने संशोधन को समझा ही नहीं। किसी भी विरोधी दल के सदस्य ने यह नहीं कहा कि इस कानून को हटा लिया जाय। माननीय मिश्र जी भ्रम में हैं। अतः वे कान खोल कर सुन लें कि क्या संशोधन है। जिस तरह से सरकार सन् १९४७ से सो रही है, उसी तरह माननीय मिश्र जी भी सो रहे हैं। आप जरा इस संशोधन को देखें। आपने उसे समझा ही नहीं।

श्री कमलासिंह यादव—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वक्ता महोदय, "आप" शब्द किसके लिये कह रहे हैं। क्या आपके लिये है?

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

मेरा मतलब माननीय मिश्र जी से है। यह शोधन इस प्रकार है?

श्री उपाध्यक्ष—

पढ़ने की जरूरत नहीं है, वह पढ़ा जा चुका है।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

वह तो प्रवर समिति में भेजने के लिये है। श्रीमन्, कुम्भकरण की नींद तो प्रसिद्ध थी, मगर इस सरकार की नींद आज १६ साल के बाद भी पूरी नहीं हुई है। यह भी कह रहे हैं कि हम एक दूसरा संशोधन लाने वाले हैं। जब-जब यह अपने जीवन काल को बढ़ाने की कोशिश करते हैं तभी संशोधन लाने की बात यह करते हैं। एक काम्प्रीहेन्सिव बिल लाने की बात कही गयी है और इसकी ताईद मंत्री जी ने भी की है कि हम दूसरा संशोधन विधेयक ला रहे हैं। हम लोगों का तो विरोध इस बात पर है कि यह अभी तक टैम्पोरेरी बना हुआ है। माननीय तमेश्वरप्रसाद जी को तो टैम्पोरेरी और परमानेन्ट में कोई अन्तर ही नहीं मालूम होता है। १६ साल तो इसको हो चुके हैं और अब भी ६ साल और बढ़ाया जा रहा है। मिश्र जी ने तो कह दिया कि किराया और बढ़ा दो। चौथी योजना काल तक के लिये बढ़ा दिया जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक हाईकोर्ट के जजेज ने जो भी विचार इस ऐक्ट के बारे में प्रकट किये हैं अगर उनको भी संकलित किया जाय तो काफी अच्छा कानून बन सकता है। इसके साथ ही साथ टेनेन्ट्स और आक्यूपायर्स को अनेक प्रकार की कठिनाइयां हो रही हैं। इसके अलावा जो और लीगल इम्प्लीकेशन्स होते हैं और कठिनाइयां होती हैं उनको रिमूव किया जाय। हमारी सरकार का तो यह कर्त्तव्य था कि कुछ साल पूर्व ही कोई बिल इसके बारे में ले आती, लेकिन ऐसा न करके आज जब कि उसका जीवन काल ३० सितम्बर को समाप्त होने जा रहा है तब वह इसको लायी है और कहती है कि समय नहीं है। साल भर पहले ही वह इस बात को सोच सकती थी।

माननीय कमलासिंह जी कहते हैं कि माधवप्रसाद जी ने कोई ठोस सुझाव नहीं दिया। ठोस सुझाव तो तब रखा जा सकता है जब हमारे सामने कोई काम्प्रीहेन्सिव बिल हो। सुझाव के लिये मैं बताता हूं कि हाईकोर्ट जजेज के इसके बारे में जो प्रोनाउन्समेन्ट्स हैं और उन्होंने इसमें जो खामियां बतायी हैं उनको दूर कर दिया जाय। हर मकान के कब्जा पाने और लेने में कितनी देर होती है। टेनेंट और मकान मालिक को लिटीगेशन में बहुत देर लगती है, लेकिन फिर भी माननीय सदस्य चाहते हैं कि यह टैम्पोरेरी कानून ही बना रहे।

हम किसी प्रकार भी इसको हटाने के लिये नहीं कहते, लेकिन इसमें जो दिक्कतें लोगों को होती हैं उनको अवश्य दूर किया जाना चाहिये। इसकी खामियों को दूर करने के लिये यह संशोधन रखा गया है, इसको समाप्त करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। दूसरी बात यह है कि

इसको हम एक्जीक्यूटिव से हटाना चाहते हैं, क्योंकि उसके पास रहने से फेवरिटिज्म और भ्रष्टाचार बढ़ता है। हमेशा इम्पलुसेज वर्क करते हैं। कानून में यह बात साफ तौर से होनी चाहिये कि इन इन हालतों में मकान एलाट किया जायगा और इन इन हालतों में इजेक्टमेंट हो सकता है।

अभी मिश्र जी ने कहा कि उनके यहां कोई सीमेंट की दिक्कत नहीं है। कांग्रेस के होने के कारण उनको सीमेंट मिल जाता होगा। मंत्री जी हिसाब लगायें कि कितने लोग सीमेंट और मकानों के लिये एप्लाई करते हैं और कितनों को मिलता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास कई कई मकान हैं, लेकिन किराये के मकानों में रहते हैं और बहुत से टेनेंट्स किराये से उठाये हुये हैं, लेकिन मौजूदा ऐक्ट में इसके लिये कोई प्राविधान नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस संशोधन को मान लिया जाय जिससे इसकी खामियां दूर की जा सकें।

श्री जगवीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन विधेयक हमारे सामने प्रस्तुत है, देखने में बहुत छोटा-सा और मासूम विधेयक है, लेकिन इस पर वाद विवाद बड़ा सैद्धांतिक आरम्भ हो गया। एक प्रश्न यहां गरीब और अमीर का लाया गया और न मालूम कितनी बातें इस वाद विवाद के बीच यहां लायी गयीं। मैं नहीं समझता कि समाजवाद की परिभाषा कुछ मित्र कुछ देते हैं, कुछ मित्र कुछ देते हैं, दुर्भाग्य तो यह है कि कुछ मित्रों की दृष्टि में, समाजवाद में एक मकान वाला पूंजीपति होगा। वह व्यक्ति जिसके पास एक भी मकान है, कई मित्रों की दृष्टि में वह भी पूंजीपति है और उनके समाजवाद का नक्शा तो यह है कि समाजवादी असली वही है जिसके पास एक भी मकान न हो। कुछ मित्रों की दृष्टि में समाजवाद की परिभाषा यह है कि एक व्यक्ति के पास कई एक मकान हों और वे अपने मकान को किराये पर उठा कर दूसरे के मकान को लेते रहें, क्योंकि उनका सम्बन्ध होता है डी० एस० ओ० और दूसरे बड़े अधिकारियों से। उन मित्रों की दृष्टि में समाजवाद का नक्शा यह है कि एक व्यक्ति बहुत मकान रखे वह पैसा कमाता रहे खूब ज्यादा, उस पर कोई भी बंधन न हों, क्योंकि उसने किसी विशेष दृष्टि से अपना मकान बनाया है। समाजवाद के इस नक्शे को देख कर मैं तो हैरत में पड़ गया कि आखिर यह कहां का समाजवाद है। कुछ मित्रों की दृष्टि में इस संशोधन को १९७२ तक जाना चाहिये, कुछ मित्रों की दृष्टि में ३ और ९ का अन्तर है, परन्तु जब मैं इस विधेयक को देखता हूं तो उपाध्यक्ष महोदय, इतना जरूर कह देना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने स्वयं अपने भाषण में इस तथ्य को कहा कि रेंट कंट्रोल ऐक्ट में त्रुटियां हैं। चाहे इधर के बैठने वाले हों, चाहे उधर के बैठने वाले हों सबने कहा कि इस विधेयक के अन्दर कमियां हैं और माननीय मंत्री जी स्वयं कहते हैं कि वे एक काम्प्रीहेंसिव विधेयक लाना चाहते हैं, परन्तु लाना कब चाहते हैं ६ वर्ष के बाद। यह बात इस सदन में पहली बार नहीं कही जा रही है, तीन बार इसकी अवधि को बढ़ाया गया—४ वर्ष के लिये, ५ वर्ष के लिये और ६ वर्ष के लिये। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जनता को हम क्या जवाब देंगे कि जिस सरकार के एक मंत्री ने तीन-तीन बार बचन दिया उसको आज १६ वर्ष के बाद भी पूरा नहीं किया ?

मैं तो इस बात को पसन्द करता कि माननीय मंत्री जी इस बात को ही कह देते कि इसमें मुझे कुछ तब्दीली नहीं करनी है और यह रेंट ऐंड कंट्रोल ऐक्ट ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन अगर माननीय मंत्री जी आमूल परिवर्तन करना चाहते हैं तो केवल एक वर्ष के लिये ही यह करते कि इसके अन्दर जो भी कमी है, चाहे वह किरायेदार को सुविधा देने की हो या मकान मालिक को सुविधा देने की हो, उसे तय कर देते। इसके दोनों पहलू हो सकते हैं। किरायेदार को भी असुविधा है और मकान मालिकों को भी असुविधा है। एक दो दृष्टान्त मेरे सामने हैं, लेकिन मैं कहना नहीं चाहता। बेदखली के सिलसिले में बहुत से मित्रों को मंत्री जी के दरवाजे झांकने पड़ते हैं। जिनकी पहुंच वहां तक होती है उनका काम हो भी जाता है। उनमें बाज वक्त ऐसी ऐसी ज्यादती हो जाती है कि हम और आप सोच भी नहीं सकते। हम जो चाहें

[श्री जगवीरसिंह]

कहें, लेकिन जो हम कहते हैं, वह हमें करना चाहिये। हमें जनता के सामने वह विचार पहुंचाना चाहिये कि जो हमारा सही विचार है, हम उसमें परिवर्तन करना चाहते हैं तो हमें वह करना चाहिये और अगर हम यह चाहते हैं कि हमें उसमें कोई तब्दीली नहीं करना है तो इस को ६ साल तक ले जाने की आवश्यकता है। क्या मंत्री जी जो परिवर्तन इस में करना चाहें वह एक साल के अन्दर आसानी से कर सकते हैं और उन्हें यह विधेयक एक साल में ठीक कर लेना चाहिये।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि इस विधेयक में खामियां हैं जिस से ऐसा भी होता है कि कभी-कभी ट्रेसपासर्स को एलाटमेंट हो जाता है। एक गरीब बेवा का मामला मैं जानता हूं, उस के मकान का एक हिस्सा उस की मर्जी के खिलाफ एक ऐसे आदमी को एलाट कर दिया गया कि जो पाकिस्तान से आया था, बगैर एलाटमेंट पहले ही पदार्पण किया और बाद में उनको वह एलाट हो गया। उस को बहुत दिक्कत हुई मकान उन्हीं को एलाट किया गया। एलाटमेंट के लिये डी० एस० ओ० के दरवाजे खटखटाना पड़ता है, एक तांता बंधा है और तरह-तरह की परेशानियां उठानी पड़ती हैं। चाहे मकान मालिक की बात कही जाय या गरीब जनता और किरायेदार की बात की जाय पर समाजवाद की बात की जाती है। अगर मालदार मालिक की बात है तो गरीब रिक्शावाले और तांगेवाले की बात कह कर समाजवाद की बात कही जाती है और उन को डिफेंड किया जाता है। हालत यह है कि जिस तरह से हम डिफेंड करना चाहते हैं कर लेते हैं। अगर हम अपना मकान १५० रुपए पर उठाना चाहते हैं और दूसरे का चाहते हैं कि १० रुपए पर हमें मिल जाय, परन्तु वकालत हम सब गरीब की करते हैं उस का हमें अधिकार है। इन सब बातों पर स्पष्टता के साथ वादविवाद हो सकता है जब हमारे सामने एक काम्प्रिहेंसिव बिल आये, इस समय यह निश्चय करना चाहिये था कि आया एक काम्प्रिहेंसिव ऐक्ट हमें लाना है या नहीं और अगर लाना है तो इस के लिये ६ साल की आवश्यकता नहीं थी, एक वर्ष का समय बहुत था और इस वक्त इस संशोधन को मान लें कि एक साल में गरीब की सुविधा किरायेदार की सुविधा और समाजवादी व्यवस्था की स्थापना के लिये इस प्रकार का ऐक्ट बहुत शीघ्र लायेंगे।

*श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं और मेरा दल सिद्धांततः इस बिल के समर्थक हैं और इससे कोई इन्कार नहीं किया जा सकता कि इस बिल की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। यह ऐक्ट बनना चाहिये और इसलिये हमारे श्री माधो प्रसाद जी तथा अन्य व्यक्तियों ने पहले ही यह बात स्पष्ट कर दी कि हम इसके अन्दर जो कमियां हैं उन्हें दूर करना चाहते हैं और इस बात को उधर के जो वक्ता हैं उन्होंने भी स्वीकार किया है और हाई कोर्ट की रूलिंग ने भी इसका समर्थन किया है कि इस ऐक्ट में बहुत खामियां हैं और उनको बहुत जल्द दूर होना चाहिये। हमारे माननीय जे० पी० मिश्र तथा अन्य सदस्यों ने जो बात कही कि हम लोग पूंजीवादी व्यवस्था चाहते हैं या समाजवाद के विरोधी हैं। यह तर्क संगत या न्यायसंगत बात नहीं है, बल्कि मुझे यह कहना पड़ेगा कि जिस समय इधर के वक्ता बोल रहे थे उन्होंने उस समय उन की बात सुनने की कोशिश नहीं की और यदि यह कहा जाय कि वह सोते रहे तो अतिशयोक्ति न होगी। जैसा कि विरोध करने का स्वभाव होता है उन्होंने सदन की कार्यवाही को ध्यान से सुना नहीं और अपनी बात उत्तर में कह गये। प्रश्न यह है कि समाजवादी व्यवस्था का ढोंग रचने वाली सरकार और उसके सदस्य आज तक प्रदेश में मकानों की समस्या हल नहीं कर पाये। आवास समस्या हल करना समाजवादी देशों का सबसे पहला उद्देश्य रहा है। जहां समाजवादी नारा लगाया जाता है, रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था की जाती है उसी नारे पर तमाम समाजवादी ढांचे की व्यवस्था होती है, परन्तु हमारी सरकार और सदस्य

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो समाजवादी ढोंग रचते हैं उनको पता नहीं कि यह सरकार पूंजीवादी व्यवस्था फैला रही है और उसी का नतीजा है कि १६ साल के बाद भी मकानों की समस्या नहीं हल हो पायी और कोई सुधार इस कानून में नहीं किया गया, जिससे आवास की समस्या हल होती । यह सरकार किसके इशारे पर चल रही है ? बिड़ला, टाटा आदि पूंजीपतियों के इशारे पर चल रही है, उन्हीं से चन्दा वह लेती है । अतः यह सरकार समाजवाद की ओर नहीं, बल्कि पूंजीवाद की ओर जा रही है और उन्हीं को प्रश्रय दे रही है । इसीलिये आवास समस्या नग्न रूप धारण किये हुये है, क्योंकि मकान उन्हीं के हैं जो अमीर हैं और वही इस समस्या को फैलाये हुये हैं, इसलिये सरकार उन्हीं के हितों का संरक्षण कर रही है तथा उनके हित की बात नहीं कर रही है जिनको मकानों की आवश्यकता है ।

माननीय कृष्णानन्दराय जी ने कहा कि मकानों की समस्या उनको है जो देहात से पढ़ने आते हैं, छोटे कर्मचारी हैं । अलाटमेंट किसको किया जाता है यह हम सभी जानते हैं । आप श्रीमन्, स्वयं भुक्त भोगी हैं, मैं भी अपने जिले बरेली की बात जानता हूं कि जो विद्यार्थी वर्ग या निर्धन किसान आते हैं उनको कोई सरकारी कर्मचारी मकान नहीं देता । जिनकी उन तक पहुंच होती है उन्हीं को मकान मिलता है । अतः उन लोगों का हित नहीं होता जिनको इस ऐक्ट की जरूरत है । ऐसी हालत में यह बात साफ है कि इस ऐक्ट के द्वारा जिनका भला करना चाहते हैं उनका भला नहीं हो पाता ।

समाजवादी व्यवस्था का ढोंग रखने वाले जो पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ भाग रहे ह उनके ऐक्ट में कितनी खामियां हैं ? हजारों मामले ऐसे हैं जो ३,४ वर्ष से डी० एस० ओ० के यहां पड़े हैं और कोई डिस्पोजल नहीं हुआ । बरेली में डी० एस० ओ० की अदालत में ५,६ साल पुराने केसेज पड़े हैं, कोई निर्णय नहीं हुआ । क्या यह इस ऐक्ट की कमियों को सूचित नहीं करता ? मैंने देखा है लोग अलाटमेंट के लिये दरख्वास्त देते हैं, लेकिन जिसको अलाट होना चाहिये उसको अलाटमेंट नहीं होता है । जिसकी पहुंच है या सरकारी आफिसर हैं उसको वह मकान एलाट हो जाता है, गरीब जनता को नहीं होता है । इससे फायदा उन चन्द लोगों को भी हुआ जो सरकारी सम्पत्ति का उपयोग कर रहे हैं जिसे इवैकुई प्रापर्टी कहते हैं । मेरे शहर में १५,२० रुपये पर ऐसी कोठियां उठी हुई हैं जिनका किराया वैसे उठायी जायं तो २०० २५० रुपये माहवार आ सकता है । इसलिये कोई धारा ऐसी बढ़ाई जाय ताकि सरकारी सम्पत्ति का दुरुपयोग न हो ।

हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि अगर किसी मकान मालिक के साथ अन्याय हो रहा है तो उसके साथ अन्याय न हो । बहुत से किरायेदारों ने भी अपने मकान बना लिये हैं, लेकिन वे पुराने मकानों में ही १५,२० रुपये माहवार किराये पर रह रहे हैं और उनको नहीं छोड़ते । ऐसी व्यवस्था हमारे इस ऐक्ट में होनी चाहिये कि उन्हें बेदखल किया जा सके । बहुत से लोग ऐसे हैं जो यहां नहीं रहते हैं बाहर रहते हैं और किसी सहयोगी को मकान दे जाते हैं जिसको उसकी जरूरत नहीं है और वास्तव में वह मकान जिसको एलाट होता है वह उसे दूसरों को उठा कर उससे फायदा उठाता रहता है ।

दूकानों की समस्या की तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है । वे भी एलाटमेंट के अंग हैं । होता यह है कि रातों रात वे दूसरे आदमियों को चली जाती हैं और एक-एक दूकान ५–६ आदमियों के हाथ चली जाती है और डी० एस० ओ० हाथ मल कर रह जाता है । इस तरह से किरायेदार नाजायज फायदा उठाता है और पगड़ी पर वे दूकानें उठती चली जाती हैं और वह पगड़ी का रुपया जनता की जेब से ही वसूल किया जाता है ।

इसी प्रकार से कुछ पूंजीपतियों ने धर्मशालायें बनवाईं, मंदिर बनवाये हैं और उनके साथ दूकानें या दूसरे प्रकार की सम्पत्ति बनवाई है और उसे किराये पर उठा कर उससे वह नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं । इस बात की तरफ ध्यान देना चाहिये कि वे लोग ऐसा न कर सकें ।

[श्री हरीशकुमार गंगवार]

इस तरफ भी ध्यान देना चाहिये कि कुछ लोग ३० साल पहले से किराये पर रह रहे हैं और जो किराया वह पहले देते थे वही आज भी दे रहे हैं। अगर उनके किराये में भी कुछ बढ़ोत्तरी करने का प्राविधान आप कर दें तो अनुचित न होगा, क्योंकि जैसी कीमतें हैं उनके अनुसार किराया भी उनका निश्चित होना चाहिये। इससे मकान मालिकों को भी कुछ संतोष हो जायगा। एक बात मैं और कहूंगा कि जिन लोगों के पास एक मकान है उनकी समस्या और जिनके पास कई मकान हैं उनकी समस्या, इन दोनों को अलग रखना चाहिये। जिसके पास एक मकान है उसमें देखना पड़ेगा कि उसके पास रहने का कितना स्थान है। जिनके पास खाने पीने को नहीं है, या कोई विधवा है वे इसलिये एक कमरा उठा देते हैं कि उनकी आमदनी बढ़े। ऐसे लोगों की समस्या को दूसरे प्रकार से देखना पड़ेगा बमुकाबिले उनके, जिनके पास फालतू जगह पड़ी है और इस तरह से हमें कानून में संशोधन करना पड़ेगा।

एक बात यह कही गयी कि सीमेंट बहुत आराम से मिलता है। हमारे जे० पी० मिश्र जी और दूसरे लोगों ने भी कहा। मैं इस विषय में कुछ कहना नहीं चाहता था।

श्री उपाध्यक्ष---

छोड़िये, यह तो इर्रेलेवेन्ट है।

श्री हरीशकुमार गंगवार---

वह तो ठीक है, परन्तु जब एक बात कही गयी है तो मैं यह कहना मुनासिब समझूंगा कि यू० पी० भर के जितने सीमेंट के स्टाक होल्डर्स हैं उनकी अगर लिस्ट बना ली जाय तो मेरा ख्याल है कि उनमें से ९९ फीसदी में हमारे कांग्रेस के बड़े नेताओं का हाथ मिलेगा। मैं अपने शहर की बात खुद जानता हूं, चार, पांच ऐसे सीमेंट के लाइसेंस होल्डर्स हैं जिनमें हमारे प्रमुख कांग्रेसी नेताओं का हांथ है। तो उनको सीमेंट की दिक्कत कैसे हो सकती है? मैं अपना एक उदाहरण बतला सकता हूं। मुझे एक सिलसिले में दस बोरी सीमेंट की जरूरत पड़ी। एक बड़े नेता के द्वारा वह दूकान खोली गयी है। मैंने देखा कि बोरियां दोबारा खोली गयी थीं। डी० एस० ओ० को बतलाया गया। उन्होंने देखा और कहा कि बात बिल्कुल ठीक है, ये तो पौनी बोरी हैं। अगर आप लिख कर देंगे तो ताला पड़ेगा। खैर, हमारी बोरियां तो उन्होंने बदल दीं मगर एक उदाहरण आपके सामने रख दिया जिससे आपको पता चल जायगा कि सीमेंट में भी कितना भ्रष्टाचार है। इन खामियों को देखते हुये मैं आपके द्वारा इस सदन से नम्र निवेदन करता हूं कि इस बिल को प्रवर समिति के सिपुर्द किया जाय, जिससे इसकी तमाम खामियों को दूर किया जा सके और यह एक अच्छे कानून की शक्ल अख्तियार कर ले जिसकी बड़ी जरूरत है। मैं इस बात के कतई पक्ष में नहीं हूं कि यह खत्म किया जाय। जे० पी० मिश्र जी ने सन् १९७२ तक की बात कही। मैं तो कहता हूं कि हम लोग रिटायर हो कर जब परलोक जायं तब भी यह कानून चलता रहे और गरीब लोगों के हितों की रक्षा हो सके जिनकी आपके समाजवादी व्यवस्था में कहीं व्यवस्था नहीं है।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)---

उपाध्यक्ष महोदय, इस पर काफी बहस हो चुकी है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय कि अब इस पर वाद-विवाद बन्द हो।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)---

श्रीमन्, मेरा एक प्वाइन्ट आफ आर्डर है। अभी बहस चल रही है और बहस के वक्त यह प्रस्ताव तो हो सकता है कि यह बहस बन्द कर दी जाय। लेकिन प्रश्न उपस्थित किया जाय यह कौन सा प्रस्ताव है।

श्री उपाध्यक्ष—

उसके, माने वही हैं ।

श्री कल्पनार्थसिंह—

बाकायदा प्रस्ताव कराइये, मैं मानने को तैयार हूं, लेकिन प्रश्न उपस्थित किया जाय यह मैं मानने को तैयार नहीं हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय बैजनाथ जी, आप इसी प्रकार प्रस्ताव पेश कर दीजिये ।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब इस पर विवाद बन्द करने का प्रश्न उपस्थित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अब विवाद बन्द किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

*श्री कल्पनार्थसिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सब से पहले उन कांग्रेसी भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने हमारे तर्क का समर्थन किया और खास तौर पर उन लोगों का जिन्होंने सचमुच इस बिल की मंशा को समझ कर बिना किसी हिचकिचाहट के इत्मीनान से अपनी बात कही । मैं उनका शुक्रगुजार हूं और खास तौर से चौधरी जगवीरसिंह जी का । दूसरी तरफ के एक माननीय मित्र जी ने बहुत लम्बी चौड़ी तकरीर की । मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं । उन्होंने समाजवाद को याद तो किया, इसकी भी मुझे बड़ी खुशी है । श्रीमन्, कभी कभी शैतान भी क्रान्ति की कसम खाया करता है । यह बात वही आ जाती है, असल में समाजवाद क्या है, इसको न समझकर हर जगह इसको घुसेड़कर सारी बात कह दी जाय । हां, यह बात जरूर है कि उन्होंने कुछ बातें कहीं । मैं उनकी बातों का उत्तर देना चाहता हूं । पहली बात उन्होंने यह कही कि विरोधी लोग यह बतायें कि वे मकान मालिक के पक्ष में हैं या किरायेदारों के पक्ष में हैं । मैं निहायत अदब से अर्ज करना चाहूंगा कि न हम मकान मालिक के पक्ष में हैं, न किरायेदार के पक्ष में हैं बल्कि हम तो इंसाफ के पक्ष में हैं । अभी गयाप्रसाद जी ने एक मकान के बारे में दोनों की हैसियत और फोटो इस हाउस में रखे । सदस्यों के सामने उन्होंने प्रदर्शित किया कि किरायेदार का मकान कैसा है और मकान मालिक का मकान कैसा है । किस हैसियत का किरायेदार है और किस हैसियत का मालिक मकान है । इस पर भी तुर्रा यह है कि कांग्रेस का समाजवाद है । यही कांग्रेस का समाजवाद है जिसने १९४७ के बाद कुछ पैदा किया और उसके बाद जब १९५२ में मकान बनवा लिया तो उसके बाद आज तक छूट दी गयी । ठेकेदार को छूट दी गयी । एजेंट को छूट दी गयी । ऐसी भी मिसालें हैं कि आज कांग्रेसियों की अट्टालिकाओं के हजार हजार रुपये किराये आते हैं । वह बैठ कर गुलछर्रे उड़ाते हैं । उसी अकोमोडेशन का किराया मुश्किल से दूसरे को १०० रुपये भी नहीं मिलता । यही सुनना चाहते हैं मिश्र जी । मैं नाम भी बता दूंगा । लेकिन मैं उनकी बात को सीरियसली नहीं लेता इसलिए कि हर दरबार में कुछ लोग रहते हैं । इस दरबार में वह हैं ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

मैं एक प्वाइंट आफ आर्डर उठाना चाहता हूं । क्या हाउस में कोई मिलिटरी ड्रेस पहने हुए और हाथ में डंडा लिए हुए कोई सदस्य उपस्थित हो सकता है ? इसी हाउस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री ब्रह्मदत्त मायर]

में माननीय महावीरप्रसाद त्यागी को पूज्य टंडन जी ने हाउस से निकाल दिया था कि वह पुलिस की ड्रेस पहन कर आये थे। इस पर आप व्यवस्था दें कि हाउस में यह ड्रेस पहन कर कोई आ सकता है ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है।

श्री बंशीधर मिश्र (जिला खीरी)--

श्रीमान् जी, यह डंडा नहीं है। फाउन्टेनपेन है।

(श्री मिश्र ने रूल की शकल में जो फाउन्टेनपेन था, उसको कई भागों में करके, दिखाया)

श्री कल्पनाथसिंह--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह सब करिश्मे हैं कांग्रेस के। जैसा कि मकान और किरायेदार के बारे में उनका करिश्मा है उसी तरह से यह डंडा कलम बन गया। यह भी करिश्मा है।

श्री उपाध्यक्ष--

वह यह कहते हैं कि कलम डंडा दिखायी दिया।

श्री कल्पनाथसिंह--

यह बात बिलकुल सही है उधर की कलम इधर के लिए डंडा ही है। उस कलम से जेल-खाना हो जाता है। उस कलम से गरीबों का बंटाधार हो जाता है। उसी कलम से किसानों की रीढ़ तोड़ी गयी, उसी कलम से लिखा गया कि चौथाई लगान बढ़ाओ। यह सब उसी कलम की करामात है।

शुरू में माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि इस ऐक्ट में बहुत सी खामियां हैं और बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में वह संशोधन करना चाहते हैं। माननीय गयाप्रसाद जी ने कौंसिल का हवाला देकर एक माननीय मंत्री जी का बयान पढ़ा कि सन् १९५८ में उन्होंने यह कहा था। यह बात बिलकुल सही है और उस बात के बाद यह लगातार कितने वादे करेंगे ? आप एक बात का अगर यकीन दिला दें कि उनके वादे की पूर्ति कब होगी तो फिर थोड़ी-सी तबियत में बात बैठे कि हां उसमें कुछ दम है और अगर उसमें दम है तो जैसा कि कांग्रेस के ही माननीय सदस्यों ने कहा कि एक संशोधन है ३१ मार्च तक यह ऐक्ट की मियाद बढ़ा दी जाय, वह संशोधन अगर मंत्री जी को कबूल हो तो मैं अपना संशोधन वापस लेने के लिए तैयार हूं वरना मैं इन शब्दों के साथ पुनः अपने संशोधन को प्रेस करता हूं।

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक पर मेरे विचार से वादविवाद जो बाद को होना था वह आज ही माननीय सदस्यों ने कर लिया। इसकी कोई आवश्यकता आज थी नहीं और मैंने प्रारम्भ में कहा था कि इस वक्त केवल इसकी मियाद बढ़ाने की बात है। प्रवर समिति में जाने का प्रश्न नहीं उठता और अब हमारा काम्प्रोहेंसिव बिल उस वक्त आप उस पर जितनी बहस चाहें कर सकते हैं। (व्यवधान) आप बैठिए, जरा सुनिए, यह सदन है। अली जहीर साहब जिस वक्त खाद्य मंत्री थे उस वक्त की प्रोसीडिंग्स पढ़ी गई तो उसको समझने में अगर आपने में कमी हो तो मैं क्या करूं। उन्होंने कहा कि हम ऐसा बिल लायेंगे और मैं यह कह रहा हूं कि

हमारा बिल तैयार है और जुलाई अगस्त के महीने में तैयार हो चुका था और यह ख्याल था कि जो वर्षाकालीन अधिवेशन होगा उसमें वह बिल प्रस्तुत होगा। किन्हीं कारणों से सदन नहीं बैठा और अब बैठा तो पांच छः दिन के लिए बैठा। तो उसमें काम्प्रीहेंसिव बिल को पेश नहीं कर सकते थे।

(व्यवधान)

एक सदस्य--

६ साल क्यों बढ़वा रहे हैं?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जरा सुन तो लीजिए। उसको पेश करते तो क्या आधा पास करने से काम चल जाता? और इधर ३० तारीख को इसकी मियाद खत्म हो रही थी। (व्यवधान) अगर आप को सुनना नहीं है तो मुझे भी कोई शौक नहीं है भाषण देने का। अगर आपको शौक है सुनने का तो मैं उपाध्यक्ष महोदय, तैयार हूं आप की सब बातों का उत्तर देने के लिए। लेकिन सुनना नहीं है और वितंडावाद करना है तो आप कह दीजिए, मैं न बोलूं।

श्री कमलासिंह यादव--

माननीय मंत्री जी बार-बार आप शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो यह "आप" शब्द श्रीमन् के लिए प्रयोग करते हैं या दूसरे किसी के लिए?

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो कान्टेक्स्ट से आप समझ लीजिए।

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

माननीय कमलासिंह ने चार दफा प्वाइंट आफ आर्डर उठाया। उनको समझ लेना चाहिए कि जो गलत बात कह रहे हैं उनके लिए आप शब्द का प्रयोग हो रहा है।

तो अलीजहीर साहब ने कहा कि मैं बिल बनाऊंगा और मैं कह रहा हूं कि बिल बन चुका है। चूंकि पांच छः दिन का अधिवेशन था, इसलिए नहीं पेश किया जा सका। आपने कहा--मैं जानता हूं इसमें खामियां हैं और कमलासिंह जी स्वयं कह रहे थे कि ऐसे-ऐसे बिल पास हो जाते हैं कि जिनके ऊपर कमेन्ट्स होने लगते हैं और तिवारी जी बता रहे थे कि हाईकोर्ट ने उसके ऊपर बहुत कुछ लिखा है। मैं कहता हूं मुझे आप बैठा दीजिये, मैं भी बहुत कुछ लिख सकता हूं। लिखने के लिये आप क्या कहते हैं। सिंगल बेंच के कुछ आर्डर्स होते हैं और कुछ बेंच के कुछ आर्डर्स हो जाते हैं.... (व्यवधान) देखिए आप उस बात को सुनते चलिये। तो मैं यह कह रहा था कि इसमें डिफेक्ट्स हैं। हम भी समझते हैं कि डिफेक्ट्स हैं। अनुभव से पता चला कि डिफेक्ट्स हैं। तो इसको ला कमीशन के पास भेजा गया। इन तीन और चार वर्षों के अन्दर क्या क्या हुआ? ला कमीशन से राय ली, बार एसोशियेशन से राय मांगी, टैनेन्ट्स से राय मांगी, मकान मालिकों से राय मांगी. . . .

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)--

श्रीमन्, बड़ा धुंआ हो रहा है।

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

मैं आप से यह अर्ज कर रहा था कि इस पिछले ५ वर्ष के अर्से में ला कमीशन से लेकर बार एसोशियेशन तक की राय मांगी गई और वह राय मांगने के बाद सरकार ने उस पर विचार

[श्री जगमोहनसिंह नेगी]

किया। विचार करने के बाद गवर्नमेन्ट ने उस पर एक बिल तैयार किया और अब वह बिल आने वाला है। मैं आपको यक़ीन दिलाना चाहता हूं कि वह बिल आपके सामने आयेगा। अब प्रश्न रह जाता है सरकार पर विश्वास करने का। अगर आपका सरकार के ऊपर विश्वास नहीं है तो उसकी मेरे पास दवा नहीं है। लेकिन ताज्जुब तब होता है कि जब आपको गवर्नमेन्ट पर विश्वास नहीं है तो फिर भी अर्ज करते हैं। यह बात समझ में नहीं आती है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की मनोवृत्ति नहीं होनी चाहिये। मैं माननीय सदस्यों से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि एक तरफ तो आप समाजवाद पर बल देते हैं, लेकिन जब उस पर अमल करने का सवाल आता है तो उसी डेमोक्रेसी की जड़ उखाड़ने में कोई कसर नहीं रखते हैं।

एक बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक प्रश्न पर हमारे सब सदस्य सहमत हैं और वह यह कि रेंट कंट्रोल ऐक्ट बहुत उपयोगी कानून है और यह ऐक्ट रहना चाहिये। रेंट कंट्रोल ऐक्ट को सब मानते हैं। अब प्रश्न यह रह जाता है कि उसका रूप क्या रहे। जो आज उसका रूप है वह क्यों रहे? अगर किसी सेक्शन को आप ठीक नहीं समझते तो फिर यह सवाल होता है कि आर० सी० ओ० ही क्यों रहे? गवर्नमेन्ट के पास क्यों जाय? इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, लेकिन केवल प्रश्न यह है कि जो हमारा सेक्शन ३ इस ऐक्ट का है उससे क्या रिलीफ लोगों को नहीं मिलती है? अगर उससे हार्डशिप लोगों को होती है तो फिर इस रेंट कंट्रोल को ही आप हटा दें और फिर अलाटमेंट भी न रहे। जितनी पगड़ी जो चाहे ले सकता है। अगर इस प्रेस के रिप्रिजन्टेटिव को मकान मिल जाय या सरकारी नौकर को मकान मिल जाय या किसी दफ्तर को मकान मिल जाय तो फिर क्या जरूरत है इस ऐक्ट की? मैं समझता हूं इन बातों को आप देखें और इन बातों पर विश्वास करें। मुमकिन है कल आप ही इस गवर्नमेंट में आयें। सेक्शन ७ के बारे में कहा जाता है कि पक्षपात किया जाता है। जिसके दिल में चोर होता है वह दूसरे को चोर ही समझता है और जिसका दिल साफ होता है वह दूसरे की बात को सही समझता है। मैं सही रूप में यह बात कहता हूं कि यह सेक्शन सात आवश्यक सेक्शन है और यह रहना चाहिये। वह डेमोक्रेसी का प्रतीक है। उसमें ब्यूरोक्रेसी का कोई सवाल नहीं है। आप को इन बातों पर विश्वास करना चाहिये। एक तरफ तो आप कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी को डिफेक्ट कर दीजिये और दूसरी तरफ ब्यूरोक्रेसी के डिफेक्ट करने वालों पर आपका विश्वास नहीं है। इस तरह से दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती हैं। कहीं पर कोई खराबी हो सकती है, लेकिन सारी चीजें ही खराब हैं यह बात नहीं सोचना चाहिये नहीं तो डेमोक्रेसी किसी तरह से फंक्शन नहीं कर सकती है। हम तो यह सोचते हैं कि गरीब आदमी को हम तक पहुंचने का हक है और वह पहुंचता है। वह रोज हम तक पहुंचता है। उसकी बात हम सुनते हैं और उसकी बात सुन कर उसके साथ रहम करते हैं और जो कुछ उसके साथ हम कर सकते हैं करने की कोशिश करते हैं। वह कमिश्नर तक पहुंचने की हिम्मत नहीं रखता है और न वह किसी ब्यूरोक्रेसी तक पहुंचने की हिम्मत रखता है। लेकिन मैं यहां पर देखता हूं कि हमारे दोस्त दूसरी तरफ डेमोक्रेसी की जड़ को काटने की कोशिश करते हैं। इस तरह से मुझे देखकर ताज्जुब होता है और यह ताज्जुब की बात है।

कल्पनाथसिंह जी बहुत बुद्धिमान आदमी हैं। मैं उनकी बातों को समझता हूं। उन्होंने विशेषरूप से शिकायत की कि इस ऐक्ट में एक नई परम्परा कायम की जा रही है। उन्होंने कहा कि उसके उद्देश्य और कारण अंग्रेजी में रखे गये हैं। शायद आपके पास अंग्रेजी का पहुंच गया है। इसीलिए आप ने ऐसा कहा, लेकिन इसके उद्देश्य और कारण हिन्दी में भी हैं।

श्री कल्पनाथसिंह—

अगर हिन्दी में हैं तो धन्यवाद।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मैं आप से अर्ज कर रहा था कि रेन्ट कन्ट्रोल के मातहत जितनी दिक्कतें हैं उनको हम मानते हैं, लेकिन जहां तक सवाल टैम्पोरेरी का है कि क्यों रखा गया तो कौंसिल में यही प्रश्न आया था। तिवारी जी भी अभी यही कह रहे थे।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

पता नहीं धुंआ हाउस में कहां से आ रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसका इंतजाम हम कर रहे हैं।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

उपाध्यक्ष महोदय, जर्मनी में एक स्मोक पार्लियामेंट कहलाती थी जिसमें जब धुंआ होता था तो दरवाजों को बन्द कराकर सेशन कराते थे। स्मोक यहां कुदरत ने फैला दिया है ताकि आप दिक्कतों को समझ लें और स्मोक पार्लियामेंट की तरह से यहां भी बैठ कर काम करें। तो मैं अर्ज कर रहा था कि डिक्शनरी में शब्द टैम्पोरेरी के लिए लिखा है "which is not permanent" अर्थात् जो स्थायी नहीं है वह टेम्पोररी है। अगर इसको स्टेट्यूट बुक पर चढ़ा देंगे तब यह टैम्पोररी नहीं रहेगा। जिस दिन तक यह नहीं रखा जायगा स्टेट्यूट बुक पर तब तक यह टेम्पोरेरी है और इसका कारण भी है। हम यह देख रहे हैं कि कितने दिनों तक हम इसको चला कर लोगों की समस्यायें हल कर सकते हैं। और अगर समस्याएं हल हो जायं तो फिर जनता को कन्ट्रोल के बन्धन में डालकर खामखां सरकार को मजा नहीं आता।

कहा यह गया कि एक महीने के लिए समय ले लो, ६ महीने के लिए समय ले लो तो मैं यह सवाल पूछता हूं जब आप को १ महीने के बाद ६ साल का वक्त बढ़ाना ही है तो आज ही बढ़ाने में कौन सा नमक मिर्च लगा जाता है। यह मेरे लिखने से ही जिद है तो दूसरी बात है। जब आप यह कहते हैं कि एक महीने के बाद कम्प्रीहैन्सिव बिल जब आ जायगा तब बढ़ा देंगे तो उस वक्त कौन सा सुरखाब का पर लग जायगा।

जहां तक १९६९ तक बढ़ाने की बात है वह हमने खामखां आरबिट्रेरिली नहीं कायम किया है। गिरधारी लाल जी बनारस वाले कह रहे थे कि नये मकानों को आपने इससे क्यों बरी रख दिया। नये मकानों पर हम जरूर लगायेंगे, यह विचार हमारा है, लेकिन किस तारीख से लगायेंगे यह बताना मुनासिब नहीं है। उसका हिसाब लगा कर ही हमने १९६९ तक इसको बढ़ाने की बात कही है। जो सुविधा पहले वाले मकानों को मिलती थी वही दूसरे वालों को भी मिले ताकि किसी को कहने का मौका न हो कि हमारे साथ ज्यादती हुई। १९५२ तक के मकान किस कीमत पर बने थे और १९५२ के बाद आज मकान किस हालत में बने हैं उन पर क्या इन्वेस्ट हो रहा है इन सब चीजों को देख कर के ही १९६९ की बात हमने कही है। ऐसे ही नहीं रख दिया गया है। जब कम्प्रीहैन्सिव बिल हम लायेंगे तब आप को सब बातें स्पष्ट कर देंगे और उससे आप संतुष्ट हो जायेंगे। तो मैं कहता हूं कि इसकी वर्किंग में जरूर दिक्कतें होंगी। कहीं टी० आर० ओ० के दफ्तर में कहीं रेन्ट कन्ट्रोल के दफ्तर में और दूसरी जगह भी दिक्कतें होंगी। उनको दूर करना है। वकील साहबान तो रेन्ट कन्ट्रोल आफिस, में भी, कमिश्नर के पास भी और कुछ हजरात मुझे भी परेशान करते हैं उनके लीगल दृष्टिकोण से और जन-साधारण जो या तो किरायेदार हैं या मकान मालिक हैं उन सब की डिफिकल्टीज को देख कर और लिटीगेन्टस को ज्यादा लिटिगेशन में न पड़ना पड़े इसके लिए ला डिपार्टमेंट और ला कमीशन की राय से इस कानून को हमने देखा है और उसमें सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक डेमोक्रेसी को बढ़ावा देने का सवाल है और लोगों को सहूलियतें देने का प्रश्न है, वह हम देंगे। डेफिनीशन्स में लेकुना हैं, लूपहोल्स हैं और हमें उनको ठीक करना

[श्री जगमोहनसिंह नेगी]

है। मैं इस समय उनकी बारीकी में नहीं जाना चाहता। बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने भाषण में पूरे ऐक्ट की परिक्रमा कर डाली है और मैं चाहता था कि आप को दुबारा यह परिक्रमा न करनी पड़े, क्योंकि इससे आप का दिमाग थक जायगा और इसीलिये मैंने अपनी बात प्रारम्भ में निवेदन कर दी थी। मैं समझता था कि अकलमंद को इशारा काफी होगा। मुझे बड़ी खुशी है कि अब आप की समझ में बात आ गयी है। अगर आप इसमें एक महीने, ६ महीने या साल भर का ही संशोधन लाना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि यह अधिक न चले तो एक महीने बाद ही जब दूसरा बिल आयेगा उस समय इसे अमेन्ड कर सकते हैं। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि हम बहुमत के बल पर सही या गलत सब काम करना चाहते हैं, मैं समझता हूं कि आप का यह आरोप निराधार है। मैं कहता हूं कि आप हमें बहस कर के समझाइये। मैं समझता हूं कि आप उसमें हमारी हठधर्मी नहीं पायेंगे और मैं भी उसमें कोशिश करूंगा कि जो सही बात है वह आप के दिल में समा जाय और हमारे हृदय को भी संतोष हो। आज सभी ने कहा कि १९५२ के बाद जितने मकान बने हैं वे कंट्रोल ऐक्ट में नहीं हैं और उनमें देखा जाय कि किस कदर किराया बढ़ा हुआ है। पिछली बार २५ फीसदी किराया बढ़ाया गया था और उस समय यह विचार था कि लोग, मकान मालिक मरम्मत नहीं कराते, इसलिये कि मकानों का किराया कम है। इसी विचार से वह २५ प्रतिशत किराया बढ़ाया गया था, लेकिन उसके बाद भी कुछ दिक्कतें हुईं और अली जहीर साहब ने कुछ उनके लिये आश्वासन दिये और उन पर काम भी होता रहा ?

इस ऐक्ट पर आज से तीन महीने पहले ही ला कमीशन की रिपोर्ट मेरे पास आयी है। हमने यह उनको सलाह के लिये भेजा था। तो उनके सामने भी दिक्कतें थीं, लेजिस्लेचर के सामने भी दिक्कतें थीं, यहां दिक्कत थी कि प्रायरिटी किस को मिले। अगर सरकार चाहती थी तो भी सीलिंग वाले बिल को प्रायरिटी देनी थी। अगर यह बिल पहले आना चाहिये था अभी तक नहीं आया तो इसकी जिम्मेदारी अकेले सरकार पर ही नहीं, कुछ आप पर भी है, पूरे हाउस पर है और इस प्रकार का आक्षेप हाउस पर एक स्लर है। आप नान आफिशियल रेजोल्यूशन इसके लिये लाकर सरकार का ध्यान दिला सकते थे। जहां अपनी जिम्मेदारी निभाने में हम फेल हुए, आप भी फेल हुए हैं। अगर हम सतर्क नहीं थे तो आप को तभी हमें सतर्क करना चाहिये था। तो मैंने सारी बातें यहां स्पष्ट कर दीं और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इस वक्त आवश्यकता है कि इसकी खराबियों को कैसे दूर किया जाय। इसकी वर्किंग को कैसे दुरुस्त किया जाय, कैसे करप्शन को दूर किया जाय। इसके लिये मैं आप को इत्मीनान दिलाता हूं और आप विश्वास करें कि हम अंतरतम से चाहते हैं कि करेप्शन दूर हो, और जो भी पक्षपात भरा हुआ है वह दूर हो, इसमें आप का सहयोग आवश्यक है और आप के संशोधनों पर हम गम्भीरता पूर्वक विचार करेंगे। आप इसी बात पर न अड़े रहें कि इसे सेलेक्ट कमेटी में ही जाना चाहिये। यह चीज वहां से हो कर ही आ रही है संशोधित हो कर, आप यहां बहस करें। यहां हाउस में सामने आ कर अपनी बात कहें। मर्द तो वही है जो सामने आ कर बहस करे और एक दूसरे को कनविन्स करे। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि कल्पनाथ जी अपने संशोधन को वापस कर लें इसी में उनकी उदारता है, महानता है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट ऐण्ड इविक्शन (संशोधन) विधेयक, १९६३ को सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का अधिकार प्राप्त हो और जो अपना प्रतिवेदन एक मास के अन्दर प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट ऐंड इविक्शन (संशोधन) विधेयक, १९६३ पर जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २

२—यू० पी० (टैम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐन्ड इविक्शन ऐक्ट, १९४७ की धारा १ की उपधारा (४) में संख्या "१९६३" के स्थान पर "१९६९" रख दिया जाय।

यू० पी० ऐक्ट संख्या ३, १९४७ की धारा १ का संशोधन

श्री गिरधारीलाल—

श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के आश्वासन के बाद मुझे संतोष हो गया है और मुझे आशा है कि जैसा उन्होंने हाउस में कहा है वह शीघ्र ही काम्प्रोहेंसिव बिल ले आयेंगे। इसलिए मैं इसको मूव नहीं कर रहा हूं।

श्री कमलासिंह यादव—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (३) में "१९६९" के स्थान पर "३१ दिसम्बर, १९६३" कर दिया जाय।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक अर्ज कर रहा हूं कि ये दो अलग-अलग बिल हैं। पहले वाले को आपने पारित नहीं कराया और दूसरा रिक्वीजीशन वाला ले लिया ?

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं, अभी तो पहले के दूसरे खंड पर विवाद चल रहा है।

*श्री कमलासिंह यादव—

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी के भाषण को सुना, लेकिन "१९६९" क्यों उन्होंने किया, ६ वर्ष की मियाद क्यों बढ़ा दी, इसका जिक्र कुछ नहीं किया और न यह बतलाया कि कारण क्या हैं। माननीय मंत्री जी इस सदन में जो गेम खेल रहे हैं उससे तो यह सरकार की परिपाटी ही मालूम होती है। पहले ऐक्ट १७ आफ १९५४ के अनुसार उन्होंने ४ साल का पीरियड बढ़ा दिया और फिर ऐक्ट २८ आफ १९५८ के अनुसार ५ साल का समय बढ़ा दिया और अब ६ साल का बढ़ा रहे हैं। तो कोई रीजनिंग नहीं दी है, जिससे हम कायल हो सकें और समझ सकें कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। इशारा जो आपका है, अगर कोई ऐसी बात होती जिससे हम समझ पाते तो ठीक था। जहां तक दिल की बात है तो वह भी हम देख रहे हैं कि ४ साल का ऐक्सटेंशन, फिर ५ साल का एक्सटेंशन और कोई फायदा सदन को नहीं हुआ।

आपने यह भी आश्वासन दिया कि जब नया बिल आयेगा तो दो साल हम कर सकते हैं, लेकिन हमारे संशोधन उन्हीं सेक्शंस पर आते हैं जिन पर सदन में विधेयक लाया जाता है। अगर पीरियड १९६९ कर दिया और वह सवाल आयेगा ही नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते। इस लिए थोड़ी सी दिक्कत आ गयी है। साथ ही साथ, उन्होंने कबूल किया कि नया विधेयक जो लाने वाले हैं वह तैयार है, सिर्फ समय की कमी की वजह से, चूंकि ७—८ दिन का अधिवेशन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमलासिंह यादव]

चल रहा है, नहीं ला सके। तो मुझे यह कहना है कि नवम्बर या दिसम्बर में दूसरा अधिवेशन होगा, जो बड़ा होगा। अगर उस वक्त तक जरूरत है कि पीरियड एक्सटेंड कर दिया जाय तो वह हो सकता है। मैं मानता हूं कि वह ३० सितम्बर को इसका समय समाप्त हो जाता है। तो इसके बाद कुछ समय बढ़ाना चाहिये। मगर श्रीमन्, जब उनका विधेयक तैयार है, संशोधन लाने के लिये भी वे कह रहे हैं प्रवर समिति में भेजने के बजाय वे मर्दों की तरह यहां पर ही बहस करने के लिये तैयार हैं, बहुत जल्दी ही दूसरा विधेयक लाने वाले हैं, तो इसको इतने लम्बे पीरियड तक एक्सटेंड करने की क्या जरूरत है ? हां जितना पीरियड जरूरी है, उसके लिये अगर आपकी तरफ से संशोधन आ जाये तो हम उसको मान लेंगे। लेकिन आज १९६९ तक हम कर दें, बाद को कमी वेशी करें, इसके लिये हम तैयार नहीं हैं।

दूसरी बात माननीय मंत्री जी ने प्रायरिटी वाली कही। मेरी समझ मेंउनकी बात नहीं आयी। अगर आज इस बिल को रखने के लिये वे इसकी प्रायरिटी को समझते हैं तो जो नया विधेयक वे रखने वाले हैं उसको भी प्रायरिटी मिल सकती थी। यह सदन पहले भी बैठ सकता था, लेकिन वहां तो मजबूरी पार्टीबाजी की है, इसके लिये समय कहां है। आज जनता के धन का दुरुपयोग हो रहा है। जनता के पैसे का प्रयोग पार्टीबाजी के लिये किया जा रहा है। सरकारी पिट्रोल के बल पर पार्टीबाजी की जाती है। दोनों सदन जबकि बैठे हुये हों, अध्यादेश जारी किया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष--

उसकी चर्चा इस वक्त नहीं होना चाहिये।

श्री कमलासिंह यादव--

यह चीज जरूरी है श्रीमन्, आज रुपया बरबाद किया जा रहा है। इन्होंने सोचा कि अगर पहले हाउस बुला लिया जायेगा तो यह आर्डिनेंस नहीं निकाल पायेंगे, इसलिये सदन पहले नहीं बुलाया। इन्होंने २३ इसलिये कर दिया ताकि कोई गड़बड़ी हो जाये तो वे उसको ठीक कर सकें। इसलिये हमें सरकार की नीयत पर भ्रम होने लगता है। इन्हीं बातों के कारण हमको शुबहा होने लगता है।

अब जहां तक माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम नान आफिशियल प्रस्ताव के जरिये सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कर सकते थे। यह भी उन्होंने कहा कि यदि यह सरकार सो रही थी तो अपोजीशन का यह कर्त्तव्य था कि वह सरकार का ध्यान इस ओर खींचती। लेकिन श्रीमन्, मुझे बड़ा अफसोस है कि सरकार ने हमें उधर भी धोखा दिया। जब जब हमें नान आफिशियल डे मिले, सरकार ने उन्हें ले लिया यह कह कर कि हमको ये बाद में इकट्ठे दे दिये जायेंगे। अभी तक हमको वे नहीं मिले। जो उसका रेजल्ट हुआ वह सारा सदन जानता है। अभी अध्यक्ष महोदय ने यह कहा कि सब नान आफिशियल डे हम एक साथ देंगे। नान-आफिशियल डे हमें मिले नहीं, मंत्री जी कहते हैं नान आफिशियल डे पर प्रस्ताव द्वारा हम सरकार को उसके लिये सचेत कर सकते थे। इसलिये ज्यादा न कहकर माननीय मंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा कि जितने पीरियड की उनको जरूरत है उतना वह दें ताकि नया बिल अच्छे रूप में आवे और विचार करके हम उसे पास कर सकें।

इन शब्दों के साथ में अपना संशोधन सदन के सामने रखता हूं।

*श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी--

श्रीमन्, मैं बोलने के लिये खड़ा नहीं होता, किन्तु जो अभी हमारे साथी ने कहा उसे अपने विचारों के बल देने के लिये और मेरे मंत्री महोदय ने कुछ ऐसे शब्द कहे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिनका प्रत्युत्तर में कुछ कहना मैं उचित समझता हूं।

मुझे दुख है कि जो कुछ मैंने कहा उधर के लोगों ने उसे समझने का प्रयास नहीं किया। मैंने पहले ही कहा था कि मैं इस बिल के सिद्धांततः साथ हूं। केवल उसकी खामियों को दूर करना चाहता हूं। मेरा झगड़ा केवल इस पर है कि आप सन् १९६९ तक क्यों बढ़ा रहे हैं। मंत्री जी ने इस पर चतुराई से रफूगीरी की कि उसे उधर से इधर दिखला दिया। उन्होंने कहा कि अगर सदन की बैठक हुई तो १ महीने में वह दूसरा कम्प्रीहेंसिव बिल ला सकेंगे। मगर इसका उनके पास कोई उत्तर नहीं है कि वह १९६९ क्यों चाहते हैं। मेरा दावा है कि अगर कोई उधर का माननीय सदस्य इस बात को सुने और अनुशासन के डर में न आकर न्याय का सहारा ले तो वह भी इसी नतीजे पर आवेगा जिस पर मैं पहुंचा हूं। श्री गिरधारीलाल जी ने किस कारण से अपना संशोधन वापिस लिया, यह तो वही जानें, लेकिन मैं देखता हूं कि उनके हृदय में भी यह बात है कि यह १९६९ धोखा है। यह बच्चों का स्कूल नहीं है। विशेषज्ञों ने ऐक्ट बनाया होगा, अभी वह अलमारी में रखा है, सारे लोगों ने और ला विभाग ने अपना समय लगाया होगा और हमारे मंत्री जी की नीति उसमें पिरोई होगी। ला कमीशन का विचार उन्होंने लिया। इतना परिश्रम जब किया गया तो यह १९६९ क्यों? अगर आप कहते हैं कि आपके पास समय नहीं है, तो क्यों नहीं है? आप अपने घरेलू झगड़े में फंसे रहे जिसके ऊपर मुझे ज्यादा कहना उचित नहीं है। सारा विरोधी दल इस पक्ष में है कि आप नया बिल पास कराइये। इसमें गरीब और अमीर का सवाल और राजा जौनपुर और भोलू का सवाल कहां आपने ला दिया? बड़ा दुख होता है जब सदन में ये बातें सुनता हूं। मेरे एक माननीय सदस्य ने कहा कि कुली और रिक्सावालों का है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि जनता के मन में भ्रम है कि सरकार अपने सामने केवल वोट का मापदंड रखती है? इंसाफ उसके सामने कोई चीज नहीं है। अगर इंसाफ उसके मन में हो तो वह न्याय के पलड़े पर ठीक उतर सकती है। मैं मानता हूं कि असमानता दूर होनी चाहिये। कितना दुख होता है जब उधर की बेंचेज से कहा जाता है कि अमीरों के लिये एक कानून है और गरीबों के लिये दूसरा। उन पर मुझे तरस आता है। क्या कहूं। न्याय क्या किसी रंग में रंग कर आता है? क्या न्याय भी एक व्यक्ति के लिये और-और दूसरे व्यक्ति के लिये दूसरा होता है? आज जजेज का जो एप्वाइन्टमेंट होता है वह भी पोलीटिकल आधार पर होता है। मैं इन बातों को नहीं लाना चाहता, लेकिन आपको इंसाफ करना चाहिये था। क्या आप पिछले १६ वर्षों में भी इंसाफ नहीं कर पाये? मुझसे कहा गया कि टैम्पोरेरी का अर्थ ही नहीं जानते। आप ही बता दें। लार्ज होल्डिंग टैक्स बिल लाया गया और चार साल बाद उसको समाप्त कर दिया गया। लेकिन आपातिक कर भार इमर्जेंसी के लिये लाया गया और कम्युनिस्टों ने भी उस पर अपने दस्तखत कर दिये, हम लोगों ने नहीं किये तो हमसे कहा गया कि यह तो केवल साल भर के लिये, लेकिन उसको परमानेन्ट कर दिया गया। हमको रिएक्शनरी कहा गया, लेकिन अब तो उनमें भी आपस में रिऐक्शनरी और राइट लेफ्ट न जाने क्या क्या हो गये हैं?

जमींदारी ऐक्ट सन् १९५२ में बनाया गया था उसमें हर साल अमेंडमेंट लाये जाते हैं, न जाने कितने अमेंडमेंट उसमें हो गये हैं। १९४७ में पंचायत राज अमेंडमेंट लाया गया उसमें सैकड़ों अमेंडमेंट हो गये हैं। ४-६-१०-२०-५० होते तो कोई बात भी थी। उनकी तो कोई शुमार ही नहीं है। यह आपकी और आपके कानूनी विभाग की काबलियत का नमूना है। इसलिये मैं कहता हूं कि यह आपका ऐक्ट बिलकुल गलत है और १६ वर्षों से आप सोते रहे हैं। मेरा तो विचार है कि यह बिल तैयार ही नहीं और अगर तैयार भी है तो आपको उस पर स्वयं भरोसा नहीं है। लेकिन अगर आप सच्चे तौर पर उसको लाना चाहते हैं तो फिर क्यों इसकी मियाद ६ साल की बढ़ाते हैं? आप दो-चार ६ महीने का समय ले लीजिये, ८ महीने का ले लीजिये। विरोधी दलों से आप और कितनी उदारता चाहते हैं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता आप कैसी बातें करते हैं। क्या आप सोचते हैं कि आप बच्चों से बातें करते हैं या जिम्मेदार आदमियों से बातें करते हैं? आप संतोषजनक उत्तर क्यों नहीं देते? श्री मिश्र जी ने तो यहां तक कह दिया

[श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी]

उसकी मियाद को ७२ तक बढ़ा दिया जाय। चौथी क्लास में जब हम पढ़ते थे तो एक कहानी सुनी थी। एक रईस ने किसी दर्जी को एक गज कपड़ा दिया कि मेरा कुर्ता बना दो, उसने कपड़ा अपने पास से लगा कर कुर्ता इतना बड़ा बना दिया कि वे उसी में समा गये। ऐसी ही हालत उनकी है। उन्होंने भी ६९ से ७२ तक की मियाद कर देने का सुझाव रखा। हमें आप पर किस प्रकार से विश्वास हो सकता है क्योंकि किसी बात में तो आपकी सच्चाई होती नहीं। आदमी की करनी से विश्वास हुआ करता है कथनी से नहीं। अगर आप अपनी नेकनीयती को साबित करना चाहते हैं तो आप विश्वास दिलायें कि मार्च से आगे इस बिल को नहीं ले जायेंगे। आप ८ महीने का समय ले लीजिये, और कहां तक उदारता आप विरोधी दलों से चाहते हैं? आप अपनी नेकनीयती का सबूत दीजिये, और खड़े होकर इस सदन में एनाउन्स कीजिये कि मैं अप्रैल तक काम्प्रीहेंसिव बिल लाऊंगा। अगर आप यह एनाउन्स कर दें तो हमारा आपका झगड़ा क्या, छोटे और बड़े का झगड़ा क्या? राजा जौनपुर और इक्के वाले का झगड़ा क्या। इसको एनाउन्स करने में आपको दिक्कत क्या है? हां, एक दिक्कत हो सकती है कि आपके ही दल के एक बहुत बड़े नेता ने कह दिया कि एक जज के कहने से होता क्या है? वे बड़ा टोप लगा कर बैठते हैं तो समझते हैं कि वे ही बड़े अक्लमंद हैं। इसी तरह से पंजाब हाई कोर्ट के एक जजमेंट के ऊपर पंडित नेहरू ने कह दिया कि यह तो सिंगल जज का फैसला है, यह कोई मेजारिटी जज का फैसला तो है नहीं। फिर वहां से फरमान जारी हुआ जो वहां से सारी सरकारों को जायेगा, सारे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को जायेगा, म्युनिसिपल बोर्ड्स को जायेगा, तो यह बड़े शर्म की बात है कि हमारे बड़े नेताओं की ओपीनियन जजेज के बारे में यह हो। बेस्ट लाइयर ने अपना ब्रेन लगाया, बेस्ट जज ने अपना ब्रेन लगाया और अपना एक फैसला दिया जिसे कहा जाय कि यह तो सिंगल जज का फैसला है, मेजारिटी जज का नहीं है, कितने दुख की बात है। मुझे दुख है कि हमारे देश में जुडिशियरी के प्रति उतना सम्मान नहीं है। एक्जीक्यूटिव जो डेमोक्रेसी में इतना अन्धेर मचाती रहती है उसके अन्दर जुडिशियरी कभी भी नहीं रह सकती है। यह मांग भी बराबर इसीलिये होती रही है कि एक्जीक्यूटिव और जुडिशियरी को अलग-अलग कर दिया जाय। जज के पावर को कम आंकने की कोशिश की जाती है और मुझे यह जान कर दुख होता है कि किसी जज के लिये एक मंत्री की तरफ से इशारा हो।

कहा जाता है कि इसमें मुकदमेबाजी नहीं होती है लेकिन देखा जाय तो एक-एक जज, व मुन्सिफ के यहां तमाम लिटिगेशन के केस पड़े हुए हैं। मुकदमे में प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दो पार्टी होती है। मान लिया जाय कि एक कैपिटलिस्ट है और एक गरीब है, तो कैपिटलिस्ट तो अपने पास से पैसा देगा और उसके ऊपर कोई खास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो गरीब है, और जिसके पास पैसे नहीं हैं उसे अपने कपड़े बेच कर लिटिगेशन में लगाना पड़ेगा, इस तरह से लिटिगेशन कम नहीं हो रहे हैं, बल्कि बढ़ रहे हैं। पब्लिक तथा विरोधी दल के लोग इस बात को नहीं मान सकते हैं कि आपकी नीयत साफ़ है और आप अच्छी भावना से इस विधेयक को लाये हुए हैं। विरोधी दल का विश्वास है कि इसमें भी आपकी राजनीतिक चाल है और हम कदापि आपका विश्वास करने के लिये तैयार नहीं हैं। यदि सरकार की नीयत साफ़ है, तो माननीय मंत्री जी खड़े होकर एनाउन्स कर दें कि ३१ मार्च, १९६४ तक हम नया काम्प्रीहेंसिव विधेयक लायेंगे। इस को मैं इसरार देकर कहता हूं कि इस तरह की बात कहना कि सिंगल जज का यह फैसला है, मेजारिटी का नहीं है, इसको पब्लिक नहीं पसन्द कर सकती। इस सम्बन्ध में एक उदाहरण मैं देता हूं, इसे आप देख लेंगे एन० सी० अग्रवाल वर्सेज किशनलाल मेहरा, १९६०, एल० ए० पेज ७५५। लीगल कम्पलिकेशन होने की वजह से बहुत से मामले डिवीजन बेंच के सामने जाकर फुल बेंच के सामने जाते हैं और फिर जजेज कहते हैं कि सरकार ने तो तुम्हारे लिये कोई सीधा रास्ता बनाया नहीं है, इसलिये समाज की समस्या को हल करने के लिये हम सीधी सड़क बनाते हैं ताकि लिटिगेट

पब्लिक को सहूलियत मिल सके। हाई कोर्ट की पावर को कम करने के उद्गार भी आपके दल के लोगों के ही हैं। उनका कहना है कि जज कुछ नहीं हैं, एक्जीक्यूटिव ही सर्वोपरि है। "एकोअहम द्वितीयो नास्ति" वह हर वक्त डेमोक्रेसी का दम भरते हैं, मंत्री जी ने कई बार डेमोक्रेसी का नाम लिया। मैं भी जानता हूं कि डेमोक्रेसी में क्या होता है।

आपने कहा कि हमने टैम्पोरेरी शब्द नहीं सुना, तो वही बता दें कि टैम्पोरेरी शब्द के वह क्या अर्थ समझते हैं। आप अपने घर में उसके अर्थ कुछ भी समझें, लेकिन आप एक ऐक्ट बना रहे हैं और एक बिल और ला रहे हैं उस में भी यह है तो इसके माने क्या हैं? अगर किसी आदमी की नीयत जज करना हो तो आप को उस का पहले का और बाद का कन्डक्ट समझना होगा। शब्द चाहें जो हों आप तो बहुत चतुर हैं, मैं तो हिन्दी, उर्दू, अंग्रेजी सब में कहता हूं और अपनी बात ठीक से नहीं कह पाता लेकिन आप की भाषा तो बहुत सुन्दर है, आप दूसरा यह टेम्पोरेरी एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) विधेयक ला रहे हैं उस में भी आपने....

वन मंत्री के सभा-सचिव (श्री हरीदत्त काण्डपाल)--

उपाध्यक्ष महोदय, यह द्वितीय वाचन के समय जब कि इसके खंड पर हम विचार कर रहे हैं इतनी बहस की क्या आवश्यकता है और यह भाषण कहां तक संगत हो रहा है?

श्री उपाध्यक्ष--

(श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी से) आप इस संशोधन तक ही सीमित रहें, जजमेंट के बारे में न कहिये।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी--

श्रीमन्, वह कहते हैं कि हमारी नीयत है कि हम इस को मार्च में लायेंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि यह मार्च में नहीं लायेंगे। हम कैसे यकीन करें, वह सदन में आज ही एलान करें कि हम इस समय तक लायेंगे। वह उत्तर प्रदेश टैम्पोरेरी एकोमेडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) विधेयक ला रहे हैं उस में भी टैम्पोरेरी लगा है, यह उन की आदत है और वह बिल तैयार नहीं है और न वह १९६७ तक इस को ला सकेंगे।

दूसरे हमारे मंत्री जी ने बड़ी चतुराई से वह क्लाज रखी है, सन् १९४७ में जब यह ऐक्ट लाया गया था उस वक्त भी यह टैम्पोरेरी ही था, उसके बाद फिर मियाद बढ़ा दी गई और इसकी शादी कर दी गई, उसकी फिर १९६३ तक की मियाद रखी गई और अब १९६९ तक बढ़ाना चाहते हैं। वह डेमोक्रेसी के नाम पर हर तरह के कानून का खुद उल्लंघन करते हैं।

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय त्रिपाठी जी की बात को सुनने की कोशिश करता रहा कि सुने, लेकिन उनका रिकार्ड उधर बजता रहा और मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ा। बड़ी दिक्कत है कि जिन बातों को हमने कहा ही नहीं वह कहते रहे। वह जुडीशियरी को न मालूम कहां से ले आये। मैंने कहा था कि एक बार एक बेंच ने रूलिंग दी कि स्टेट गवर्नमेन्ट रिवीजन पर रिव्यू ले सकती है फिर हुआ कि रिव्यू नहीं ले सकती और फिर दोबारा वही आया कि रिव्यू ले सकती है। मेरा कहना था कि वहां पर भी एक व्यू कोई परमानेन्ट व्यू नहीं है। एक अदालत एक बात कहती है और फिर अपील में दूसरी चीज छन कर आ जाती है। फिर कैसे उनके दिमाग में यह बात आ गई कि हम जुडिशियरी की जड़ काटते हैं। यह तो मैं कहूंगा कि आप जजों की चापलूसी करते हैं, हम उन की पूरी इज्जत करते हैं आप को इस तरह की बात कहना मुनासिब नहीं था। दूसरे जब आप का विश्वास ही हम पर नहीं है तो हम आप...

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने शब्द "चापलूसी" का प्रयोग किया है क्या यह शब्द पार्लियामेंटरी है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

मेरी नीयत पर हमला कर सकें, हमारी पार्टी पर हमला करें यह सब कितना आपत्तिजनक था। माननीय कमलासिंह भी हमारी पार्टी के झगड़े की बात बिल में ले आये। हमारे पास तो कुछ है इसलिये झगड़ा सम्भव भी है, लेकिन आपके पास क्या है जो आये दिन झगड़े होते हैं और नेता बदलते हैं। नरसिंहनारायण जी यहां आ गये, जनसंघ में माननीय शारदाभक्तसिंह हो गये। अपनी तरफ भी तो देखिये हम पर ही कटाक्ष करना मुनासिब नहीं है।

सारी दुनिया की बातें माननीय त्रिपाठी जी ने कह डालीं। अभी कहते हैं मंत्री जी कह दें तो हमें विश्वास हो जाय और दूसरी तरफ कहते हैं हमें विश्वास नहीं है।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी---

मैंने कहा था आपकी बात में विश्वास नहीं, लेकिन अगर इतना वायदा कर दें तो विश्वास हो जाय।

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

मैंने कहा था मान लीजिये एक महीने के बाद हम बिल लाते हैं तब अगर १९६९ तक कर दें वही अगर आज कर देते हैं तो क्या फर्क है? एक महीने तक सदन न बैठे या प्रायरिटी न मिले तो फिर आप कह देंगे कि झूंठ बोल दिया। अगर आपको इत्मीनान नहीं है कि वह तैयार है तो बड़ा अच्छा है, नहीं तैयार है। मगर ईमानदारी से पूछते हैं तो बिल तैयार है। लाने का प्रश्न यह है कि अरलिएस्ट अपार्चुनिटी पर आ जायगा, चाहे मार्च हो, फरवरी हो या जुलाई हो। तो कल को यह न कहें कि एक महीना शब्द इस्तेमाल हुआ था। एक महीने का मतलब मैंने कहा अरलिएस्ट अपार्चुनिटी है।

माननीय कमलासिंह जी एकाग्रचित्त हो कर सुनें तो समझें। मैंने १९६९ तक इसलिये किया कि मान लो आपका संशोधन १९६५ तक का है और मान लो १९६३ तक के सब मकानों को रेंट कंट्रोल के परव्यू में ले लें तो १९५२ वालों ने कितना मजा उड़ा लिया। वह बेचारे जिन्होंने आज कान्स्ट्रक्ट किया है उनको ६ महीने का भी टाइम नहीं दिया अपना पैसा रिकवर करने के लिये। बावजूद इसके कि हम समाजवादी हैं जिसने पैसा खर्च कर रखा है उसे हम मारना भी नहीं चाहते। इन बातों को ध्यान में रख कर हमने यह टाइम मुकर्रर किया है ताकि हर एक के साथ बराबर का न्याय मिल सके। वैसे इस ऐक्ट का खास उद्देश्य यही है कि टेनेन्ट्स को फायदा पहुंचे, लेकिन मकान मालिक को इतना परेशान करदें कि वह मकान बनाना ही छोड़ दे यह भी हम नहीं चाहते। गवर्नमेन्ट सब मकानों को खरीद ले तो उस स्थिति के आने में भी समय लगेगा और उसके समय तक मकान मालिकों को इन करेज भी करना होगा। फिर काम्प्रिहेंसिव बिल जब आयेगा उस वक्त जरूरत समझी जायगी तो उसमें भी टाइम चेंज हो सकता है। हम चाहते हैं कि मकानों का बनना एनकरेज हो और जो कुप्रभाव पड़ने वाला है वह न पड़े। अब अगर हमारे साथी मेरी बात को नहीं मानते और शक करते हैं तो उसका इलाज मेरे पास तो क्या हकीम लुकमान के पास भी नहीं था और अगर आप पर मेरी बात का असर है और आप में कुछ आत्मा और दिल है तो आत्मा की पुकार आत्मा सुन लेती है और टेलिविजन चलता है, लेकिन अगर पत्थर का दिल है तो टेलिविजन भी काम नहीं कर सकता।

श्री कमलासिंह यादव---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी की बात सुन रहा था और यह सोच रहा था कि पहाड़ से वह आये हैं उनका दिमाग ठंढ़ा होगा, लेकिन मालूम हुआ कि लखनऊ में आने

से गर्मी आ गयी। इधर धुवां नहीं था बल्कि उसी साइड में धुवां था जिधर मंत्री जी बैठे थे और इसीलिये उधर गर्मी भी आ गयी।

श्री उपाध्यक्ष—

वह धुवां बुझा दिया गया ।

श्री कमलासिंह यादव—

जहां आग रहती है वही धुवां भी रहता है, अलग नहीं होता ।

एक बात यह कही कि पार्टी पर हमने लांछन लगाया। आप रूलिंग पार्टी के हैं। सारे एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी आप पर है। जोत-कर विधेयक आप इस सदन में लाये, अपोजीशन के कुछ लोगों से आपने राय ली जिनमें श्री भानुप्रताप सिंह जी भी थे उनसे वायदा किया कि सिर्फ एक साल के लिये आप उसे लाना चाहते हैं, लेकिन जब सदन में उसे आप लाये तो आपने साफ इंकार कर दिया कि एक साल के लिये वह नहीं होगा। आपने हमको एक बहकावा दिया। और उसमें कुछ प्रलोभन दिया क्योंकि समय ऐसा था कि चीन की लड़ाई की वजह से मजबूरी थी, आपकी बातों में हम फंस गये और नतीजा यह हुआ कि उस विधेयक में जो एक साल का अमेंडमेंट माननीय भानुप्रताप जी का था उसे आपने रिजेक्ट कर दिया। करते आप कुछ हैं और सही माने में चीज दूसरी होती है जैसे अभी हमने सदन में देखा कि मालूम पड़ता था डंडा मगर निकला कलम। आप जो कुछ भी करिये कम से कम ऐसा तो करिये जिसमें हम लोगों में भी कान्फीडेंस हो। जब नया विधेयक आप लायेंगे तो उस तर्क को हम भी देखेंगे, हो सकता है कि जो तर्क आप लोगों को उपयुक्त मालूम हो रहा हो वह हम लोगों की समझ में उपयुक्त न हो। तो हम आपको कन्विन्स कर देंगे कि आपका तर्क ठीक नहीं है, यह तर्क होना चाहिये ।

तो मेरा कहना यह है कि चूंकि लिमिटेशन का सवाल है, हम यह नहीं चाहते कि आप इस विधेयक को खत्म कर दें लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि लोगों को मकान बनाने के लिये प्रोत्साहन मिले। लेकिन जो रोजगार आपने उठाया है कि दूसरे का मकान तो आप ले लें और अपना मकान किराये पर उठा कर मुनाफा कमायें यह बन्द होना चाहिये। इसलिये आप मियाद बढ़ाइये, हमें जरा भी उज्र नहीं है, लेकिन मियाद उतनी ही आपको मिले जितनी जरूरी है। उसके बाद अगर कोई नया विधेयक लायेंगे तो उसके अन्दर कोई तर्क होगा। आप १९६९ तक की बात कहते हैं, उससे भी ज्यादा आप बढ़ा लीजिये, हमें सपोर्ट करने में कोई हिचक नहीं होगा, लेकिन दिक्कत यह है कि चेन्ज हो रहा है। आपने कहा कि इधर चेंज हो रहा है लेकिन उधर भी चेंज हो रहा है और होने वाला है। तो शायद आप इस जगह पर न रहें या हो सकता है कि यह विभाग आपको न मिले तो आपका यह अश्योरेंस कहां रहेगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

वह तो गवर्नमेन्ट का होता है ।

श्री कमलासिंह यादव—

गवर्नमेन्ट का तो होता है, लेकिन अभी आश्वासन समिति के सभापति जी ने बहुत सी बातें बतायीं कि सरकार के आश्वासन कहां तक पूरे किये जाते हैं। इन शब्दों के साथ में उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको मानेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ की पंक्ति ३ में "1969" के स्थान पर "दिसम्बर, १९६३" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेन्ट ऐन्ड इविक्शन (संशोधन) विधेयक, १९६३

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है)

यू० पी० (टैम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐण्ड इविक्शन ऐक्ट, १९४७ को उसकी अवधि बढ़ाने के प्रयोजनार्थ संशोधन करने के लिए — यू० पी ऐक्ट संख्या ३, १९४७

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के चौदहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

१—यह अधिनियम यू० पी० (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐन्ड इविक्शन (संशोधन) अधिनियम, १९६३ कहलायेगा। — संक्षिप्त शीर्षनाम

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षनाम इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश (टैम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐन्ड इविक्शन (संशोधन) विधेयक, १९६३ जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री कल्पनाथसिंह—

श्रीमन्, सब से पहले मुझे नियम १३२ के अन्तर्गत चर्चा करने की अनुमति दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

देखिये, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है, इसलिये चर्चा नहीं हो सकती है।

श्री कल्पनाथसिंह—

श्रीमन्, नियम १३२ में विधेयक के सिद्धांतों पर चर्चा करने का हमें अधिकार प्राप्त है।

श्री उपाध्यक्ष—

वह तो फर्स्ट रीडिंग पर होती है जब विचार के लिये प्रस्ताव आये। इसके बाद खंडों पर विचार खत्म हो गया। अब तो अंतिम स्टेज का प्रस्ताव है इस पर चर्चा नहीं होगी।

श्री कल्पनाथसिंह—

बहुत अच्छा, श्रीमन्।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल अब पास होने की स्थिति में है। इसको पेश करते समय मंत्री जी के कई प्रकार के उद्गार हो गये। उन्होंने स्वीकार भी कर लिया

है कि बिल तैयार है, हमारे पास रखा है और अगले सेशन में पेश कर दिया जायगा। लेकिन थोड़ी देर बाद कहा कि शायद प्रायोरिटी न मिल पाये। इससे जो उन्होंने शंका व्यक्त की है उसके सम्बन्ध में मैं सरकार और मंत्री जी की गुड सेंस को अपील करना चाहता हूं कि जो बात उन्होंने कही है उसको सदन की भावना को ध्यान में रखते हुये उन्हें पूरी करनी चाहिये।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि मंत्री जी जब बोल रहे थे तो उधर धुआं काफी हो रहा था, एक प्रकार से वह अग्नि से खड़े होकर बोल रहे थे। उसको ध्यान में रखते हुये वे अपनी बात को पूरा करें। पहला संशोधन ६४ तक के लिये था। यह हो सकता था कि बजट सेशन आयगा और सारा समय चला जायगा। परन्तु एक साल से भी अधिक समय है इसलिये कोई कारण नहीं है। अगर उनको आशंका हो कि उनके दल में झगड़ा हो जायगा, लड़ाई चलेगी और इससे वर्षाकालीन सेशन नहीं चलेगा तो शरद् कालीन सेशन में या अगले बजट सेशन तक तो काफी समय है। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि मंत्री जी ने जो वायदा किया है उसको सदस्यों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुये पूरा करना चाहिये। मुझे आशा है कि वे जल्दी से जल्दी बिल लाने की कृपा करेंगे।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि खाद्य मंत्री जी ने बड़े जोश-खरोश के साथ कुछ वायदा किया और वे उस वायदे से फिर गये और कह दिया कि अर्लियेस्ट अपारचुनिटी से ले आयेंगे। अगर वे यह कह देते कि अगले सेशन में रख देंगे तो सारी बात क्लीयर हो जाती। वह कहते हैं कि हमें विश्वास नहीं है। कैसे विश्वास किया जाय? अगर यह सेशन ६ महीने तक न बुलाते तो संविधान का उल्लंघन हो जाता। ४ आने जो एक साल के लिये जोत कर के बढ़ाये थे उसको कम करने के लिये कहा था लेकिन उससे मुकर गये और आपने अपने वायदे को पूरा नहीं किया है। आज आप दुहाई देते हैं कि हम पर विश्वास करो। आपने अविश्वास पैदा कर दिया है इसलिए कहना पड़ रहा है। मंत्री महोदय ने इतनी देर बहस करके सिवा कोल स्मोक प्रोड्यूस करने के कुछ नहीं किया। अब अगर वह वादा कर दें कि अगले सेशन में बिल ले आयेंगे तो हमको संतोष हो जायगा।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो यह कहा कि मैं अपने वादे से गिर रहा हूं, यह बात नहीं है। मैं उनको आश्वासन देता हूं कि मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा। वह बिल तैयार है। यह तो गवर्नमेन्ट पर निर्भर करता है कि कौन जरूरी बिल है। आप को क्या? आप कह रहे हैं कि यह बिल पहले ले आये कोई दूसरा बिल आयेगा तो उस पर कहेंगे इसको पहले ले आओ आपके कहने में कुछ बनता बिगड़ता नहीं। मगर मैं कोशिश करूंगा कि अरलियस्ट अपारचुनिटी में आ जाय। इसका आप विश्वास रखें।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश (टैम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट ऐंड इविक्शन (संशोधन) विधेयक, १९६३ [The U. P. (Temporary) Control of Rent and Eviction (Sanshodhan) Vidheyak, 1963.] जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) विधेयक, १९६३†

रसद मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)--

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश (टैम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) विधेयक, १९६४ पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय ।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक पर केवल इतना ही कहूंगा कि आज कल हर माननीय सदस्य जानता है कि इमर्जेन्सी है, चाहे वह लांछन दे कर कहें कि नहीं है, लेकिन वह है इसको वह कबूल करेंगे। इमर्जेन्सी एक दो साल नहीं कई साल चलने वाली है। रिक्वीजीशन करने की पावर आम तौर पर इस्तेमाल नहीं होती। लेकिन जैसे होम गार्ड्स या मिलिटरी को किसी वक्त आवश्यकता पड़ सकती है। उसको पूरी करने के लिए यह पावर ली जा रही है। पहले भी यह थी। रिफ्युजीज के टाइम पर यह ऐक्ट आया था। यह भी बिल टैम्पोरेरी है। इसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रिक्वीजीशन कर सकता है पब्लिक परपज के लिए। पहले पब्लिक परपज की व्याख्या में नहीं था कि अगर मकान के किसी पार्ट को छोड़ना है तो नहीं छोड़ सकते थे या अगर कोई आदमी बैठ गया और वह नहीं छोड़ रहा है तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को पावर नहीं थी कि वह उससे खाली करवा ले। पुराने ऐक्ट में यह कमी थी।

दूसरी बात यह थी कि अगर मकान का कम्पेन्सेशन कम आंका गया तो सिविल कोर्ट में वाजिब तरीके से लगाने के लिए हमने इसमें प्राविजन रखा है यों मैं कुछ न कहूं तो कल माननीय सदस्य कहेंगे कि बात कुछ कही नहीं, इसलिये हमको बोलना पड़ा। अब अगर मैं ज्यादा बोलता हूं तो कहते हैं कि मन्त्री जी ने यह कहा तो मैं यह कहता हूं। तो यह कशमकश दोनों तरह से चलती है। मैं आपसे बताता हूं कि यह बड़ा इन्नोसेन्ट बिल है और यह मकान मालिकों के इन्टरेस्ट में है जिनका कि मकान रिक्वीजीशन किया जायगा। इसमें जो अमेंडमेंट्स हैं उनको अगर आप बढ़ायेंगे तो आप गवर्नमेंट का हाथ मजबूत करेंगे और उसको जो हम रिलीफ दे रहे हैं रिलीफ वह नहीं पायेंगे। इस वक्त हम उसको रिलीफ दे रहे हैं और आप गवर्नमेंट से तो जरा नाराज रहते ही हैं, इसलिये उसके जो कारिन्दे हैं उनके हाथ हम थोड़ा-सा ढ़ीला रख रहे हैं कि इमर्जेन्सी के होते हुए भी रीजनेबिल तरीके से अपना काम चलायें। कम्पेन्सेशन उनको मिले और एक महीने से ज्यादा किराये का लेना हो मरम्मत के लिये तो सिविल कोर्ट में उसके लिये जायं।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)---

कोर्ट फीस माफ कर दीजिये।

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

कोर्ट फीस से बरी करने की बात करेंगे तो फिर आप पर टैक्स लगेगा और उसके लिये आप फिर झगड़ा करेंगे कि टैक्स बढ़ा दिया। अभी चवन्नी वाली बात आयी थी। वही बनिये वाली बात है कि बनिया गुड़ तो खिला देगा लेकिन उसका दाम वह उसी सौदे में काटेगा। तो फिर होना तो वही है और फिर यह तो मालदारों पर लगेगा, मकान मालिकों पर लगेगा। फिर वही सवाल खड़ा हो जायगा कि मैं समाजवाद की बात नहीं कर रहा हूं। तो मैं अधिक न कहकर इतना ही कहूंगा कि सुबह कल्पनाथसिंह जी ने वादा भी किया था कि इसमें बहस कर लेने दीजिये, शाम को यह ऐसे ही हो जायगा, इसलिये इसको आप पास कीजिये।

---

†२३ सितम्बर, १९६३ की कार्यवाही में छपा है।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, जिस बात की चर्चा माननीय मन्त्री जी ने की, यह बात सही है कि मैंने कहा है और मैं फिर से मन्त्री जी से वादा करता हूं....

श्री उपाध्यक्ष—

आप पहले अपना प्रस्ताव तो रख दीजिये।

श्री कल्पनार्थसिंह—

अभी तो मैं प्वाइन्ट आफ आर्डर रख रहा हूं। प्रस्ताव रखूंगा तो मन्त्री जी कहेंगे कि वादे से हट रहे हैं। इसलिये पहले आप मेरे प्वाइन्ट आफ आर्डर पर व्यवस्था दीजिये। अभी तो समय है....

श्री उपाध्यक्ष—

अब समय नहीं है.....

श्री कल्पनार्थसिंह—

तो मैं अपना प्वाइन्ट आफ आर्डर कल पेश करूं?

श्री उपाध्यक्ष—

कल ही कीजियेगा।

(इस के बाद सदन ५ बजकर ३० मिनट पर अगले दिन के १० १/२ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२४ सितम्बर, १९६३।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १-२ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२१ पर)

शाहजहांपुर, पीलीभीत, बरेली, बिजनौर, रामपुर और मुरादाबाद जिलों में राजकीय नलकूपों की संख्या की सूची :—

	नलकूप
१—शाहजहांपुर	११०
२—पीलीभीत	१८
३—बरेली	१५५
४—बिजनौर	२९९
५—रामपुर	७४
६—मुरादाबाद	६३३
योग ..	१,२८९

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२२ पर)

प्रार्थना-पत्र में कथित निम्नलिखित ३ मांगों से सिंचाई विभाग का सम्बन्ध है और तत्सम्बन्धी जांच का परिणाम भी प्रत्येक के नीचे दिया जाता है—

मांग १—शाहपुर तथा बलुआ ग्रामों के बीच में प्राकृतिक नाले पर एक रेगुलेटर का निर्माण।

प्रारम्भिक जांच से पता चला कि यह योजना अधिक खर्चीली होगी। अधीक्षण अभियन्ता को विस्तृत सर्वेक्षण के लिये आदेश दे दिये गये हैं। सर्वेक्षण होने के बाद ही कुछ ठीक पता चल सकेगा कि योजना कार्यान्वित किये जाने के योग्य है कि नहीं।

मांग २—उक्त क्षेत्र में नलकूपों द्वारा सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाय।

प्रारम्भिक जांच से पता चला कि इस क्षेत्र में नलकूपों द्वारा सिंचाई की सुविधा उचित न होगी। यहां पर सिंचाई की सुविधा रामगंज रजबहा से नई माइनरों के बनाने से बढ़ाई जा सकती है जिसके लिये सर्वेक्षण कराया जा रहा है।

मांग ३—निम्नस्तरीय गांवों का धरातल ऊंचा करना।

इस क्षेत्र में ५८ गांवों को ऊंचा करने की योजना थी जिसमें से ५२ गांव ऊंचे किये जा चुके हैं ६ गांवों पर पटाई का काम जारी है।

संसद पुस्तकालय

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२२ पर)

बदलापुर ब्लाक के ग्राम बलुआ, गोपालपुर, शाहपुर-सानी और रामनगर में सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। ग्राम तियरा का १० प्रतिशत भाग कुलाबा नं० १५२ व १५४ के कमांड में पड़ता है। शेष ९० प्रतिशत के लिये इस समय कोई व्यवस्था नहीं है। घनश्यामपुर का अधिकांश भाग रामगंज रजबहा के कुलाबा नं० १७७ के कमांड में पड़ता है।

खुटहल ब्लाक के ग्राम खुटहन, मुबारकपुर, अंगुली तथा रानीपुर को सिंचन सुविधा प्रदान करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है। ग्राम काजी शाहपुर तथा खालसापट्टी को ग्राम पनौली में बने नलकूप नं० २० से सिंचन प्राप्त होता है।

विधान सभा पुस्तकालय

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२४ पर)

१—भटवा पांडे
२—सरया
३—धर्मखोर करन
४—केहनियां
५—बेलही
६—पिपरल्या
७—विशुनपुरा
८—जावदीह
९—धनौरी
१०—कटाई टीकर
११—नारीनपुर पांडे
१२—बेलथरा
१३—मालाचक
१४—नरायनपुर तेवारी
१५—तेलया शुक्ल
१६—भविला अव्वल
१७—खैरान्ट
१८—वर्मखोद दुबे
१९—झाथदनौर
२०—सठयान
२१—परसोनी
२२—दनौर
२३—रामलाल
२४—विशुनपुरा देवर,
२५—परसिया देवार
२६—मडीला
२७—कटैलवा
२८—परसिया
२९—कन्हनबल
३०—टोला मल्लाह ग्राम बोल दाऊद ।
३१—करमुआ
३२—बासी प्रांखन
बांसीपार खरिक
बांसीपार मिसिर
बांसीपार महादेव का टोला
बांसीपार रदेव का टोला
पुरना छप्पर खास टोला
३३—टिधरा टोला कापी देवरिया
३४—जिगनी दीक्षित टोलादादर
३५—फतेहपुर टोला कपिलदेव रण
३६—कुकुर थारी वर्ड आफ अंथवी
३७—माधव छप्परा विक्रम का टोला
३८—माधव छपरा खास
३९—सरिया छकोंचा टोला
सरैया हरिजन टोला
४०—मोहटैरखास टोला
४१—बनधारी
४२—मदन धाक
४३—भरहै छौर मार टी मालह टोली
४४—बंडरही खास टोला
४५—दनौर पूरब टोला
४६—सवांर जी पूरब टोला
४७—नन्द घाट
४८—बुकुसारी
४९—प्यासी इस्ट टोला
५०—भटनी खास हरिजन टोला
५१—काहुरया
५२—बनकटा शम्भु
५३—अहरौली इस्ट टोला

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १० का उत्तर पीछे पृष्ठ १२६ पर)

सिंचाई विभाग द्वारा कार्यान्वित न होने वाली योजनाओं की सूची

क्रम-संख्या	योजना का नाम

बांध

१—लखनोती स्पिल का निर्माण
२—गंगा महेवा दोआब बांध
३—चितौनी बांध का निर्माण
४—बेहरा बोन्धी बांध का निर्माण
५—बोन्दी बेहरोली बांध का निर्माण
६—महोला गडवल बांध का निर्माण
७—हाहा नाला बांध का निर्माण
८—तुर्तीपार श्रीनगर बांध का निर्माण
९—बलिया बेरिया बांध का निर्माण
१०—नरायनी चितौनी बांध का निर्माण
११—बिलहा बेहरा बांध का निर्माण
१२—मुस्तफाबाद खुन्ती प्रथवीपुर बांध
१३—असावर बांध
१४—गोशालपुर बांध
१५—कुन्रा घोंघी बांध
१६—बन्रहा बांध
१७—माधोपुर बांध
१८—गोविन्दपुर बांध
१९—टेडिया नाला बांध
२०—मालोन बांध
२१—मझोलिया बांध
२२—घेवरा से बन्कट तक बांध
२३—घोजा नाला ड्रेनेज कट
२४—कोसी नदी पर बांध बनाकर घरियाल ग्राम की सुरक्षा
२५—भैंसा बाजार के निकट बांध की सुरक्षा
२६—जीपपुर पर रिटायर्ड बांध का निर्माण
२७—रेलवे पुल से ओखला वेअर तक बायें बांध को मजबूत करना
२८—गोमती नदी के दायें किनारे की सुरक्षा
२९—चितौनी बांध की आगे की सुरक्षा
३०—मुखलिसपुर से बिलहेरा तक बांध का निर्माण
३१—जीवपुर बांध की आगे की सुरक्षा
३२—बांसी पंघटिया बांध की मरम्मत
३३—बाकुलाहा संसार टोला बांध
३४—पिपरोल चौंदपुर हुसेनपुर बांध
३५—अरही ग्राम के निकट रिटायर्ड बांध का निर्माण
३६—रूहा ग्राम के निकट रिटायर्ड बांध का निर्माण
३७—गोवरधनपुर बांध का निर्माण
३८—नौझील बांध का निर्माण
३९—हिन्डन नदी पर बांध इत्यादि बनाकर बुवाना टाउन की सुरक्षा।
४०—सोलानी खादर बांध का निर्माण
४१—ख्वाजापुर बांध का निर्माण
४२—उधेर बांध का निर्माण
४३—चितौनी बांध की ओर सुरक्षा
४४—लखनौती बांध का बढ़ाव
४५—परमेश्वर तरक्यापुर बांध
४६—विलासपुर बांध
४७—लालपुर धनेरी बांध

बाढ़ ग्रस्त ग्रामों का स्तर ऊंचा करने की योजना

१—४,००० ग्रामों का स्तर ऊंचा करना
२—बलिया जिला में गंगा नदी के किनारे पर के बाढ़ ग्रस्त ग्रामों की सुरक्षा।
३—बलिया तथा आजमगढ़ जिलों में घाघरा नदी के किनारे पर के बाढ़ ग्रस्त ग्रामों का स्तर ऊंचा करना।
४—बहराइच जिला में १५० बाढ़ ग्रस्त ग्रामों की सुरक्षा।
५—बुलन्दशहर, देवरिया तथा गाजीपुर जिलों में ६० मील लम्बी सड़क का स्तर ऊंचा करना।
६—गोरखपुर जिला में १०० बाढ़ ग्रस्त ग्रामों का स्तर ऊंचा करना।

क्रम-संख्या	योजना का नाम	क्रम-संख्या	योजना का नाम

७—देवरिया जिला में ५० बाढ़ ग्रस्त ग्रामों का स्तर ऊंचा करना

कस्बों की सुरक्षा

१—जौलजीवी टाउन की सुरक्षा
२—राजापुर टाउन
३—आलमपुर के लिये बाढ़ सुरक्षा कार्य
४—अर्गुन नाला बाढ़ सुरक्षा योजना
५—पिलासार नदी की बाढ़ से ग्रामों की सुरक्षा
६—सोम नदी पर बाढ़ सुरक्षा कार्य
७—सुसवा नदी पर बाढ़ सुरक्षा कार्य
८—मथुरा जिला में जमुना नदी पर ऐतिहासिक घाटों की मरम्मत ।
९—हरसिला बाढ़ सुरक्षा योजना
१०—गैरखेट बाढ़ सुरक्षा योजना
११—बागेश्वर बाढ़ सुरक्षा योजना
१२—उतरोरा तथा एसन बाढ़ सुरक्षा कार्य
१३—चित्रकूट घाट की सुरक्षा
१४—सैरा बाढ़ सुरक्षा कार्य
१५—हरद्वार में घाटों का निर्माण

कटाव सुरक्षा कार्य

१—सुरेमानपुर रेलवे स्टेशन के निकट कटाव को रोकना (स्टेज २)
२—बरूना रेगुलेटर का निर्माण
३—सुरेमानपुर रेलवे स्टेशन के निकट के कटाव के रोकने के लिये सुरक्षा कार्य (स्टेज ३)
४—देहरादून में सलफर स्प्रिंग के निकट बाढ़ सुरक्षा कार्य
५—नगवा ग्राम की सुरक्षा
६—रिच्च टाउन की सुरक्षा
७—छोई एरिया की सुरक्षा
८—नागबापसुकी घाट को कटाव से रोकने के लिये सुरक्षा कार्य ।

सर्वेक्षणकार्य

१—सर्वेक्षण तथा खोजबीन
२—बाढ़ सर्वेक्षण तथा डिस्चार्जेज को देखना बाढ़ की भविष्यवाणी

नालियों का सुधार पहाड़ी जिलों में

१—तराई क्षेत्र में कुलवर्ट तथा रेगुलेटर्स की नालियों का निर्माण
२—कोलोनाइजेशन क्षेत्र में ६ पुलों का निर्माण ।

पश्चिमी जिलों में

१—मथुरा जिला छोटी कोसी ड्रेन
२—चांदपुर सिग्राऊन सलारा ड्रेन
३—इमलिया ड्रेन
४—जलालाबाद ड्रेन
५—हचोया ड्रेन
६—सिकन्दरपुर ड्रेन
७—पिन्ना ड्रेन
८—ताजपुर ड्रेन
९—भुपेरा ड्रेन
१०—हरसोली ड्रेन
११—राइट सीपेज ड्रेन चितोड़ा
१२—जाट मझेरा ड्रेन
१३—माधी ड्रेन
१४—कदराबाद ड्रेन का निर्माण
१५—हक्खू ड्रेन
१६—खुर्जा ड्रेन
१७—मिकमपुर ड्रेन
१८—सरधना ड्रेन
१९—खुसरूपुर ड्रेन
२०—प्रथम तथा तृतीय मंडलों में छोटी नालियां ।
२१—कदराबाद ड्रेन की रिमार्डलिंग
२२—गोवर्धन ड्रेन
२३—शेखपुर ड्रेन की रिमार्डलिंग
२४—कोसी आर्टीरियल ड्रेन की रिमार्डलिंग
२५—कचनारी ड्रेन
२६—सिंधोरा नाला ड्रेन।

सेन्ट्रल जिलों में

१—औसरगढ़ ड्रेन
२—जिधौरा ड्रेन
३—चौधिया ड्रेन
४—रामदाना ड्रेन

क्रम-संख्या	योजना का नाम	क्रम-संख्या	योजना का नाम

पूर्वी जिलों में

१—वाराणसी भदोई बाढ़ सुरक्षा कार्य
२—माहों नाला ड्रेन
३—गोरखपुर जिला में ४ नालियों तथा रेगुलेटर्स ।

४—कटिहारा नाला पर फ्लेप रेगुलेटर
५—खैरों ताल ड्रेन
६—छेन्दी ड्रेन
७—वान गंगाड्रेन
८—सुधारी ताल ड्रेन
९—नारोई ताल ड्रेन

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कार्यान्वित होने वाली योजनाओं की सूची

१—हरदोई शाहजहांपुर मार्ग के ९५ मील पर ४० फुट की जल निकास मार्ग के एक छोटे पुल का निर्माण।

२—बांध—गोरखपुर में मलोनी बांध को ऊंचा करना एप्रन लांचिग बनाना तथा कंकड़ डालना।

शहर का बचाव

३—श्री बद्रीनाथ पुरी का बचाव
४—वाराणसी में खोखले घाट के सामने पत्थर डालना।

५—वाराणसी घाटों की मरम्मत तथा पुनः निर्माण।

६—आदि केशव घाट की मरम्मत तथा पुनःनिर्माण।

७—हनुमान घाट की मरम्मत तथा पुनः निर्माण।

८—आजमगढ़ शहर की पूर्व की ओर नये बांध का निर्माण।

९—आजमगढ़ जिले में सूरजपुर बाँध को चौड़ा करना तथा दृढ़ करना।

१०—बलिया शहर का बचाव।
११—लखनऊ शहर का बचाव।
१२—मिर्जापुर में बाबा जी घाट की मरम्मत।
१३—टोंस नदी के बांध की मरम्मत।

जल निकास का बढ़ाव

१४—दिल्ली-मंसूरी मार्ग के ६८वें मील पर स्थित पुल का बढ़ाना।

बांध

१५—गोरखपुर में हार्बर्ट बांध को सुदृढ़ करना।

१६—मालोनी बांध का कुई ग्राम से तारकुलानी तक प्रसार।

१७—काली नदी बांध को ऊंचा करना तथा प्रसार।

१८—मां आनन्दमयी के घाट के सम्मुख एप्रन लांचिग।

१९—हलद्वानी नगर का बचाव।
२०—सिंधिया घाट के सम्मुख एप्रेन लांचिग।
२१—जैन घाट का पुनरुद्धार तथा निर्माण।
२२—मथुरा में यमुना नदी पर बने घाटों का जीर्णोद्धार।

२३—महावन नाले के ऊपर ६ फुट के चाप विस्तार के पुल का निर्माण।

२४—सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क पर बने जल निकासी का प्रसार।

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न २२ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३१ पर)

प्रार्थना-पत्रों पर की गई कार्यवाही का विवरण

क्रम-संख्या	प्रार्थी का नाम और पता	विषय	कार्यवाही का विवरण
१	सर्वश्री किशुन, राजभर, केदार, लक्ष्मी और इन्द्रदेव मल्ल ग्राम समसपुर, डा० मधुबन, जिला आजमगढ़।	मधुबन उपशाखा पर पुलिया बनाने की प्रार्थना।	समसपुर व अहरौली गांव के निकट नये पुलों का निर्माण आवश्यक नहीं है।
२	श्री रमाशंकर सिंह, प्रधान आदि ग्राम रसड़ी, डा० सरायगंज, जिला आजमगढ़।	ताल चंवर पर पुल बनाने की प्रार्थना।	धन के अभाव के कारण चंवर ताल नाले पर पुल का निर्माण सम्भव नहीं है।
३	श्री श्यामदेव सिंह, ठेकेदार, ग्राम सौदी, डा० बनपोखरा, जिला आजमगढ़।	फरही ड्रेन, सेक्शन किडिहड़ापुर, जिला आजमगढ़ पर किये गये मिट्टी के कार्य की गलत पैमायश।	पैमाइश के सम्बन्ध में शिकायत निराधार पाई गई। ठेकेदार के पेमेन्ट न लेने पर बिल डिपाजिट में है और ठेकेदार को पेमेन्ट लेने के लिए सम्बन्धित एस० डी० ओ० ने लिखा है।
४	श्री गरजू यादव, ग्राम जाय डीह, डा० घोसी, जिला आजमगढ़।	सिंचाई न होने पर भी सिंचाई कर की वसूली की जाने की शिकायत।	जांच कराने से शिकायत निराधार पाई गई।
५	श्री मुखलाल सिंह, आदि ग्राम लखनी, डा० समरी, जिला आजमगढ़।	लखनी माइनर के निर्माण को रोकने तथा बरहा को चौड़ा बनाये जाने की प्रार्थना।	प्रार्थी की मांग उचित नहीं पाई गई।
६	श्री बाल गोविन्द, ग्राम हसनपुर, डा० मधुबन, जिला आजमगढ़।	इटौरा माइनर को ठीक मार्ग से न ले जाने से प्रार्थी के खेत से अधिक भूमि लेने की शिकायत।	प्रार्थी की शिकायत जांच से निराधारप पाई गई।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	प्रार्थी का नाम और पता	विषय	कार्यवाही का विवरण
७	श्री साहबली, प्रधान ग्राम सभा, मलेरी, डा० बेला, जिला आजमगढ़।	लखनी माइनर को प्रार्थी के खेतों के बीच निकालने के बारे में शिकायत।	माइनर स्वीकृत संरेखण (alignment) के अनुसार ही बनाई गई है। संरेखण स्वीकृत करते समय इस बात का ध्यान रखना होता है कि निर्माण-कार्य में कम से कम व्यय हो तथा उससे दोनों ओर के अधिक से अधिक खेतों को पानी पहुंचाया जा सके। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपजाऊ भूमि को भी उपयोग में लाने की आवश्यकता पड़ जाती है। स्वीकृत संरेखण (alignment) पर कार्य पूरा किया जा चुका है अतः अब इस (alignment) में परिवर्तन करने का प्रश्न नहीं उठता।
८	श्री बासुदेव, उप प्रधान, ग्राम मगमास, जिला आजमगढ़।	रइसा माइनर पर रिपुल के निर्माण के लिए प्रार्थना।	चूंकि इस पर कैटिल पुल (Cattle Bridge) पहले से ही बना है, दूसरे पुल की आवश्यकता नहीं है।
९	श्री बैजनाथसिंह, उप-प्रधान, ग्राम जुड़ैना, डा० बीबीपुर, जिला आजमगढ़।	मीरपुर माइनर से सिंचाई के लिए पानी न लेने पर भी सिंचाई कर की वसूली।	शिकायत की जांच करने के बाद मालूम हुआ कि जुरेन्दा ग्राम में कोई सिंचाई कर नहीं लगा है तथा शिकायत निराधार है।
१०	श्री जंगी यादव, ग्राम दरियाबाद, डा० बीबीपुर, जिला आजमगढ़।	सिपाह सब माइनर के स्थान पर दो पतली नालियों के निर्माण के लिए प्रार्थना।	प्रार्थना जांच के बाद उचित नहीं पाई गई।
११	श्री श्रीकान्त, ग्राम व डा० धर्मपुर, जिला आजमगढ़।	प्रार्थी के मकान को ऊंचा करने की प्रार्थना।	इसमें गांव की आबादी को ऊंचा करने का प्रश्न सन्निहित है। यह कार्य योजना की स्वीकृति एवं धन उपलब्ध होने पर किया जायगा।
१२	श्री लछमन वगैरह, ग्राम सिसवा, डा० धर्मपुर, जिला आजमगढ़।	काम करने के बाद ठेकेदार से मजदूरी न मिलने के सम्बन्ध में।	प्रार्थियों की शिकायत को आवश्यक कार्यवाही के लिए श्रमआयुक्त को भेज दिया गया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३३ पर)

नान-टेक्निकल पदों के लिये निर्धारित अनुपात

क्रम-संख्या	पद का नाम	निर्धारित अनुपात बाहरी	निर्धारित अनुपात विभागीय
		प्रतिशत	प्रतिशत
१	ट्रैफिक सुपरिन्टेन्डेन्ट.	२५	७५
२	जूनियर स्टेशन इंचार्ज	५०	५०
३	जनरल क्लर्क	५०	५०
४	असिस्टेंट ट्रैफिक इन्स्पेक्टर	४०	६०
५	बुकिंग जूनियर क्लर्क	८०	२०
६	एकाउन्टेन्ट	२५	७५
७	सहायक स्टोर कीपर	५०	५०
८	कन्डक्टर	८०	२०

टेक्निकल पदों के लिये निर्धारित अनुपात

१	क्लीनर	२५	७५
२	फिटर	२५	७५
३	सहायक मैकेनिक	५०	५०
४	मैकेनिक	२५	७५
५	जूनियर फोरमैन	२५	७५
६	सीनियर फोरमैन	२५	७५

सत्यमेव जयते संसद विधान सभा

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १४४ पर)

सारदा नहर सिस्टम की सुल्तानपुर ब्रांच सिस्टम, लालगंज डिस्ट्रीब्यूटरी, गाजीपुर जनपद के सैदपुर तहसील के निम्नलिखित ग्रामों को सिंचाई सुविधा प्रदान होगी

१—बरेहता
२—चतुरापुर
३—खोजीरपुर
४—मई
५—इटवां
६—रामपुर
७—रिस्ती
८—ढखंवा
९—अताउल्लापुर
१०—कोवाटी
११—मैलारा
१२—मंगारी
१३—नाथूपुर
१४—बरहपार
१५—बरहपार नसरतपुर
१६—गोकुल पट्टी
१७—दलीप राय पट्टी
१८—धीरा राय पट्टी
१९—दलीप राय पट्टी
२०—महूशा
२१—पछई पट्टी
२२—विजोवा
२३—बरेहपुर भोजराज
२४—धीमापुर
२५—रामदासपुर
२६—हुसेनपुर
२७—बड़ागांव
२८—बघेला
२९—देवापुर
३०—रामपुर
३१—मखदूम
३२—बसही
३३—जगदीशपुर
३४—खजुरहट
३५—खरका
३६—कैथोलिया
३७—गौरी
३८—पाही
३९—कनेरी।

संसदीय प्रदर्शन सभा

गाजीपुर जनपद के सैदपुर तहसील के निम्नलिखित ग्राम सारदा नहर सिस्टम की सुल्तानपुर ब्रांच सिस्टम की ठिकमा डिस्ट्रीब्यूटरी के कमान्ड के अन्तर्गत है

१—भाखनपुर
२—सबरजहांपुर
३—शहाबपुर
४—जगदीशपुर
५—ताजूपुर
६—समाधरपुर
७—रघुनाथपुर
८—बारीडीह मुवाविबकपुर
९—जौहरपुर
१०—नसरूहमपुर
११—जलालपुर घानी
१२—आइमा बंशी
१३—फातिमा चक उर्फ बैरक
१४—फूलपुर
१५—पाखनपुर
१६—परसपुर
१७—सीसावार
१८—मखदूमपुर
१९—बुरहानपुर
२०—मुरखुरा
२१—गजाधर
२२—गोरहरा
२३—हसनपुर
२४—करन्जीहरहर
२५—कुन्दौला
२६—रामबन
२७—बिशम्भरपुर
२८—होली पट्टी
२९—करीमुल्लापुर
३०—जखिनिया गोविबन्द
३१—गौरा खास
३२—सलीमपुर बहाराय बहादुर
३३—शाहपुर
३४—कैला जखिनियन
३५—गौरा नाम जहूपुर लालपुर
३६—शाहपुर सुब्राय
३७—गौरा खुर्द।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४० का उत्तर पीछे पृष्ठ १४४ पर)

प्रार्थना-पत्रों पर की गई जांच और परिणाम का विवरण

मांग का विवरण	जांच व परिणाम का विवरण
१—माउर बोझ के तजना ताल मेला बांध सेमरी जमालपुर की ताल के पानी की निकासी का प्रबन्ध करना।	यह कार्य श्रमदान द्वारा किया जाना है।
२—नदवल भवनपुर, दादनपुर का पानी खोदकर जमालपुर मिर्जापुर होते हुए नकटी नाला में गिराना।	यह कार्य श्रमदान द्वारा किया जाना है।
३—भवनपुर से बरेली, माउर बोझ, रथौली सराय, गनेश भैंसहा, करमा-महरपुर से पानी निकालने के सम्बन्ध में ।	यह कार्य श्रमदान द्वारा किया जाना है।
४—नदवल से खानपुर बुजुर्ग रसूलपुर गोदल, चक मसैययद माछल जमीन गोविन्दपुर टगुनिया का पानी चवर ताल में डालने की योजना।	यह कार्य श्रमदान द्वारा किया जाना है।
५—मखमेलपुर सुल्तानीपुरा, मिटिया जगनपुर आदि गांवों के तालाबों से पानी के निकास के लिए बांहें बनवाये जायें और मार्गों पर पुल पुलिया का निर्माण किया जाय।	यह कार्य श्रमदान द्वारा किया जाना है।
६—ताल पटाछ योजना एवं बसनही नाला योजना तत्काल प्रारम्भ की जाय। गोडुसरा एवं पतिला के सामने दो ताखे का पुल बनाया जाय। साथ ही बसनही नाले पर रईसा सखानपुर एवं सेमरी तथा लखमी मुबारकपुर पर पुल बनवाया जाय इसी प्रकार चंवर ताल पर रसड़ी एवं बेला सुल्तानपुर के सामने पुल बनाकर यात्रियों के लिए सुविधा प्रदान की जाय।	(१) जहां तक पताछ ताल योजना का सम्बन्ध है इसको जमीन का मुआवजा दिया जा चुका है और कार्य करने का ठेका भी दिया जा चुका है किन्तु भूमि में पानी भरा होने के कारण अभी कार्य आरम्भ नहीं हो सका है। (२) नीचा भाग होने के कारण बसनही नाले पर कोई कार्य नहीं हुआ। (३) पुलों का कार्य आवश्यक धनराशि के उपलब्ध होने पर किया जा सकेगा

मांग का विवरण	जांच व परिणाम का विवरण
७—अंवरा नाला की अपूर्ण खुदाई परसुपुर दुल्हपुर आदि ग्रामों के सामने पूर्ण की जाय क्योंकि पानी का बहाव बन्द हो जाने के कारण हजारों एकड़ फसल की बर्बादी के साथ-साथ मिसहा हृदय पट्टी तथा अन्य ग्रामों के घरों में पानी घुस जाता है और बन पोखरा रामपुर तिवारी सौबी भटौली तेदवां, तिनहारी कवला पट्टी परसूपुर दुल्हपुरवा बहादुरपुर एवं नौग डांड आदि ग्रामों के सामने पुल बनाये जायें।	(१) औरां नाले की सफाई पूरी हो चुकी है। (२) ग्राम बन पोखरा रामपुर तिवारी इत्यादि प्राकृतिक नाले पर स्थित है जिन पर सिंचाई विभाग द्वारा पुल नहीं बनवाया जा सकता। (३) ग्राम सौदी भिटौली तिनहारी कवट पट्टी, बहादुरपुर कचांदपुर ग्रामों के लिए पुल धन के उपलब्ध होने पर बनवाया जा सकेगा।
८—नत्थूपुर माइनर के दरियाबाद ओकाली मधवापुर कुसहा एवं हृदयपट्टी के पास पानी के निकासी के लिए साईफन बनाए जायं। मुख्य नहर दोहरी घाट के माऊर बोझ पिढवत आदि ग्रामों के पास साईफन तथा खैरा मुहम्मद के पास पुल बनवाए जांये।	ग्राम अकोल्ही व दरियाबाद के पास साईफन इसी वर्ष बन जाने की सम्भावना है। हृदयपट्टी ग्राम में साईफन बन गया है। अन्य ग्रामों में साईफन बनाने की आवश्यकता नहीं है। खैरा मोहम्मदपुर के पास पुल बनाने की आवश्यकता नहीं है।
९—सराय गनेश माईनर में भैसहा कर्मा महरूमपुर सराय गनेश आदि ग्रामों के सामने का साईफन तथा पुलिया बनाई जाय।	ग्राम कर्मा महरूमपुर का पानी निकालने के लिए एक साईफन बनाया जा रहा है। अन्य साईफन तथा पुल आवश्यक नहीं हैं।
१०—रईसा माइनर में मुमगास, मठिया के सामने पुल बनाये जायं।	इस स्थान पर पिछले वर्ष एक पुल बनवा दिया गया है अन्य पुल बनवाने की आवश्यकता नहीं है।
११—इंदारा माईनर में मेला बांध कबलापुर आदि ग्रामों के पास साईफन तथा पुल बनाये जायं।	बांध व साईफन बनाने की आवश्यकता नहीं है।
१२—सिपाह माईनर पवनी माइनर की कोई आवश्यकता नहीं। इसका निर्माण रोका जाये।	जांच के पश्चात् यह पता चला कि कुछ काश्तकारों को छोड़कर बाकी सभी काश्तकार सिपाह व पवनी माईनर बनाने के पक्ष में हैं।
१३—जाम डीह माईनर में खानपुर बुजुर्ग आदि गांवों में साईफन बनाये जायं।	वांछित साईफन के इस वर्ष पूर्ण होने की आशा है।

नत्थी 'ञ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १५२ पर)

Copy of letter no. 2030 F A/594 F A/57 dated march 15, 1963 U P parivahan ayukta (Lekha) addressed to all General Managars, U. P. Government Roadways.

Subject— **Recovery of employee's share of contribution**

I have the honour to forward herewith a copy of para 3(i) and (ii) of letter no. 3372/EPF/266/G (iv) dated February 5, 1963, from the Regional Provident Fund Commissioner, U. P. addressed to the Transoprt Comissioner, U. P. in which Regional Provident Commissioner has granted permission for recovery of the employees' share of contribution for the period of May, 1959 to September, 1960, paid by Government on behalf of the employees from the subsequent wages and to say that the Transport Comissioner, U. P., has accordingly ordered that the recovery of the amounts of contribution towards the Employees Provident Fund for the period from May 1959 to Septembe 1960, on behalf of the employees concerned may be commenced from their pay for March, 1963 in easy instalments.

2. The number of instalments in which recovery will be made would be so fixed that the employee has to pay about half month's contribution in each month. For example, if in repsect of an employee "A" the Government had paid the employees' share of contribution from May, 1959 to September, 1960 i.e. for seventeen months, the amount so paid by the Government on behalf of the employee "A" would be recovered in 34 instalments (17 ×2) and if in case of another employee "B" who become eligible for membership with effect from December 1, 1959, the Government had paid the employee's share of contribution from December 1, 1959 to September 30, 1960 i.e. for ten months, the amount paid by the Government on behalf of "B" would be recovered in 20 instalments (10×2).

3. The amount which is recovered in each month as stated in para 2 above will be treated as receipt of the department and credited to the head "XL—III--Road and Water Transport Schemes—A—Road Transport Receipt from Road Transport Services—(iii)—Income from Government Bus Services," It may be noted that a distinct account of recovery on this account should be kept and not mixed up with the earnings.

Copy of letter no. G-379FA/594FA/1957, dated Lucknow, April 18, 1963 from the U. P. Parivahan Ayukta (Lekha) addressed to the Chief Mechanical Engineer, Roadways Central Workshop, Kanpur.

Subject : **Recovery of the employee's share of contribution of the Employees Provident Fund**

I have the honour to forward herewith a copy of paras 2(iii) and 3 of letter no. 4059/EPF/266/GIV, dated March 23, 1963, from the Regional Provident Fund Commissioner Uttar Pradesh, addressed to the Transport Commissioner, Uttar Pradesh, in which the Regional Provident Fund Commissioner has granted permission for recovery the employees' share of contribution for the period from May, 1958 to September, 1960, paid by the Government on behalf of the employees from their subsequent wages and to say that the Transport Commissioner, Uttar Pradesh, has accordingly ordered that the recovery of the amounts paid by the Government on account of employees' share of contribution towards the Employees Provident Fund for the period from June, 1958 to September, 1960, on behalf of the employees concerned may be commenced from their pay for April, 1963 in easy instalments.

2. The number of instalments in which recovery will be made would be so fixed that the employee has to pay about half month's contribution in each month. For example if in respect of an employee "A" the Government had paid the employee's share of contribution from June, 1958 to September 1960, i.e. for twenty-eight months, the amount so paid by the Government on behalf of the employee "A" would be recovered in 56 instalments (28 ×2) ; and if in the case of another employee "B" who became eligible for membership with effect from December 1, 1959, the Goevrnment has paid the employee's share of contribution from December, 1959 to September 30, 1960, i.e. for ten months, the amount paid by the Government on behalf of "B" would be recovered in twenty instalments (10 × 2).

3. The amount which is recovered in each month as stated in para 2 above has to be credited to the appropriate head which may please be intimated to this office.

नत्थी 'ट'

(देखिये अतारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ १५७ पर)

१९६३ के द्वितीय सत्र के पहले मंगलवार के लिये निर्धारित श्री राजेन्द्रसिंह यादव के अतारांकित प्रश्न संख्या २ में उल्लिखित

१—ईसापुर
२—कमालपुर जहांगीरपुर
३—मांट पुरा
४—ईसापुर
५—तेजपुर
६—मदनपुर
७—तिथमापुर
८—मुरईयां बुजुर्ग
९—लोहमड़
१०—गंगेमऊ
११—रामपुर नवादा
१२—समसपुर भिकारं
१३—खानपुर
१४—तिथमापुर
१५—हरसिंगपुर
१६—पलिया
१७—नगला कलां
१८—इमलिया आसानन्द
१९—सुल्तानपुर
२०—सिंघपुर
२१—सलेमपुर
२२—सबरपुर
२३—सराय द्वारकापुर प्रयाग
२४—मादरपुर
२५—कमालपुर।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ठ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १५८ पर)

नारायणी नहर सिस्टम पर जो देवरिया जिले के कप्टानगंज ब्लाक में पड़ता है बने हुये पुलों का ब्यौरा

(क) पैदल चलने वालों के लिये तथा जानवरों के पार करने के लिये पुल

			मी०	फ०	फीट	
(१)	..	..	०	६	४००	पिपराइच नहर
(२)	..	..	२	२	३३०	बसंतपुर नहर
(३)	..	..	९	४	४२०	सेमरा नहर
(४)	..	..	११	५	१००	सेमरा नहर
(५)	..	..	३	६	५००	परतावल नहर

(ख) गांव की सड़क के बैलगाड़ी के पुल

(१)	..	..	३८	६	३९५	नारायनी नहर
(२)	..	..	३९	२	३१५	,, ,,
(३)	..	..	३९	४	५५०	,, ,,
(४)	..	..	३९	५	३६५	,, ,,
(५)	..	..	०	४	६००	पिपराइच नहर
(६)	..	..	१	०	४२०	,, ,,
(७)	..	..	२	२	२००	,, ,,
(८)	..	..	२	४	१००	,, ,,
(९)	..	..	३	२	४५०	,, ,,
(१०)	..	..	४	०	६०	,, ,,
(११)	..	..	१	०	३०	मंसूर गंज माइनर
(१२)	..	..	१	३	६३०	,, ,,
(१३)	..	..	१	७	६३०	,, ,,
(१४)	..	..	०	४	१००	बसंतपुर नहर
(१५)	..	..	०	६	६२०	,, ,,
(१६)	..	..	१	४	२००	,, ,,
(१७)	..	..	२	०	६००	,, ,,
(१८)	..	..	२	५	२००	,, ,,
(१९)	..	..	३	०	४६०	,, ,,
(२०)	..	..	३	७	२००	,, ,,
(२१)	..	..	४	४	५००	,, ,,
(२२)	..	..	५	२	४६०	,, ,,

विधान सभा सचिवालय

			मी०	फ०	फीट		
(२३)	..	..	०	१	३३०	मंसूर	गंज स्कीम
(२४)	..	..	०	५	६१०	,,	,,
(२५)	..	..	१	१	६००	,,	,,
(२६)	..	..	१	७	२००	,,	,,
(२७)	..	..	२	२	४६०	,,	,,
(२८)	..	..	३	१	२००	,,	,,
(२९)	..	..	८	०	६२०	सेमरा	नहर
(३०)	..	..	८	४	४८५	,,	,,
(३१)	..	..	९	२	२५०	,,	,,
(३२)	..	..	१०	३	१९२	,,	,,
(३३)	..	..	१०	५	६००	,,	,,
(३४)	..	..	१०	७	४८०	,,	,,
(३५)	..	..	१२	१	५८०	,,	,,
(३६)	..	..	३	१	४००	परतावल	नहर
(३७)	..	..	४	३	२००	,,	,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १८–२१ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६१ पर)

राप्ती नदी का जल स्तर विभिन्न वर्षों में निम्नलिखित था (निम्नलिखित आंकड़े फीट में हैं)

		१९३४	१९३८	१९५६	१९५७	१९५८	१९५९	१९६०	१९६१	१९६२
प्रश्न संख्या	..	१८	बलरामपुर	..	सूचना उपलब्ध नहीं है	३४३.५०	३४३.५०	३४४.७५	३४३.७५	३४६.३०	३४६.५०	३४४.७५
			गोरखपुर	..	२५०.५७	२४८.७५	२४८.००	२४५.२५	२४६.५५	२४१.८०	२४२.७६	२४९.९५	२५१.००
			घाघरा नदी का जलस्तर विभिन्न वर्षों में निम्नलिखित था––										
प्रश्न संख्या	..	१९	चौकाघाट	..	सूचना उपलब्ध नहीं है	३४८.१६	३४९.४२	३४८.७५	३४८.०८	३४९.७५	उपलब्ध नहीं है	३५०.६०
			अयोध्या	..	सूचना उपलब्ध नहीं है					३०८.६	३१०.२	३०९.८	३१०.८
			तुर्तीपार	..	सूचना उपलब्ध नहीं है	२११.००	२०९.७५	२१०.००	२०९.२५	२११.२५	२११.२५	२१३.००
प्रश्न संख्या	..	२०	हेतिमपुर, सिरसिया, कप्तानगंज	..	इन जगहों पर छोटी गंडक के जलस्तर की कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।								
			रोहिणी नदी का जलस्तर विभिन्न वर्षों में निम्नलिखित था––										
प्रश्न संख्या	..	२१	डोमिनगढ़	..	सूचना उपलब्ध नहीं है।	२५१.३०	२५०.३०	२४९.८३	२४४.७५	२४६.५०	२५२.२०	२५३.७०
			फरेंदा	..	सूचना उपलब्ध नहीं है।								

नत्थी 'ढ़'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ४५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६७ पर)

चीफ प्रोजेक्ट इंजीनियर, रामगंगा, मुरादाबाद के अन्तर्गत १६ डिवीजन हैं जिनके नाम व हेडक्वार्टर्स निम्नलिखित हैं

डिवीजन	हेडक्वार्टर्स
१—राम गंगा कान्सट्रक्सन डिवीजन प्रथम	कालागढ़
२—राम गंगा कान्सट्रक्सन डिवीजन तृतीय	मुरादाबाद
३—राम गंगा कान्सट्रक्शन डिवीजन चतुर्थ	कालागढ़
४—टनल एन्ड पावर हाउस डिवीजन	,, ,,
५—टेस्ट एन्ड कंट्रोल डिवीजन	,, ,,
६—प्रोक्योरमेन्ट डिवीजन	,, ,,
७—मैकेनिकल स्टोर्स डिवीजन	,, ,,
८—सेन्ट्रल वर्कशाप डिवीजन	,, ,,
९—फील्ड वर्कशाप डिवीजन	,, ,,
१०—इलैक्ट्रीफिकेशन	मुरादाबाद
११—टनल डिवीजन	,, ,,
१२—कम्यूनिकेशन डिवीजन	मुरादाबाद
१३—कैम्प मैनेजमेन्ट डिवीजन	कालागढ़
१४—रेजीडेंसियल एन्ड स्ट्रक्चर डिवीजन	,, ,,
१५—डैमस्ट्रैपिंग एन्ड ग्राउटिंग डिवीजन	,, ,,
१६—सिविल स्टोर्स डिवीजन	,, ,,

इनके मातहत निम्नलिखित कर्मचारी कार्य कर रहे हैं

पद	संख्या
इक्जीक्यूटिव इन्जीनियर	१५
असिस्टैन्ट इंजीनियर	४७
असिस्टैन्ट मैकेनिकल इंजीनियर	१६
ओवरसियर	१३४
इलैक्ट्रीकल एन्ड मैकेनिकल सुपरवाइजर	१७
डिवीजनल एकाउन्टेन्ट	५
हेड क्लर्क	७
स्टैनोग्राफर	११
नोटर एण्ड ड्राफ्टर	२७
रोटीन ग्रेड क्लर्क	५८
साइन्टीफिक असिस्टेन्ट	११
मोडल असिस्टेन्ट	१४
ड्राफट्समैन	१५
ट्रेसर	७
फैरो वाय	८

पद	संख्या
लेबोरेटरी अटेन्डेन्ट	१८
पियून	१००
दफेदार	१२
बर्कन्दाज	२०
चौकीदार	१२
रनर	७३
माली कम वाटर बाय	८
मेट	१२०
स्वीपर	१०
स्टोरकीपर	१
मेडिकल आफीसर	१
सेनीटरी इन्स्पेक्टर	१
कम्पाउन्डर	१
वार्ड बाय	१
ड्राइवर	२
गेजरीडर	१
खल्लासी	२
टेलीफोन मुंशी	२
डी० डी० टी० स्क्वाड	२
अध्यापक	५
योग ..	७८४

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ण'

(देखिये पीछे पृष्ठ १७४ पर)

उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९६३

१९५१ ई० का उ० प्र० अधिनियम संख्या १

१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम को संशोधित करने के लिये

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के चौदहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त शीर्षनाम

१--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, १९६३ कहलायेगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २०, १९५४
उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १८, १९५६
उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३७, १९५८
उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १४, १९५८

२--१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम (जिसे आगे 'मूल अधिनियम' कहा गया है) में धारा, ३ के खन्ड (८) में स्पष्टीकरण के पूर्व निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खन्ड, १ जुलाई, १९५२ से बढ़ा दिया जाय और विधि न्यायालय के किसी निर्णय डिगरी, अवधारण या आज्ञा के होते हुए भी मूल अधिनियम (जिसके अन्तर्गत उसकी धारा २ और ४ भी हैं) या उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, १९५४ (जिसके अन्तर्गत उसकी धारा १ भी है) या उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, १९५६ (जिसके अन्तर्गत उसकी धारा १ भी है) या उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, १९५८ (जिसके अन्तर्गत उसकी धारा १ भी है) के अधीन जारी की गई विज्ञप्तियों का इस प्रकार अर्थ लगाया जायगा मानों उक्त प्रतिबन्धात्मक खन्ड उक्त दिनांक से मूल अधिनियम का तथा शब्द "आस्थान" की परिभाषा, जैसी कि वह उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, १९५८ में दी गयी है, का भी भाग रहा है :--

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि मिर्जापुर जिले का प्रत्येक वह क्षेत्र,, जिसकी सीमायें अनुसूची ७ में दी गयी हैं, उपर्युक्त परिभाषा में किसी बात के होते हुए भी, आस्थान समझा जायगा ।

१९५१ ई० का उ० प्र० अधिनियम संख्या १ में अनुसूची ७ का बढ़ाया जाना

३--मूल अधिनियम की अनुसूची ६ के पश्चात् निम्नलिखित नयी अनुसूची बढ़ा दी जाय और १ जुलाई, १९५२ से इस प्रकार बढ़ायी हुई समझी जाय :--

अनुसूची ७

[धारा ३ के खन्ड (८) का प्रतिबन्धात्मक खन्ड देखिये]

(१) क्षेत्र जो जिला मिर्जापुर में परगना अगोरी के नाम से प्रसिद्ध है और जिसकी सीमा --

उत्तर में कैमूर पर्वतमाला का वह भाग जो जिला मिर्जापुर में परगना बड़हर के ग्राम पड़ौनिया (जिसे पड़वनिया भी कहते हैं) चिंगौरी, गुरौल (जिसे गुरवल भी कहते हैं), करौदिया, बरौली, डुमखरी, खिरहटा, गड़मा, खजरौल (जिसे खजुरौल भी कहते हैं), दुगौली, बड़ागांव, जुरौली, जुरौलीकुलानी, राजपुर, रैपुरा, सेन्दुरी, रघुनाथपुर, बहुवार, बसौली, बुधवारी, लौढ़ी, रौप, मुसही, चुर्क तथा उरौली (जिसे अरौली भी कहते हैं) व परगना विजयगढ़ के ग्राम विरंचुवा, मकरीवारी, पोखरौंध, लौवा, चेरुई, वघमां, मरकुन्डी, से मिला हुआ है, परगना

विजयगढ़ के ग्राम ससनई की पश्चिमी सीमा तक, जो अगोरी व विजयगढ़ परगनों के बीच की सीमा है, कनहर और सोन नदियों के संगम के सामने बिन्दु तक, और उसके पश्चात् सोन नदी ही उत्तरी सीमा बन जाती है;

पूर्व और दक्षिण पूर्व में बिहार राज्य का क्षेत्र ;

दक्षिण में---तहसील दुद्धी, जिला मिर्जापुर;

दक्षिण-पश्चिम तथा पश्चिम में---मध्य प्रदेश राज्य का क्षेत्र (भूतपूर्व रीवां रियासत) है :

किन्तु इस क्षेत्र में ग्राम किशुन चक सम्मिलित नहीं है, जो परगना अगोरी के भीतर एक भिन्न आस्थान है और जिसके उत्तर पूर्व तथा दक्षिण में ग्राम कोन खास तथा पश्चिम में मोहिउद्दीनपुर, जिला मिर्जापुर है।

(२) क्षेत्र जो जिला मिर्जापुर परगना विजयगढ़ में तप्पा अरगुढ़ के नाम से प्रसिद्ध है और जिसकी सीमा--

उत्तर में कैमूर पर्वतमाला का वह भाग जो परगना विजयगढ़ के ग्राम मरकुन्डी चेरुई, पल्हारी, कोदई, गढ़वान, बैजनाथ, रामपुर, सोमा, सथारी, पनौरा, चिचलिक, खौडैला तथा बडैला से मिला हुआ है ;

पूर्व में बिहार राज्य का क्षेत्र;

दक्षिण में सोन नदी;

पश्चिम में ग्राम कंधौरा (जिसे कन्हौरा भी कहा जाता है)

परगना अगोरी, जिला मिर्जापुर है।"

४---इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम की धारा ३ के खन्ड (८) के प्रतिबन्धात्मक खन्ड में अभिदिष्ट किसी क्षेत्र में किसी स्वत्व या किसी क्षेत्र की उपज के संबंध में किसी मध्यवर्ती द्वारा ३० जून, १९५३ को या उसके पश्चात् किया गया कोई हस्तान्तरण या संविदा व्यर्थ होगा।

५---इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम की धारा ३ के खन्ड (८) के प्रतिबन्धात्मक खन्ड में अभिदिष्ट क्षेत्र या उसके किसी भाग पर ३० जून, १९५३ के पश्चात् किसी मध्यवर्ती या मध्यवर्तियों द्वारा बिना आगम (title) के कब्जा रखने के कारण राज्य द्वारा वसूल की जाने वाली धनराशि, तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी ऐसे क्षेत्र या उसके भाग के, जैसी भी दशा हो, संबंध में उक्त अधिनियम के अधीन देय प्रतिकर के पचहत्तर प्रतिशत से अधिक न होगी।

६---(१) इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों को प्रचलित करने में किसी कठिनाई को दूर करने के लिये राज्य सरकार, आज्ञा द्वारा--

(क) निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम ऐसी सीमिति अवधि में जो उक्त आज्ञा में निर्दिष्ट की जाय ऐसे अनुकूलनों और परिष्कारों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगा जो निर्दिष्ट किये जायं।

(ख) ऐसे अन्य अस्थायी उपबन्ध बना सकती है जो आज्ञा में निर्दिष्ट किये जायं ।

(२) इस अधिनियम के प्रचलित होने के दिनांक से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् इस धारा के अधीन कोई आज्ञा न दी जायगी ।

(३) इस धारा के अधीन दी गयी आज्ञा, उसके दिये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मन्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखी जायगी ।

उद्देश्य और कारण

शब्द "आस्थान" की परिभाषा को, जैसा कि उसे १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा ३ के खन्ड (८) में अभिग्रहीत किया गया था, उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, १९५८ (उ० प्र० अधिनियम संख्या १४, १९५८) द्वारा इस निमित्त संशोधित किया गया था कि अधिकार अभिलेख तैयार करने और उसे रखने के सम्बन्ध में धाराओं के अभिदेश में कतिपय संदिग्धताओं को दूर किया जाय। उक्त शब्द की परिभाषा में और संशोधन करने की आवश्यकता हो गयी है, क्योंकि उच्च न्यायालय की हाल ही की व्यवस्था में यह मत व्यक्त किया गया है कि राज्य के कतिपय जमींदारी क्षेत्र अब भी "आस्थान" की वर्तमान परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आते। चूंकि यह नितान्त आवश्यक है कि भूमि-व्यवस्था की योजना संपूर्ण राज्य में कार्यान्वित की जाय, इसलिये वर्तमान विधेयक शब्द "आस्थान" की परिभाषा को इस प्रकार संशोधित करने की अपेक्षा करता है कि उसके अन्तर्गत वे सभी जमींदारी क्षेत्र आ जायें जिनके संबंध में यह मत व्यक्त किया गया है कि वे उक्त शब्द की वर्तमान परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आते और आनुषंगिक मामलों की व्यवस्था भी हो जाय ।

हुकुम सिंह विसेन,
राजस्व मंत्री ।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश-और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९६३ के सम्बन्ध में वित्तीय ज्ञापन-पत्र

विधेयक में "आस्थान" की परिभाषा, जैसी कि वह १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा ३ के खन्ड (८) में दी गयी है, के संबंध में कतिपय असंदिग्धताओं को जिनके कारण हाल ही में उच्च न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है कि मिर्जापुर जिले में कतिपय क्षेत्र उक्त परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आते, दूर किया गया है । अतएव, विधेयक के उपबन्धों के संबंध में कोई नया व्यय नहीं होगा। प्रतिकर का भुगतान मूल अधिनियम की वर्तमान धारा २७, ५४, ६५ और ७३ के अनुसार किया जायगा, और इसके लिये वर्ष १९६३–६४ के राज्य बजट में शीर्षक "१६—ऋण और अन्य दायित्वों पर व्याज" और शीर्षक "१७—ऋण कम करने अथवा उसके परिहार (avoidance) के लिये विनियोग (appropriation)" के अन्तर्गत व्यवस्था है । प्रतिकर के अवधारण और भुगतान के संबंध में लगभग ६ मास के लिये एक नायब तहसीलदार और २ लिपिकों की और व्यवस्था करनी होगी जिन पर लगभग २,००० रुपये खर्च होगा। इस संबंध में व्यय शीर्षक "१९—सामान्य प्रशासन—आयोजनेतर—घ—सचिवालय और सम्बद्ध कार्यालय—ग—प्रतिकर निर्धारण का व्यय" के अन्तर्गत की गयी बजट व्यवस्था से किया जायगा।

हुकुमसिंह विसेन,
राजस्व मंत्री ।